स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन

A Socio-Psycho Study of Backwardness Among Scholaristic School Going Children

(झाँसी शहर के संदर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविघालय झाँसी में सामाजशास्त्र बिषय मे पी. एच. डी. उपाघि हेतु प्रस्तुत शोध – प्रबन्ध

2008–09

निर्देशक

डॉ. एन.एन.अवस्थी

पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ.बी.आर.अम्बेडकर

इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

बुन्देलखण्ड विश्वविघालय झाँसी

पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर (स्वास्थ्य शिक्षा)
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी

शोधनार्थिनी

श्रीमति ज्योति नामदेव

एम.ए. (सामाजशास्त्र)

बुन्देलखण्ड विश्वविघालय झाँसी(उ.प्र.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति ज्योति नामदेव (एम.ए. सामाजशास्त्र, बी.एड.) ने मेरे निर्देशन में "स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन" (झाँसी शहर के संदर्भ में) विषय पर शोध कार्य सम्पन्न किया है और यह उनका मौलिक प्रयास है।

इन्होने नियमानुसार अपनी उपस्थिति पूरी की है। ये शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविघालय झाँसी द्वारा निर्धारित मान्यताओं को पूरा करता है। मै प्रमाणित करता हूँ कि शोध प्रबन्ध के आँकड़े क्षेत्र में भ्रमण करके एकत्र किए गए है और इस दृष्टि स इनके कार्य में संपर्क और आवश्यकतानुसार यथोचित उपयोग हुआ है।

यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविघालय, झाँसी द्वारा प्रस्तावित नियमों को पूरा करता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविघालय, झाँसी को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित किया जाता है। शोधार्थिनी ने मेरे निर्देशन में शोधकेन्द्र पर 200 दिन उपस्थित रहकर शोधकार्य किया है।

दिनांक :25-11-2008

निर्देशक

डॉ. एन.एन.अवस्थी

पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ.बी.आर.अम्बेडकर

इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज

बुन्देलखण्ड विश्वविघालय झाँसी

पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर (स्वास्थ्य शिक्षा)

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी

:प्राक्कथन:

मै प्रथमतः आभारी हूँ मेरे निर्देशक *डॉ. एन. एन. अवस्थी की जिनका आशीष एवं मार्ग दर्शन समय समय पर मिलता रहा , उनकी कृपा के प्रति मेरा उऋण होना असम्भव है। प्रारंभ से लेकर अन्त तक जो भी शोध किया गया,वह उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है। उन्होने अपने व्यस्त समय से बड़ा ही अमूल्य समय निकालकर तर्क विवेचन द्वारा शोध प्रारूप,अनुसूचियों, सारणियों और अध्यायों को अन्तिम रूप दिया। मै उनके प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।*

मै आभार व्यक्त करती हूँ मेरे पति डॉ. कामता प्रसाद नामदेव *जिन्होने सुयोग्य मार्ग दर्शन हेतू डॉ. एन. एन. अवस्थी से सम्पर्क साधने का उचित परामर्श दिया। जब मैने डॉ एन एन अवस्थी से सम्पर्क कर अपना मन्तव्य प्रकट किया तो वह मेरी रूचि और इच्छाओं को जानकर न केवल मुझे उत्साहित ही किया वरन मेरे मार्ग दर्शन हेतू सहमत हो गये डॉ. एन. एन. अवस्थी जैसा सरल सहृदय सम्वेदनशील व सुयोग्य मार्गदर्शक प्राप्त करना ही मेरे लिये गर्व एवं सौभाग्य की बात रही ।*

मै आभार व्यक्त करती हूँ सिंह दम्पत्ति *डॉ. संदीप सिंह औ़र डॉ. श्रीमति शालू सिंह का जिनकी सहायता के बिना शायद यह शोध कार्य अधूरा था।*

मै आभार व्यक्त करती हूँ डॉ. सुनील कुमार प्रजापति विभागाध्यक्ष, इन्स्टि्टूट ऑफ फार्मेसी, डॉ. रघुवीर इरछइया, रीडर, इन्स्टि्टूट ऑफ फार्मेसी, बु.वि.वि. झाँसी, डॉ. एस एच बोडखे, रीडर, इन्स्टि्टूट अ़फ फार्मेसी, गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर (छ.ग.) श्री मुरारी लाल सोनी, प्राचार्य, सिध्दी विनायक इन्स्टि्टूट अ़फ फार्मेसी, . बिलासपुर (छ.ग.) श्रीमति नीली रोज एक्का लेक्चरर, इन्स्टि्टूट अ़फ फार्मेसी, गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर (छ.ग.), *नरेश कुमार* इन्स्टि्टूट ऑफ फार्मेसी, बु.वि.वि. झाँसी, विवेक जैन, निशा तेवतिया (एम फार्म स्टूडेन्ट) इन्स्टि्टूट अ़फ फार्मेसी, बु.वि.वि. झाँसी,को *जिन्होने मेरे* प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हेतु समय समय पर मुझे *भरपूर सहयोग दिया।*

इसके अलावा मैं हृदय से उन सभी विद्वानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनका भरपूर सहयोग प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूरा करने में रहा। अन्त में मैं अपने समस्त उत्तरदाताओं को भी धन्यवाद देती हूँ, *जिन्होने अपनी जिम्मेदारी को मेरे* प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हेतु समझा और मुझे *भरपूर सहयोग दिया।*

दिनांकः

ज्योति नामदेव

श्रीमति ज्योति नामदेव

अनुक्रमणिका

तालिकाओं की सूची

अध्याय -01

प्रस्तावना

भारतीय चिन्तकों का मत है कि शिक्षा से ही जीवनोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राचीन भारत में शिक्षा, प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी वह व्यक्ति के चिन्तन एवं मनन पर बल देती थी। डॉ. अल्टेकर के अनुसार –"वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियो के लिये शिक्षा का अभिप्राय यही है कि– शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है"।

प्रसिध्द शिक्षा शास्त्री प्लेटो का भी विश्वास था कि समाज में अधिकांश बुराइयों की जड़ अज्ञान है।

हमारे देश मे फैली बुराइयों व अज्ञानता को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए; शिक्षित होना चाहिए।

शिक्षा ही वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है।

समाज व शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण व परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरुप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरुप को निर्धारित करता है। शिक्षा समाज के हाथ में ऐसा अद्वितीय उपकरण है जिसके द्वारा वह उन परम्पराओं, नियंत्रणों एवं सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखता है जो उसने मानव के लम्बे एवं सतत् प्रयासों के फलस्वरुप संग्रहीत किये है। इस संदर्भ मे हार्न के ये शब्द अवलोकनीय हैं–"शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है। यह ज्ञान और शक्ति के वर्तमान संग्रह में वृध्दि करके और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है।"

शिक्षा समाज की एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संस्था है। अनेक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को एक प्रमुख उपव्यवस्था माना है। शैक्षिक उपव्यवस्था वृहद सामाजिक व्यवस्था का वह भाग है जो समाज मे प्रतिमानों के स्थायित्व और तनावों के नियंत्रण से विशेष रूपेण जुड़ा हुआ है। शिक्षा समाज की प्रमुख समाजीकरण की एजेंसी है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने सदैव शिक्षा में रूचि बनाये रखी है। आगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, मैक्स बेवर , आदि सभी प्रमुख समाजशास्त्रियों ने शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया और उस पर अपने विचार व्यक्त किये। भारत में एम. एस. गोरे, सुमा चिटनिस, आई. पी. देसाई और वाई. वी. दामले ने शिक्षा को समाज की एक उपव्यवस्था एवं प्रकिया के रूप में अध्ययन करने को प्रेरित किया।

शिक्षा समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। एक औपचारिक एवं विशिष्ठ अभिकरण के रूप में शिक्षा का विकास आधुनिक समाज में ही हुआ है। शिक्षा की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से की है-

प्लेटो – "शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है।"

अरस्तू- "शिक्षा-स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क का निर्माण करती है।"

महात्मा गांधी- "शिक्षा से तात्पर्य बच्चें तथा मनुष्य के सर्वोत्तम शारीरिक , मानसिक तथा आध्यात्मिक गुणों के सर्वागीण विकास से है।"

सुकरात -"शिक्षा का अर्थ है -प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है।"

फ्रोवेल- "शिक्षा वह प्रकिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं।"

पेस्टालॉजी – "शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।"

ब्राउन- "शिक्षा, चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रकिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किये जाते है ।"

बेसिंग- "शिक्षा का कार्य -व्यक्ति का वातावरण से उस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति और समाज -दोनों से स्थायी संतोष प्राप्त हो सके।"

स्वामी विवेकानन्द- "हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता , मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुध्दि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।"

दुर्खीम- "शिक्षा अधिक उम्र के लोगों के द्वारा उन लोगो के लिए कार्यान्वित वह प्रकिया है जो कि अभी सामाजिक जीवन मे प्रवेश योग्य नही है। इसका उद्देश्य शिशु में उन बौध्दिक, भौतिक, और नैतिक दशाओं की जागृति एवं विकास करना है, जो उसके सम्पूर्ण समाज व पर्यावरण के लिए आवश्यक है, जिसके लिए यह विशेष रूप से पूर्व निर्दिष्ट है।"

जे.एम. मेकेन्जी- "व्यापक अर्थ मे शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार मे बृध्दि होती है।"

अपने शिक्षा सम्बंधी विचारों के आधार पर डॉ. एस. राधाकृष्णन ने शिक्षा की आधुनिकतम परिभाषा इस प्रकार की है:- "शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए।"

जी.आर. हॉब्स तथा एल. एस. हॉब्स ने शिक्षा कोष में शिक्षा के अर्थ को इन रूपों मे व्यक्त किया है-

1.शिक्षा वह औपचारिक या अनोपचारिक प्रकिया है जो मानव प्राणियों की क्षमताओं के विकास मे सहायता करती है।

2. शिक्षा वह विकास प्रकिया है जो विद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान करायी जाती है । यह संस्था निर्देश तथा अधिगम या सीखने के लिए मुख्यतः संगठित की जाती है।

3. शिक्षा वह सम्पूर्ण विकास है जो व्यक्ति द्वारा निर्देश तथा अधिगम के माध्यम से अर्जित किया जाता है।

कार्टर बी. गुड ने शिक्षा कोष में निम्नलिखित अर्थो पर बल दिया है -

1. शिक्षा उन सभी प्रकियाओं का समूह है जिनके माध्यम से व्यक्ति उस समाज में, जिसमे वह निवास करता है, सकारात्मक ढंग के व्यवहारों, योगयताओं तथा अभिवृत्तियों को विकसित करता है।
2. शिक्षा वह सामाजिक प्रकिया है जिसके द्वारा व्यक्ति चयनित तथा नियंत्रित पर्यावरण के अधीन रहते है व सामाजिक क्षमता तथा अधिकतम वैयक्तिक विकास को प्राप्त करते है।
3. शिक्षा वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक संतति अतीत के संगठित ज्ञान को प्राप्त करती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा एक प्रकिया है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न विशेषण प्रयुक्त किए है जिनमें एडमस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रकिया मानते हुए लिखा है कि - चुम्बक के समान शिक्षा मे दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। लेकिन प्रसिध्द शिक्षाशास्त्री जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को द्विमुखी प्रकिया न मानकर त्रिमुखी प्रकिया माना है। उनका कथन है कि शिक्षा मे शिक्षक व शिक्षा के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व है वह है सामाजिक शक्तियाँ है। शिक्षा मे तीनों तत्वों की पारस्परिक किया निहित है। ड्यूवी ने शिक्षा के सामाजिक तत्व बहुत अधिक महत्व दिया है । सामाजिक तत्व को शिक्षा की प्रकिया का आवश्यक अंग माना है। आधुनिक युग मे शिक्षा की अवधारणा को बड़े ही

व्यापक रूप मे स्वीकार किया गया है अब शिक्षा को शाला भवन की दीवारों में सीमित नही किया जा रहा है । सभी प्रकार की विद्यमान संस्थाएँ चाहे वे अध्ययन के लिए अभिकल्पित हो या न हो और सामाजिक तथा आर्थिक किया कलापों के सभी रूपों का शैक्षिक प्रयोजन के प्रयुक्त करने पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक समाज में शिक्षा को बहुविधि साधनों के माध्यम से प्रदान तथा प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है।

शिक्षा एक सामाजिक कार्य है इसका तात्पर्य है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि व्यक्ति को सामाजिक वातावरण मे ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जाती है। पर्यावरण मे वे समस्त दशाएं निहित होती है जो कि जीवित प्राणियों की कियाओं से सम्बन्धित होती है अतः जब व्यक्ति इन स्थितियों में भाग लेता है तब उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है। जॉन ड्यूटी के मतानुसार सभी शिक्षा का समय उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति सामाजिक चेतना में भाग लेता है।

जब हम शिक्षा की व्यापकता पर विचार करते है तो पता चलता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो भी सीखता व अनुभव करता है वह सब शिक्षा के व्यापकता के अंतर्गत आता है। इस संबंध में टी. रेमोण्ट का यह कथन उल्लेखनीय है– "शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिसमे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्ययात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव मे शिक्षित करता है । व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है।"

शिक्षा गतिशील है। अति प्राचीनकाल से लेकर आज तक शिक्षा अपनी लम्बी यात्रा में अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी है। ये परिवर्तन शिक्षा मे इसलिए हुए या किए गए ताकि वह समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके व उन कार्यो को कर सके जो विशेष समय में विशेष समाज के लिए आवश्यक हो शिक्षा के कार्यो के संबंध में विचारकों और शिक्षाविदों मे मतभेद रहा है और अब भी है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । मनोविज्ञानिकों का कहना है कि बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को लेकर जन्म लेता है इसका समर्थन करते हुए पेस्टालॉजी ने लिखा है कि– शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।" कुछ शिक्षा शास्त्रियों व मनोविज्ञानिक संतुलित व्यक्तित्व के विकास तथा मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण, पुनर्निर्देशन तथा शोधन के कार्यो में शिक्षा का महत्वपूर्ण

योगदान मानते है। **आज का छात्र कल का नागरिक होगा,** उसे आगे चलकर अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करने का ज्ञान होना चाहिए।

जॉन मिल्टन ने शिक्षा के पहलू पर बल देते हुए लिखा है-"मैं उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युध्द के समय व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनो प्रकार के कार्यो को उचित रूप से करने योग्य बनाती है।" संक्षेप में यदि कहा जाए तो शिक्षा के प्रमुख कार्य राजनीतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण, चरित्र निर्माण व नैतिकता का विकास, सामाजिक भावना का विकास, उत्तम नागरिकों का निर्माण तथा सामाजिक सुधार व उन्नति है। शिक्षा के द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, नेतृत्व करने की क्षमता, सामाजिक कुशलता की उन्नति और भारतीय लोकतंत्र मे पूर्ण आस्था तथा विश्वास, राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता, शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए।

शिक्षा समाज की आधारशिला है। समाज मे जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा अतः इस बात का सदैव प्रयत्न किया गया है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के उद्देश्यों के अनुकूल हों परन्तु केवल सामाजिक कारक ही शिक्षा के लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रभवित नही करते। व्यक्ति, शिक्षार्थी, शिक्षक, माता-पिता, उस रीति को जिससे शिक्षा के अंतिम उद्देश्य निश्चित होते है, चेतन या अचेतन रूप से प्रभवित करते है। शिक्षण -शास्त्रीय विचार, दर्शन, शिक्षा का दर्शन, और विज्ञान तथा सामान्य विचारधाराएँ भी अपने अपने विशेष आग्रह तथा प्रभाव के साथ लक्ष्यों की अभिव्यक्ति मे योगदान करते है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि निर्धारित उद्देश्य मनुष्य के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का विभाजन करना यद्यपि दुष्तर कार्य है फिर भी प्रमुख रूप से सार्वभौमिक, विशिष्ठ, वैयक्तिक उद्देश्य व सामाजिक उद्देश्यों मे बाँटा जा सकता है। शिक्षा के वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों ने तीव्र विवाद को जन्म दिया जो अभी तक पूरी तरह शांत नही हो पाया है। इन विवादो में -

1. शिक्षा को अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए या नागरिकों का
2. शिक्षा को व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी करना चाहिए या समाज की
3. शिक्षा पर व्यक्ति का प्रथम अधिकार होना चाहिए या समाज का

उपरोक्त प्रश्नों के बाह्य रूपों को देखकर यह कहना कठिन है कि व्यक्ति और समाज का शिक्षा के व्यक्तिक और समाजिक उद्देश्यों में विरोध या समन्वय । शिक्षा के

व्यक्तिक उद्देश्यों को लेकर आधुनिक समय में रूसो, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी और टी.पी. नन् आदि ने शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के महत्व पर बल दिया है। टी.पी. नन् के शब्दो मे–"शिक्षा को ऐसी दशाएँ उत्पन्न करनी चाहिए, जिनसे वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके।"

शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में शिक्षा शास्त्रियों व समाजशास्त्रियों मे विभिन्न मत है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मतानुसार–

1. ज्ञान का उद्देश्य
2. शरीरिक विकास का उद्देश्य
3. चरित्र विकास का उद्देश्य
4. सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य
5. आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य पर बल दिया है।

इन उद्देश्यों के अतिरिक्त भी और कुछ उद्देश्य है। जिनमें जीवकोपार्जन का उद्देश्य, सम्विकास का उद्देश्य, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, तथा अवकाश उपयोग का उद्देश्य भी बताया गया है। इन सभी उद्देश्यों पर विचार करने से निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक युग मे जीवन की जटिलता केवल एक उद्देश्य हो। आज के युग मे हमारी प्रमुख आवश्यकता है-एक साथ मिलकर रहने की इच्छा व उसका ज्ञान, जिससे हम विश्व समाज मे समझदारी से रह सकें और समाज के हित के लिए व्यक्तियों और राष्ट्रों के गुणों का उपयोग कर सकें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत मे शिक्षा आयोगों की नियुक्ति हुयी आयोगों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के लिए गठित प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने लिखा ..."स्वयं प्रजातंत्र का जीवन सामान्य, व्यवसायिक व जीवकोपार्जन सम्बंधी शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर निर्भर है अतः हमारे समाज की आवश्यकताओंको पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय का कार्य होना चाहिए, विवेक का विस्तार, नए ज्ञान के लिए अधिक इच्छा, जीवन के अर्थ को जानने के लिए आपसी प्रयास और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था।"

मध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार--"शिक्षा व्यवस्था को आदतों, दृष्टिकोंणों, और चरित्र के गुणों के विकास में योग देना पड़ेगा, जिससे नागरिक जनतंत्रीय नागरिकता के दायित्वों का योग्यता से निर्वाह कर सकें और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें, जो व्यापक व राष्ट्रीय धर्मनिर्पेक्ष दृष्टिकोण के विकास मे वाधक है।"

शिक्षा आयोग के अनुसार–"प्रजातंत्र मे व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य –उसको अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है।"

आधुनिक भारत की आकांक्षाओ, आवश्यकताओं एवं मान्यताओंको ध्यान मे रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूपसे तीन भागो मे वॉटा जा सकता है–

1. व्यक्ति सम्बंधी उद्देश्य
2. समाज सम्बंधी उद्देश्य
3. राष्ट्र सम्बंधी उद्देश्य

शिक्षा के शाब्दिक अर्थ मे शिक्षा को अग्रेंजी भाषा मे एजूकेशन (Education) कहते है । शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार एजूकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के तीन शब्दों 'एजूकेटम' (Educatum), एडूसियर (Educere) और एडूकेयर (Educare) से हुई है। 'एजूकेटम' शब्द की रचना दो शब्दो 'ए' (E) एवं 'डूको' (Duco) के मिलने से हुई है। इनमे 'ए' (E) का अर्थ 'अन्दर से' एवं 'डूको' (Duco) का अर्थ अग्रसर करने या आगे बढ़ने से है।इस प्रकार 'एजूकेटम' का अर्थ अन्दर से विकास करना है। अन्दर से विकास का तात्पर्य बालक की अंतरनिहित शक्तियों को विकसित करना है। इसका अर्थ यह कदापि नही कि अध्यापक ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में ठूसकर भरे। बालक मे कुछ जन्मजात शक्तियॉं होती है, उनको विकसित करने का कार्य ही शिक्षा है। अन्य दो शब्द एडूसियर (Educere) और एडूकेयर (Educare) है। इनमें से एडूकेयर (Educare) का अर्थ है –आगे बढ़ना, विकसित करना अथवा बाहर निकालना। दूसरा शब्द एडूसियर (Educere) है जिसका अर्थ है – बाहर निकालना। इन दोनो शब्दों के अर्थ क्रिया के द्योतक है। चूकि शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार एजूकेशन शब्द की उत्पत्ति उपरोक्त दोनो शब्दों से मानी जाती है, अतएव शिक्षा कोई वस्तु न होकर विकास संबंधी प्रक्रिया है।

संकुचित अर्थ मे शिक्षा से अभिप्राय विद्यालयीन शिक्षा से है, जिसमे नियंत्रित वातावरण में बालक को बिठाकर पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा की एक निश्चित अवधि होती है तथा प्रोढ़ो द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ मे बालक का स्थान गौण तथा शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति का विद्यालयी जीवन ही शिक्षाकाल होता है।

व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है । इस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया

है। बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। थोड़ी आयु बढ़ने साथ वह युवक सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय अनेक अनुभव अर्जित करता है। इस प्रकार अर्जित अनुभव ही शिक्षा है । व्यापक दृष्टि से शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक और शिष्य दोनो ही है । इस शिक्षा प्रकिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नही होता है।

शिक्षा का स्वरूप :

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली अनवरत क्रिया है। बालक अपने वातावरण मे प्रत्येक समय कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा दूसरों को सिखाता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है। यह सीखना- सिखाना ही शिक्षा है, किन्तु कैसे सीखा जाए इत्यादि, इन सब बातों का उत्तर पाने के लिए हमें शिक्षा के स्वरुप की ओर जाना होगा। शिक्षा का कार्य मात्र औपचारिक केन्द्र विद्यालय में ही पूरा नही होता, वरन यह अनेक प्रकार से प्राप्त होती है, अर्थात शिक्षा के अन्य रूप है, जिनके अध्ययन से शिक्षा का कार्य चलता रहता है। शिक्षा के स्वरूपों को समय प्रत्यक्षता, संख्या तथा विशिष्टता के दृष्टिकोण से अग्रलिखित भागो मे बॉट सकते है-

1.प्रत्यक्षता से संबंधित स्वरुप : 1.प्रत्यक्षता तथा 2.अप्रत्यक्ष शिक्षा

2.समय से संबंधित स्वरुप : 1.नियमित तथा अनियमित शिक्षा

3.संख्या से संबंधित स्वरुप : 1. वैयक्तिक शिक्षा तथा सामूहिक शिक्षा

4.संगठन से संबंधित स्वरूपः 1. औपचारिक शिक्षा तथा विशिष्ठ शिक्षा

शिक्षा की आवश्यकता :

मानव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है प्रत्येक समय उसका प्रभाव किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहता है । मानव का अस्तित्व बिना शिक्षा के इस प्रकार है जैसे -बिना पतवार नाव। प्रत्येक मानव के लिए हर समय हर स्थान पर शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नही जा सकता। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं से इस आवश्यकता को मानव के जीवन से जोड़ा गया है : -

1. प्रत्येक प्राणी की आन्तरिक शक्तियों को समझने के लिए.
2. प्रत्येक आन्तरिक शक्तियों के समुचित विकास के लिए.
3. प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को समझने के लिए.
4. आधुनिक समाज की प्रकृति, आवश्यकताओं और कर्त्तव्यों के ज्ञान के लिए.
5. मानवीय गुणों के संचार के लिए.

6. अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की समुचित सन्तुष्टि के लिए.
7. राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्टीय भावना के विकास के लिए.
8. व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास लिए.
9. व्यक्ति मे सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, करूणा, बलिदान, न्यायप्रियता तथा समाज सेवा की भावना के लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।

शिक्षा का महत्वः

शिक्षा की आवश्यकता पर विचार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा अवश्य ही अत्यन्ता महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व ही उसके कार्य है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका चारित्रिक निर्माण करती है एवं मानवता का पाठ पढाती है। महत्व कि दृष्टि से शिक्षा के कार्य निम्नलिखित बिन्दुओं में विभक्त किये गये हैं।

1 व्यक्ति से सम्बन्धित कार्य
2 समाज से सम्बन्धित कार्य
3 राष्ट्र सम्बन्धित कार्य
4 प्राकृतिक वातावरण सम्बधित कार्य

व्यक्ति से सम्बन्धित कार्य :

1आन्तरिक शक्तियों का विकासः

शिक्षा मनुष्य कि अन्तर्निहित शक्तियों का समुचित विकास करती हैं, जिससे वह कल्पना, तर्क अथवा जिज्ञासा द्वारा नवीन योगदान दे सके । शिक्षा द्वारा उसकी आन्तरिक शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता हैं।

2 व्यक्तियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास :

शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता हैं जैसे- शारीरिक मानसिक नैतिक संवेगात्मक आदि।

3 भावी जीवन हेतु तैयारीः

शिक्षा व्यक्ति का सर्वागीण विकास करके प्रत्येक क्षेत्र मे सक्षम बनाती हैं। इससे व्यक्तिगत सामाजिक राजनैतिक पारिवारिक जीवन सुखमय तथा आनन्दमय व्यतीत होता है।

4 नैतिक उत्थानः

चरित्र को उच्च स्थान दिया जाता है। शिक्षित व्यक्ति अच्छे बुरे कार्यो मे आसानी से भेद कर लेता है, फलस्वरुप वह बुरी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करता है और दूसरों को भी उँचा उठने का प्रयास करता है।

5 मानवीय गुणों का विकासः

शिक्षा के द्वारा घृणा, द्वेष, क्रोध एंव लालच आदि से छुटकारा मिल जाता है तथा सद्‌भावना, प्रेम, सहकारिता, दया आदि का विकास होता है।

1 शिक्षा का कार्य मानव को आत्मनिर्भर बनाना भी है ।

2 शिक्षा मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं कि पूर्ति करने मे सक्षम बनाती है।

3 शिक्षा के द्वारा जन्मजात प्रवृत्तियों मे सुधार होता है।

समाज सम्बन्धी कार्य :

1. सामाजिक नियमों का ज्ञानः

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अतः मानव के लिए आवश्यक है कि उसके नियमों की जानकारी रखे जिससे समाज मे उसका सम्मानित स्थान हो यह शिक्षा द्वारा ही सम्भव है ।

2. प्राचीन साहित्य का ज्ञान :

शिक्षा के माध्यम से होने वाली प्राचीन साहित्य का ज्ञान हमें समाज की पिछली तस्वीर से अवगत कराता हैं और बताता है कि आज का समाज किस प्रकति का है भूत तथा वर्तमान के आधार पर हम भविष्य की कल्पना आसानी से कर सकते हैं।

3. कुरीतियों के निवारण में सहायकः

शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढीं को समस्याओं से अवगत कराकर उसके प्रति शीघ्र क्रान्ति लायी जा सकती है जैसे जाति प्रथा प्रदेशवाद बाल विवाह आदि।

4. सामाजिक भवना का विकास :

व्यक्ति समाज से पृथक नहीं रह सकता है और न ही किया जा सकता हैं। अतः उसमें प्रेम परोपकार दया भाई चारे की भावना आनी चाहिये जैसा कि एच गार्डेन ने कहा है शिक्षा को यह जानना आवश्यक है कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझाने कि दिशा में कार्य करे जो इसे समझाने की दिशा में कार्य करे जो इसे समझने मे असमर्थ है।

5. समाजिक उन्नति में सहायकः

शिक्षा सामाजिक क्रियाओं, तथ्यों का लेखा - जोखा साहित्य के रुप मे रखती है। अतः अगली पीढी उसकी कमियों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरुप मानव से लेकर आधुनिक अवस्था तक की प्रगति होती है ।

राष्ट्र सम्बन्धी कार्य :

1. भावनात्मक एकताः

धर्म, जाति, राज्य,भाषा, रीति रिवाज, पहनावा को देखते हुए भारत में अनेक भिन्नताएँ पायी जाती है। हम अपने धर्म को अच्छा समझते है तथा दूसरो के धर्म को बुरा, यही कारण है कि आये दिन झगड़े होते रहते है। इसका निवारण का उपाय शिक्षा है,जो उनके मूलभूत सिद्धान्तों को समझा सकती है।

2. कुशल नागरिकः

शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जाता सकता है क्योकि किसी राष्ट्र की आधारशिला नागरिक है। शिक्षा द्वारा प्रत्येक नागरिक को उसके कत्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान कराया जा सकता है।

3. राष्ट्रीय विकासः

शिक्षा द्वारा राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा, इससे प्रत्येक नागरिक की आय मे वृद्धि होगी और राष्ट्रीय विकास दृष्टिगोचर होगा।

4. राष्ट्रीय एकता :

शिक्षा द्वारा भारतीयता की भावना लाई जा सकती है।

5. राष्ट्रीय आयः

व्यवसायिक शिक्षा से बेरोजगारी दूर कर सकते है साथ साथ राष्ट्रीय आय मे भी वृद्धि हो सकती है।

6. अधिकार तथा कर्त्तव्यों का ज्ञानः

शिक्षा द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को उसके कत्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान कराकर देश के प्रति कियाशील बनाया जा सकता है तथा राष्ट्रीय एकता का विकास देश के हित मे किया जाना चाहिए।

वातावरण सम्बन्धी कार्य :

वातावरण समायाजनः

मानव एक क्रियाशील प्राणी है। अतः वह वातावरण की विषमताओं का सहन करते हुए उनसे बचने के उपाय ढूंढकर अपने अनुकूनल बनाने की कोशिश करता है शिक्षा उसकी समस्याओं को ल करने में और अधिक सहायता करती है, जो उससे पूर्व के व्यक्तियों द्वारा किए गए समायोजन के आधार पर होता है।

वातावरण परिवर्तनः

जब व्यक्ति वातावरण से समायोजन मे असफल रहता है तो वह वातावरण मे ही सुधार की कोशिश करता है। जिसमें शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है।

मॉन्टेसरी शिक्षा :-

प्राचीन भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था समाज द्वारा न करके परिवार द्वारा की जाती थी। माता-पिता शिक्षा के लिये उत्तरदायी माने जाते थे, लेकिन आज माता-पिता व्यावसायिक जीवन व्यतीत करने के कारण इतना अवकाश नहीं रखते कि वे अपने बच्चों के घरेलू शिक्षा दे सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वप्रथम 1837 में फ्रावेल नामक जर्मन शिखा शास्त्री ने 'किन्डर गार्टन' शिक्षा पद्धति का अविष्कार किया। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बालोद्यान, जो दो शब्दों से मिलकर बना है – KINDAR अर्थात् बालक और GARTEN अर्थात् उद्यान, फ्रावेला ने पैधे की तुलना बालक से और माली की तुलना शिक्षक से की है।

पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों ने किन्डरगार्टेन के विषय में जो लिखा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि किन्डर गार्टेन, खेल, आनंद और स्वतंत्रता में सराबोर, बाल विद्यालय, लघु समाज और बालकों का समुदाय है, यह खेल, सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य न्याय और उत्तरदायित्व के गुणों के सीखने एवं सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों और विधियों के समझाने का अवसर प्रदान करता है।,"

इसके पश्चात् श्रीमती मार्ग्रेट मैकमिलन विद्यालय ने नर्सरी स्कूल्स (शिशु विद्यालय) स्थापित किए, जिनका उद्देश्य बालकों को माता-पिता की अनुपस्थिति में शैक्षिक वातावरण प्रदान करके शिक्षा की व्यवासय करना था, इन शिशु विद्यालयों में 2 से 4 बजे तक बालक-बालिकाओं का प्रवेश लिया जाता था। इस प्रकार के विद्यालयों को आगे चलकर बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला।

तीसरे प्रकार के विद्यालय मॉन्टेसरी विद्यालय कहलाएँ, जिनकी स्थापना डॉ. मेरिया मॉन्टेसरी के द्वारा 6 जनवरी 1907 में गयी। इस विद्यालय में बालकों को प्रवेश आयु 3 वर्ष से 7 वर्ष तक रखी गई। डारविन के विकासवाद में अटल विश्वास रखने के कारण गान्टेसरी ने शिक्ष को ऐसी प्रक्रिया माना है, जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायता देती है।

मैडम मॉन्टेसरी ने शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया माना है जो बालक को जीवन के कार्यकलापों से परिचित कराती है, उसके व्यक्तित्व का समुचित करती है और इस विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है।

उद्देश्य :-

मैडम मान्टेसरी के अनुसार "बालक एक शरीर है जो बढ़ता है एक आत्मा है, जो विकसित होती है, शारीरिक और आध्यात्मिक इन दोनों रूपों का अनन्त स्त्री जीवन है। अतः हमें इन दोनों प्रकार के विकास में निहित रहस्यमय व्यक्तियों को न तो नष्ट करना चाहिए और न अवरूद्ध"।

विद्यालय का स्वरूप :-

बालक के स्वाभाविक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण का होना अनिवार्य है शिशु विद्यालयों के स्वरूप के विषय में अपने अडिग विश्वास को व्यक्त करते हुए मेरिया मॉन्टेसरी ने कहा कि यह विद्यालय, अबोध बालकों के मस्तिष्कों में ज्ञान ठूसने वाला

कारखाना न होकर, घर के समान प्रिय एवं सुखद स्थान होना चाहिए। अतः विद्यालय का वातावरण घर जैसा होना चाहिए।

उपकरण :-

आदश मान्टसरी स्कूलों में छोटी-छोटी सुन्दर मेंजे, कुर्सियां और स्ट्रल होते है जिनको बालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले जा सकते है, स्कूल की दीवारें बच्चों के मन पसंद रंगबों से अलंकृत होती है। इन दीवारों में नीची खिड़कियाँ होती है, जिसमें से झांककर बालक बाह्य जीवन के दृश्यों का अवलोकन कर सकते है। स्कूल से संलग्न उनके खेलने कूदने और व्यायाम करने के लिए मैदान होता है, मॉन्टेसरी विद्यालयों में अनुशासन की समस्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहां बालक अपनी रूचियों से निर्देशित होकर कार्य करते है उनको अपने कार्य का न तो पुरस्कार मिलता है और न दण्ड - जिस कार्य को वे करते है उसमें सफलता या असफलता प्राप्त करना उनका पुरस्कार या दण्ड होता है। तीसरे बालक विभिन्न प्रकार के शिक्षा उपकरणों के माध्यम से इतना व्यस्त रहते है कि व्यर्थ के कार्यो को करने या अनुशासन भंग करने का विचार ही उत्पनन नहीं होता।

पाठ्यक्रम :-

मॉण्टेसरी विद्यालयों के पाठ्यक्रम की दो प्रमुख विशेषताएं है - पहला पाठ्यक्रम बालकों की रूचियों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए, दूसरें पाठ्यक्रम- ज्ञानप्रधान न होकर क्रिया प्रधान होना चाहिए। क्योंकि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बालकों की कर्मेद्रियों को प्रशिक्षित करके, उनको व्यवहारिक, ज्ञान प्रदान करता है, उनको अपना स्वाभविक कर्म करने में योग देता है और उनको वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है।

शिक्षण विधियाँ :- मॉटेसरी विद्यालयों की शिक्षण पद्धति एक अनोखी परम्परा है। संपूर्ण क्रियाकलापों की सफलता का आधार शिक्षण विधियाँ ही है। मॉण्टेसरी शिक्षण विधियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. कर्मेन्द्रियों की शिक्षा –

सर्व प्रथम शिशुओं की कर्मेन्द्रियों को शिक्षित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने शरीर को संतुलित करना सीख जाता है, उसमें व्यावहारिक कुशलता आ जाती है और उसमें अपने दैनिक कार्यो को करने की आदत पड़ जाती है। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि कार्य उसकी रूचि, शक्ति एवं योग्यता के अनुसार हो जैसे उठना–बैठना, घूमना–दौड़ना, हाथ–मुंह धोना कपड़े पहिनना और उतारना कमरा साफ करना और उसी रखी सभी वास्तुओं को व्यवस्थित कर रखना आदि।

2. ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा :–

मेरिया मॉटेसरी के अनुसार इन्द्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार है। स्वादेन्द्रिय अथवा जीहवा को विभिनन स्वादों का अनुभव कराना – मीठी, खट्टी, कड़वा–चटपटी, नमकीन आदि इसी प्रकार घ्राणेद्रिय यानी नासिका के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की खुशबुओं का ज्ञान कराया जाता है, जो पुष्पों एवं वस्तुओं की स्वाभाविक गन्ध होती है। स्पर्शेन्द्रिय का विकास करने के लिए बालक को गरम–ठण्डे और गुनगुने पानी में हाथ डालकर ताप का अनुभव कराना चिकने खुरदरे एवं समतल वस्तुओं एवं स्थानों का ज्ञान देना। इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय के विकास के लिये तमाम प्रकार के रंगों की टिकियों का प्रयोग करके उसको ज्ञान दिया जाता है तथा आभास कराने के पश्चात् उनकी परीक्षा भी होती है।

3. पढ़ने–लिखने व गणित की शिक्षा :–

डॉ. माण्टेसरी के अनुसार पढ़ने से लिखना सरल है। उनका मत है कि जब तक बालक लिखना न सीख जाए तब तक पढ़ाना न सिखाया जाए। बालक को लिखना सिखाने के लिए तीन बातों पर विशेष जोर देना होगा। पहला लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरे अक्षरों का स्वरुप समझना – बालक रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षरों पर अंगुली फेरकर उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। और तीसरे स्तर पर अक्षरों का उच्चारण भी

करता है। इसके पश्चात्य, वह स्वयं लिखना सीखने लगता है। इस विधि से बालक एक या डेढ़ माह में लिखना सीख जा ता है।

पढ़ना सीखने के लिए शिक्षक किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देते है और उनका नाम कागज का श्यामपट पर लिख देते है। बालक उस शब्द को बार बार पढ़ता है यह क्रम शीघ्रता से दोहराते है और इस विधि से बालक 15 दिनों में पढ़ना वाक्यों को जोड़कर पढ़ना भी सीख जाता है।

गणित शिक्षण के लिए किसी नवीन विधि का उल्लेख नहीं किया क्या है वरन् विभिन्न प्रकार के 10 डण्डों या गोलियों का प्रयोग किया जाता है और उसकी सहयता के बालक को जोड़–बाकी, गणा एवं भाग सीखता है।

भारत में वर्तमान शिक्षा की स्थिति एवं उसकी समस्यायें :–

विगत हजार वर्षो से निरंतर दासता के चंगुल में ग्रस्त रहा। विदेशी आक्रान्ताओं ने इस शस्य श्यामला धरती को रौंदकर इसके स्वरूप को विकृत करने का प्रयास किया। शक, हूण, तुर्क, मंगोल, मुगल तथा अंग्रेज आदि विदेशी जातियों ने भारत का शोषण कर इसकी संस्कृति को भी नष्ट करने का प्रयास किया। डॉ. अल्टेकर के शब्दों में – "वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिये शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्त्रोत है तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा मार्ग दर्शन करती है। डॉ. राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अनादि काल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिये अपितु धर्म के लिये प्राप्त की जाती थी यह मुक्ति व आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री थोमस के शब्दों में – "ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति अतीत काल से इतना प्रेम हो, या जहां ज्ञान का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव हो। वैदिककालीन कवियों से लेकर आज तक के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है।"

भारतीय संस्कृति में शिक्षा को व्यक्ति निर्माण का पवित्रतम साधन माना गया है परन्तु यह हम भारतियों का दुर्भाग्य रहा कि परकीय शासन में हम इतने पतित हो गये कि हम अपने उद्देश्यों एवं आदर्शों को ही भूल गये।

अब हम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक नये युग में प्रवेश किया। जनवरी 1948 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा आमंत्रित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – "पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिये सम्मेलन होते थे तो उनमें साधारणतया कुछ संशोधनों के साथ वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अंगीकार करने की प्रवृत्ति पायी जाती थी। परन्तु अब हमें इस प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिये और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर उसे देश की नयी परस्थितियों के अनुरूप ढाना चाहिये।" सच्चे अर्थो में देखा जाय तो पं. नेहरू ने जो शिक्षा के प्रति बेचैनी दिखायी थी वह आज 47 वर्षो के बाद भी यथावत बनी हुई है। ब्रिटिश शासन में प्रारंभ से ही जिस विदेशी, पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था उसका स्थान एक राष्ट्रीय व्यावहारिक, उपयोगी और तकनीकी शिक्षा को लेना था वह आज भी संभव नहीं हो सका। शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में विकास के साथ ही सुधार की समस्या हमारे सामने थी, कुछ कमोवेश वे समस्यायें जिनमें – पूर्व प्राथमिक शिक्षा केप प्रसार माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी तथा बहुमुखी बनाना, उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास, स्त्री शिक्षा तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, पिछड़े तथा दलित वर्ग के लिये शिक्षा सुविधायें प्रदान करना, शिक्षा के माध्यम, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कार्यदशाओं में सुधार एवं विद्यार्थियों के कल्याण की सुविधायें प्रदान करना आदि बड़ी-बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने उसी प्रकार विद्यमान है। भारत सरकार ने केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर इन समस्याओं के समाधान के लिये कुछ कार्य किये है लेकिन जहां एक ओर समस्याओं का समाधान होता है वहीं दूसरी ओर नयी-नयी समस्यायें पैदा हो जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विकास के लिये

विशाल धनराशि व्यय की जाती है। शिक्षा क्षेत्र में चली आने वाली साहित्यिक विषयों की प्रमुखता को हटाकर अब उसे अधिकाधिक तकनीकी स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उथल–पुथल का वातावरण दिखायी देता हैं सच्चे अर्थो में "भारत के भग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमार विश्वास है कि यह कोई चमात्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस संसार में शिक्षा ही लोगों की समृद्धि, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है"। वास्तविकता यही है कि हम स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से राष्ट्र निर्माण के पावन संकल्प को वर्ष में दो बार दोहराते अवश्य रहे है परन्तु यह लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त होगा, इस पर हमारा ध्यान उस समय गया जब एक पीढ़ी जवान हो गयी और उसके कसमसाते जीवन को हम दिशाबोध नहीं दे सके। भारत की वर्तमान शिक्षा की समस्याओं पर जब विचार करते है तो अनेकानेक समस्याओं का अवलोकन संकेत रूप में ही किया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर सभी स्तरों पर अनेकानेक समस्यायें है। परंतु यहां केवल पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं पर ही विचार करना ही समाचीन होगा।

भारतीय शिक्षा की समस्याओं का एक मूल कारण यह है कि हम शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों से अपरिचित है और इन नये तथा मूल उद्देश्यों का संपूर्ण विचार हमें तभी ज्ञात हो सकेगा जबकि हम समाज का नव निर्माण भारतीय संविधान के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। संविधान के प्रारंभ में जो प्रस्तावना दी गयी है उसमें राष्ट्र के नये मूल्यों का विचारपूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है। यदि संविधान को हम केवल कोरा कागज न समझकर उसे राष्ट्र जीवन के लिये आवश्यक समझे तो हमारे शिक्षा संचालकों, विचारकों और राजनेताओं को संविधानुसार शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा संबंधी कौन–कौन से महत्वपूर्ण संकेत है और हमारे शिक्षा योजना में उनका कहाँ तक पालन हो रहा है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सभी नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार तथा वाणी स्वातंत्र्य, समानता और भ्रातृ भाव। प्रश्न यह है कि हमारी

वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में इस संबंध में कितना कार्य किया गया है? कौन से परिवर्तन हुये है ? और उन परिवर्तनों को विद्यार्थियों के चरित्र तथा उनकी उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ा ?

दूसरी बात मौलिक अधिकारों से संबंधित है जिसमें यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है ओर विशेषतया सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकास का नागरिकों को पूरा अधिकार हैं इस संबंध में राज्यों ने क्या किया है? क्या सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसार प्राप्त हो सके? और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश आदि की सुविधायें किस प्रकार बढ़ी है?

तीसरी प्रमुख बात यह है कि क्या इस समय चौदह वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो रही है? संविधान ने शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व राज्यों पर ही रखा है। कुछ खास विषय ही केन्द्र सरकार पर निर्भर करते है। जैसा कि विदित है कि शिक्षा विषय में 1976 से समवर्ती सूची पर रखा गया है जिसका अर्थ है कि अब केन्द्रीय सरकार भी उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मान रूप से उत्तरदायी है। क्या यह सपना 2010 तक पूरा हो सकेगा?

आज का युग प्रगति का युग है, प्रगति का आधार है भौतिक संसाधनों का विकास तथा मानव-मूल्यों की अभिवृद्धि। मानव-मूल्यों की प्राप्ति सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक वृत्ति से होती है। भारत की भौतिक प्रकृति हो हुयी है लेकिन आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों का हृास हुआ है। जिन सबकी पूर्ति केवल शिक्षा ही कर सकती हैं शिक्षा में अब क्रान्ति की महती आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप हम देश में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्रान्ति ला सकेंगे। शिक्षा क्रान्ति का माध्यम है और क्रान्ति का माध्यम क्योंकि दोषपूर्ण है, इसलिये हमें इस माध्यम से परिवर्तन करने होंगे। जिसके लिये हमें इन पहलुओं पर विचार करना होगा।

1. देश में आन्तरिक रूपान्तरण हो, ताकि शिक्षा का संबंध राष्ट्र-जीवन, उसकी आवश्यकता तथा आकांक्षा से जुड़ सके।

2. शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विस्तार, जिसका आधार मोटे तोर पर जनशक्ति संबंध आवश्यकताओं हो तथा शिक्षा संबंधी अवसरों को सबके लिये समान बनाने पर जो देना हो।

3. अपना संबंध उतपादकता से जोड़े।

4. सामाजिक व राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करें, सरकार के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को समंकित करें तथा उसके एक जीवन शैली के रूप में देश की मदद करें।

5. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाये।

6. सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देकर चरित्र का निर्माण करें।

हमारा देश इस समय अनेक प्रकार की समस्याओं से जूड़ा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक तथा शैक्षिक समस्यायें प्रतिदिन उग्रतर होती जा रही है। इन समस्याओं को सुलझाने में काफी ढील दिखायी पड़ती है। हमारे लिये एक-एक दिन बहुत कीमती है और यदि हम जल्दी ही इस ओर प्रयत्व्शील नहीं होते तो देश के लिये ऐसा संकट पैदा हो सकता है जिसका समाधान बहुत मुश्किल होगा। देश की सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा में नहित है। यह बात हमें पूरे मन से अभी स्वीकार नहीं कर पाये है कि देश का संपूर्ण भविष्य शिक्षा की उचित व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। संसार के जिन देशों ने इस बात को समझ लिया है वे आज महानतम कहलाते है। स्वतंत्र भारत में जितनी भी समस्यायें है उनमें शिक्षा का एक समस्या है। शिक्षा समस्या पर समग्र दृष्टि से विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि आज हमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार करना होगा। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में हम शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का ही अध्ययन कर सकेंगे और वह भी मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय हैं। इस क्षेत्र में जो प्रगति हुयी हैं आवश्यकता को देखते हुये वह नगण्य है। शिशु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्यायें हैं, जिनके लिये हमारा समाज व सरकार दोनों दोषीहैं। हमारे देश में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के महत्व को अभी ठीक से नही समझा गया। देश में अधिकांश जनता

निरक्षर है जिसका पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन होना स्वाभाविक हैं। जब तक बालक का स्वाभाविक विकास नहीं होता, वह समाज और राष्ट्र का सफल नागरिक नहीं बन सकता। अतः पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिये हमें इस उपेक्षा भाव को दूर करना होगा। देश में बड़ी तीव्रता से औद्योगिक विकास हो रहे हैं जिसके कारण अनेक घरों में माता–पिता दोनों ही नौकरी करने लगे हैं और बच्चों के उचित प्रकार के लालन–पालन से विमुख होते जा रहे हैं। यह सब आर्थिक विषमता के कारण है। देश के अधिकांश पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हैं। आर्थिक कठिनाईयों के कारण विद्यालय अपने छात्रों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर पाते हैं। विद्यालयों में शिक्षण की आवश्यक सामग्री नहीं होती है, छात्रों के बैठने तथा खेलने के स्थान की समुचित व्यवस्था नहीं रहती है तथा अपनी आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप ही विद्यालय अपने वातावरण को आकर्षक रूप प्रदान नहीं कर पाते हैं। फलतः बालक इस अनाकर्षक वातावरण के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वह थोड़े बहुत दिन आकर ही अपनी शिक्षा बन्द कर देता है।

शिक्षा के इस क्षेत्र में विद्यालय भवनों की समस्या भी महत्वपूर्ण है।आर्थिक कठिनाईयों के कारण उपयुक्त विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

मनोविज्ञानः

मनोविज्ञान विषय विज्ञान के रूप मे मानव व्यवहार का प्रेरकों, भावनाओं, विचारों एवं कियाओं के संदर्भ में कमानुसार अध्ययन करता है । विज्ञान की ही भाँति यह व्यवहार मे निहित नियमों और सिध्दांतों की खोज और व्याख्या भी करता है । यह इस बात का वर्णन करता है कि हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे क्यो और कैसे व्यवहार करते है ? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार के लिए भविष्यवाणी भी करता है; जैसे. अमुक अमुक वाधाएँ उपस्थित करने पर बालक कोध की अभिव्यक्ति करेगा। कुछ सीमा तक हम व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकते है । व्यवहार के अंतर्गत गामक जैसे चलना, बोलना, ज्ञानात्मक जैसे ग्रहयता प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मरण, चिंतन, तर्क एवं भावात्मक जैसे.प्रसन्नता, उदासीनता, कोध, भय आदि कियाएँ निहित रहती है।

एस. किलर फ्रेड के अनुसार "मनोवैज्ञानिक पध्दति या विधि विज्ञान के तथ्यों को तर्कपूर्वक और अवबोधयुक्त बनाने एवम नियमानुसार सम्वन्ध स्थापित करने का प्रयास है, जो कि हमारे ज्ञान की न्युनताओं और अन्त्रालों को इन्गित करते है और भावी सफल्य हेतु मार्ग प्रदर्श्न करने मे सहायक होते है। इसके अतिरिक्त यह पध्दति या विधि एक प्रयास

है ,जो स्पष्ट करता है कि मनोविज्ञान क्या है ? यह किसका विज्ञान है? सम्पूर्ण उद्यम ।कस प्रकार की विषय वस्तु को निर्धारित करता है और कैसा अन्वेषक इससे निर्दिष्ट होता है।''

वुडवथ के शब्दों मे''जीवन की किसी प्रकार की अभिव्यक्ति को क्रिया कहा जा सकता है।''

वोरिंग लोंगफेल्ड एवं वेल्ड के अनुसार'' व्यवहार के अंर्तगत वे सभी अनुक्रियाएँ आती जो जीव करता है अथवा वह एक और सभी परिस्थितिओं मे उनका सामना करने के समर्थ होता है।''

सामाजिक मनोविज्ञानः

सामाजिक मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के स्वरूप और कारणों का अध्ययन करते है, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते है।

सामाजिक मनोविज्ञान स्वरूपः

मनुष्य ने मानव-व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान की कल्पना की। मानव-व्यवहार सामाजिक वातावरण और संदर्भ में कैसे और क्यों होता है? इसका अध्ययन सामाजिक वातावरण और संदर्भ में कैसे और क्यों होता है? इसका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान (social psychology) में किया जाता है।1 मानव का सामाजिक व्यवहार दूसरो के प्रति हुआ करता है। सामाजिक वातावरण किस प्रकार व्यक्ति के विचारों संवेगों और आदतों को प्रभावित करता है, इस बात का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान की सहायता से किया गया है । सामाजिक रूढियां परम्पराएं और आदर्श व्यक्ति के व्यवहार का स्वरूप निश्चित करने मे सहायक होते है। इन सब बातों का व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है ,यह बात भी सामाजिक मनोविज्ञान की सहायता से जानी जाती है।

सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ मे हम सामाजिक मनोविज्ञान को सार रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते है-

कि सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य की उन्ही प्रतिकियाओं या व्यवहारों का अध्ययन करता है जो मनोविज्ञान मनुष्य की उन्हीं प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का अध्ययन करता है जो मनोवैज्ञानिक होती है । जैसे समाज-मनोविज्ञान उन आदतों और व्यवहारों का अध्ययन करता है जो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न माने जाते है। इसका कारण यही है कि ये आदतें और व्यवहार मनोवैज्ञानिक नही है।

सामाजिक मनोविज्ञान के उद्वेश्य

सामाजिक मनोविज्ञान के उद्वेश्य को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

1.समाज-मनोविज्ञान के उद्वेश्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है।

2.सामाजिक मनोविज्ञान का उद्वेश्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण करना है।

3.सामाजिक मनोविज्ञान का उद्वेश्य व्यक्ति को भावी व्यवहार की दिशा में निर्देशन देना है।

समाज का वातावरण व्यक्ति के लिए उद्वीपक (stimulus) दर्शाता है। इस उद्वीपन से प्रभावित होकर व्यक्ति उसके प्रति कोई -न कोई अनुक्रिया (Response) दर्शाता है यह अनुक्रिया सामाजिक संदर्भ में उस व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार होता है। जैसे व्यक्ति समाज के विभिन्न अंगो (उद्वीपनों) से उत्तेजित होकर अनुक्रिया (Response) दर्शाता है अर्थात व्यक्ति उन सामाजिक उद्वीपनों से प्रभावित होता है वैसे ही उसकी अनुक्रिया (व्यवहार) समाज को भी प्रभावित करती है। सामाजिक मनोविज्ञान का प्रथम उद्वेश्य यही है कि व्यक्तिके सामाजिक व्यवहार अध्ययन किया जाए, अर्थात यह जाना जाए कि व्यक्ति के सामाजिक मनोविज्ञान रूवरूप विकास एवं विषय-विस्तार अधिक सफलता मिल सकेगी।

सामाजिक मनोविज्ञान का विकास

(Deveopmnt of social psychology)

(दार्शनिक इतिहास)

जब हम सामाजिक मनोविज्ञान के विकास का अध्ययन करते है तो पता चलता है कि इसे आधुनिक स्वरूप ग्रहण करने में बहुत से परिवर्तनों में से होकर गुजरना पड़ा है। इसका प्रारम्भ प्लेटो (Plato) और अरस्तु (Aristotle) से माना जाता है।

प्लेटो (427-347 ई. पू.)और सामाजिक मनोविज्ञान-प्लेटो के आचरण संबधी विचार बहुत प्रभावित होता है । समाज का जैसा वातावरण और ढांचा होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र भी बनता है इसलिए समाज के गठन और वातावरण को आर्दश बनाकर व्यक्ति के चरित्र को अच्छा बनाया जा सकता है।

अरस्तु (384-323ई.पू.) और सामाजिक मनोविज्ञान -यद्यपि अरस्तू (Aristole) प्लेटो का शिष्य था परन्तु उसके विचार प्लेटो के समान नही थें। वह कहता है कि

व्यक्ति में कुछ ऐसी जन्मजात मूल-प्रवृत्तियां होती है जिन्हें परिवर्तित करना सम्भव नही होता। इसलिए समाज में लाए गए परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नही पडता। अतः व्यक्तिवादी (Individualistic) विचारधरा का समर्थक है। चूकि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां बदल नही जा सकती इसलिए सामाजिक गठन में परिवर्तन लाना भी कठिन है। इस प्रकार उसकी विचारधारा प्लेटो की विचारधारा से भिन्न है।

एपीक्यूरस (Epicurus) (341-270ई.पू.) एपीक्यूरस ने प्लेटो और अरस्तु के बाद एक ऐसी विचारधारा दी जिसने उस समय की संस्कृति और सामाजिक गठन को प्रभावित किया । उसका कहना है कि व्यक्ति अपने स्वार्थो की पूर्ति और आनन्द-प्राप्ति के लिए समाज की रचना करता है। इसलिए सभी सामाजिक संबध आनन्द-प्राप्ति के उद्वेश्य पर ही आधारित होते है। इस सिद्वांत को आंनद -प्राप्ति की या सुखवादी भौतिकता (Hedonistic materialism) का सिद्वांत कहा जाता है। यह सिद्वांत केवल व्यक्ति और प्रकृति के बीच के

संबधो की चर्चा करता है वह व्यक्ति और समाज के बीच स्थापित संबधों की चर्चा नही करता।

सेण्ट आगस्टाइन (St-Augustine) (430-354 ई.पू.) आगंस्टाइन की धार्मिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति के कार्य के दो पक्ष होते है- एक तो सांसरिक कार्यो से संबधित होता है । दोनों ही प्रकार के कार्य व्यक्ति के पारलौकिक जीवन को प्रभावित करते है। वह अपने जीवन को सुखी और अच्छा बनाने के लिए धर्म-अधर्म की भावना को अपनाकर सामाजिक संबध निश्चित करता है 16वीं शताब्दी तक यही विचार रहा परन्तु बाद में विज्ञान-प्रगति ने इसे बदला ।

सिसरो (M.Tullins Cicero) (106-43) जब हम सामाजिक मनोविज्ञान (Social psychology) का दार्शनिक इतिहास पढ़ते है तो सिसरो का नाम महत्वपूर्ण लगता है । रोमवासी सिसरो ने दर्शनशास्त्र के क्षेत्र की अपेक्षा शासन-क्षेत्र में अधिक योगदान दिया इसका कारण यही था कि रोम दर्शनशास्त्र के लिए प्रसिद्व न होकर शासको के लिए प्रतिबद्व रहा। सिसरो ने एक शासक के रूप में उन राजनियमों के निर्माण में बुद्धि खपायी जिनका अनुसरण करके समाज का संगठन अच्छा हो सकता था। और व्यक्ति उसके स्थायित्व के लिए अपनाा योग भी दे सकता था। वह कहता है कि व्यक्ति स्वभाव से ही सुखान्त काम करना चाहता है। यह दुखान्त कामों को नही करता। उसके अनुसार व्यक्ति को सुखान्त कार्यो में लगाने का श्रेय राजनीयमों एवं कानून को दिया जा सकता है। कानून ही सामाजिक गठन के स्वरुप के लिए उत्तरदायी है। पुरस्कार और दण्ड की व्यवस्था व्यक्ति को सुखकारक कार्यो में लगाती है और समाज का वातावरण सुखदायक बनाती है।
थामस हांब्स(Thomus Hobbes) (सन् 1588-1679) हाब्स के अनुसार व्यक्ति स्वार्थी होता है। वह अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए कियाशील रहता है और सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। उसने मनुष्य के मौलिक स्वभाव (Original Human nature) की विशद चर्चा करते हुए लिखा है कि व्यक्ति की मौलिक स्वार्थपरता में सुधार लाया जा सकता है।

टार्ड (Gabrirl Tarde) (सन् 1843से 1904तक) टार्ड ने अनुकरण (Imitation) के नियम को स्पष्ट करते हुए बताया कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक वातावरण के व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुसरण किया जाता है। उसके अनुसार अनुकरण एक यान्त्रिक एवं स्वचालित किया है इसी अनुकरण के आधार पर सामाजिक व्यवहार के विकास प्रगति और परिवर्तन को समझना सरल हो जाता है अनुकरण से धार्मिक आन्दोलन और सामुहिक व्यवहार के कारण और विकास को समझना भी सरल है। परन्तु टार्ड के इस सिद्वांत के अनुसार कौशल संबधी मानव-व्यवहार को नही समझा जा सकता -जैसे चित्रकला या संगीत-संबधी कौशल अनुकरण द्वारा नही समझा जा सकता।

दुर्खीम (E.Durkhdeim) की विचारधारा- दुर्खीम के अनुसार व्यक्ति को अपना कोई अस्तित्व तो समूह में ही माना जा सकता है। जब व्यक्ति समूह का सदस्य बन जाता है तब उसे स्वयं के और दूसरों के अस्तित्व को बोध होता है। जैसे ही समाज में कोई परिवर्तन आता है तो समूह भी बदलता है और उससे व्यक्ति का अस्तित्व भी प्रभावित होता है ।

इसी प्रकार ब्रुहल (L.L.Bruhl), ले बान (Le Bon) शेफाल (Albdert schaffle) कूल (Cooley) सिमेल (George simmel) बेगहाट (Walter Bagehot) मीड (Mead) तथा किम्बल यंग आदि ने भी सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपना योगदान दिया।

(द) मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समाज-मनोविज्ञान का विकास

मनोविज्ञानिकों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोंण उचित नही लगा। उन्होंने कहा कि समाज-मनोविज्ञान समाजशास्त्र का विषय न होकर मनोविज्ञान का विषय है। उनके अनुसार-सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। यहां हम इस संबध में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचारों का देने का प्रयत्न करेंगे ।

मैक्डुगल (Me Dougall) के अनुसार मैक्डुगल की "समाज-मनोविज्ञान की भूमिका" (Introducation to Social Psychology) नामक पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology) को मनोविज्ञान का ही एक अंग मानती है। उसके अनुसार व्यक्ति की

मूल-प्रवृत्तियाँ (Instincts) उसके व्यवहार को नियन्त्रित करती है। अब मनोविज्ञान में मैक्डुमल द्वारा प्रतिपादित मूल-प्रवृत्तियों (Instincts) को लोग स्वीकार नहीं करते है। परन्तु इस सत्यता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मैक्डुगल की इस मूल प्रवृत्यात्मक विचारधारा ने समाज-मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थान दिलाया।

मैक्डुगल और उसके अनुयायी यह मानते है कि व्यक्ति के व्यवहार पर समाजिक संगठन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वरन् व्यक्ति की व्यवहार प्रणाली ही समाज-संगठन (Organisation of Society) को प्रभावित करती हैं व्यक्ति की व्यवहार प्रणाली उसकी मूल-प्रवृत्तियों से ही नियंत्रित होती है। ये मूल-प्रवृत्तियां प्रकाशन का ही परिणाम होते है और समाज भी इन्हीं के प्रकाशन के फलस्वरूप विकास पाता है। इसलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में केवल वैयक्तिक कार्यो एवं व्यवहारों का ही अध्ययन न करके सामाजिक व्यवहारों का भी अध्ययन करना चाहिए। यही अध्ययन क्षेत्र सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है।

मनोविश्लेषणवाद (Psycho-analysis) के अनुसार – मनोविश्लेषणवाद का समाज-मनोविज्ञान पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक फ्रॉयड (Sigmund Freud) के अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और सामाजिक मान्यताओं में भारी विरोध होता हैं व्यक्ति अपने स्वभावानुसार कुछ करना चाहता है, परन्तु सामाजिक बंधन उसे ऐसा करने से रोकते है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज में संघर्ष छिड़ जाता हैं समाज का विकास व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों के प्रकाशन के फलस्वरूप नहीं होता परन्तु समाज का विकास तो इस बात से होता है कि व्यक्ति को अपनी कुछ मूल-प्रवृत्तियों का संशोधन करना और कुछ का दमन करना पड़ता हैं, सामाजिक विकास तो उपरोक्त संघर्ष से होता हैं। इस प्रकार फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद मैक्डगल की विचारधारा का विरोधी है। भले ही आज बहुत लोग फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को स्वीकार न करते हो।

मनुष्य का व्यवहार मनः शारीरिक (Psycho-physical) : विशेषताओं से समाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। मनः शारीरिक विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शीलगुण (Traits) कहलाती है। ये शीलगुण सामाजिक और सांस्कृतिक बातों से भी

प्रभावित होते है। इसलिये व्यक्तित्व (Personality) का गठन इन सभी शीलगुणों के योग से बनता है। अतः सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, उसके स्वरुप उसके प्रकार उसकी माप और उसके प्रभावकारी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, बालक का समाजीकरण (Socialisation) सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक अध्ययन विषय है। सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान का एक अंग है। इसलिए विविध धार्मिक संस्थाएं (Religious Institutions), परम्पराएं (Traditions) लोकाचार (Customs), जातियां (Castes), वर्ग (Group) आदि का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है।

जनमत (Public Opinion) का संबंध मनोवृत्ति से होता है, क्योंकि हम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति (Attitude) का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में करते है, इसलिए जनमत का अध्ययन भी इसी कारण समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रजातंत्र में जनमत ही आधार है। जनमत को पाकर ही व्यक्ति का सरकार के गठन के लिए चुनाव होता है। इस चुनाव में अधिकाधिक मत पाने के लिए प्रचार (Propagandaa) भी आवश्यक होता है। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान में प्रचार का भी अध्ययन किया जाता हैं नेतृत्व की शक्ति भी प्रजातंत्र और जनमत के लिए आवश्यक है। अतः नेता (Leader), उसकी नेतृत्व व्यक्ति (Leadership), उसकी नीतिसत्ता (Morale)। उसके गुण-दोष आदि के विविध पहलू भी सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन के विषय है।

व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर राष्ट्रीयता (Nationality), अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationality), क्रान्ति (Revolution), परिवर्तन (Change), युद्ध एवं शान्ति (War and Peace) आदि का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिये ये सब बातें भी सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय है।

हमारे व्यवहार, समूह-भेद (Group Differences) और पूर्वग्रहों (Prejudices) से भी प्रभावित होते है। हमारे व्यक्तित्व का गठन इन तथ्यों से भी होता हैं इसलिए इन बातों का भी समाज-मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है।

समाज में सामान्य तथा असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्ति होते है। असमान्य व्यक्तियों के जीवन पर अपराध वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, जन प्रवाद और आतंक

आदि का प्रभाव पड़ा करता है। इस हेतु सामाजिक मनोविज्ञान में सभी बातों का अध्ययन किया जाता है।

वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्राविधिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का समाज को सामना करना पड़ा। अतः मनोवैज्ञानिक ने इन दोनों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करना आवश्यक समझा। इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान का विषय–विस्तार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी "सामाजिक मनोविज्ञान" का क्षेत्र विकास के क्रम में है। जैसे–जैसे सामाजिक, जटिलताए बढ़ती जाएगी, सामाजिक मनोविज्ञान का विषय, विस्तार भी बढ़ता जाएगा।

शिक्षा की अवधारणा को व्यापक स्तर पर स्पष्ट करने के पश्चात यह उचित होगा कि हम इस प्रदान करने अध्यापक एवं इसे प्राप्त करने वाले बच्चों के विषय मे जानकारी प्राप्त कर लें।

अध्यापक का महत्व एवं भारतीय समाज में उसकी स्थिति :

शिक्षा प्रक्रिया के तीन केन्द्र बिन्दु हैं – शिक्षक, छात्र एवं विषय सामग्री। शिक्षण की सफलता इन तीनों की सुसम्बद्धता पर ही निर्भर होती है। आधुनिक काल में प्रत्येक देश में शिक्षा जगत के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन हो रहे है। शिक्षक, विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति ही वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। यह सत्य है कि विद्यालय भवन पाठ्यक्रम–सहगामी क्रियायें निर्देशन कार्यक्रम पाठ्य पुस्तकें आदि सभी वस्तुऐं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है परन्तु जब तक उनमें अच्छे शिक्षकों द्वारा जीवन शक्ति नहीं प्रदान की जायेगी, तब तक वे निरर्थक रहेंगी। शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है।

इस संबंध में प्रो. हुंमायूँ कबीर का कथन है – "वे (शिक्षक) राष्ट्र के भाग्य निर्णायक है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्यम्भावी है।" माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है –"अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निमाण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक – उसके व्यक्तिगतगुण, उसकी शैक्षिक

योग्यतायें, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है, ही है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे है।"

श्री एस.बालकृष्ण जोशी ने शिक्षक के सौभाग्य की सराहना करते हुए लिखा-"एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में धनी होता है, उसकी संपत्ति का विचार बैक में जमा धन राशि से नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उस प्रेम और भक्ति से जो उसने अपने छात्रों में उत्पन्न की है। वह सम्राट है, जिसका साम्राज्य उसके शिष्यों के कृतज्ञ मस्तिष्कों में सीमा चिन्हों से अंकित है, जिसको संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। वह मनुष्य सौभाग्यशाली है जो शिक्षक है।"

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है - "किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति का पता चलता है। कहा जाता है कि भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता। अतः राष्ट्र के विकास एवं उसकी समृद्धि में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की गयी।"

प्राचीनकाल में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान था। गुरू का घर ही विद्यालय था। गुरू ही शिक्षा का प्रबंध करता था। गुरूकुल का नियंत्रण उसी के हाथ में था। बड़े-बड़े राजा और सम्राट गुरूओं के चरणों में बैठकर अपना सौभाग्य मानते थे। गुरू की आज्ञा का पालन ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। गुरू का स्थान इतना ऊंचा था कि उसे ब्रम्हा, विष्णु, महेश के समान मानकर वन्दना की गयी। गुरू के बिना व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं था। वह समस्त विषयों का ज्ञाता और समाज का नियामक तथा राष्ट्र का सच्चा हितैषी होता था।

लेकिन मध्यकाल में गुरूकुलों का स्थान मकतबों व मदरसों ने ले लिया। यद्यपि इस्लाम ने भी गुरू और उस्ताद के महत्व को स्वीकार किया है और उसकी

भूरि–भूरि प्रशंसा की शारीरिक दण्ड व्यवस्था ने शिक्षक व शिक्षार्थी के संबंधों को काफी हद तक कटु बन दिया था।

ब्रिटिश काल में शिक्षकों का स्थान बहुत कुछ नीचे गिर चुका था। शिक्षक व विद्यार्थी के संबंधों में गिरावट आयी और शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आने के कारण समाज में शिक्षक का स्थान बहुत गिर गया था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा जगत में न जाने कितने परिवर्तन किये गये शिक्षा अपने मार्ग से विचलित हो गयी और उसे तत्कालीन गुरू या शिक्षक सही दिशा में ले जाने में असफल हुये। शिक्षा अपनी शोचनीय स्थिति में पहुंच गयी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विशुद्ध रूप से इंग्लैण्ड के अनुकरण पर थेपी गयी प्रणाली है। विश्व गुरू भारत का गुरू वर्ग वर्तमान में विक्षुब्ध हो उठा है। उसमें एक अजीब निराशा व्याप्त है। शिक्षक स्वयं लक्ष्य से भटका प्रतीत होता है। वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने उसे इस प्रकार जकड़ लिया है कि उसकी आंखों के समाने अंधेरा ही अंधेरा है। कृषकाय शिक्षक को स्थूलकाय राजनीतिज्ञों के उपदेश सुनने पड़ते है जो उन्हें वशिष्ठ, द्रोणाचार्य और संदीपन की उपाधि से विभूषित कर बन्दीपाल की दया पर छोड़ दिया जाता है और उसे धन व सत्ता के भूखे अध्यापक के सामने त्याग परोसकर हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते है। ऐसा निराश अध्यापक जब कक्षा में जाता है तो छात्रों में जो कुछ बाल सुलभ जीवन विद्यमान रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। छात्रों में व्याप्त नैराश्च, लक्ष्यहीनता, एवं भविष्य के प्रति अनिश्चिचता की भावनायें उन्हें कक्षा से बाहर लोकर सड़क पर खड़ा कर देती है और तब ऐसी स्थिति में शिक्षक उपहास का पात्र बन जाता है।

आधुनिक भारतीय शिक्षा में चारों ओर अराजकता का राज्य है इस भयावह स्थिति को यदि शीघ्र सम्भाला न गया तो इतिहास हमें पुनः प्रमादी, मिथ्या, अहंकारी, अक्षम एवं कायर आदि विशेषणों से सुशोभित करेगा। ऐसा लगता है कि ये सब समस्यायें राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को ही दूर करनी होगी।

आदर्श शिक्षक :

शिक्षा के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। आदर्श शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्रनिर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला तथा समाज को गति प्रदान करने वाला माना गया है। साधारणतया शिक्षक में बालक को समझने की शक्ति, उनके साथ उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा शक्ति और सहकारिता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। शिक्षण जगत की एक मानसी प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है। यह कार्य वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ विशिष्ठ, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं संवेगात्मक गुण हों।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉ. एफ.एल. क्लैप (ब्संचच) ने 1913 में एक अध्ययन किया जिसके आधार पर एक अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक पाया है :-

1.संबोधन, 2. वैयक्तिक आकृति, 3. आशावादिता, 4. संयम, 5. उत्साह, 6. मानसिक निष्पक्षता, 7. शुभ चिन्तन, 8. सहानुभूति, 9. जीवन शक्ति और 10.विद्वता। अमेरिका के ही बागले (Bagely) तथा कीथ (Keith) के अनुसार चातुर्य नेतृत्व की क्षमता तथा अच्छा स्वर गुणों को और होना चाहिए।

वैयक्तिक गुण :

उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन-शक्ति शिक्षक का एक आवश्यक गुण है। स्वस्थ्य शरीर का स्वस्थ्य मस्तिष्क से उच्च प्रकार का सह संबंध होता है। हरर्बट स्पेन्सर का मत है - "जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये अच्छा प्राणी होना आवश्यक है।" शिक्षक को केवल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होना ही आवश्यक नहीं है, वरन् उसमें चेतनता का होना भी आवश्यक है। आर्थर बी. मौलमेन का कथन है - "सफल शिक्षक के लिये जीवन-शक्ति का होना आवश्यक है। यह केवल इसलिये ही आवश्यक नहीं कि इसका प्रभाव बालकों पर

प्रतिबिम्बात्मक रूप में पड़े परन्तु थकान से उत्पन्न हुई बाधाओं को कम करने के लिये भी यह आवश्यक है।"

शिक्षा मे सवेगात्मक संतुलन का होना परमावश्यक है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों को भावात्मक विकास करने में असफल रहेगा। यदि शिक्षक स्वयं संवेगात्मक रूप में असन्तुलित हैं तो इससे छात्रों को ही हानि नहीं होगी वरन विद्यालय संगठन में भी समस्यायें उत्पन्न होगी।

शिक्षक में सामाजिक गुणों का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक समझदारी मुख्यतः सामाजिक संबंधों द्वारा अनुप्रमाणित विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। शिक्षक को उन सामाजिक गुणों को अवश्य ग्रहण करना चाहिये, जो कि उसे कक्षा-कक्ष तथा समुदाय-दोनों में सहायता प्रदान करेंगे। उदाहरणार्थ - सामाजिक चातुर्य, उत्तम निर्णय-शक्ति, जीवन के प्रति आशावदी दृष्टिकोण, परिस्थितियों का सामना करने का साहस, अपनी कमियों को स्वीकार करने की तत्परता मिल जुलकर कार्य करने की क्षमता आदि।

एक राष्ट्र निर्माता होने के नाते एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका चरित्र निर्मल हो और उसमें मिशनरियों की भांति अपने कार्य के लिए उत्साह हो। यदि शिक्षा में सत्चरित्रता का अभाव है तो वह अपने छात्रों एवं समाज का उपयुक्त ढंग से पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकता है। शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होना भी आवश्यक है। शिक्षक का नेतृत्व उसके चरित्र, शक्ति प्रभावशीलता तथा दूसरों से प्राप्त आदर पर निर्भर है, अर्थात् शिक्षक को नेतृत्व उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। इस प्रकार का नेतृत्व पथ-प्रदर्शन करने, समूह के साथ कार्य करने तथा उसे सहायता देने एवं समूह को सामान्य ध्येय के प्राप्ति हेतु अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता पर निर्भर है। अतः दृढ़ व्यक्तित्व नेतृत्व के लिये उसी प्रकार की अयोग्यता है, जिस प्रकार की निर्बल व्यक्तित्व। इस तथ्य पर बल देते हुए डॉ. बैलार्ड ने कहा है- "भावी शिक्षक अपने छात्रों पर अपने व्यक्तित्व का

प्रभाव डालने से बहुत कम संबंध रखेगा। इसके विपरीत, यह अपने छात्रों के व्यक्तित्व को देदीप्यमान बनाती है तथा उस शक्ति स्त्रोत को खोजेगा, जो उनको प्रेरित करता है।''

शिक्षक में यह गुण भी आवश्यक है कि वह अपने छात्रों तथा सहयोगी शिक्षकों के साथ मैत्री एवं सहानुभूमिपूर्ण व्यवहार करें। विद्यालय शिक्षण सहयोगी कार्य है, इनको सफलतापूर्वक सहयोग के साथ कार्य करें। शिक्षा को सदैव अपने उच्चाधिकारियों, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक आदि को मित्र तथा पथ-प्रदर्शक के रूप में देखना चाहिए।

शिक्षक के व्यावसायिक गुण :

कोई भी व्यक्ति विषय के समुचित ज्ञान के अभाव में अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता प्रत्येक अध्यापक में अपने विषय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा के अभाव में वह सफल अध्यापक नहीं बन सकेगा। निष्ठा, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है तथा विषय में रूचि उत्पन्न करती है। निष्ठा अन्धविश्वास से पूर्ण तथा तर्क रहित नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा। निष्ठा की कमी के कारण हमारी शिक्षा का स्तर प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। वह बात सच है कि हमारे शिक्षकों को पेट भरने के योग्य वेतन भी नहीं मिलता, फिर भी जब उन्होंने इस व्यवसाय को ग्रहण किया है तो उनके लिये यह अनिवार्य है कि वे सत्यनिष्ठा होकर अपने कार्य को रूचि, तत्परता तथा उत्साह के साथ करें क्योंकि वे राष्ट्र निर्माता है। एक विद्वान का मतहै - ''एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शरीर हित के लिये खतरनाक हो सकता है परन्तु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिये इससे भी अधिक घातक है क्योंकि वह न केवल अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकृत बनाता है तथा हानि पहुंचाता है वरन उनके विकास को अवरूध्द करता है तथा उनकी आत्मा को मरोड़ देता है, इसलिये एक अच्छे शिक्षक के लिये अपने विषय में निष्ठा होना अनिवार्य है।''

प्रत्येक शिक्षक को स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन तथा स्वस्थ व्यक्तित्व के साथ ही अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये, विषय का अपूर्ण ज्ञान हानिकारक होता है। वेदों के अनुसार ज्ञान तथा क्रिया का सहयोग एक मनुष्य को प्रकाश प्रदान करता है। यदि

विषयगत संबंधी ज्ञान अधूरा या पिछ्ला होगा तो अपने छात्रों को विश्वासपात्र नहीं बन सकेगा। प्रो. के.जी. सैयदन के अनुसार – "आप का बर्तन में कोई वस्तु तब तक उड़ेलकर नहीं निकाल सकते जब तक कि आपने वह वस्तु उसमें न रखी हो। यदि शिक्षक ज्ञान एवं बुद्धि की दृष्टि से हीन एवं खोखला है, यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर या उनकी भावनाओं को मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता, यदि वह स्वयं जलता हुआ दीपक नहीं है तो वह दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित करने में सदैव असमर्थ रहेगा।"

एक शिक्षक के लिये यही आवश्यक नहीं है कि वह यह जाने कि उसे 'क्या पढ़ाना है,' वरन् उनको यह भी जानना चाहिये कि किस प्रकार पढ़ाना है, तथा 'किसको पढ़ाना है'। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। आज विश्व की कोई भी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है जो विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का अनुभव न करता हो। आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में प्रशिक्षित अध्यापकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशिक्षित शिक्षक छात्र की प्रकृति और उसके मनोविज्ञान को ठीक से समझ सकता है। मनोविज्ञान एवं विद्यालय प्रशासन के ज्ञान के अभाव में शिक्षा जगत में उचित योगदान दे पाना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। शिक्षकों को चाहिये कि वे अपने ज्ञान को नित्य नवीन बनाये रखने के लिये विभिन्न गोष्ठियों विचार सम्मेलनों, अभिनव कोर्स, तथा सेमीनारों में भाग लेना चाहिए ऐसा करने से वह अपने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करता रहेगा।

शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिक शिक्षण विज्ञान तथा तकनीकि ज्ञान के अभाव में सफल नहीं हो सकता। शिक्षा का कार्य अब बहुमुखी हो गया है। शिक्षा जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं जीवन से संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब शिक्षण कार्य कक्षाओं में दिये जाने वाले निर्देशन तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में महान् विस्फोट हुये है। जिसके कारण विषय ज्ञान के अतिरिक्त एक सफल व्यक्तित्व निर्माण के लिये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में जैसे– खेलकूद,

स्काउटिंग, नाटक, वाद-विवाद, भाषण, रेड-क्रास, संगीत-क्लब, साक्षरता, गरबी-उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आदि कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है।

आधुनिक युग शिक्षक से यह भी मांग करता है कि उनको अने कार्यक्षेत्र में अनुसंधानकर्ता होना चाहिए। शिक्षा के अनुसंधान का महत्व प्रतिदिन अपना आधार निर्मित करता जा रहा है। शिक्षकों को कक्षा-कक्ष की समस्याओं के निराकरण के लिये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके शिक्षा की प्रगति में सहयोग देना चाहिये। 'उनको क्या पढ़ाना है?', 'क्यों पढ़ाना है?', 'किस प्रकार पढ़ाना है?', आदि मूलभूत शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग करने चाहिए।

विद्यार्थी

प्रत्येक विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सें कुछ छात्र ऐसे होते है, जो अपनी किन्ही विशेषताओं के कारण सामान्य छात्रों से भिन्न होते एवं व्यक्तित्व के समस्त पक्षों मे समानता नही होती है। विद्यार्थियों में इन विभिन्नताओं के कारण दो वर्ग बन जाते है-1.सामान्य वर्ग 2.विशिष्ट वर्ग

विशिष्ट विद्यार्थियों का अर्थ

विशिष्ट विद्यार्थी उन्हे कहा जाता है,जो अपनी योग्यताओं,क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आय के अन्य औसत तथा असमान्य छात्रों से बहुत भिन्न होते है ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थिओं की तुलना मे अपनी विशिष्ठ्ता रखते है। अभिप्राय यह है कि ऐसे विद्यार्थी मानसिक,शरीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछ्ड़े होते है या बहुत आगे निकल जाते है । दोनों ही परिस्थितियों मे इनका समायोजन कठिन हो जाता है।यहाँ इनके समायोजन के लिए इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए इन्हे विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है ।

<u>को एण्ड को:</u> ने विशिष्ट बालको की परिभाषा देते हुए कहा है कि "विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग मे लाया जाता है ,जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों मे इतना अधिक असामान्य हो, कि वह उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों के विशिष्ट ध्यान की मांग करे और साथ ही उससे उसके व्यवहार की कियाऐं तथा अनुकियाऐं भी प्रभावित हो।"

"The term 'typical' of Exceptional is applicd to a trait or to a person possesing trait up to the extent of deviation from normal, possession of the trait is so great that because of it the individual warrants or receives special attention from his fellows and his behaviour responses and activities are thereby effected ." **Crow & Crow**

विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रकारः

विद्वानों ने विशिष्ट विद्यार्थियों को निम्नलिखित भागों मे वर्गीकृत कियाा है-

1. *प्रतिभाशाली विद्यार्थी*
2. *पिछड़े विद्यार्थी*
3. *विकलांग विद्यार्थी*
4. *समस्यात्मक विद्यार्थी*

प्रतिभाशाली विद्यार्थी

वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुध्दिमान,शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते है । ऐसे बालक 140 बुध्दि लब्धि या इससे अधिक बुध्दि लब्धि वाले होते है ।ये लम्बाई मे सामान्य से एक या दो इंच अधिक तथा वजन मे 4 या 5 पौण्ड भारी होते है । इनमे संवेगात्मक और रागात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की विशेष क्षमता पायी जाती है।

टरमन और ओडन के अनुसार – प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन सामाजिक समायोजन व्यक्तित्व के गुणो विद्यालय उपलब्धि खेल की सूचनाओं और रूचियों की विविधता मे औसत बालकों मे श्रेष्ट होते है।

प्रेम पसरीचा के अनुसार – प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ट प्रतीत होता हो अथवा वह है जो उन क्षेत्रों से जिनका अधिक बुद्धि-लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नही है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है।

पिछड़े विद्यार्थी या पिछड़े बालक :

शिक्षा के क्षेत्र मे कक्षा समस्या के रूप मे 'पिछड़े बालक' भी एक संक्रामक रोग की भॉंति फैलते जा रहे है।इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली,सामान्य एवं मंदबुध्दि छात्र सभी सम्मिलित है। अतः जो छात्र निश्चित समय मे, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने मे असफल रहते है और सामान्य छात्रों से पीछे रहते है, पिछड़े बालकों के नाम से पुकारे जाते है।

सिरिल बर्ट के अनुसार – "एक पिछड़ा छात्र वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्यकाल में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा मे निम्न कक्षा का कार्य नही कर पाता, जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है।"

स्कोनेल एवं स्कोनेल के अनुसार : "पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना मे विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते है।"

पिछड़ा छात्र अपने शैक्षिक कार्यो मे पिछड़ता चला जाता है । वह एक ही कक्षा एक ही वार मे पास नही कर पाता है । इन छात्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इनमे बुध्दि लब्धि 85 से कम होती है और इसका मुख्य कारण भी बुध्दि की न्यूनता ही है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र मे शैक्षणिक लब्धि को ज्ञात किया जाता है।

इस प्रकार से 'बर्ट' महोदय ने भी यह माना है कि जिन शैक्षणिक बुध्दि लब्धि 85 से कम होगी, वे पिछड़े छात्र माने जायेगें । उन्होनें आगे यह भी निष्कर्ष निकाला है कि बड़ी संख्या वाले शहरों के विद्यालयों मे पिछड़े बालकों का प्रतिशत 10 से लेकर 20 तक पाया जाता है ।

पिछड़े बालकों की विशेषताएँ

पी. डी. पाठक ने अपनी पुस्तक में कुण्यास्वामी द्वारा वर्णित पिछड़े छात्रों की विशेषताओं को उदधृत किया है,जो निम्नलिखित है–

1. सीखने की धीमी गति
2. जीवन में निराशा का अनुभव
3. समाज विरोधी प्रवृत्ति
4. व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति
5. जन्मजात योग्यताओं की तुलना मे कम शैक्षणिक उपलब्धि
6. सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने मे असमर्थ
7. सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने मे विफलता
8. मंदबुध्दि, सामान्य बुध्दि एवं अतिश्रेष्ठ बुध्दि का प्रमाण
9. मानसिक अस्वस्थता एवं असमायोजन
10. बुध्दि लब्धि 90–110
11. सामान्य प्रगति मे अयोग्य
12. अपनी एवं नीचे की कक्षा के कार्य करने मे असमर्थ.

माता–पिता का दृष्टि कोण– बालक उस नए पौधे के समान है जो सही साधन एवं निर्देशन के माध्यम से निश्चत उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है । इसमे माता–पिता का दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बालकों के साथ उचित स्वतंत्रता एवं पर्याप्त नियंत्रण को लागू करना आवश्यक माना गया है इससे अतः मे स्वाभाविक विकास एवं समाज के प्रति आस्था के भाव विकसित होते है। यही भाव बाद मे राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय एकता का भाव बन जाता है । अतः बालकों के प्रति अधिक कठोरता अधिक स्वतंत्रता एवं उपेक्षा का भाव उनमे शिथिलता उत्पन्न कर देता हैं । वे विद्यालय के कार्य से जी चुराने लगते है और बहाने करने लगते है । परिणामस्वरूप वे पिछड़े बालकों मे गिने जाने लगते है।

विकलांग बालक

यूनेस्को ने बाल वर्ष मनाकर प्रत्येक बालक के विकास के प्रति मानवीय संवेदना को प्रगट किया है। इस प्रकार से प्रत्येक बालक को जीने का तथा समान अधिकार प्राप्त है। कुछ बालको मे जन्म से ही शरीर के किसी अंग मे दोष होता है, या बाद मे दुघर्टना या आघात के कारण शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कार्य करने मे असमर्थ रहता है, ऐसे बालकों को विकलांग कहा जाता है। को एवं को ने लिखा है-एक व्यक्ति जिसमे कोई प्रकार का दोष होता है जो किसी भी रूप मे उसे सामान्य क्रियाओं मे भाग लेने मे रोकता है, या उसको सीमित रखता है, उसको हम विकलांग व्यक्ति कह सकते है।

इस प्रकार हम देखते है कि इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से अविकसित देशों के बालकों को सबसे बडा लाभ हुआ है। विकसित देशों मे इन बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था है, जबकि हमारे देश मे इनको हीन दृष्टि से देखते है। भारतीय समाज ने इनकी प्रारंभ से ही उपेक्षा की है। माता–पिता उनको अनुपयोगी समझकर उचित व्यवाहार नही करते है। इस प्रकार से उनमे हीन भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः शिक्षा जगत ने इनके विकास के लिए विक्लांग शिक्षा को जन्म दिया ताकि इनकी सही विकास हो सके।

विकलांग बालकों के प्रकार

साधारण रूप मे इन बालकों को निम्नलिखित भागो मे बांटा गया है–

1.अपंग बालक–इसके अंतर्गत वे बालक आते है ,जो जन्म से ही अंग भंग वाले होते है। इनमे अंधे, लंगडे, गूंगे और बहरे आदि प्रकार के बालक होते है। इस प्रकार के बालकों मे

शिक्षा की उपेक्षा , बालमनोविज्ञान के ज्ञान का आभाव तथा दुर्घटना आदि कारण उत्पन्न हो जाती है।

2.अंधे और अर्द्ध अंधे बालक–प्रायः यह देखा गया है कि कुछ बालक जन्म से ही अंधे होते है या उनको कम दिखलाई पडता है। यह दोष गर्भवस्था मे किसी कमी के कारण एवं बाद मे किसी दुघर्टना के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। अंधे बालकों की आंखो मे मृत व्यक्ति की आंखेा का प्रत्यारोपण किया जाता है और कम दिखलाई देने वालों के लिए चश्मा का प्रयोग किया जाता है।

3.बहरे और अर्द्ध बहरे– बहरा व्यक्ति वह होता है जिसने कभी आवाज ही न सुनी हो । अर्द्ध बहरे वे होते है जो उंचा सुनते है। अर्द्ध बहरेपन जीवन के विकास मे किसी कमी के कारण उत्पन्न होता है जबकि बहरापन जन्म से ही होता है। बहरापन कभी दूर नही हाम पाता है। लेकिन उंचा सुनने वाले के लिए नये नये यंत्रो का उपयोग होने लगा है,जिनसे व्यक्ति सामान्य कार्य करने लगा है।

4.दोषयुक्त वाणी वाले बालक–इसके अंतर्गत उच्चारण मे अशुद्धता वाणी के कारण होती है। इसमे हकलाना,तुतलाना, धीरे धीरे बोलना, नाक के सुर से बोलना,मोटी आवाज, कर्कश आवाज आदि आते है। ये दोष कभी कभी मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक कारणेां के द्वारा भी उत्पन्न हो जाया करते है। वाणी के वे दोष जो गलत उच्चारण या संवेगों के कारण उत्पन्न होते है उनका उपचार मनोवैज्ञानिक कारणेां से संभव हो गया है।

5.अत्याधिक कोमल या निर्बल बालक–इसके अंतर्गत वे बालक आते है जो सामान्य बालकों की तरह से जोखिम भरे कार्य नही कर पाते है। वे सदैव अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते है।उनमें रक्त की कमी पाचन किया मे गड़बड़ी तथा ग्रंथि दोष आदि आते है। ऐसे बालकों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र मे काफी प्रयास किये गये है।

व्यक्तिगत भिन्नताओ का अर्थ एवं परिभाषाएं

शिक्षा के क्षेत्र मे एक ही अध्यापक द्वारा निश्चित पाठ्यकम की शिक्षा छात्रों को समान रूप से दी जाती है,फिर भी छात्रों की उपलब्धियों मे अंतर आता है,ऐसा क्यो?इसका पता लगाया शिक्षा मनोविज्ञान ने। उसने बालकों के शारीरिक, मानसिक,भावात्मक,और अन्य विभिन्न प्रकार के अंतरो को स्पष्ट किया है। इन्ही अंतरो एवं व्यक्तिक भेदों के कारण छात्रों की उपलब्धियों मे भी अंतर स्पष्ट होता है।

प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म जेता है। ये विशेषताएं उसको माता एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गयी होती है। इसी के साथ ही पर्यावरण की विशेषताएं छात्र के विकास मे प्रभाव डालती है। पर्यावरण छात्रों को सुडौल और सामान्य बनाने मे मदद देते है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरें से भिन्न होते है।

जब दो बच्चे विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस मे भिन्न व्यवहार करते है,तो इसे वैयक्तित भिन्नता कहा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है–

1. स्किनर के अनुसार– आज हमारा विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं मे संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहेलू सम्मलित हो सकता है,जिसका माप किया जा सकता है।
2. टायलर के अनुसार– शरीर का आकार एवं स्वरुप शारीरिक कार्यो, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षण मे माप की सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है।

विश्लेषण :– यदि हम उपयुक्त कथनो का विश्लेषण करें,तो निम्नलिखित विशेषताएं पाते है –

1. व्यक्तित्व – व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नही करते,बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर करते है। इसीलिए कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अंतर्मुखी है और अमुक बहिर्मुखी है।
2. जीवन के पक्ष – प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रुप से परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन उसे नवीन कार्यो को सीखने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से सीखना ही उसका विकास बन जाता है। बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के पक्ष–परिवर्तन सीखना और विकास मे संलग्न रहता है इनके द्वारा वह जो भी कुछ प्राप्त करता है, वही अन्य लोगों से भिन्न स्थापित करने मे मदद देता है।
3. समानता मे असमानता– डां.एस.एस.माथुर ने सभी बालकों मे निम्नलिखित पांच आधारों पर समानताएं मानी है –

1. बुद्धि।
2. मूल प्रवृत्ति।
3. समाजीकरण।

4. अधिकार एवं कर्त्तव्य।

5. स्वाभाव।

व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कारक

विभिन्न विद्वानों ने वंशानुक्रम और पर्यावरण का अध्ययन किया और निम्नलिखित कारण जो वैयक्तिक भिन्नता को निर्धारित करते है,बतलाये–

1. बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि–विद्यालय मे बालक विभिन्न परिवारों एवं समुदायों से आते है। उनके उपर अपने वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव उनके विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण मे सहायक होता है। इसलिए उनमे सत्ता के प्रति,समाज के प्रति, और स्वरक्षा के प्रति विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां देखी जाती है। बालक के चरित्र का निर्माण पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत होता है,इसके साथ ही साथ बालकों के संवेगात्मक,सामाजिक,सौंदर्यात्मक,विकास पर परिवार पड़ोस और संबंधी लोगो का प्रभाव पड़ता है। अतः एक बालक अन्य बालकों से भिन्नता स्थापित करता है।
2. आर्थिक दशाएं– बालकों के विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण पर धन की मात्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। धन की पर्याप्त मात्रा शरीर एवं मन दोनों को स्वस्थता प्रदान करती है। इसके आभाव मे बालक का सही एवं मौलिक विकास नही हो पाता है। इस प्रकार धन की पर्याप्तता बालक मे उच्चता की भावना उत्पन्न करती है,और धन की कमी उनमे निम्नता की भावना । धन की बहुलता के कारण बालक मे आत्म–विश्वास,निर्भीकता,सतर्कता,और सुरक्षा आदि भावनाएं उत्पन्न होती है। निर्धनता बालक मे हीनता,अकर्मण्यता,असुरक्षा,निराशा,एवं कमजोरी आदि भावो को उत्पन्न करती है। टर्मन ने अपने अध्ययन से सिद्ध कर दिया है कि उच्चता की भावना उच्च बुद्धि की और निम्नता की भावना निम्न बुद्धि की ओर इंगित करता है।अतः बालकों मे भिन्नता पायी जाती है।
3. प्रजातीय भिन्नता– एक देश मे रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजातियों मे अंतर होता है। भारत मे आर्य और द्रविणों मे अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिन्दुओं के विभिन्न वर्गो मे अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रमुख प्रभाव होते है। अमेरिका मे रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के

व्यक्तियो मे मानसिक आयु का अध्ययन कार्ल बिंघम ने किया । उन्होने उनमें पर्याप्त एवं निम्नलिखित अंतर पाया।

देश	**मानसिक आयु**	**देश**	**मानसिक आयु**
इंगलैड	14.2	बेल्जियम	12.56
इस्काटलैंट	13.77	आयरलैंड	12.2
हालैड	13.76	आस्ट्रिया	12.16
जर्मनी	13.41	टर्की	11.96
श्वेतअमेरिकन	13.32	ग्रीस	11.85
डेनमार्क	12.26	रूस	11.45
कनाडा	13.25	इटली	11.2
स्वीडन	12.96	पोलेंड	10.96
नार्वे	12.76	नीग्रो अमेरिकन	10.71

अतः उपर्युक्त अन्तर यह बतलाता है कि प्रजातीय अंतर भी बालकों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारिरिक बनावट का आधार भी प्रजातीय भिन्नता होती है।

अध्याय -02

साहित्य पुनरावलोकन
एवं
पध्दति शास्त्र

प्रस्तावना खण्ड मे हमने शिक्षा की अवधारणा विशेषताएं एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा की है। हमारा मुख्य प्रतिपाद्य विषय शिक्षा एवं उसके ग्रहण करने वाले विद्यार्थीयों से संबंधित है। अतः यहां पर इस विषय पर शोध कार्य करने संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अध्ययन विधियाँ एवं पद्धति शास्त्र आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकनः

संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना शोधकर्ता का कार्य अन्धे के तीर के समान होता है । इसके अभाव मे सही दिशा में वह एक पग भी आगे नही बढ़ सकता । जैसा कि किसी ने है–"एक चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र मे हो रही औषधि सम्बंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे। उसी प्रकार समाज शास्त्र के जिज्ञासु छात्र अनुसंधानकर्ता के लिए भी उसक्षेत्र से सम्बधित सूचनाएँ एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है।

कुछ मनोवैज्ञानिक के विचार–

श्री ओझा ने 1962 बुध्दिमत्ता और बुध्दि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे मे अध्ययन किया। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि बुध्दि को बढ़ाने वाले और बुध्दि के सम्बंधित तमाम तत्वों के बीच सकारात्मक सम्बंध है।

राव एस. एन. 1963 ने छात्रों के शैक्षिक समायोजन का व्यक्ति के कुछ प्रकारों पर संबंध देखा और पाया कि शैक्षिक उपलब्धि का स्तर शैक्षिक समायोजन से सीधा संबंध रखता है । समान्य मानसिक योग्यता मे उच्च व निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों के समायोजन मे अंतर सार्थक नही है ।

देसाई एच. जी. 1974 के व्यक्ति की बुध्दि पर उसके लिंग एवं जन्म कम का क्या प्रभाव पड.ता है इस वारे मे संर्वेक्षण किया । संर्वेक्षण से पता चला कि जन्म कमानुसार से तीसरे नंबर पर पैदा हुए बालक मे उच्चश्रेणी की बुध्दि लब्धि होती है । पहले इसी नंबर पर पड़े हुए बालक की अपेक्षा चतुर्थ ,पंचम एवं छटवें कम पर पैदा हुए बालक मे तार्किक क्षमता नही होती ।

रेड्डी ओ. आर. 1983 मे हाई स्कूल के छात्रों का शैक्षिक उपलब्धि और बुध्दि लब्धि की क्षमताओं का अध्ययन किया उन्होनें पारिवारिक गुण मे रहने वाले छात्रों को

लिया जिनके पिता का आर्थिक स्तर अच्छा था। उन्होने निष्कर्ष के रूप मे पाया कि बुध्दि लब्धि क्षमता का संबंध शैक्षिक उपलब्धियों पर पड.ता है ।

गुप्ता उमेश चन्द्र 1984 ने तीव्र बुध्दि वाले मंद बुध्दि किशोरों के तीव्र बुध्दि वाले तथा मंद बुध्दि वाले किशोरों के गृह समायोजन में सार्थक अंतर नही था लेकिन उनके स्वास्थ्य समायोजन के संबंध मे दोनो वर्गो मे सार्थक अंतर था।

दीक्षित मिथिलेश कुमारी 1984 ने किशोर –किशोरियों की बुध्दि लब्धि और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा पाया कि सामान्यतः बौध्दिक परीक्षण मे लड.के–लड.कियों से श्रेष्ठ पाये गये तथा पाया कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धि और बुध्दि मे बहुत उच्च सह संबंध पाया तथा लड.कियों मे समान सह संबंध पाया ।

थर्स्टन 1930 महोदय ने एक अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला कि समायोजन की दृष्टि से पिछ्ड. छात्र भी उच्च श्रेणी प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते है।

स्टोनर 1953 ने अपने अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि अस्थिर एवं असमायोजित विद्यार्थी मम करने मे स्थित तथा समायोजित विद्यार्थीयों से पीछे रहता है।

साइमण्ड ने विद्यार्थीयों की समस्याओं का अध्ययन किया तथा इस परिणाम पर पहुचे कि साधारणतयः बालक, बालिकाओं की समस्याएँ समान होती है उनमे अधिकांश समस्या धन, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व तथा अध्ययन संबंधी होती है।

वर्गत तथा सूटकर 1956 ने अपने अध्ययन पाया कि प्रखर बुध्दि तथा संतुलित व्यक्तित्व के विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धि के छेत्र मे समान्य विद्यार्थियों के अपेक्षा उत्तम होते है।

हार्दर एवं वार्वर 1975 ने वताया कि बालक एवं बालिका के अंदर वाल्यावस्था मे घटना एवं उपेक्षा के साथ गैर जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है । अतः इस अवस्था मे बच्चों को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

हैदर 1993 ने सुझाव दिया कि एक बच्चे के विकास मे मातापिता एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । यदि बच्चे को अनुकूल वातावरण मिलता है तो उनका संवेगात्मक संतुलन बना रहता है।

जे. पी. भट्ट ने 1961 मे भारत वर्ष मे बेशिक स्कूल तथा नानबेशिक स्कूलों मे अध्ययन करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन किया तथा माना कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों मे उन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों मे अधिक अंतर था।

माथुर ने 1963 मे शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यवहार पर सामाजिक ,आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन कियाा तथा पाया कि छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर पड.ता है तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके व्यवहार पर पड.ता है ।

एस के मेनन ने1973 मे केरल विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान मे उच्च योग्यता के अधिक या कम प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व के अभिलक्षणों का एक तुलनात्मक अध्ययन " विषय पर शोध कार्य किया ।

सी.एल. आनन्द ने1923 मे मैसूर विश्वविद्यालय मे "मैसूर राज्य मे मानसिक क्षमताओं और शैक्षिक उपलब्धियों पर निर्देशन का माध्यम और सामाजिक, आर्थिक वातावरण के प्रभाव का एक अध्ययन " विषय पर शोध कार्य किया ।

पी मेहता और वी.डी. कुमार 1985 ने शिमला विश्वविद्यालय मे शैक्षिक उपलब्धि का बुध्दि,व्यक्तित्व, सामंजस्य, अध्ययन आदतों और शैक्षिक प्रयोग से संबंध विषय पर कार्य किया तथा पाया कि वैज्ञानिक उपलब्धि मे पर्यावरणीय सामग्रियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती है।

के. कपूर ने 1986 मेरठ विश्वविद्यालय से 'सरस्वती शिशु मंदिर और पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों के संदर्भ मे मनोविज्ञान, सामाजिक कारणों का अध्ययन' पर शोध किया तथा पाया कि पब्लिक स्कूलों के अपेक्षा सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी शिक्षा मे अधिक रुचि लेते है।

खन्ना 1966 ने शोध अध्ययन 'ए स्टडी आफ एट्रिव्यूसन आफ रेसपॉन्सिविलिटी फार सक्सेस एण्ड फेलर लर्निंग डिसएबल चिल्ड्रन' किया।

सेन 1970 ने अपने शोध अध्ययन मे समीक्षा की कि मलिन आवासो के निवासियो 30असाध्य रोगों से पीड़ित थे, 20 संक्रामक रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ, फाइलेरिया,मलेरिया तथा यौन जनित रोगों से पीड़ित थे, 50लोगों का स्वास्थ्य निम्न कोटिका, 9.6 लोगों का स्वास्थ्य अच्छा था।

सिंह एवं राठौर 1982 ने 'स्लम चिल्ड्रनऑफ इंडिया' नामक अपने शोध अध्ययन मे निष्कर्ष निकाला कि बच्चों मे निम्न तथा दरिद्र संस्सकार भरे पड़े थे जैसे लड़ाकूपन, नैतिक गुणों का हृास, मद्यपान, जुआ, तथा तशकरी उनकी जीवन के आवश्वक अंग थे।

मुखर्जी, राधाकमल 1960 ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन वर्किंग क्लास' के अवलोकनों में मलिन आवासो के निवासियो की दशा को इतना भयंकर बतलाया है कि वहाँ मानवता

का विध्वंश होता है,महिलाओं के सतीत्व का नाश होता तथा देश के आधार स्तंभ शिशुओंका गला घुट जाता है।

उपाध्याय विनोद कुमार 1996 ने 'ए स्टडी आफ एचीव्मेन्ट मोटिवेशन आफ सेकन्डरी लेवल स्टूडेन्टस इन रेलेशन टू देअर सेल्फ कन्सेप्ट विथ स्पेशल रिफरेन्स टू सेक्स, लोकेलिटी एण्ड कास्ट' पर शोध किया।

वर्मा सुमनलता 1996 ने 'ए कमपेरेटिव स्टडी आफ काक्यूरीकुलर एकटिविटिस आरगेनाइजड इन सेकन्डरी स्कूल एण्ड नवोदय विद्यालय पर शोध किया।

अस्थाना एम 1993 ने 'ए स्टडी आफ सोसियो-साइकोलाजिकल कोरिलेटस आफ ड्रापआउट एट सीनियर बेशिक लेवल' पर शोध किया।

साह बीना 1987 'दी सोसियो-साइकोलाजिकल कोरिलेटस आफ एचीव्मेन्ट मोटिवेशन एण्ड एकेडमिक एचीव्मेन्ट एमंग दी ट्राइवल एण्ड नान ट्राइवल सेकन्डरी लेवल स्टूडेन्टस आफ गढ़वाल रेजन' पर शोध किया।

शर्मा आर एम 1982 ने हाई स्कूल स्तर पर पिछड़ेपन के मनोवैज्ञानिक निर्धारक विषय पर अध्ययन किया तथा यह पाया कि छात्र एवं छात्राओं के सामंजस्य प्राप्तांकों मे सार्थक अंतर नही है ।

लाल आर 1984 ने पिछडने की प्रवृत्ति ,व्यक्तिगत समस्याएँ और व्यक्तिगत कारकों का शैक्षणिक उपलब्धि के साथ सहसंबंध का अध्ययन किया और यह पाया कि अभिवावकों की संरक्षात्मक प्रवृत्ति का उनके बच्चों की शैक्षणिक सफलताओं के साथ धनात्मक तथा सार्थक संबंध है ।

सरकार यू 1983 ने बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर कुछ ग्रह कारकों के योगदान का अध्ययन किया तथा यह पाया कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों तथा कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की माँ के शिशु पालन की अभिवृत्ति मे सार्थक अंतर होता है।

सूत्रधर पी के 1982 ने सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ एवं निम्न बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया तथा यह पाया कि सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ वर्ग के बच्चों के अभिवावक निम्न वर्ग के बच्चों के अभिवावकों की अपेक्षा अधिक बाल केंद्रित है साथ ही यह भी देखने को मिला कि पिता की शिक्षा बच्चो की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने मे महत्वपूर्ण योगदान करती है।

शुक्ला सी एस 1984 ने सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं परिवार के आकार के परिपेक्ष्य मे प्राथमिक शाला के बच्चों की उपलब्धि विषय पर अध्ययन किया तथा यह पाया कि सामाजिक आर्थिक स्तर छात्रों की गणित की उपलब्धि को प्रभावित करता है ।

दास यू सी 1978, ने प्राथमिक शिक्षा स्तर के बच्चों मे संज्ञानात्मक अधिगम पर बुध्दि के अतिरिक्त कुछ अन्य चरों के प्रभाव का अध्ययन किया तथा पाया कि कक्षा तीसरी एवं चौथी के उपलब्धि कार्य में लड़कों की स्थिति श्रेष्ठ हैं जबकि उची कक्षाओं मे बालिकाएँ श्रेष्ठ हैं ।

लूला टीपी.1974 ने छात्रो की उपलब्धि पर शिक्षक के कक्षागत व्यवहार के प्रभाव को देखने के लिए अध्ययन किया और यह पाया कि उन छात्रों की उपलब्धि जो अप्रत्यक्ष व्यवहार के प्रशिक्षित शिक्षको द्वारा अध्यापित किए जाते है की उपलब्धि अपेक्षाकृत उन छात्रों की उपलब्धि जिन्हे वे शिक्षक अध्यापित करते है जिन्हे किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार प्रभाव का प्रशिक्षण नही दिया गया है उच्च पायी जाती है ।

सिंह एल. पी. 1974 ने अन्योन्य क्रिया विश्लेषण सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार मे परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन किया और कक्षागत व्यवहार मे सार्थक परिवर्तन पाया ।

सिंह जी के. 1982 ने मानसिक रूप से प्रभावशाली एवं पिछड़े बालकों का अध्ययन किया और यह पाया कि लड़कें एवं लडकियों की बुध्दि मे कोई सार्थक अंतर नही होता है ।

गोखले पी ए 1977 ने बैकिंग उद्योग मे प्रोबेशनरी आफिसर के चयन में मानसिक परीक्षण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किए तथा इसके अंतर्गत उन्होने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि शिक्षित अभिवावकों के बच्चे की उपलब्धि उच्च होती है ।

नागराजू सी एस 1977 ने कर्नाटक के सेकण्डरी विद्यालयों मे पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कुछ सामाजिक कारकों का अध्ययन किया और पाया कि विज्ञान विषय मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि नही है तथा गणित मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों उपलब्धि सभी स्तरों उनके समकक्ष सामान्य वर्ग के साथियों से कम है।

नायर व्ही एस 1979 ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के अध्ययन की आदतों और विद्यालयीन उपलब्धि पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि अध्ययन की आदतों एवं विद्यालयीन उपलब्धि पर संस्कृति का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

ग्रोवर एस 1979 ने बच्चों व्यक्तित्व एवं विद्यालय के उपलब्धियों के संबंध मे माता पिता की आकांक्षा वाले समूह के बच्चों की शालेय उपलब्धियों मे सार्थक अंतर होता है । ज्ञात किया.

वरूआ यू 1981 ने स्मरण क्षमता का शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव अध्ययन किया और पाया कि कहानी ,वाक्य बनाने , अंक एवं कुछ स्मृति मे लड़कें एवं लड़कियों की स्मृति मे कोई सार्थक अंतर नही होता है ।

अग्रवाल एस 1982 ने अपने अध्ययन मे यह पाया कि रूचि, समायोजन और सामाजिक आर्थिक स्तर छात्राओं की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं ।

पुरी के 1984 ने नियंत्रण के बिन्दुपथ पर्यावरण की सुविधा, प्रणोंदन और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंधों अध्ययन किया और पाया कि नियंत्रण के बिन्दुपथ पर्यावरण की सुविधा, प्रणोंदन का अग्रेजी विषय की शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव है ।

राजपूत ए एस 1984 बुध्दि उपलब्धि, प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक स्तर के परिपेक्ष्य मे छात्रों की गणित मे शैक्षणिक उपलब्धि विषय पर अध्ययन किया तथा यह पाया कि सामाजिक, आर्थिक स्तर छात्रों की गणित की उपलब्धि को प्रभावित करता है ।

दीक्षित मिथिलेश कुमारी 1985 ने कक्षा 9 तथा 11 के छात्र तथा छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा यह पाया कि कक्षा 9 तथा 11 के श्रेष्ठ एवं अतिश्रेष्ठ छात्र तथा छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि मे कोई अंतर नही होता है । अन्य बुध्दि स्तर मे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों मे शैक्षणिक उपलब्धि उच्च है ।

राजपूत वी एन 1985 शैक्षणिक उपलब्धि कुछ व्यक्तित्व पर तथा सामाजिक आर्थिक कारकों के फलन के रूप में विषय पर अपना अध्ययन किया तथा यह पाया कि माँ की शिक्षा और गुजराती मे उपलब्धि लिंग भेद के लिए उत्तरदायी है ।

जैदी रेहाना 1986 ने प्राथमिक शाला के बच्चो की शैक्षणिक उपलब्धि पर अभिवावकों से वंचित होने के प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि अभिवावकों से वंचित तथा अभिवावकों से गैर वंचित समूह के बच्चों की उपलब्धि सार्थक अंतर होता है ।

मेहरोत्रा एस ए 1986 ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की बुध्दि, सामाजिक आर्थिक स्तर, उत्सुकता, व्यक्तित्व समायोजन तथा शैक्षणिक उपलब्धि का संबंधत्मक अध्ययन किया तथा यह पाया कि छात्र-छात्राओं दोनो के लिए उनके परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच धनात्मक संबंध है।

मिश्रा एम ने कानपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच धनात्मक संबंध होता है एव छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि छात्रों से श्रेष्ठतर है।

पाल एस ए 1986 ने हाई स्कूल के गृह विज्ञान के विद्यार्थियेां के संज्ञानात्मक शैली का अध्ययन किया तथा यह पाया कि आमतौर से लड़कियां उच्च मानसिक किया मे संज्ञानात्मक किया के प्रश्न पूछने की विधि को अधिक पसंद करती हैं।

कपूर रीता 1987 ने जूनियर हाई स्कूल स्तर पर निम्न एवं उच्च उपलब्धियों पर प्रभाव डालने वाले कारको का अध्ययन किया तथा यह पाया कि उच्च उपलब्धि वाले अधिकांश बच्चें उच्च सामाजिक एवं आर्थिक समूह के होते है।

सुधीर एम ए तथा मुरलीधरन पिल्लई पी जी ने माध्यमिक विद्यालय के छात्रों मे विज्ञान विषय मे उपलब्धि, बुध्दि लब्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ मे अध्ययन किया अध्ययन की आदतों और विद्यालयीन उपलब्धि पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि छात्र-छात्राओं उपलब्धि मे सार्थक अंतर नही है।

त्रिपाठी पी 1987 ने जूनियर हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षणिक संप्राप्ति एवं उसके पारस्परिक संबंधों के तुलनात्मक अध्ययन मे देखा कि बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि उच्च है।

त्रिवेदी व्ही ए 1987 ने अपने शोध प्रबंध के अंतर्गत अभिवावक अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंधों अध्ययन किया तथा यह पाया कि अभिवावक अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच सार्थक संबंध है।

यादव एन 1987 छात्रोपलब्धि एवं अभिवृत्ति के बीच संबंध मे माध्यमिक विद्यालय के जीवविज्ञान शिक्षकों के कक्षागत अन्योन्य किया विश्लेषण का अध्ययन किया तथा यह पाया कि जीवविज्ञान के प्रभावशाली और अप्रभावशाली शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार मे सार्थक अंतर होता है।

जहीर सईदा 1988 ने मातृ व्यवहार, व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंधो का अध्ययन किया तथा यह देखा कि मॉ का नकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा मॉ का प्रतिग्रहण बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रोन्नत करता है।

कौर टी 1988 ने पंजाब विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों के सामाजिक वर्ग एवं उससे संबंधित वांछित उपलब्धि पर अध्ययन किया और पाया कि माता की शिक्षा का स्तर छात्रों की मानसिक क्रिया को सुविधा प्रदान करता है ।

कौर एवं गिल 1993 ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के विभिन्न विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि एवं उन पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि अग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्न विषयों मे छात्रों की उपलब्धि के बीच धनात्मक संबंध होता है एव छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि से श्रेष्ठतर है।

रंगप्पा के टी 1994 ने गणित विषय की छात्रोंपलब्धि पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि गणित विषय मे बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि मे कोई सार्थक अंतर नही होता है। चाहे वे शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्रों के ।

वांगु आर एस तथा थामस के. जे.1995 ने माध्यमिक विद्यालय के छात्रों मे गणित के प्रति अभिवृत्ति एवं उपलब्धि का अध्ययन किया तथा यह पाया कि गणित विषय मे बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि मे कोई सार्थक अंतर नही है।

पण्डा भुजेन्द्रनाथ एवं सामल एम सी 1995 ने कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के व्यक्तित्व तथा शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन किया तथा यह पाया कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के पुत्रियों की शैक्षणिक उपलब्धि मे कोई सार्थक अंतर नही है। कामकाजी माताओं की तुलना में गैर कामकाजी महिलाओं के पुत्रियां गणित एवं विज्ञान मे श्रेष्ठ पायी गयी एवं अग्रेजी मे कमजोर पायी गयी।

अग्रवाल कुसुमलता एवं पाण्डेय शशिलता 1997 ने छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पालकों के उत्साहवर्धन के प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि उच्च उपलब्धि वाले छात्र अपने पालकों द्वारा अधिकतम उत्साहवर्धन की मात्रा प्राप्त करते है परंतु मध्यम उपलब्धि वाले छात्र अपेक्षाकृत निम्न उपलब्धि वाले छात्र पालकों द्वारा उत्साहवर्धन की कम मात्रा प्राप्त करते है।

शुभराज जी यमुना एवं भारती व्ही.व्ही 1996 ने बच्चों की चिन्ता स्तर परिवार के आकार एवं प्रकार का अध्ययन किया तथा यह पाया कि छोटे परिवार की अपेक्षा बड़े परिवार के बच्चों मे चिन्ता का स्तर बढ़ता है ।

शैदा ए के 1976 ने शिक्षण प्रतिमान प्रश्न और प्रतिपुष्टि तथा छात्रोपलब्धि अध्ययन किया।

देसाई एच वी 1977 ने मातृभाषा के अध्ययन मे शिक्षक व्यवहार के परिवर्तन तथा छात्रों पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है ।

गुप्ता हरिश्चन्द्र रिर्पोट एम.एस.डब्लू आगरा विश्वविद्यालय आगरा 1979 ने अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो मे यह दर्शाया गया है कि विद्यालयों को संचालित करने वाली संस्था विद्यालयों को व्यापारिक दुकान के समान चलाती है। अध्यापकों की आर्थिक दशा अच्छी नही है। अध्यापकों मे कार्य करने की रूचि का अभाव है। स्थापित विद्यालयों मे अनेक प्रकार की अनियमितताएं मिलती है- जैसे वेतन संबंधी, पदोन्नति संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी, शिक्षण संबंधी सामग्री का निम्न स्तर का होना, विद्यालय कक्षा फर्नीचर से संबंधी साथ ही विद्यालयो मे पुस्तकालय आदि का स्तर निम्न है पीने के पानी की उचित व्यवस्था नही है। अधिकतर विद्यालयों मे पत्र पत्रिकाऐं नही आती है और खेलकूद के लिए मैदान एवं खेल सामाग्री का अभाव मिलता है।

मित्तल कु. बीना शोधकर्ता आगरा विश्वविद्यालय आगरा 1980 ने शिक्षिकाओं के आर्थिक स्तर का अध्ययन किया, उससे प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर शिक्षण के अलावा शिक्षकों को विद्यालयों मे और कार्य करने पडते है जिससे उन्हे अपनी ज्ञान बृद्धि करने के लिए समय नही मिलता है। अधिकतर शिक्षकों को कम वेतन मिलता है मनोरंजन के लिए समय का अभाव रहता है घरेलू जिम्मेदारियां पर ध्यान देने के जिए पर्याप्त समय नही मिलता बचत का ना होना आदि कारणो से इस व्यव्साय के प्रति रूचि नही रखते है।

बोहरा एस. पी. 1984 ने अध्यापकों के मूल्यो से संबंधित अध्ययन किया । जिसका निदर्शन 240 सेकेंडरी स्कूल अध्यापक (आयु 28-36 वर्ष) था। निष्कर्षो मे यह पाया गया कि 6 मूल्यो (सैद्धांतिक, आर्थिक, जीवन मूल्ययत्मक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक) मे से केवल 3 मूल्यो का प्रभावकारी एवं अप्रभावकारी अध्यापकों के मध्य अंतर पाया गया प्रभावकारी अध्यापकों ने सैद्धांतिक मूल्यों पर उच्च अंक प्राप्त किये तथा अप्रभावकारी अध्यापकों ने आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्यों पर उच्च अंक प्राप्त किये। प्रभावकारी अध्यापक अप्रभावकारी अध्यापकों की अपेक्षा अधिक वास्तविक वृत्तियां धारण करते थे।

व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन मे विष्ट ए. आर 1985 के अध्ययन महत्वपूर्ण है। उन्होने कुल 93 अध्यापक जो कि उद्देश्य के आधार पर चयनित किये गये तथा जिनमे 43 पुरूष तथा 45 स्त्रियां सम्मलित है। विश्लेषणों के आधार पर यह पाया गया कि कियार्थक

एवं अक्रियार्थक कक्षा के व्यवहारों से यह प्रदर्शित हुआ कि वे अध्यापकों के वेश्लैषिक व्यक्तित्व से संबंधित है शिक्षकों की व्यक्तित्व गत्यात्मक विकसित करने की अति आवश्कता है। क्रियार्थक व्यवहार एवं अक्रियार्थक व्यवहार विद्यार्थियों की अभियोग्यता के लिए आवश्यक है।

इसी प्रकार सिंह ए.1935 ने शिक्षा एवं शिक्षार्थी के अध्ययन को महतवपूर्ण मानते हुए निष्कर्ष प्राप्त किया है कि शिक्षार्थी संबंध विशेषता कक्षा के सामाजिक भावनात्मक वातावरण को निर्धारित करती है। कक्षा की सामाजिक भावनात्मक पृष्टभूमि के निर्माण मे सबसे प्रमुख तथ्य सदभावना पूर्ण संबंध का है जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य बनता है। अनुकूल संबंधों से अध्यापक की योग्यता का विकास होता है तथा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनो की प्रसन्नता एवं समायोजन मे सहायता करता है। विद्यार्थी शिक्षक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार के प्रति भावुक होते है। विद्यार्थी शिक्षक के व्यवहारों एवं उसकी सामयिक उपस्थिति के प्रति सक्रीय होते है क्योकि वे अपने व्यक्तिगत मानदण्डों एवं पूर्व अनुभवों को संतुष्ट करने का प्रयास करते है।

सांगा जी. एस. तथा ढिल्लो जे.एस,1936 ने अध्यापकों की शैक्षिक रूचि का अध्ययन किया।

हेरेडिया आर. 1986 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर लेखक ने यह सुझाव दिया है कि गतिरोध रचनात्मक प्रस्ताव संगठ्नात्मक निर्णयो एवं विकल्पों की प्रत्याशा मे रहेगे जो की प्रणाली को पूनर्गठित रखते है। विकल्प निर्माण का तनाव अनुकूल विकल्पो के मध्य समरूप रूचियो के द्वारा कम किये जा सकते है।

चक्रवर्ती पी. के रामनाथ कुन्दु तथा जसवंन्तराय 1987 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश मे आये – अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल निदर्शन 28 से 35 वर्ष की आयु के 100 स्कूल के इतिहास अध्यापक शैक्षणिक अनुभव कम से कम 5 वर्ष कक्षा मे शिक्षकों के व्यवहार की उदघोषणा व्यक्तित्व संबंधी चर राशियों के माध्यम से की जा सकती है। और यह भी जाना जा सकता है कि उनका यह व्यवहार स्थिर अथवा अस्थिर है इस उदघोषणा मे शिक्षकों का शिक्षण व्यवसाय के प्रति रूझान का प्रभाव नही के बराबर पडता है। दृढता समय वृद्धि तथा परिस्थितियों संबंधी शिक्षक व्यवहार का अध्ययन ध्रुवात्मक रूप से अधिक लाभदायक प्रतीत होता है। इमानदार भावुक रूप से संतुलित मेघावी आत्मविश्वाशी अध्यापक के नेतृत्व संबंधी गुणों की व्याख्या अध्ययन के अधार पर की गई तथा 5 मुख्य गुणों को सूचीबद्ध किया गया।

देसाई एच. बहम भटट तथा एच पाठक 1987 ने प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर यह माना की शिक्षक को एक किया जनक एक परावर्तक सिधांतवादी तथा साथ ही एक प्रयोगजनवादी के रुप मे कार्य करना चाहिए । शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो स्वयं अपने सीखने के ढाचे के अनुसार निर्देशन का मार्ग निधारित करता है तथा उन शिक्षण विधियों का चयन करता है जो कि विद्यार्थीयों के लिए संरचना का निमार्ण करती है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी मे समस्त संभ्रांत गुणों का प्रेरक तथा उन्नायक होता है। एक अच्छा अध्यापक मित्र दार्शनिक तथा निर्देशक होता है। शिक्षक की आधुनिक भूमिका वर्तमान तथा भविष्य की आकांक्षाओं का योग्यता पूर्वक प्रतिवाद करता है। तथा उनका पुर्नपरिक्षण तथा पुनरावलोकन करता है जो कि परिवेशीय परिर्वतन द्रुत तकनीकी विकास तथा औधोगिक उन्नति हेतु अधारभूत तत्व सिद्ध होते है।

पार्थ सारथी आर. तथा शरीफ आई. ए. 1987 के अध्ययन से निम्न तथ्य प्रकाश मे आये । कालेज अध्यापक को युवा मनोविज्ञान के ज्ञान मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक समस्याओं के प्रकार और उनके पूर्व चिन्ह एवं लक्षण अंतर वैयक्तिक कौशलों का संबंध साक्षातकार एवं श्रवण के सिद्धांत स्वास्थ्य संसाधन के तौर तरीकों के सामंजस्य के प्रति निर्देश के स्त्रोतो के साथ साधन संपन्न होना चाहिए । मानसिक स्वास्थ्य वर्ग के सदस्यों मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता नैदानिक मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक परिचारकाएं दिशायुक्त कार्यकम के लिए उपयोगी व्यक्ति सिद्ध हो सकते है।

अब्राहम एम तथा एसुधर्म 1988 के अनुभवाश्रित अध्ययन मे केरल अध्ययन क्षेत्र के रूप मे तथा केरल के 35 माध्यमिक विद्यालयो से 408 माध्यमिक शिक्षकों को निर्देशन हेतु चयनित किया गया। प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर 55 प्रतिशत अध्यापक यह अनुभव करते है कि आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों ने अपव्यय एवं अवरोधन रोकने हेतु छात्रवृत्तियां तथा अधिकांश शिक्षकों 72.8 प्रतिशत ने यह सुझाव दिया कि विशेष अध्ययन कक्षाएँ सफलता अंक प्राप्त करने मे सहायक सिद्ध हो सकती है।

एलेक्जेन्डर डब्लू. एम. तथा हेल्वर्सन 1989 के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर यह पाया गया कि अध्यापक का स्वयं शोधन अध्यापन के साधन और लक्ष्य के रूप मे कार्य करता है। सुधार के निश्चित एवं पूर्ण आधारभूत सिध्दांतों को अध्यापक अपना कर उसे अपने शैक्षणिक जीवन मे ढालने का प्रयास करे तो शैक्षणिक वातावरण विकसित हो सकता है इसके आलावा कुछ सिद्यांत इस प्रकार है कि संपादन का पूर्ण स्तर कभी प्राप्त नही हो सकता है शिक्षक को प्रत्येक कमागत व्यक्तिगत तथा समूह जो कि

शिक्षा ग्रहण करता है उससे मधूर संबंध बनाये रखना चाहिए । शिक्षकों को उनकी क्रियाओं जो कि उन्हे किसी समय के लिए दी जाती है आत्मीयता से ग्रहण करना चाहिए।

क्रो एल डी. तथा ए. क्रो 1989 के अध्ययन मे यह माना गया कि शिक्षक उन्ही शक्तियों एवं कमजोरियों का प्रमाण देते है जो किसी अन्य प्राणी समूह के सदस्यों मे दिखाई दे सकती है। यद्यपि साधारण शिक्षक एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते है फिर भी कुछ स्थानों पर जिनमे कि महत्वकांक्षा ईर्ष्या एवं व्यक्तिगत अपूर्णता की माप्यता कारण बनती है। एक अध्यापक अपने साथियों मे संकुचित हो जाता है, असहकारी व्यव्हार का प्रदर्शन करता है। अनुभव से समस्याओं का निदान होता है जो कि आयु मे भेद के कारण शिक्षको के पारस्परिक विरोध का परिणाम बनती है।

पुंडलिक बी. जी 1970 ने अध्यापक में अध्यात्मिकता संबंधी खोज की है । अध्ययन के प्रमुख खोजों के आधार निम्नवत थे

1.हिन्दू कालेज अध्यापकों के लिए ईश्वर संसार का रचयिता एवं प्रशासक अथवा एक सिद्वांत अथवा पूर्णत्व है। विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध भी इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित है।

2.धार्मिक निरीक्षण के दृष्टिकोण से धर्मयुक्त परंपरा प्रभावी थी।

3.अध्ययन क्षेत्र मे सामान्यतः हिन्दुओं का जीवन विशेष रूप से मध्यवर्गीय ब्राह्म्णों की कार्य शैलीयों मे विशेष परिर्वतन परिलक्षित नही हुआ ।

वर्मा आर. पी. 1972 के प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर–

1. शिक्षकों और विधार्थीयों की मूल्य प्रणालियां एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न पाई गई तथा शिक्षक अपनी सामाजिक स्थिति के संबंध मे अपने अधिकारों की अपेक्षा अधिक आकुल थे तथा ज्ञान एवं सामाजिक गुणों के प्रति कम चिंतित थे।
2. वैयक्तिक युग्मों के मध्य मैत्रीय अंतर व्यक्तिगत संबंध युग्म सदस्यो की मूल्य प्रणालियों से असंबध्द पाये गये।
3. वैयक्तिक युग्मों के मध्य अमैत्रीय अंतर व्यक्तिगत संबंध युग्म सदस्यों की मूल्य प्रणालियों से संबंधित नही पाये गये।

श्रीवास्तव कु. गीता. आगरा 1973 के अध्ययन से प्रप्त निष्कर्षो के आधार पर यह पाया गया कि अध्यापिकाएँ अपने परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उंचा उठाने के लिए नौकरी करती है उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएँ भी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं का परिवार एकाकी है। विवाहित अध्यापिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक

है पदोन्नति का आभाव है। पदोन्नति मे पक्षपात होता है अध्यापिकाओं को प्रमाणित वेतनमान नही मिलताहै।

श्रीवास्तव मंजु प्रभा आगरा 1973 ने अध्यापिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया है उनके अनुसार दस व्यवसाय मे विभिन्न जातियों एवं धर्मो की अध्यापिकाओं द्वारा भाग लिया जाता है जिनमे ब्राहमण क्षत्रिय वैश्य एवं कायस्त है। 25 से 29 वर्ष की उम्र की अध्यापिकाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। अध्यापिकाओं के बजट मे भोजन फल आवास वस्त्र एवं सौदर्य प्रसाधन पर व्यय प्रतिशत निम्न है। स्वतंत्र रूप से रहने वाली अध्यापिकाओं को बहुत कठोर जीवन व्यतीत करना पडता है। विद्यालयों मे अध्यापन सामाग्री का आभाव है । अध्यापिकाओं को अधिकतर ऋणी पाया गया है योग्यता बढाने के लिए अध्यापिकाओं को आज्ञा सरलता से नही मिलती है नियुक्ति के समय सिफारिस एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार बोलबाला रहता है एवं अध्यापिकाओं को पदोन्नति समय पर अथवा योग्यता के आधार पर नही मिलती है।

नैरूयर एस आर 1974 ने 200 सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जिला त्रिचूर केरल का अध्ययन किया उनके अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि –

1. शिक्षकों की अभिभावकीय सामाजिक आर्थिक दशाओं का उनकी शैक्षिक योग्यताओं पर ऋणात्मक प्रभाव था।
2. सामान्य रूपों निजी स्कूल अध्यापकों मे शासकीय स्कूल अध्यापकों की अपेक्षा शिक्षक योग्यता की दश्ससये अधिक श्रेष्ट पायी गयी ।
3. शैक्षिक योग्यता पर लिंग का प्रभाव शून्य था।
4. शैक्षिक योग्यता पर विद्यालय की अवस्थिति का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही था।
5. शैक्षिक योग्यता तथा आयु के मध्य धनात्मक संबंध उपस्थित था।
6. जाति तथा धर्म शैक्षिक योग्यताओं पर प्रभावकारी नही पाये गये।

सामंत पी. ए. 1976 के शोध से प्राप्त बिंदुओं के अधार पर यह पाया गया कि

1. महिला शिक्षकाएं अपने शिक्षण कार्य के लिये समयाभाव के कारण समुचित तैयारी नही कर सकी उन्हे उच्च अधिकारियों से निर्देशन की आवश्यकता थी।
2. पाठ्य सहभागी क्रियायें उचित रूप मे नही थी ।

3. सेवाओं के मध्य प्रशिक्षण के अवसर सभी अध्यापिकाओं के लिए समान नही थे। शिक्षिकाऐं उपके उपयोग के लिए उत्साहित नही थी । शैक्षणिक सत्र के मध्य वार्षिक निरीक्षण शिक्षकों के कार्य के मूल्यांकन मे कमी रही।

4. शिक्षिकाओं को अपने मातापिता से पर्याप्त सहयोग प्राप्त नही हुआ इससे बालकों की प्रगति में अनेक बाधायें उपस्थित हुई।

5. महिला शिक्षकाओं के द्वारा आशा से अधिक अवकाश ग्रहण किया गया तथा उनके स्थान पर कोई भी नियुक्ति नही की गई।

6. महिला शिक्षकाओं के बालकों का पालन पोषण विधिवत संपन्न नही हो सका जिससे बालकों का भार अनुचरों को वहन करना पडा।

ग्रेवाल एस. एस.1976 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह माना गया कि –

1.शोध अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं के अनुसार शिक्षण प्रभाव के प्रमुख मापदण्ड एक दूसरे से संबद्व नही थे।

2.शिक्षक प्रभाव के जो मापदण्ड लिए गये उनमें बुद्धि तथा व्यक्तित्व संयुक्त रूप से उभरकर आये।

3.शिक्षक प्रभाव के मुख्य उदघोषक ग्रह स्वास्थ्य सामाजिक भावनात्मक तथा संपूर्ण समायोजन एवं मौखिक तथा अमौखिक बुद्धि थे।

महेश्वरी बी.ए. 1976 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार निम्न तथ्य प्रकाश में आये –

1. शोध के बिन्दुओं के अनुसार प्रभावकारी अध्यापकों ने भावनाओं प्रशंसा विद्यार्थीयों के विचारों का प्रयोग प्रश्न छात्र उत्तरों आदि का प्रयोग किया जब कि अप्रभावकारी अध्यापकों ने व्याख्यान निर्देश तथा अधिकारों की युक्तियां अपनाई

2. प्रभावकारी अध्यापक अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाव छात्र उत्प्रेरण तथा शिक्षक एवं शिष्य संववद अनुपात मे संलग्न थे।

3. प्रभावकारी शिक्षण मे शिक्षक छात्र उत्तर एवं प्रादुर्भाव विधियां सम्मलित थी जबकि अप्रभावकारी शिक्षण मेइन तथ्यो का नितांत अभाव था।

4. प्रभावकारी अध्यापक अत्याधिक संरचनात्मक शैक्षणिक आदर्शो मे संलग्न पाये गये।

मैथ्यूजार्ज 1976 के अध्ययन से मुंख्य तथ्य निम्नवत पाये गये ।

1. सृजनात्मक शिक्षक व्यक्तित्व तथा शिक्षकों के अप्रत्यक्ष /प्रत्यक्ष व्यवहार के मध्य सिगनीफिकेन्ट संबंध नही था।
2. शिक्षक व्यक्तित्व तथा शिक्षक वार्ता के मध्य धनात्मक सह संबंध तथा सृजनात्मक शिक्षक व्यक्तित्व एवं विशस सर्किल के मध्य ऋणात्मक सह संबंध था जब कि शिक्षक सृजनात्मक व्यक्तित्व एवं शिक्षक व्यवहार के अन्य विभागों के मध्य कोई भी सह संबंध नही पाया गया।
3. सृजनात्मक शिक्षक प्रक्रिया एवं अप्रत्यक्ष /प्रत्यक्ष व्यवहार के मध्य कोई संबंध नही पाया गया।
4. सृजनात्मक शिक्षक प्रक्रिया तथा अपसराणात्मक प्रश्न अनुपात के मध्य ऋणात्मक संबंध प्राप्म हुआ जबकि सृजनात्मक शिक्षक प्रक्रिया तथा शोध के लिए गये शिक्षक व्यवहार की अवशिष्ट विधाओं के मध्य कोई भी संबंध उपस्थित नही था।
5. शिक्षकों के आत्म संप्रत्यय तथा उनके अप्रत्यक्ष /प्रत्यक्ष व्यवहार के मध्य कोई संबंध नही पाया गया।

गोयल एस. 1978 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार बर्हिमुखी अध्यापकों की अपेक्षा अध्ययन कक्ष की घटनाओं से अधिक आदान प्रदान करते थे बर्हिमुखी अध्यापकों की प्रवृति कक्षा मे प्रक्षित प्रश्नों की मूकता एवं भंग करना होता था जबकि अंर्तमुखी अध्यापक उसको उसी स्थिति मे दिशा प्रदान करने का कार्य करते थे। ऐसा प्रतीत हुआ की बर्हिमुखी अध्यापक आलोचनात्क शिक्षण व्यवहार के सभी सातो अंतः क्रिया के आदर्श से सुपरिचित थे जबकि अंर्तमुखी अध्यापक केवल प्रथम चार आदर्श से सुपरिचित थे।

जान वी. वी.1982 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अध्यापकों एवं विधार्थियों की राजनीतिक गतिविधियों भागीदारी के संबंध मे विभिन्न दृष्टिकोंण रहे है। वह पीरस्थिति जिसमे शिक्षकों को राजनीतिक मे सक्रीय भागीदारी के दृष्टिकोंण के संबंध मे परीर्वतन आया है। जब राजनीति को शिक्षा के क्षेत्र मे लाया जाता है तो उसमे हानि होती है। राजनीति का उददेश्य शिक्षा के माध्यम से न्यायिक सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था मे फलदायक कार्य करने का है। जब समुचित

योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक निर्णय लिये जाते है संघर्ष प्रारंभ होता है। सुदृढ़ शैक्षणिक नीति के अंर्तगत अनेक राजनीतिक निर्णय आबद्व होते है।

उपरेती डी.सी. 1982 ने अपने शोध मे यह दर्शाया गया कि

1. 67.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रजातांतरिक पद्विति को चुना जबकि 28.2 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों ने सीमित प्रजातंत्र का चयन किया।
2. 56.1 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षार्थियों ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उत्थान के समान अवसर उसकी योग्यता के अनुसार प्रदान करती है और 71.9 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षार्थियों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के पश्चात ही संभव है।
3. 76.3 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षार्थियों ने यह स्वीकार किया कि जाति व्यवस्था समाज को स्थिरता प्रदान करती है।
4. 65.8 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि समस्त धर्मो को सार्वजनिक मामलों मे समानता का स्तर प्राप्त होना चाहिए।

भसीन एम. पी.1985 ने अपने शोध पत्र मे शिक्षा जनित परिर्वतनों की चर्चा की है। शोध पत्र मे शिक्षा मे उस परिवर्तन के प्रत्यासा की परिचर्चा की गई है जिसमे कि अध्यापक को एक प्रशिक्षक के रूप से सीखने की प्रकिया सामाहित रहती है। ये परिर्वतन उन अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है जिनको विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की स्थिति प्राप्त है।

सिंह बी. 1986 ने अपने शोध मे यह दर्शाया कि शिक्षा की अनेक बुराइयां वर्तमान मे विद्यालय मे व्याप्त परिस्थितियों का परिणाम है। विद्यालयों में असंतोष का अनुभव कूसमायोजित असफलता एवं बड़ी संख्या मे विद्यार्थियों का विद्यालयों से बाहर होने का दुष्परिणाम है। यह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षा के वास्तविक अर्थो से वंचित रखता है।

वर्मा ओ. पी. 1988 के अध्ययन क्षेत्र रायपुर निर्दशन 6 प्रधानाचार्य अध्यापक जो प्राचार्य के अधीनस्थ है। निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि प्रजातांत्रिक रूप रेखाओं के अनुसार कार्य करने वाले शिक्षकों का सबसे अधिक रूझान शैक्षिक व्यवसाय के प्रति न्यूनतम अभिरूचि पायी गयी। मान्य प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्यरत अध्यापकों मे अनुकूल शैक्षणिक व्यवहार का मध्यस्थ पक्ष प्रस्तुत किया। मान्य स्कूलों मे अध्ययनरत छात्रों

ने उच्चतम अंक अर्जित किये । भिन्न स्थितियों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों नें न्यूनतम अंक अर्जित किये तथा प्रजातांत्रिक प्रधानाचार्य के अधीनस्थ अध्ययनरत छात्रों ने मध्यस्थ स्थितियां प्राप्त की।

बाइल्स के 1989 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि शिक्षक के ग्रहीय स्तर की न्युनतम आवश्यकताऐं इस प्रकार है

1. व्यवस्था करना ।
2. कार्य की योजना बनाना।
3. शिष्यों की प्रगति का आंकलन।
4. कार्य हेतु निश्चित अंशदान अनुमन्य करना तथा।
5. शासन द्वारा वांछित सूचनाऐं तैयार करना।

यदि अध्यापक कुशलताओं से परिपूर्ण होता है तो वह छात्रों को स्वनियंत्रण हेतु उत्प्रेरित करता है परंतु शिक्षण के कार्य को पूरा करने के लिए नियंत्रण योग्यता तथा कक्षा कार्य का निर्देशन किसी प्रविधि द्वारा अत्यंत आवश्यक है।

चौधरी यू. एस. 1989 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि नागरिकों का गुण शैक्षणिक गुणो पर आधारित होता है इसके फलस्वरुप शिक्षकों के गुणों पर निर्भर करता है। अतः निम्न स्तर के शिक्षकों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कोश मे महत्वपूर्ण योगदान की आशा करना मृगतृस्णा है। शिक्षण अत्याधिक कौशलपूर्ण व्यवसाय है। अतः इस व्यवसाय मे नवीन प्रवेशार्थीयों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होना चाहिए। विद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापक के लिए नियुक्ति के प्रथम दिवस से ही शिक्षण का पूर्ण भार वहन करने की अपेक्षा की जाती है वह मात्र अपने अध्यापक के शिक्षण मार्गो को ही प्रशस्त करता है। वह किशोरवय के बालकों जिनको कि वह पढ़ाता है के साथ न्याय नही कर पाता न तो वह किशोरों के मनोविज्ञान से परिचित हाता है और न ही अधिगम के मनोविज्ञान से अतः नव नियुक्त विश्वविद्यालय एवं विद्यालय अध्यापको के लिए प्रशिक्षण की अतिआवश्यकता है।

सेथू नारायण आर. 1989 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि शैक्षिक राजनीति की संरचना एवं उसके प्रयोग मे शिक्षक संगठनों की अहम भूमिका है। निसंदेह उनका कार्य शिक्षकों की बेहतर दशाओं बेहतर वेतनमानों तथा अच्छी सेवा अशाओं के प्रति समर्पित होता है। पुनश्च शिक्षक संगठनों का कार्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों मे कार्यरत अध्यापकों को साथ.साथ लाना है जो कि विभिन्न विषयों एवं विभिन्न

स्थानों पर अध्यापन करते है साथ ही व्यवसायिक सुदृढता के विकास की वृद्वि करना होता है जिनकी उनसे प्रत्यासा की जाती है।

शर्मा आर. तथा सी. त्रिपाठी 1939 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि शिक्षक उच्च सामाजिक वर्ग समूह के छात्रों से शैक्षणिक उपलब्धि की उच्च आशायें तथा अनुसूचित जाति और उनसे संबंधित विद्यार्थियों से शैक्षणिक उपलब्धि की निम्न प्रत्याशएं रखते थे तथा सामाजिक आर्थिक पृष्टभूमि प्राप्त विद्यार्थियों से परिचायक्ता की प्रत्यासा की जाती थी जो कि शिक्षक के अनुभव वाले छात्र थे।

विल्स के. 1990 के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह पाया गया कि गुणात्मक शिक्षक की निम्नलिखित मानवीय विशेषताऐं है।

1. उसको उस प्रत्येक बालक को अपनाना चाहिए जो कक्षा के साथ कार्य करता है।
2. उसे विद्यार्थीयों को जो उससे संबंधित हो भावनात्मक रूप से समझना चाहिए।
3. उसे विद्यार्थीयों को यह बताना चाहिए कि वह उन्हे पसंद करता है ।
4. जब परिणाम दर्शायें उसे अपनी भूल स्वीकारने मे हिचक नही होनी चाहिए।
5. उसे विद्यार्थीयों को एक दूसरे को समझने मे सहायता करना चाहिए।
6. उसे बालकों को पारस्परिक सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. उसे समस्त विद्यार्थीयों को नियोजित करना चाहिए।

परमार देवेंद्रसिंह 1995 ने जालौन जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माध्यमिक शिक्षकों की कार्यदशाओं एवं जीवन स्तर का अध्ययन कर निम्न निष्कर्ष निकाले

1. शिक्षको के सेवाकाल सबंधी अनिश्चितता उनकी आर्थिक स्थिति स्थिति पारिवारिक स्थिति एवं जीवन आदि को निश्चित रूप से प्रभावित करती है।
2. अध्यापकों मत है कि समाज के विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों की उपेक्षा उनको कम सम्मान मिलता है।
3. कार्य भार अधिक होने के कारण अध्यापन प्रभावित होता है।

सामाजिक मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ :

मनोविज्ञान मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपने लगा है। अतः इस विषय के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोविज्ञान की अध्ययन-विधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है -

1. निरीक्षण पद्धति -
   - अ. अन्तदर्शन पद्धति
   - ब. बहिदर्शन पद्धति
   - स. प्रयोगात्मक पद्धति
2. विवरण पद्वति

(अ) विकासात्मक पद्वति

(ब) वैयक्तिक विषय अध्ययन पद्वति

(स) तुलनात्मक पद्वति

(द) मनोविश्लेषण पद्वति

(य) मनोविकृयात्मकपद्वति

(र) सांख्यिकीय पद्वति

(ल) प्रक्षेपण पद्वत्तियाँ

यहां हम उपरोक्त सभी प्रकार की पद्वतियों को अति संक्षेप में समझेंगे-

1.निरीक्षण-पद्वति में प्रयोज्य या विषयी के व्यवहारका अध्ययन किया जाता है। ये निरीक्षण-पद्वतियां अग्रलिखित है-

(अ) अन्तदर्शनपद्वति इस निरीक्षण पद्वति में विषयी या प्रयोज्य स्वयं निरीक्षणकर्त्ता या अध्ययनकर्ता होता है इसमें अध्ययनकर्त्ता स्वयं अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओ का अध्ययन करता है। इसे इसी कारण आत्म -निरीक्षण या आत्मचेतनता की पद्वति को सामान्य मनोविज्ञान में भी स्थान प्राप्त परन्तु अन्य विज्ञान- विषयों में इस पद्वति का स्थान नही दिया जाता। इस पद्वति को व्यवहार में लाने के 3 सोपान है-

1.किसी बाह्य वस्तु के निरीक्षण-कम में स्वयं की कियाओ एवं अनुकियाओं का निरीक्षण करना।

2.स्वतंत्र होकर अपनी कियाओ और अनुकियाओं के बारे में चिन्तन करना। जैसे-मन अमुक किया क्यो कि? कैसे की? आदि।

3.अपनी मानसिक शक्ति में वृद्वि करने के उपयों पर चिन्तन करना अथवा अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के उपायों पर चिन्तन करना।

इस पद्वति में किसी उपकरण की आवश्यकता नही होती और न किसी अन्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है। स्व पर ध्यान केन्द्रित करने वाली आलोचना और आत्माध्ययन करने की इससे अच्छी पद्वति और कोई नही। यह पद्वति बहुत सरल है।

इस पद्वति की कमियां –यह पद्वति सरल भले ही हो परन्तु इसमें बहुत सी कमियां है। कुछ लोगो का मत पद्वति वैज्ञानिक पद्वति नही है। इसमें एक ही क्रिया के संबध में वैयक्तिक भेद के कारण अध्ययनकर्त्ता अलग–अलग मत व्यक्त करते है।

इस पद्वति को वैयक्तिक माना जाता है, क्योकि इससे एक समय में एक ही व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के आत्म निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक नही होते। परन्तु कुछ लोगों के अनुसार एक व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके उन बातों या नियमों को जाना जा सकता है जो अन्य लोगों की मानसिक प्रक्रिया में भी लागूं होती है।

वास्तव में मानसिक प्रक्रिया और मानसिक दशा परिवर्तनशील है। जिस क्षण व्यक्ति अपने व्यवहार पर चिन्तन करने लगता है उसकी मानसिक प्रक्रिया और दशा बदल जाती है। इससे वह अपनी वास्तविक मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने में वंचित रह जाता है। जैसे–विषय अध्ययनकर्ता को क्रोध आ रहा हो और वह चाहे कि वह क्रोध की मानसिक प्रकिया का अध्ययन कर ले जो जिस क्षण क्रोध की दशा पर चिन्तन करना शुरू करेगा उसका क्रोध भाग जाएगां। इसलिए इस पद्वति में अध्ययनकर्ता को वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने में सफलता नही मिलती।

उपरोक्त ढंग से जब वास्तविक स्थिति का लोप हो जाता है तो अध्ययनकर्ता अपनी स्मृति से काम लेता है। इस प्रकार स्मृति के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष का हम अन्तर्दर्शन का परिणाम नही मान सकते वह तो पाश्चात्दर्शन का परिणाम हुआ। प्रायःसंवेगो का अर्न्तदर्शन करने में यह स्थिति उत्पन्न होती है । इसमें यदि सतर्कतापूर्वक संवेगावस्था के लुप्त होने से पूर्व ही मनोदशा का अध्ययन कर लिया जाए तो थोडी बहुत सफलता मिल भी सकती है। अतः हम एक मात्र अन्तदर्शन पद्वति पर निर्भर रहकर प्रामाणिक परिणाम नही निकाल सकते। हमें अन्य पद्वतियो का सहारा भी लेना आवश्यक होगा।

(ब) बहिर्दर्शन पद्धति (Extrospection or Objective Method) – अन्तर्दर्श पद्धति तभी तक उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी गयी जब तक मनोविज्ञान का संबंध आत्म-चेतना (Self-consciousness) से जुड़ा रहा है। परन्तु जब मनोविज्ञान के विकास में अचेतना (Unconsciousness) को भी स्थान मिला अचेतन मन और व्यवहार का अध्ययन भी किया जाने लगा इस समय अन्तर्दर्शन के स्थान पर बहिर्दर्शन **(Extrospection)** का उपयोग होने लगा। बहिर्दर्शन को उपयोग में लाने का प्रमुख कारण यह भी था कि पद्धति से उपरोक्त दोषों के कारण अच्छे निष्कर्ष भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। इस पद्धति से बालक, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध सभी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन हो जाता है।

इस पद्धति में अध्ययनकर्ता स्वयं प्रयोज्य या विषयी नहीं होता। वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसका अध्ययन करता है। कभी-कभी अध्ययनकर्ता दूसरे की परिस्थिति के अपने पर घटाकर आत्मनिरीक्षण अथवा अन्तर्दर्शन भी करने लगता है। अध्ययनकर्ता अपने आत्मनिरीक्षण और परनिरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके सही निष्कर्षो पर पहुंचने कर प्रयास किया करता है। बहिर्दर्शन एक शुद्ध पद्धति नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें अन्तर्दर्शन पद्धति का भी सहयोग लिया जाता है। बहिर्दर्शन के तीन अंग निम्नलिखित होते हैं-

1.प्रयोज्य या विषयी का व्यवहार देखना।

2.प्रयोज्य के व्यवहार का अनुमान अपने व्यवहार के आधार पर करना।

3.लिखित व्यवहार की व्याख्या करना।

इस पद्दिति की कमियाँ- बहिर्दर्शन स्वयं में एक पूर्ण विधि नहीं है। इसमें अध्ययनकर्ता अन्तर्दर्शन का सहयोग भी लेता है अध्ययनकर्ता प्रयोज्य के जिस आचरण का निरीक्षण करता है वैसा ही आचरण स्वंय में मानकर कि यदि में भी ऐसा आचरण करता तो उसका क्या कारण होता, अन्तर्दर्शन का उपयोंग करता है। प्रयोज्य और अध्ययनकर्ता की अवस्थाओं में अन्तर होने के कारण विष्कर्ष अच्छे नहीं निकलते और प्रयोज्य के व्यवहार की व्याख्या ठीक नहीं हो पाती।

बहिर्दर्शन-पद्धति मे यदि व्यवहार की व्याख्या मूल-प्रवृत्ति अचेतन मन या अनुकरण के आधार पर की जाय तो उसमें अधिक सफलता मिलने की संभावना हो सकती है।

कुछ लोगों की दृष्टि में बहिर्दर्शन-पद्धति द्वारा प्रयोज्य के व्यवहार की व्याख्या करने में पक्षपात होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। जैसे हम मित्र के व्यवहार की निरीक्षण

करते समय उसके दोषों को भुला देते हैं और गुणों को ही देखते हैं। इसके विपरीत शत्रु के व्यवहार का अध्ययन करते समय हम उसके अवगुणों को ही देखते है, उसके गुणें को भुला देते हैं। यदि इसके साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए तो यह दोष भी दूर हो सकता है।

बहिर्दर्शन-पद्धति में यह सिद्धान्त लागू है कि प्रयोज्य की जैसी आन्तरिक मनःस्थिति होती है वैसा ही उसका बाहरी स्वरुप होता है। परन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं हैं। कुछ लोग अपने आन्तरिक मनःस्थिति को छिपाकर बनावटी आचरण दर्शाया करते हैं। ये लोग मन के भाव छिपाने में दक्ष हुआ करते हैं। अतः बहिर्दर्शन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को आचरण जानना बहुत ही कठिन होता है। बहिर्दर्शन में तभी सफलता मिल सकती है जब प्रयोज्य पर प्रर्याप्त नियंत्रण रखा जाए।

(स) प्रयोगात्मक पद्धति- इस विधि का हम वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। इसमें परिस्थिति पर नियंत्रण रखकर प्रयोज्य के व्यवहार का निरीक्षण एवं अध्ययन किया जाता है। अध्ययनकर्त्ता प्रयोगशाला में पूर्व-निश्चित परिस्थिति अथवा नियंत्रित वातावरण तैयार करता है और प्रयोज्य को व्यवहार करने का अवसर देता है

प्रयोज्य को प्रयोग-सबंधी पूरे निर्देश दे दिए जाते है और उसे किसी भावावेष में आने को कहा जाता है इस पद्वति में प्रयोज्य की रूचि अवधान स्मृति एवं अन्य मानसिक विलक्षणताओ को समझने का प्रयास किया जाता हैं। इसमें कुछ कृत्रिम उपकरणों को सहायता भी ली जाती है । इस पद्वति में गुणात्मक परिमाणात्मक माप ले लिए जाते हैं

इस पद्वति की कमियां प्रयोगशाला में कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। कभी -कभी कृत्रिम वातावरण तैयार करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। निर्जीव वस्तुओं पर तो नियंत्रण रखा जा सकता है परन्तु सजीव वस्तु पर नियंत्रण रखना संभव नही होता । प्रतिदिन कृत्रिम वातावरण तैयार करना भी सरल नही होता।

इस पद्वति में यह दोष भी है कि यह प्रयोज्य के सहयोग पर बहुत निर्भर करती है। यदि प्रयोज्य अपना कोई सहयोग न देना चाहे तो प्रयोग सार्थक नही हो सकता। कभी-कभी प्रयोज्य जैसा आश्वासन देता है वैसा नही करता और कृत्रिम व्यवहार दर्शाने लगता है।

उपर्युक्त कमियां के होते हुए भी प्रयोगात्मक पद्वति पर्याप्त प्रशंसनीय और उपयोग है । इसी की सहायता से बहुत से सफल मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जा चुके है। वैयक्तिक और सामुहिक बुद्धि परीक्षण इसी पद्वति के सफल उदाहरण है।

2. विवरण पद्धति

इस पद्धति में प्रयोज्य के संबध में बहुत से विवरण प्राप्त किए जाते है और उनकी व्याख्या करके व्यवहार का अध्ययन कर लिया जाता है। इसमें निम्नलिखित पद्धतियां उल्लेखनीय है–

(अ) विकासात्मक पद्धति

व्यक्ति के विकास पर उसके कुल और जाति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अपने विकास–काल में वंशानुक्रम से बहुत सी संभावनाएं प्राप्त करता है। परन्तु ये संभावनाए कई पीढ़ियो के बाद व्यक्ति में संक्रमित हुआ करती है। अध्ययनकर्ता विकास–पद्धति में कुलो से आने वाली संक्रमित सम्भावनाओ से विकास का अध्ययन करता है। इसमें प्रयोज्य के शैशवकाल से वृद्वावस्था तक के मानसिक गुणों और स्वभाव का विवरण प्राप्त करके उसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार के विवरण प्राप्त करने में प्रश्नावलियां और प्रयोगशाला संबधी बहुत सी विधियां प्रयोग में लायी जाती है।

(ब) व्यक्ति इतिहास पद्वति

प्रयोज्य का वर्तमान आचरण उसके विगत वातावरण और परिस्थितियों का प्रतिफल होता है। हम इस पद्वति में असामान्य व्यक्ति के अति कौम्य व्यवहार या दुर्व्यवहार का कारण समझने के लिए उसके भूत या विगत जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। इस पद्वति का उपयोग सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने में नही किया जाता वरन् अति प्रतिभाशाली याअति मन्द बुद्वि या दुराचारी व्यक्ति के आचरण को समझने के लिए किया जाता है। इसमें विषयी या प्रयोज्य के माता–पिता भाई –बहिन मित्र साथी या घनिष्ठ संबधियों के प्रयोज्य के जीवन से संबधित मतों को प्राप्त करना पडता है

इस पद्वति द्वारा हम प्रयोज्य के गुणों और अवगुणों दोनों का अध्ययन करते है और उनके कारण ढूढंते है। जब कारण का पता चल जाता है तो उसमें सुधार लाने की योजना भी बनाते है।

(स) तुलनात्मक पद्वति

यह पद्वति प्रयोज्य के व्यवहार का अध्ययन करने में तब प्रयुक्त होती है जब अन्य पद्वतियों पर निर्भर रहना ठीक न हो। इस पद्वति में प्रयोज्य के व्यवहार की तुलना अन्य व्यक्तियों के आचरण से की जाती है। अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों के आधार पर एक मापदण्ड तैयार कर लिया जाता है और उसके आधार पर प्रयोज्य के व्यवहार में पायी जाने वाली समानताओं और भेदों का पता लगाया जाता है।

इस पद्धति में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य का व्यवहार सामान्य व्यवहार से कितना दूर है या निकट है। मनुष्य की अपेक्षा पशु पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए इस पद्धति में पशुओं पर अधिक प्रयोग किए जाते हैं । पशु-मनोविज्ञान के आधार पर नियंत्रण पशु के व्यवहार से प्रयोज्य के व्यवहार की तुलना कर ली जाती है।

इसमें यह भारी दोष है कि पशु और मनुष्य के व्यवहार में भारी अन्तर होता है। दोनों की तुलना से हम निश्चित निष्कर्ष पर नही पहुच सकते । परन्तु पशु मनुष्य के भेद को ध्यान में रखकर तुलनात्मक पद्धति अपनाने से अधिक लाभ हो सकता है।

मनोविश्लेषण पद्धतिः

मनोविश्लेषण फॉयड की देन है। उसके अनुसार मन का 7/8 भाग अचेतन होता है 1/8 भाग चेतन होता है। उसके अनुसार बाल्यावस्था में मानसिक संवेदना जैसी बातों के कारण व्यक्ति का अचेतन मन बहुत बढ जाता है तो व्यक्ति विक्षिप्त या पागल तक हो जाता है। यह अचेतन मन उपरोक्त मन उपरोक्त अनुपात में सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जब व्यक्ति का स्वस्थ मानसिक विकास होने लगता है तो यह अचेतन मन क्षीण होने लगता है। परन्तु अचेतन मन का शोधन करने वाला स्वस्थ मानसिक विकास पूर्णतः किसी को प्राप्त नही हो पाता। इसलिए अचेतन मन का अस्तित्व सभी से पाया जाता है व्यक्ति का व्यवहार इसी अचेतन मन से प्रभावित होता रहता है।

फॉयड ने व्यक्ति के अचेतन से प्रभावित व्यवहार को जानने के लिए मनोविश्लेषण-पद्धति का प्रतिपादन किया। इस पद्धति में स्वप्न शब्द साहचर्य, स्वतंत्र साहचर्य एवं सम्मोहन जैसी विधियां प्रयोग में लायी जाती है। इसी प्रकार जंग और एडलर ने भी अपनी-अपनी विधियों से अचेतन मन से प्रभावित व्यवहार को जानने का प्रयास किया। इनके सिद्धांत फॉयड के सिद्धांत से भिन्न है।

(य) मनोविकृत्यामक पद्धति :

इस पद्धति द्वारा मानसिक अवनति का पता लगाया जाता है। प्रयोज्य मे मानसिक अवनति किस सीमा तक या किस मात्रा में है यह पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोज्य की मानसिक अवनति के कारणो का पता किया जाता है

(र) सांख्यिकी पद्धतिः

नियंति निरीक्षण द्वारा जो तथ्य और आंकड़े प्राप्त होते है उनकी व्याख्या करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है इसी पद्धति से अन्य

विधियों द्वारा प्राप्त आंकड़ो और तथ्यों की भी वस्तुनिष्ठ व्याख्या दी जा सकी है। इसी पद्वति की सहायता से ही मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बना सकते है।

(ल) प्रक्षेपण पद्वतियांः

ये आधुनिक पद्वतियों बहुत सी है। इनका सामाजिक मनोविज्ञान में खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख है–

1. टी. ए. टी इस में 30 चित्र होते है जिनमें 10 पुरूषों के 10 स्त्रियों के और 10 मिश्रित । प्रयोज्य को कोई एक चित्र देकर कहानी लिखने को कहा जाता हैं। इस कहानी से उसकी उलझी मनोवृत्ति जान ली जाती हैं।

2.सी. ए. टी केवल बच्चों के लिए चित्रो के अतिरिक्त अन्य साधन भी उनका व्यवहार जानने के लिए प्रयुक्त होते है। यह टी. ए. टी जैसा ही है

3.रोर्शा टेस्ट स्याही या रंग के धब्बो से युक्त 10 कार्ड होते है इन कार्डो पर कोई स्पष्ट चित्र नही बने होते। बालक को एक–एक करके दसों कार्ड दिखाए जाते है और बालक से उन कार्डो के धब्बों पर आधारित भावों का विवरण मांगा जाता है बालक द्वारा पद्वति विवरण के आधार पर बालक के भाव जान लिए जाते है ।

उपरोक्त तीनो प्रकार के परीक्षण सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व परीक्षण के संबध में प्रयुक्त किए जाते है।

विगत पृष्ठो में हमने उन विधियों का विवरण दिया है जिन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग किया जाताहै अब आगे कुछ ऐसी विधियां को हम समझेंगे जिनका समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष स्थान है यद्यपि मनोविज्ञान के अन्य स्थलो में भी इसका प्रयोग होता है। समाज मनो विज्ञान के अध्ययन में अध्ययन में अधिकांशतः निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती है।

1. वैयक्तिक विषय–अध्ययन विधि
2. सर्वेक्षण अनुसंधान
3. प्रश्नावली विधि
4. साक्षात्कर विधि
5 मापनी विधियां
6 समाजमितीय विधि
7 अन्तर्वस्तु विश्लेषण

उपयुक्त सभी विधियों की विस्तृत व्याख्या हेतु एक स्वतंत्र पुस्तक की आवश्यक होगी अतः हम आगे इन सबकी ओर अति संक्षेप में ही संकेत करेंगे और समझ सकेंगे

1. वैयक्तिक-विषय अध्ययन विधि

इस विधी के द्वारा किसी सामाजिक इकाई के सम्पूर्ण स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाता है इस इकाई में हम किसी व्यक्ति परिस्थिति या संस्था को ले सकते है। इस विधी से किसी समस्या के सभी पहलुओ का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है इस विधी में कुछ संगत सूचनाएं एकत्र की जाती है। इस विधी कुछ संगत सुचनाएं एकत्र की जाती है। डायरी, लेख पत्र, प्रलेख, किसी का निजी अनुभव, आत्मकथा समस्या पर प्रकाश डालने वाले कुछ व्यक्तियों के विचार तथा कुछ लोगो के दृष्टिकोंण के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति विशेष परिस्थिति या संस्था के बारे में निष्कर्ष पर पहुचने का प्रयास किया जाता है। किसी निष्कर्ष पर पहुचने के क्रम में वंशावली जीवन की विविध घटनाओ दूसरो से प्राप्त प्रशंसा या प्रमाण पत्र व्यक्तिगत साक्षात्कार संगत जनगणना अभिलेख आदि का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्याधिकीय के अध्ययन में भी वैयक्तिक विषय अध्ययन विधि का विशेष महत्व है।

गुण

1. इस विधि के आधर पर वैध उपकल्पनाएं बनाई जा सकती है
2. अध्ययनगत इकाई के बारे में विस्तृत बातें प्राप्त हो सकते है।
3 प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्यीकरण पर पहुचा जा सकता है।
4 सामाजिक व्याधियों सामाजिक तनाव सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व से संबधित मूल कारणों को इस विधि से समझा जा सकता है

वैयक्तिक -विषय अध्ययन विधि के अवगुण

1. इस विधि में श्रम अधिक लगता है।
2. इस विधि से प्राप्त सूचनाओं की सच्चाई का पता लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंक बहुत सी सूचनाएं व्यक्तिगत धारणा पर आधारित होती है।
3 इस विधि में खर्च अधिक लगता है।
4. उपयुक्त कारणों से प्राप्त तथ्य अवैज्ञानिक हो जाते है।
5 इस विधि में अध्ययनकर्ता पक्षपातवश कुछ गलत बातें लिख सकता है

2. सर्वेक्षण अनुसंधान

सर्वेक्षण अनुसंधान में छोटे आकार की जनसंख्या या पूरी जनसंख्या से चुने हुए प्रतिदर्शों के आधार पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विचारों को समझ कर कुछ घटनाओं के विवरण के पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान कई प्रकार के हो सकते है जैसे–

1. जनसंख्यात्मक
2 अभिवृत्ति से संबधित
3. सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में
4 सामाजिक पर्यावरण से संबंधित
5. सहकारी सर्वेक्षण
6 झुकाव सर्वेक्षण
7 पुनरावृत्ति सर्वेक्षण
8 व्याख्यात्मक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण अनुसंधान के पद

सर्वेक्षण अनुसंधान के निम्नलिखित 6 पद होते है–

1. अनुसंधान समस्या का स्पष्टीकरण –

इस पद के अन्तर्गत उद्देश्यों और साधनों को निश्चित किया जाता है साधनों के अर्न्तगत हम अपनाई जाने वाल विधियों का निर्धारण करते है।

जैसे – साक्षात्कार प्रश्नावली आदि।

2. प्रतिदर्शों का चुनाव –

सर्वप्रथम संपूर्ण जनसंख्या को सीमित किया जाता है। सीमाकरण के बाद यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा प्रतिचयनों की व्याख्या की जाती है।

3. अनुसूची का निर्माण –

निर्मित अनुसूची के अनुसार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अनुसूची प्रश्नावली या साक्षात्कार भी हो सकती है।

4. आंकड़ों का विश्लेषण –

आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता से संपर्क किया जाता है। यह संपर्क प्रश्नावली साक्षात्कार द्वारा किया जाता है

5. **आंकड़ों का विश्लेषण** –

विश्लेषण में सर्वप्रथम आंकड़ों का संकेतीकरण किया जाता है। तब सारणीयन और अन्तर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है।

6. **आख्या तैयार करना** –

विश्लेषण के आधार पर आख्या लिखी जाती है।

सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान के गुण –

अनुसंधान की यह विधि प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति तथा मूल्य आदि के बारे में पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस विधि का प्रयोग प्रचार, जनश्रुति तथा वोटिंग के समय लोक–व्यवहार की जानकारी के लिए भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण विधि से बहुत विस्तृत अध्ययन संभव होता है। इस विधि में घटनाक्रम में साक्षात् करना कठिन नहीं हैं। फलतः अध्ययन इकाइयों के विचारो और मनोभावों का पता लगाना सरल हो सकता है। ऐसा किसी अन्य अध्ययन–विधि में संभव नहीं है। फलतः इस विधि से संबंधित कई तकनीकियों का विकास किया गया है। इन तकनीकियों का विकास किया गया है। इन तकनीकियों के आधार पर प्राप्त आंकड़ें तथा फल अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वास करन योग्य होते हैं। अन्य विधियों की तुलना में यह विधि अधिक सरल है। यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली भी होती है।

सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएं –

सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाओं की ओर इस प्रकार संकेत किया जा सकता है –

1. साक्षात्कार विधि से प्राप्त आंकड़े सर्वेक्षण विधि से प्राप्त आंकड़ों से कुछ भिन्न होते हैं। फलतः सर्वेक्षण विधि की विश्वसनीयता पर आघात लगता है।
2. सर्वेक्षण विधि द्वारा किसी साधारण समस्या का ही अध्ययन किया जा सकता है।
3. इस विधि में प्रयुक्त यादृच्छिक प्रतिचयन सरल नहीं हैं। इस प्रकार कई बार प्रतिचयन करना बहुत कठिन होता है।
4. सर्वेक्षण विधि को सूक्ष्म औश्र गहन नहीं कहा जा सकता ।
5. इस विधि से प्राप्त आंकड़े अध्ययनकर्ता के पूर्वग्रहों तथा विचारों तथा अभिवृत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं।

प्रश्नावली विधि –

बहुत अधिक विस्तृत अध्ययन–क्षेत्र तथा सूचनादाताओं की संख्या बहुत बड़ी होने पर प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली में अनेक संगत प्रश्नों का समावेश होता है। इन प्रश्नों का विभिन्न लोगों से प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार में भी इन प्रश्नों को स्मरण करके विषयी से कुछ बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः किसी भी प्रश्नावली से समाहित प्रश्न उत्तरदाताओं के लिए उद्दीपक का कार्य करते है। ये प्रश्न इस प्रकार सुनियोजित होते है कि उनके उत्तर के सांख्यिकीय विश्लेषण से ऐसे परिणाम मिलते हैं, जिन्हें बहुत हद तक विश्वसनीय कहा जा सकता है।

प्रश्नावली और अनुसूची में भेद –

प्रश्नावली प्रायः उत्तरदाता को दे दी जाती है और वह उनका उत्तर भेजता है। परन्तु अनुसूची में अध्यनकर्ता उत्तरदाता के साथ आमने–सामने बैठकर अनुसूची के प्रश्नों को पूछता है और उनके उत्तर लिखता हैं अनुसूची का प्रयोग तब किया जाता है जब यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर अध्ययन इकाइयाँ चुनी जाती है। अनुसूची में प्रश्न बहुत छोटे–छोटे होते है। और उनके उत्तर भी तदनुसार संक्षिप्त आकार के होते हैं। अनुसूची के साहारे किसी समस्या का गहन अध्ययन संभव है, परन्तु प्रश्नावली के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता । अनुसूची के प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और इसमें खर्च भी अधिक होता है।

अच्छी प्रश्नावली के विशिष्ट गुण –

1.ऐसे स्पष्ट और सरल प्रश्न हों जिनके उत्तर सरलता से दिए जा सके।

2.प्रश्नों की भाषा स्पष्ट और निष्पक्ष हो।

3.धर्म और व्यक्तिगत विश्वास और आस्था पर प्रश्न किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं।

4.भ्रामक, घुमावदार तथा संदेहात्मक प्रश्न न हो।

5.प्रश्नों की संख्या न बहुत बड़ी हो और न कम। संख्या कम होने से अध्ययन अधूरा रह जाएगा और बहुत लम्बी प्रश्नावली के भरने में उत्तरदाता ऊबकर ऊटपटांग उत्तर दे सकता है।

6.समस्या का कोई भी पहलू प्रश्नावली में न छूटे अर्थात् प्रश्नावली के भरने में उत्तरदाता ऊबकर ऊटपटांग उत्तर न दे दे।

7.प्रश्नावली इतनी सरल हो कि उसका उत्तर सरलता से दिया जा सके, अर्थात् उसमें सिद्धांत की चपेट नहीं होनी चाहिए।

विविध प्रकार की प्रश्नावली –

1. **प्रतिबंधित प्रश्नावली** – इस प्रकार की प्रश्नावली में कई उत्तर दिए रहते हैं और विषयी को इन्हीं उत्तरों में से किसी उत्तर को चुनना होता है जैसे –

   अ. मुझे सिरका अच्छा लगता है – हां/नही

   ब. मेले में जाना ठीक है – हां/नहीं

2. **मुक्त प्रश्नावली** – इस प्रकार में उत्तर देने में कोई बंधन नहीं होता। उत्तरदाता चाहे जैसा उत्तर दें। विवरण या गुण-संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे –

   अ. दूरदर्शन से क्या हानियाँ है?

   ब. जाति-व्यवस्था के क्या दोष है?

3. **चित्रमय प्रश्नावली** – इस प्रकार के शब्दों में प्रश्न न होकर चित्रों में होते हैं। इस प्रकार में खर्च अधिक होते है। परन्तु इसमें तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर कुछ अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं।

4. **मिली-जुली प्रश्नावली** – इसमें प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित तथा चित्रमय अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते है।

प्रश्नावली विधि के गुण –

1.यह बड़ी सरल विधि है।

2.परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है।

3.अध्ययन के विस्तृत क्षेत्र में इस विधि का विशेष महत्व है। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण डाक सेवा के माध्यम से उत्तरों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

4.इस विधि से निष्पक्ष अध्ययन किया जा सकता है।

5.इस विधि से उत्तरदाता के मनोभावों का प्रभाव तथ्यों पर नहीं पड़ता ।

6.अभिवृत्ति तथा जनमत के अध्ययन में यह विधि बड़ी ही उपयोगी है।

प्रश्नावली विधि की सीमाएं –

1.प्रश्नावली विधि द्वारा प्राप्त परिणाम अच्छी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिचयन नहीं किया जाता ।

2.उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर शीघ्र नहीं लौटाते और कुछ तो कभी लौटाते ही नहीं।

3.यह विधि केवल शिक्षित व्यक्ति पर ही लगाई जा सकती है।

4.बहुत से प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता देता ही नहीं ।

5.इस विधि के द्वारा गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता।

4. साक्षात्कार विधि –

इस विधि में आसने–सामने विचारों का आदान–प्रदान होता है। आंकड़ों के संकलन हेतु यह एक साधन माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं के निरीक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरी विधि से प्राप्त आंकड़ों की वस्तुनिष्ठा के परीक्षण हेतु भी इस विधि का प्रयोग होता है। किसी समस्या की परिकल्पना के निर्धारण तथा विषय–परिधि को तय करने में यह विधि सहायक होती है।

1. **तैयारी** – अध्ययनकर्ता सर्वप्रथम उस जनसंख्या का अध्ययन करता है जिससे आंकड़ों को प्राप्त करना है। इस हेतु प्रतिचयन के सहारे अध्ययन हेतु कुछ सीमित जनसंख्या को चुन लिया जाता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व अनुसूची के प्रश्न निश्चित कर लिए जाते हैं। प्रश्न सरल और स्पष्ट हों। वे उत्तरदाता के धर्म–आस्था से संबंधित न हों। प्रश्न प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से पूछे जा सकते है। यह ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष प्रश्नों का रूप मुक्त और प्रतिबंधित दोनों हो सकते हैं। मुक्त प्रश्नों के कारण प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता में सौहार्दपूर्ण संबंध शीघ्र ही स्थापित हो जाते हैं। जब प्रश्नों के उत्तर प्रदत्त विकल्पों (हाँ/नहीं अथवा सच/झूठ) के अंदर से ही चुनना होता है तो प्रश्न प्रतिबंधित कहे जाते है।

2. **साक्षात्कार करना** – साक्षात्कार बारी–बारी से सूचनादाताओं से एक निश्चित समय और स्थान पर मिलता है। मिलते समय वह सूचनादाता से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सहयोग पाने के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद साक्षातकर्ता प्रश्न पूछता है। सूचनादाता की सभी बातों को

साक्षात्कर्ता को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। साक्षात् के समय साक्षात्कर्ता को किसी भी प्रकार पूछताछ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह हतोत्साहित होगा और पूछे गए प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं देगा।

3. रिकार्ड करना – साक्षात् के क्रम में ही साक्षात्कर्ता को सारी बातें अक्षरशः नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में नोट करने से कुछ बिन्दु छूट सकते हैं।

4. साक्षात् को समाप्त करना – साक्षात्कार को समाप्त करने के पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं कोई प्रश्न पूछने से रह तो नहीं गया। समाप्त करने के पूर्व सूचनादाता के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करना आवश्यक है।

5. विश्लेषण और व्याख्या लिखना – साक्षात् के प्राप्त सूचनाओं का सारणीयन करना चाहिए। प्रत्युत्तरों को अंको में परिवर्तित करके सांख्यिकीय विश्लेषण करना चाहिए अन्तर्वस्तु विश्लेषण से भी तथ्यों की वास्तविक पहचान करनी चाहिए।

साक्षात् के प्रकार

सामाजिक–मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त साक्षात् के प्रकारों की ओर हम आगे संकेत कर रहे हैं:–

1. मानकित साक्षात् – इस प्रकार के साक्षात् में साक्षात्कर्ता पहले ही पूछे जाने वाले प्रश्नों की अनुसूची बना लेता है। सभी सूचनादाताओं से समान प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने में प्रश्नों का क्रम भी नही बदला जाता है। किसी से भी कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जाता।

मानकित साक्षात्कार के गुण–

1. वस्तुनिष्ठ परिणाम पाने की अधिक सम्भावना रहती है।
2. इससे तुलनात्मक का विशेष भय नहीं रहता।
3. इसमें पक्षपात का भय नहीं रहता।
4. तथ्यों का संकलन ठीक से करना संभव होता है।

मानकित साक्षात्कार की सीमाएं–

1.प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ अनुसूची तैयार करने में कठिनाई होती है।

2.सूचनादाता से सदा सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करना संभव नहीं होता।

3.अध्ययनकर्ता एक प्रकार से पूरी क्रिया में निष्क्रिय रहता है। उसका काम तथ्यों को केवल लिखते रहना है। इस स्थिति के कारण परिपूर्णता नहीं जाती।

4.सूचनादाता से सतही उत्तर मिलते हैं। फलतः परिणाम की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

5.साक्षात्कार जीवन की वास्तविक जीवन के अनुकूल नहीं होता। इससे परिणाम की वैधता कम हो जाती है।

अमानकित साक्षात्कार-

इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से ही बनी हुई किसी अनुसूची का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः सूचनादाता से अध्ययन-विषय के संबंध में चाहे कितने और कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार के लाभ की ओर संकेत किया जा रहा है-

अमानकित साक्षात्कर से लाभ-

1. इसके द्वारा समस्या का गहन अध्ययन किया जा सकता है।

2. इस विधि के द्वारा सूचनादाताओं के अनेक भावनाओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या और सीमा का कोई निर्धारण नहीं रहता।

3. इस विधि के द्वारा जनसंख्या की वास्तविक विचार-प्रक्रिया का अध्ययन-समस्या की उप-कल्पना निर्धारित की जा सकती है।

अमानकित साक्षातकार की सीमाएं-

1. चूंकि साक्षातकर्ता चाहे जितने प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए समस्या के कुछ पहलुओं को वह अपनी दृष्टि से ओझल कर सकता है।

2. संकलित तथ्यों की वस्तुनिष्ठता सन्देहात्मक होती है।

3. इस विधि से साक्षातकर्ता कुछ अनावश्यक तथ्यों का व्यर्थ में ढेर लग सकता है।

साक्षातकार के कुछ अन्य प्रकार-

नीचे हम साक्षातकार के कुछ अन्य प्रकारों के नाम दे रहे हैं। उनकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है-

1. अर्द्धमानकित साक्षात्कार

2. औपचारिक साक्षात्कार

3. अनौपचारिक साक्षात्कार

4. वैयक्तिक साक्षात्कार इसमें केवल किसी एक व्यक्ति का ही साक्षात्कार किया जाता है।

5. सामूहिक साक्षात्कार

6. थोड़े समय का सम्पर्क साक्षात्कार

7. देर तक सम्पर्क साक्षात्कार

8. पुनरावृत्ति साक्षात्कार

साक्षात्कार की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु सुझाव–

साक्षात्कार की विश्वसनीयता और वैधता के बारे में कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया है। अतएव इन दोनों को बढ़ाने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं–

विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए–

1. साक्षात्कार लेने वाले का प्रतिक्षित होना आवश्यक है।
2. उपयुक्त मानकित परिस्थितियों में ही साक्षात्कार लेना चाहिए।
3. उपयुक्त विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए।
4. पूर्व निर्धारित अनुसूची वाले प्रश्नों को ही पूछना चाहिए।
5. क्रम निर्धारणमान का ही यथासम्भव प्रयोग करना चाहिए।

वैधता बढ़ाने के लिए

1. किसी भी अध्ययन में केवल एक ही साक्षात्कार पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
2. सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके ही साक्षात्कार प्रारम्भ करना चाहिए।
3. साक्षात्कार का वातावरण प्रेरणादायक बनाना चाहिए, जिससे शुद्ध उत्तर प्राप्त किया जा सके।
4. बिना किसी पक्षपात के आंकड़ो की पुष्टि अन्य साधनों से अवश्य कर लेनी चाहिए।
5. प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि अन्य साधनों से अवश्य कर लेनी चाहिए।

साक्षात्कार विधि के गुण

1. इस विधि से न दिखाई देने वाले घटकों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे मान्यताएं, विचार तथा अभिवृत्ति आदि।
2. मानकित साक्षात्कार द्वारा वस्तुनिष्ठ अध्ययन सम्भव होता है।
3. गोपनीय अनुभवों का भी अध्ययन साक्षात्कार विधि से संभव है।

4. अतीत की घटनाओं के बारे में इस विधि से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5. समाज की कुछ विकृतियों, जैसे भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी अथवा वेश्यावृत्ति का इस विधि से अध्ययन संभव है।

साक्षात्कार विधि की सीमाएं

1. साक्षात्कार के समय कभी-कभी सूचनादाता संवेगात्मक हो जाता है। फलतः उससे ठीक उत्तर नहीं मिल पाते।

2. साक्षातकार में सूचनादाताओं से सदा सहयोग नहीं मिलता।

3. साक्षातकार विधि से प्राप्त आंकड़ों की वस्तुनिष्ठता विश्वसनीय नहीं होती।

4. साक्षातकार की परिस्थिति यदि मानकित नहीं है तो आंकड़े शुद्ध नहीं होंगे।

5. यह आवश्यक नहीं है कि सूचनादाता अपने आन्तरिक विचारों की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति कर दें। ऐसी स्थिति प्राप्त आंकड़ों को अशुद्ध बना देती है।

6. इस विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक समय और धन लगता है।

7. तथ्यों का विश्लेषण साक्षातकारों के विचारों से प्रभावित हो जाता है। फलतः निष्कर्ष अशुद्ध हो जाते हैं।

8. साक्षातकर्ता प्राप्त उत्तरों से सभी बातों को संकलन नहीं कर पाता। फलतः प्रदत्त निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते।

5. मापनी विधियां

जब एक सातत्यक पर किसी वस्तु को क्रमबद्ध किया जाता है तो यह मापनी विधि के अन्तर्गत आता है। सामाजिक मनोविज्ञान में कई प्रकार की मापनियाँ प्रयुक्त होती है। परन्तु हम स्थानाभाव के कारण निम्नलिखित बहुत अधिक प्रचलित विधि के स्वरूप की ही ओर संकेत करेंगे।

श्रेणी मूल्यांकन विधि

इस विधि में बहुधा तीन, पांच, छः या सात बिन्दु रखे जाते है। ये विभिन्न बिन्दु एक प्रकार से मापनी का कार्य करते हैं। प्रयोज्य को अपने विचार या निर्णय के अनुसार बिन्दुओं पर अंक प्रदान करने होते हैं। नीचे हम तीन बिन्दु तथा पांच बिन्दुओं वाली मापनी का एक उदाहरण दे रहे हैं-

सर्वप्रथम एक प्रमुख समस्या प्रयोज्य के सामने रखी जाती है, उदाहरणार्थ- यदि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक अभिशाप है तो इसका उन्मूलन किया जा सकता है- इस

समस्या पर प्रयोज्य की धारणाओं की जानकारी हेतु निम्नलिखित मापनी बनाई जा सकती है–

1. यह अभिशाप मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही व्याप्त है।
2. इसका उन्मूलन सम्भव नहीं है।
3. इसमें संलग्न महिलाओं को किसी नौकरी में लगाना चाहिए।
4. कानून के द्वारा इसे निषिद्ध कर देना चाहिए।
5. इसमें सलंग्न व्यक्तियों को बहुत कड़ा दण्ड देना चाहिए।

विभिन्न प्रयोज्य अपनी–अपनी धारणाओं के अनुसार उपर्युक्त बिन्दुओं पर अंक प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्राप्त विविध उत्तरों का विश्लेषण करके प्राप्त समान उत्तरों के आधार पर किसी समाधान की ओर संकेत किया जाता है।

इस विधि की विश्वसनीयता तथा वैधता चुने हुए प्रयोज्यों की मानसिक परिपक्वता तथा संतुलित अन्तर्दृष्टि पर आधारित होती है। कहना न होगा कि अनेक विधियों में से श्रेणी–मूल्यांकन विधि भी केवल एक विधि है। अतः प्रमाणिक निष्कर्ष हेतु इससे प्राप्त निष्कर्ष की तुलना अन्य विधियों से प्राप्त निष्कर्ष से करनी चाहिए।

6. समाजमितीय विधि

इस विधि का प्रयोग कुछ विशिष्ट समाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है। इन विशिष्ट प्रक्रिया में किसी समूह का नेतृत्व किसी समूह के मित्रता का प्रारूप अथवा किन्हीं दो प्रकार के समूहों का आपसी या अन्तर्समूह संबंध तथा ऐसी ही अन्य समाजिक प्रक्रियाओं या संबंधों का उल्लेख किया जा सकता है, किसी समूह की अन्तर्प्रक्रियाओं का रूप क्या है, किस प्रकार के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, कौन उदासीन प्रकृत्ति का है और कौन दूसरों से घृणा करता है, व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा किस स्थिति में अत्यधिक मिलती है, आदि बातों का समाधान खोजना एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। समाजमितीय विधि से इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समूह के भीतर समूह के सदस्यों के बीच अन्तर्क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन समाजमितीय विधि से किया जाता है।

किसी समाज में कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों की ओर हम आगे संकेत कर रहे हैं–

1. किसी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जिसे कोई पसन्द नहीं करता। वह एक प्रकार से बहिष्कृत होता है। फलतः वह एकदम अलग सा रहता है।

2. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को तो पसन्द करते हैं, परन्तु उन्हें कोई पसन्द नहीं करता।

3. कुछ ऐसे दो व्यक्ति होते हैं जो जिनकी आपस में खूब घुटती है और वे दूसरों से कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहते।

4. कुछ तीन या चार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परस्पर अपना एक गुट बना लेते हैं।

5. समाज में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जिसे बहुत से लोग बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं।

उपर्युक्त पांचो प्रकार के व्यक्तियों को नीचे प्रदत्त रेखा चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं-

नीचे दिए हुए रेखाचित्र में अर्थात् पहले प्रकार में ए एकदम अलग रहता है, दुसरे प्रकार में बी सभी को पसन्द कर रहा है, परन्तु उसे कोई पसन्द नहीं करता। तीसरे प्रकार में सी और डी में आपस में खूब घुटती है।

चौथे प्रकार में ई,एफ, जी आपस में एक गुट बना लिए हैं।

पांचवे प्रकार में आई,जे,के,एल,एम,एन में जे को सभी पसन्द करते हैं, परन्तु आई को कोई पसन्द नहीं करता, यद्यपि आई,जे को पसन्द करता है।

ऊपर के रेखाचित्र में 'तीर' द्वारा आकर्षण की दिशा दिखाई गई है। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी समूह में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रायः सभी पसंद कर

रहे है। इस प्रकार समाजमितीय विधि द्वारा किसी विशिष्ट समूह के प्रारूप का पता चलता है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समाजमितीय विधि समाज के प्रारूप को समझने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसीलिए आजकल इस विधि का पर्याप्त प्रयोग किया जा रहा है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि समाजमितीय विधि का प्रयोग छोटे समूह के अध्ययन में ही विशेष उपयोगी हो सकता है। बहुत बड़े समूह के अध्ययन में यह विधि कुछ कठिनाई उत्पन्न करती है। इन कठिनाईयों की ओर इस प्रकार संकेत किया जा सकता है–

1. इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पसन्दगी या नापसन्दगी का अलग–अलग रेकार्ड रखना होता है। इस झंझट के कारण अध्ययनकर्ता इस विधि का प्रयोग से कतराता है।

2. बहुत से व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ो के सहारे ही समाज–आलेखों का बनाना संभव होगा और यह समाज–आलेख प्रायः स्पष्ट नहीं होता। फलतः समाज–आलेख के आधार पर सुनिश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सबका नेता है, कौन सबका मित्र है, कौन सबके द्वारा बहिस्कृत है अथवा कौन–कौन आपस में गुट बनाए हुए है।

वस्तुतः सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन की अनेक विधियां है। समस्या के स्परूप के आधार पर ही यह निर्णय किया जा सकता है किस–किस विधि का प्रयोग सर्वोत्तम होगा।

अन्तर्वस्तु विश्लेषण

सामाजिक मनोविज्ञान की विषय–सामग्री गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार की होती है। गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक बनाने के लिए अन्तर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः इस अन्तर्वस्तु विश्लेषण सामग्री को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है। गुणात्मक सामग्री साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण, समाचार–पत्र, दूरदर्शन, रेडियो तथा पत्रिकाओं से प्राप्त होती है। इन साधनों से प्राप्त गुणात्मक सामग्री को वस्तुपरक, कमबद्व तथा परिमाणात्मक बनाया जाता है। विभिन्न स्रोतों से संकलित सामग्री का विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि किसी विषय वस्तु द्वारा प्रचारक या लेंखक कैसे इरादों, मुल्यों और अभिवृत्तियों का प्रचार करना चाहता है।

यह ध्यान देने की बात है कि अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधि में अंकड़ों कों एकत्र नही किया जाता वस्तुतः पहले से ही उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करके निहित मनोवैज्ञानिक तत्वों और प्रचारक अथवा लेखक के उद्वेश्यों का पता लगाया जाता है।

अध्ययन का उददेश्यः

कोई भी अनुसंधान कार्य बिना उददेश्य के इधर उधर पैर मारने जैसा है। ज्ञान का क्षेत्र असीमित है। अतः सीमाएँ निश्चित करना आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से प्रत्येक अनुसंधान कार्य के उददेश्य सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित कर लिए जाते है इसी मान्यता के अधार पर प्रस्तुत अध्ययन के भी कुछ उददेश्य निर्दिष्ट किए गए जो निम्न है

1. पढ़ाई मे पिछ्ड़े छात्रों के जीवन का प्रत्यक्ष संबंध उसके अध्ययन पर परिलक्षित होता है इस दृष्टि से पिछ्ड़े छात्रों के जीवन स्तर का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध का प्रथम उददेश्य है।
2. पिछ्ड़े छात्रों मे आर्थिक समृद्धि सामाजिक स्तर के निर्धारण मे सहायक सिद्व होती है। इस प्रकार छात्रों के अभिवावकों की आर्थिक संपन्नता मे वृद्धि होगी जिनका उनके अध्ययन पर प्रभाव पडेगा । अतः पिछ्ड़े छात्रों मे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारकों का अध्यापन के सह संबंध का अध्ययन द्वितीय उददेश्य है।
3. बदलते हुए जीवन मूल्य विशेषकर आधुनिकरण के प्रभाव का पिछ्ड़े छात्रों पर भी पडता है। जिसके परिणामस्वरुप न केवल रहन सहन वरन अध्ययन पर भी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार आधुनिकता का पिछ्ड़े छात्रों पर प्रभाव जानना तृतीय उददेश्य है।
4. पिछ्ड़े छात्रों स्वास्थ्य के सहसंबंध के स्तर को खोजना एवं उसका अध्ययन कार्य पर असर जानना चतुर्थ उददेश्य है।

उपरोक्त उददेश्यों के ध्यान मे रखते हुए हमने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित उपकल्पना का निर्धारण किया है

1. नगरीय पिछ्ड़े छात्रों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत निम्न है।
2. नगरीय पिछ्ड़े छात्रों भौतिक स्थिति मे आर्थिक समृद्वि का प्रभाव स्पस्ट दृष्टिगोचर होता है।

3. आधुनिकीकरण से उत्तपन्न जीवन मुल्यो मे होने वाले परिर्वतन का कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव पिछड़े छात्रों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।
4. अच्छे स्वास्थ्य के स्तर पिछड़े छात्रों मे गुणात्मक सुधार से अध्ययन कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन नगरीय तथा स्कूलों मे अध्ययन छात्रों से है। जिसके केन्द्र मे झांसी नगर के प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों को रखा गया है। झांसी नगर अपने ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र बिन्दु रहा है। झॉंसी नगर देश को चारो दिशाओ से जोड़ता है। झांसी जिले के पश्चिम मे मध्यप्रदेश के शिवपुरी व दतिया उत्तर मे उ.प्र.का जालौन पूर्व मे एवं दक्षिण मे ललितपुर जिला है। झांसी से आजादी मे भाग लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई जैसी वीरांगनाऐं जुडी है तो साहित्य के क्षेत्र मे राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त सुप्रसिद्व उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा ने हिन्दी साहित्य मे झांसी का नाम रोशन किया
झांसी की स्थापना ओरछा के बुंदेला राजा वीरसिंह ने बलवंत नगर नामक स्थान के पास की पहाड़ी पर एक किला बनवाया जो झांसी के नाम पर विख्यात हुआ। कालांतर मे राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व के के कारण इस किले के आसपास नगर का विकास हुआ । झांसी नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 143.09 वर्ग कि.मी. है। इसके पास से ही बेतवा नदी गुजरती है। जिस कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। इस क्षेत्र मे ग्रेनाइट पायरोफाइलाइट एवं फलेस्पर ग्रेनाइट जैसे खनिज विशेष रूप से पाये जाते है। ऐतिहासिक महत्व के यहां अनेक दर्शनीय स्थल है। जिनमे झॉंसी दुर्ग, रानीमहल, शिवाजी का मंदिर, गणेश मंदिर आदि प्रमुख है। सन् 2001 के जनगणना के अनुसार झांसी नगर की कुल जनसंख्या 717551है। जिसमे 384090 पुरूष एवं 333461 महिलाऐं है। नगर 35 वार्डो मे बटा है झांसी नगर मे 1000 पुरूषों पर 870 महिलाऐं है। झांसी नगर की कुल पुरूष साक्षरता 67.85 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 32.13 प्रतिशत है।

झांसी नगर मे माध्यमिक शिक्षा के विकास का श्रेय राय साहब विपिनबिहारी बनर्जी को है। जिनके अकथनीय प्रयत्नों से नगर मे माध्यमिक शिक्षा का बीज बोया गया। 1881 मे सर्वप्रथम बाबू बिहारी लाल मुकर्जी ने एक साधारण जिला स्कूल की स्थापना की। यही जिला स्कूल नगर का प्रथम माध्यमिक विद्यालय बना। बाद मे इस स्कूल का नाम मैकडोनल हाईस्कूल झांसी रखा गया । 1947 से इसमे इंटरमीडिएट की कक्षाऐं प्रारंभ की गई और इसका नाम पड़ा विपिनबिहारी इण्टर कालेज आजादी के बाद से यहां माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे समुचित विकास हुआ झांसी नगर मे बुंदेलखंड के अन्य नगरों की तुलना मे माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक शासकीय अर्द्ध शासकीय एवं स्वशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या नगर मे 35 है। अध्ययन हेतु स्कूलों मे अध्ययनरत छात्रों को चुना गया है, झांसी नगर के विद्यालय निम्न है

1. राजकीय इंटर कालेज झांसी।
2. नेशनल हा.से. इंटर कालेज झांसी।
3. विपिनबिहारी इंटर कालेज झांसी।
4. क्रिश्चियन इंटर कालेज झांसी।
5. टण्डन उ.मा. विद्यालय झांसी।
6. सरस्वती वि.म. इंटर कालेज झांसी।
7. आर.के कानवेंट उ.मा. विद्यालय झांसी।
8. वीरांगना झलकरी बाई इंटर कालेज झांसी।
9. एस.पी आई. इंटर कालेज झांसी।
10. एल.वी एम. इंटर कालेज झांसी।
11. डा.राधकृष्णन जू.हा. स्कूल झांसी।
12. सनी कानवेंट उ.मा. विद्यालय नंदनपुराझांसी।
13. डी.ए.वी. हा.से. स्कूल झांसी।
14. पं.के सी.शर्मा कन्या इंटर कालेज झांसी।
15. निर्मला कानवेंट उ.मा. विद्यालय झांसी।
16. लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कालेज झांसी।
17. डा. राजेन्द्रप्रसाद कन्या इंटर कालेज झांसी।

18. कस्तूरबा कन्या इंटर कालेज झांसी।

19. पं. दीनदयाल उ.मा. विद्यालय झांसी।

20. आर्य कन्या इंटर कालेज झांसी।

21. सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कालेज झांसी।

22. सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज झांसी।

23. सेंट मेरी उ.मा. विद्यालय झांसी।

24. एच. एम. मेमोरियल कन्या इंटर कालेज झांसी।

25. ए. पी.आई. इंटर कालेज झांसी।

26. एस.आई.सी. इंटर कालेज झांसी।

27. खालसा इंटर कालेज झांसी।

28. भगवती ज्ञान महिला उ.मा. विद्यालय झांसी।

29. गुरू हरकिशन उ.मा. विद्यालय तलैया झांसी।

30. सेंट ज्यूडस उ.मा. विद्यालय नगरा झांसी।

31. विजय मेमोरियल उ.मा. विद्यालय झांसी।

32. सरस्वती उ.मा. विद्यालय झांसी।

33. रघुनाथ सहाय जैन कन्या उ.मा. विद्यालय झांसी।

34. शिक्षक उ.मा. विद्यालय झांसी।

35. क्राइस्ट द किंग स्कूल झांसी।

उपरोक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत उन छात्रों को अध्ययन के लिए चुना गया है जिनकी संख्या लगभग 300 है। जो कक्षाओं मे तथा शैक्षिक गतिविधियों मे पिछड़े हुए है।

अध्ययन पद्धति

1. सामाजिक अनुसंधान

मनुस्य ने प्रारंभ मे काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विशलेशण किया । उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का स्रोत माना । पूर्व मे उसके ज्ञान का आधार अंतः प्रज्ञा परंपरा वैयक्तिक अनुभव तथा प्रयत्न एवं भूल की विधियां रही है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान मे विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता का अभाव था। अब व्यक्ति इस घटना पर विश्वास करने लगे है जिसे वह नेत्रों से

देख सके या कानो से सुन सकें अर्थात वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है। इस प्रकार वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता हैऔर यही अनुसंधान का प्रारंभ है।

अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से है। इसमे दो मौलिक तत्वों की प्रधानता पायी जाती है। प्रथम अवलोकन के द्वारा घटना को उददेश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना द्वितीय उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छुपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान मे रखकर ज्ञान को संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक माना जाता है। इस प्रकार ज्ञान को संचित करने की संमपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से पुकारते है।

न्यु सेन्चुरी डिक्सनरी के अनुसार किसी वस्तु व्यक्ति के संबंध मे सावधनीपूर्वक खोज करना एवं तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगााने के लिए विषय सामाग्री की लगाातार सावधनीपूर्वक खोज करना ही अनुसंधान है।

जब कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे अनुसंधान कहते है। इसमे इन सबके संबंध मे यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस हेतु अनुभविक या अनुभवसिद्ध तथ्यों का पता लगााया जाता है निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढुढ़ निकाला जाता है सामाजिक अनुसंधान मे वैज्ञानिक विधि को काम मे लेते हुए अवलोकन तथा सत्यापन का विशेष सहारा लिया जाता है संक्षेप मे हम कह सकते है कि सामाजिक अनुसंधान मे सामाजिक यर्थाथताओ की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेश बल दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान संबंध मे विभिन्न विद्वानो के मत निम्न प्रकार है ।

सी.ए.मोजर

सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध मे नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमे सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ मे किसी घटना व्यवहार सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध मे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यर्थाथताओं को समझने का प्रयत्न किया गया है।

सामाजिक शोध एक लंबी प्रकिया है। वैज्ञाकि निष्कर्षो तक पहुचने एवं नियमों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है कि शोध के प्रत्येक चरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से सावधानीपूर्वक किया जाय । साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाये रखना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार के शोधों प्राप्त सामान्यीकरण एवं नियम ही किसी विषय के ज्ञान भंडार को बढ़ाने मे योग देते है।

प्रस्तुत अनुसंधान मे अनवेषणात्मक शोध प्रारूप का सहारा लिया गया ।अतः आवश्यक है कि इसके अर्थ को भलि भांति समझ लें।

अनवेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्रारूप

जब शोध कर्ता किसी सामाजिक समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवाहारिक पक्ष के संबंध मे पर्याप्त ज्ञान हो सके तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अनवेष्णात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते है। इस प्रकार शोध का उददेश्य किसी समस्या के संबंध मे प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है।

हंसराज के अनुसार :- अनवेष्णात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिर्वाय है।

इस प्रकार के शोध की सफलता के लिए कुछ अनिर्वाय दशाओं का होना आवश्यक है। अन्य शब्दों मे ऐसे शोध के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. संबंद्ध साहित्य का अध्ययन।
2. अनुभव सर्वेक्षण।
3. सही सूचनादाताओं का चुनाव।
4. उपयुक्त प्रश्न पूछ्ना।
5. अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण।

अनवेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्यः

1. पूर्व निर्धारित प्राक्क्लपनाओं का तातकालीन दशाओं के संदर्भ मे परीक्षण करना।
2. महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान आकर्षित करना
3. अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पनाओं को विकसित करना।

4. अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना।
5. विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना।
6. शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप से प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना।
7. विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना एवं उसके क्षेत्र को विस्तृत करना।
8. अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना।
9. शोधकर्ता से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर करना उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना।

अनवेष्णात्मक शोध के उपर्युक्त कार्यो से स्पस्ट है कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी बात को स्पष्ट करने हेतु सेलटिज एवं उनके साथियो ने बताया कि अनवेषणात्मक शोध उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु प्रकल्पना के निर्माण मे सहायक होगा।

अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसमे वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। अध्ययन हेतु विभिन्न पद्धतियों को उपयोग मे लाया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्रयुक्त विधियों का विवरण निम्न हैः-

निरीक्षण :

अगस्त काम्टे के अनुसार सामाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी मे आता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे तभी से सामाजशास्त्र मे अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई समाज विज्ञान के क्षेत्र अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है जैसे जांन हार्वड, फ्रेडरिक, लीप्ले, चार्ल्स बूथर, मैलिनोवस्की, लिण्ड ने मिडिल टाउन का डोलार्ड ने सदर्न स्टेटस का वार्नर एवं लण्ट ने यांकिसिटी का, इत्यादि विद्ववानों ने अवलोकन विधि द्वारा अध्ययन किया।भारत मे भी डा.एम एन श्रीनिवास डा.श्यामाचरण दुबे डा. ब्रजराज चौहान मजूमदार आदि विद्ववानों ने ग्रामीण अध्ययनों मे इस विधि का सहारा लिया । वैसे आंक्सफोर्ड कंसाइज डिक्सनरी मे अवलोकन इस प्रकार परिभाषित किया है घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधो के संबंध मे जिस रूप मे वे उपस्थित होती है, का यथार्थ निरिक्षण एवं वर्णन है। इसी प्रकार सी. ए. मोजर ने अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि ठोस अर्थ मे अवलोकन मे कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामाग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमे अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है सुनता है समझता है और संबंधित सामाग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अध्ययनकर्ता समूह अथवा समूदाय के दैनिक जीवन मे भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है अवलोकन मे मानव अपनी ज्ञानेद्रियों का प्रयोग करता है।

अवलोकन के प्रकार

सामाजिक घटनाएँ विविध एवं जटिल प्रकृति की होती है सभी प्रकार के घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नही किया जा सकता है। कभी तो एक अवलोकनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है किन्तु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। अतः अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित तथा सहभागिता और असहगामी श्रेणीयों मे बांटा गया है अवलोकन के विभिन्न प्रकार निम्न हैः-

1. अनियंत्रित अवलोकन
2. नियंत्रित अवलोकन
3. सामूहिक अवलोकन

प्रस्तुत अध्ययन मे अर्द्धसहभागी अवलोकन का सहारा लिया गया है। इस विधि द्वारा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों के मध्य कभी सहभागी कभी दूर से ही तथ्यों का संकलन किया गयाहै।

साक्षातकार

अंग्रेजी का Interview शब्द दो शब्दो से मिलकर बना है Inter अर्थात भीतर, view अर्थात देखना दोनो शब्दो का सम्मलित अर्थ अंतर दर्शन । दूसरे शब्दों मे जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाहय रूप से निरीक्षण नही हो सकता उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना साक्षातकार कहलाता है।

1. सी. ए. मोजर एक सर्वेक्षण साक्षातकार साक्षातकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उददेश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है।
2. एम. एन. वसु एक साक्षातकार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है।

गुडे तथा हाट ने साक्षातकार को मूलरूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। हैडर तथा लिण्डमैन ने साक्षातकार को दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद माना है जिसमे मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते है।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे साक्षातकार विधि का भी प्रयोग किया है। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों से सुविधा के अनुसार उनके विद्यालयों मे या फिर आवास मे साक्षातकार लिये गये है। साक्षातकार के दौरान का प्रयोग कर प्राथमिक तथ्य एकत्रित किये गये । साथ ही अध्ययन से संबंधित बातों को भी साक्षातकारदाताओं से पूछा गया। साक्षातकार प्रक्रिया मे अधिकांश उत्तरदाताओं ने सहयोगी रवैया अपनाया जबकि कुछ उत्तरदाताओं ने समयाभाव आदि का कारण बताकर साक्षातकार मे रूचि प्रदर्शित नही किया।

अनुसूची

सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों के संकलन है। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमे अवलोकन, साक्षातकार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। इसके द्वारा संग्रहीत तथ्यों मे एकरूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन सरलता से किया जा सकता है। अनुसूची एक फार्म के रूप मे होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियां होती है जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत अवलोकन करके भरता है।

बोगार्डस

अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप मे होते है तथा जिन्हे सरलता से देखा जा सकता है इस प्रकार अनुसूची द्वारा स्वयं ही भरी जाती है।

अनुसूची के प्रकार

लुंण्डबर्ग ने तीन प्रकार की अनुसूचीयों का उल्लेख किया है।

1. वस्तुनिष्ट तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचीयां

(अ) अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित ।

(ब) जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध है उनके साक्षातकार पर आधारित ।

(स) बिना साक्षातकार प्रश्नावलियों पर आधारित ।

2. अभिवृत्तरयों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसचियां।

3. सामाजिक संस्थाओ ण्वं संगठनों की स्थिति तथा कार्यो को जानने से संबंधित अनुसूचियां।

श्रीमति पी.वी. यंग ने पांच पंकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है

1.अवलोकन अनुसूची।

2. मूल्यांकन अनुसूची।

3. प्रलेख अनुसूची।

4. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची।

5. साक्षातकार अनुसूची।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु साक्षातकार अनुसूची। तैयार की गई जिन्हे साक्षातकार के दौरान ही उत्तरदाताओं से पूछकर भरा गया । सुविधा की दृष्टि से 310 उत्तरदाताओं की अनुसूची को अध्ययन हेतु चुना गया। जिनमे से अपूर्ण तथा अस्पष्ट अनुसूचियों को छांटकर 300 पूर्ण तथा स्पष्ट अनुसूची प्रयोग मे लाई गई।

संगणना विधि

इस विधि मे अनुसंधानकर्ता समग्र अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। हमारे देश मे प्रति दस वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना मे इसी विधि का प्रयोग किया जाता है।

चूंकि झाँसी नगर मे अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 330 है। अतः अध्ययन हेतु समग्र का चुनाव नही किया गया । जिनमे से 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। वर्तमान मे गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे छात्रों को संम्मिलित नही किया गया है।

अध्याय -03

झाँसी नगर का सामान्य परिचय
एवं
शैक्षिक गतिविधियाँ

विगत अध्याय में हमने उन आवश्यक पद्धतियों एवं प्राविधियों की चर्चा की है जिसका उपयोग प्रस्तुत शोध में किया जा रहा है। यही नही इस विषय से सम्बन्धित अन्य अध्यायों का भी विस्तार से पुनरावलोकन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययनरत क्षेत्र झाँसी नगर की शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार से चर्चा की जा रही है ।

झाँसी नगर का सामान्य परिचयः

देश को उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम से जोडने वाला झाँसी नगर वीरों की भूमि बुन्देलखण्ड की राजधानी जैसा है । बुन्देलखण्ड एवं देश की ऐतिहासिक घटनाओं का केन्द्र बिन्दु रहा झाँसी नगर औद्योगिक स्थानों की कमी के कारण अभी तक पिछड़ा रहा है। 2003 में इसे नगर निगम का दर्जा मिला है ।

झाँसी उत्तरप्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 25:13 और 25:57 उत्तरी अक्षांश एवं 78:48 से 79:25 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । झाँसी के पूर्व में उ0 प्र0 हमीरपुर एवं महोबा, पश्चिम में मध्यप्रदेश के शिवपुरी व दतिया, उत्तर में उ0 प्र0 के जालौन एवं दक्षिण में ललितपुर जिला है। झाँसी ऐतिहासिक साहित्यिक दृष्टिकोंण से बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम दीपशिखा झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनकी शौर्य गाथा का इतिहास साक्षी है, झाँसी की थी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृन्दावन लाल वर्मा ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मे बहुत बड़ा योगदान दिया । उद्योगों के दृष्टिकोण से यह नगर पिछड़ा हुआ है । दो ही प्रमुख उद्योग भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स एवं बैद्यनाथ प्राणदा प्रमुख है।

झाँसी की स्थापना ओरछा के बुन्देला राजा वीरसिंह द्वारा की गई जिसे मुगल सम्राट जहाँगीर ने 1611 में अकबर के प्रसिद्ध मंत्री अबुल फजल की हत्या किए जाने के उपलक्ष्य मे इनाम स्वरुप ओरछा के राजा बना दिया । ओरछा के अतिरिक्त इससे 6 मील पचिश्म में स्थित बलवन्त नगर नामक क्षेत्र पर भी वीरसिंह का अधिकार था । इसके पास ही स्थित पहाड़ी पर वीरसिंह ने एक किला बनवाया 1613 जो झाँसी के नाम से विख्यात हुआ । कालान्तर में राजनैतिक एवं सैनिक महत्व के कारण इस किले के आसपास झाँसी नगर का विकास हुआ । वैसे तो झाँसी अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह था । परन्तु 1857 के विद्रोह के समय झाँसी घटनाओं का मुख्य केन्द्र रहा था । जब झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतत्रंता संग्राम में अकेले दम पर अंगेजों को लोहे के चने चबवा दिए ।

झाँसी नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 143.07 वर्ग किमी हैं । बेतवा, धसान, लखेरी तथा पहुँज इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं । इस क्षेत्र में काबर एवं पहुवा किस्म की मिट्टी पाई जाती है। जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से उचाँई 258.67 मी0 है । यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण एवं ब सामान्य रहती है। झाँसी में खनिज सम्पदा के रूप मे ग्रेनाइट, पायरोफलाइट एवं फलेस्पर ग्रेनाइट विशेष रूप से पायी जाती है ।

झाँसी के दर्शनीय स्थलों में झाँसी दुर्ग जो मुख्यालय के मध्य स्थित है । इसकी स्थापना राजा वीरसिंह जुदेव ओरछा नरेश ने सन् 1613 में बंगरा नाम की पहाड़ी पर यह किला निर्मित कराया था । प्रथम स्वतत्रंता संग्राम 1857 की लड़ाई महारानी लक्ष्मीबाई ने इसी दुर्ग से लड़ी थी । इस किले में रानीमहल, शिवजी का मंदिर, गणेश मंदिर दर्शनीय है। झाँसी दुर्ग के नजदीक ही भारतीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। जिसमें पुरातत्व से संबंधित दर्शनीय सामग्री संग्रहित है। झाँसी का लक्ष्मीताल प्राचीनताल है। इस तालाब के किनारे प्राचीन लक्ष्मी जी का मंदिर, काली जी का मंदिर तथा महाराज गंगाधर राव की समाधि स्थित है जो दर्शनीय है। झाँसी मेडिकल कालेज के सामने ग्राम करगुँवा का जैन मंदिर भी दर्शनीय है।

जंनसख्याः

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार झाँसी नगर की कुल जंनसख्या 7,17,551 है। जिसमें 3,84,090 पुरूष एवं 3,33,461 महिलायॅ सम्मिलित है।

झाँसी नगर में 35 वार्ड है। झाँसी नगर में प्रति हजार पुरूषों में 870 स्त्रियाँ है।

झाँसी नगर एक दृटि में :

तहसील	–	05
विकासखण्ड	–	08
न्याय पंचायत	–	65
ग्राम सभा	–	452
ग्रामों की संख्या	–	760
नगरपालिका परिषद	–	05
टाउन एरिया	–	07

झाँसी नगर में शिक्षा का विकास :

झाँसी में स्कूली शिक्षा ने उस समय पदार्पण किया जब 1857 की क्रान्ति में अग्रेजों ने झाँसी को अपने अधिकार में ले लिया । अग्रेजों के शासनकाल में शिक्षा का प्राचार होनें लगा । झाँसी नगर में सर्वप्रथम एक प्राथिमक पाठशाला थी । इसका नाम मकतब गजरा पाठशाला था । इस पाठशाला की व्यवस्था एवं अध्यापन मुंशीबाला जी करते थे । इसके पहले झाँसी नगर में पांडे पद्धति प्रचलित थी जिसमें पांडे जी लडकों को अपने घर पर पढ़ाते थे। बाद में झाँसी नगर में 5 प्राथिमक पाठशालाएँ मुकरयाना उन्नावगेट बडागाँव गेट, सागर गेट एवं सीपरी बाजार पहाड़ियाँ में स्थापित की गई । दस वर्ष बाद 6 प्राथिमक पाठशालाएँ स्थापित की गई । इसी समय नगर में आर्य समाज वासुदेव सरोजनी नायडू और लक्ष्मीबाई आदि 4 कन्या पाठशाला की स्थापना की गई और लक्ष्मीबाई कन्या पाठशाला को मिडिल स्कूल बना दिया गया । राज्य के आदेशानुसार नगर में अनिवार्य शिक्षा की योजना 6 से 11 वर्प तक की आयु के बालकों के लिए कार्याविधि की गई । इसके लिए श्री हरि कृष्ण अग्रवाल को सहायक उपस्थित अधिकारी बनाया गया । नगर में अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने के लिए 34 बालक पाठशालाओं की स्थापना की गई ।

स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की गई और इसके अंर्तगत कई स्कूलों की स्थापना की गई । 1961. 62 में नगरपालिका क्षेत्र में 7 गर्ल्स स्कूलों की स्थापना की गई । 1962. 63 में 5 कन्या तथा 5 बालक स्कूलों की विभिन्न मुहल्लों में स्थापना की गई । सन् 1964 में 2 कन्या तथा 2 बालक स्कूलों की स्थापना की गई । इस प्रकार इस समय 46 बालक एवं 18 बालिका प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं । जिनमें लगभग 350 अध्यापक अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं । इन प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त 2 बालक जूनियर हाई स्कूल एक कन्या हाई स्कूल सुचारु रूप से चल रहा है । इस प्रकार नगर में नगरपालिका द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में लगभग 9000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं । नगरपालिका द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों के अतिरिक्त लगभग 25 ऐसी पाठशालाएँ हैं । जिनका प्रबन्ध अन्य समितियों द्वारा चल रहा है । सम्पूर्ण नगर के शिक्षा में लगभग 15000 छात्र प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं ।

झाँसी में माध्यमिक शिक्षा के विकास का श्रेय राय साहब विपिन बनर्जी को है जिनके अकथनीय परिश्रम एवं भीषण साधना के फलस्वरूप नगर में माध्यमिक शिक्षा का

बीज बोया गया जो वृक्ष के रूप में विकसित हुआ । 1881 में सर्वप्रथम बाबू बिहारी लाल मुकर्जी ने एक साधारण जिला स्कुल की स्थापना की । यही जिला स्कूल माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिणित हूआ । झाँसी नगर में यी प्रथम विद्यालय है । जहाँ से माध्यमिक शिक्षा का विकास हुआ । बाद में इसी का नाम मैकडोनल हाईस्कूल झाँसी रखा गया । जिसमें 1947 में इण्टरमीडिएट कक्षा प्रारभ्भ हुई और इसका नाम पड़ा विपिन बिहारी इण्टर कालेज ।

1945 में विपिन बिहारी इण्टर कालेज के मंत्री अम्बिका प्रसाद सक्सेना के प्रयासों से आगरा विश्वविद्यालय से बी0 ए0 कक्षाओं के खोलने के आदेश प्राप्त हुए और मान्यता प्राप्त की और बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज प्रकाश में आया जिसका उदधाटन डा0 सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री जी ने किया । वाइस चान्सलर भटनागर के प्रयासों से 1959 में बी0एस0सी0 कक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित की मान्यता मिली ।

झाँसी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हुई थी और कई वर्षो तक झाँसी में एक ही इण्टर कालेज था जो मैकडोनल हाईस्कूल के बाद ही स्थापित किया गया । इस कालेज के द्वारा भी झाँसी में शैक्षिणिक प्रगति हुई । इसके प्रश्चात अन्य हाईस्कूल और इण्टर कालेजों की स्थापना हुई । झाँसी में Catholics , Protestent and presbytarian Church ने भी यहाँ मिशन के स्कूलों की स्थापना की । जिसने माध्यमिक शिक्षा में काफी योगदान दिया । कई वर्षो पूर्व झाँसी में गवर्नमेंट इण्टर कालेज मैकडोनल हाईस्कूल सरस्वती पाठशाला हाईस्कूल और क्रिश्चयन हाईस्कूल आदि ऐसी ही शिक्षण संस्थाएँ थी जिन्होनें माध्यमिक शिक्षा के विकास को बढाया । सरकार ने भी झाँसी की शिक्षा को विकसित करने में समय समय पर अपना समुचित सहयोग किया है।

सन 1944 में झाँसी क्षेत्र के विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की स्थापना हुई और श्री आर0 के0 सूर इस क्षेत्र के प्रथम विद्यालय निरीक्षक नियुक्त हुए । सन 1969 में शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना हुई । श्री रघुनन्दन सिंह यहाँ के पहले शिक्षा उपनिदेशक थे ।

झाँसी में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल भी एक पुरानी संस्था हैं । बी0टी0सी0 परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान कर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है । अब यह कार्य डायट में होता है । राजकीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में छात्राध्यापकों को बेसिक ,सी0टी0 के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । सूरज प्रसाद गर्ल्स ट्रेनिंग कालेज में महिलाओं

को सी0 टी0 का प्रशिक्षण दिया जाता है । सूरज प्रसाद कालेज के अंतर्गत महिलाओं को बी0टी0सी0 के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।

झाँसी में इन विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालय भी है टण्डन हाईस्कूल लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर हाईस्कूल, आर्या कन्या गर्ल्स इण्टर कालेज, कस्तूरबा गर्ल्स इण्टर कालेज प्रेमनगर, राष्ट्रीय हायर सेकण्डरी, राजेंद्र प्रसाद कान्या हाईस्कूल, खालसा हाईस्कूल तिलक इण्टर कालेज, झाँसी।

मध्य रेलवे तथा उद्योग विभाग द्वारा सस्थापित दो सस्थाएँ (polytecnical institute) जो प्राविधिक शिक्षा की दिशा में स्तुल्य प्रयास कर रही हैं । झाँसी में गवर्मेंट पॉलीटेकनिक एवं इण्डस्टियल टेनिंग इंस्टीटयूट प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

झाँसी नगर की शैक्षिक गतिविधियाँः

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र रहा झाँसी आजादी के बाद उपेक्षा का शिकार रहा और पिछड़ता चला गया । कमोवेश यही स्थिति यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के साथ भी थी । इसका अन्दाजा 2001 की जनगणना की साक्षरता प्रतिशत से लगाया जा सकता है । कुल साक्षरता दर 56.40 अर्थात लगभग आधी आबादी निरक्षर है । स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के क्षैत्र तें अत्यन्त दयनीय है स्त्री साक्षरता मात्र 32.13 ही है । जबकि पुरूपों की स्थिति स्त्रियों की अपेक्षाकृत अच्छी है । पुरुषों की साक्षारता दर 67.85 है। लेकिन कमिश्नरी होने तथा बुन्देलखण्ड क्षैत्र की गतिविधियों का केन्द्र होने के कारण यह धीरे धीरे नगरीय स्वरूप ग्रहण करता चला गया । विभिन्न कार्यालय मण्डल मुख्यालय विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज तथा मेडिकल कालेज जैसी संस्थाएँ होने के कारण यहॉ नगरीकरण बढ़ा। आज एक बड़े नगर के रूप में बुन्देलखण्ड का केन्द्र है । नगरीय जनसख्या बढ़ने के कारण यहाँ शिक्षण सस्थाएँ भी तेजी से खुलने लगी । आज जगह जगह पब्लिक स्कुल सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्वि हुई । झाँसी नगर की शैक्षिक गतिविधियों को हम निम्न स्तरों पर देख सकते हैं ।

प्राथमिक या बेसिक स्तर

प्राइमरी शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के लिये सरकारों ने सर्वाधिक व्यय किया । आज शिक्षा को मूल अधिकार बनाकर 6-14 वर्प के बालक के लिये अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है । फिर भी सर्व शिक्षा का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखलाई

पड़ता है । गरीब निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चों का या तो प्राथमिक स्तर में नामांकन ही नही होता या फिर एक दो कक्षाएँ पढ़ने के बाद पढ़ाई बन्द कर दी जाती है । भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है भारत के सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं । यदि है तो शिक्षक नहीं हैं यदि शिक्षक भी है तो शिक्षक विद्यालय से नदारद रहते है । फिर भी झाँसी नगर की प्राथमिक स्तर की शिक्षा की स्थिति ठीक है। झाँसी नगर के प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्न है ।

झाँसी नगर में प्राथमिक विद्यालय - 74
छात्रांकन - 9000
शिक्षक - 220
लड़कों का प्रतिशत - 60 %.
लड़कियों का प्रतिशत - 40 %.

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर लगभग 40 लडकों पर एक शिक्षक तथा प्रति विद्यालय-लगभग 3 शिक्षक कार्यरत है । सरकारी स्कूल के अतिरिक्त आज झॉसी नगर में कान्वेंट स्कुल पब्लिक स्कुल मांटेसरी विद्यालय- शिशुमदिर आदि सचांलित हो रहे है । जहाँ अभिभावकों से मोटी रकम ऐंठी जाती है । सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर निम्न होने तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता ने अभिभावकों को इन स्कूलों में दाखिला कराने के लिए मजबूर कर दिया है । प्रायः मध्यवर्गीय एवं उच्च वर्गीय गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चें या फिर गरीब निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चें ही शिक्ष ग्रहण कर रहे हैं । यही कारण है कि मात्र 9000 छात्रों का ही नामांकन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में है । छात्रांकन का कम होना सर्व शिक्षा अभियान सतत शिक्षा जैसे साक्षारता कार्यक्रमों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । फिर भी बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों का अपेक्षा यहॉ प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है ।

माध्यमिक स्तर :

झाँसी नगर में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति काफी सूदृढ़ है । माध्यमिक स्तर बालक के विकास को निर्धारित करता है । माध्यमिक स्तर में विषयों का चुनाव उसके भविष्य का रूपरेखा निर्मित करते है । देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए जिनमे मुदालियर आयोग 1952-53 प्रमुख है । बालक इस स्तर में युवावस्था में प्रवेश करता हैं जो कि तूफानों एवं संघर्षो की अवस्था है । अत इस स्तर पर

बालक की मनोशारीरिक दशाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । देश में आजादी के पूर्व एवं बाद में अनेंक प्रयासों एवं साक्षारता कार्यकमों के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत अत्यंत तेजी से बढ़ा । अत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों –की अधिक आवश्यकता महसूस की गई । परिणाम स्वरूप सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्वि हुई । इस स्तर में बालक में कौशलों के विकास को विशेष महत्व दिया जाता है । इस स्तर पर बालक को व्यवसाय चुनने हेतु आवश्यक विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है । सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त निजी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट विद्यालयों ने अपनी स्थिति मजबूत की है । आज मंहगी फीस लेकर अनगिनत निजी विद्यालय माध्यमिक स्तर पर सचांलित है । झाँसी नगर में भी इस तरह के विद्यालयों की काफी अधिक संख्या है । चूंकि प्राथमिक स्तर के बाद बहुत से बालक पढ़ाई छोड़ देते है । अतः प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन कम रहता है । फिर भी विद्यालयों की दृष्टि से इधर माध्यमिक स्तर में अपव्यव एवं अवरोधन की समस्या बनी हुई है । बहुत से छात्र या तो हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते है। या फिर एक ही कक्षा में कई वर्षो से पढ़ रहे है । झाँसी नगर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से8 तक), हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में विभाजित करके देख सकते है।

मिडिल स्कूल

जिला विद्यालय निरीक्षक झाँसी के कार्यालय से प्राप्त आकड़ों के आधार पर वर्ष 2006 की मिडिल स्कूल परीक्षा में लगभग 12030 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे । जिनमें लगभग 7500 बालक एवं लगभग 4530 बालिकाएँ सम्मिलित थी । वर्ष 2006 की हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का केंद्रवार विवरण निम्न है ।

क्र सं	परीक्षा केंद्र	बालक	बालिका	योग
1.	रा0 इ0 कालेज झाँसी	381	–	381
2.	राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन उ0 मा0 झाँसी	384	–	384
3.	पं0 कृष्ण चन्द्र शर्मा क0 इ0 कालेज झाँसी	–	380	380
4.	डा0 राजेंद्र प्रसाद कन्या इ0 क0 झाँसी	–	437	437
5.	लोक मान्यतिलक क0 इ0 कालेज झाँसी	–	470	470
6.	सरस्वती इ0 कालेज झाँसी	84	706	790
7.	आर्य कन्या इ0 कालेज झाँसी	–	477	477
8.	विपिन बिहारी इ0 कालेज प्रथम झाँसी	661	–	661
9.	विपिन बिहारी इ0 कालेज द्वितीय झाँसी	508	–	508
10.	सनातन धर्म इ0 कालेज झाँसी	–	411	411
11.	क्रिश्चियन इ0 कालेज झाँसी	668	–	668
12.	सरस्वती इ0 कालेज झाँसी	715	–	715
13.	ने0 हा0 सि0 इ0 कालेज झाँसी	749	–	749
14.	कस्तूरबा क0 इण्टर कालेज झाँसी	–	268	268
15.	गुरूनानक खालसा इण्टर कालेज झाँसी	691	–	691
16.	लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इण्टर कालेज झाँसी	533	–	533
17.	एच.एम.मे. कन्या इण्टर कालेज झाँसी	–	372	372
18.	संण्ट मेरी उ0 मा0 विद्यालय झाँसी	483	–	483
25.	निर्मला कान्वेंट उ0 मा0 विद्यालय झाँसी	405	–	405
	कुल	**7448**	**4746**	**12194**

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट :

नगर में इण्टरमीडिएट के भी उतने ही केंद्र है जितने हाईस्कूल के है । इण्टरमीडिएट परीक्षा 2006 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का केंद्रवार विवरण निम्न है –

क्र सं	परीक्षा केंद	बालक	बालिका	योग
1.	रा0 इ0 कालेज झाँसी	–	–	–
2.	राजर्षि पुरूपोत्तमदास टण्डन उ0 मा0 झाँसी	44	–	44
3.	पं0 कृष्ण चन्द्र शर्मा क0 इ0 कालेज झाँसी	–	378	378
4.	डा0 राजेंद्र प्रसाद कन्या इ0 क0 झाँसी	–	296	296
5.	लोक मान्यतिलक क0 इ0 कालेज झाँसी	–	238	238
6.	सरस्वती इ0 कालेज झाँसी	–	–	–
7.	आर्य कन्या इ0 कालेज झाँसी	–	220	220
8.	विपिन बिहारी इ0 कालेज प्रथम झाँसी	–	–	–
9.	विपिन बिहारी इ0 कालेज द्वितीय झाँसी	444	–	444
10.	सनातन धर्म इ0 कालेज झाँसी	–	350	350
11.	क्रिश्चियन इ0 कालेज झाँसी	248	–	248
12.	सरस्वती इ0 कालेज झाँसी	448	–	448
13.	ने0 हा0 सि0 इ0 कालेज झाँसी	107	–	107
14.	कस्तूरबा क0 इण्टर कालेज झाँसी	–	434	434
15.	गुरूनानक खालसा इण्टर कालेज झाँसी	360	–	360
16.	लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इण्टर कालेज झाँसी	483	–	483
17.	एच एम मे. कन्या इण्टर कालेज झाँसी	–	105	105
18.	संण्ट मेरी उ0 मा0 विद्यालय झाँसी	–	–	–
19.	ज्ञान स्थली इ0 कालेज झाँसी झॉसी	101	–	101
20.	सूरज प्रसाद रा0 बा0 इण्टर कालेज झाँसी	–	67	167
21.	वीरांगना झलकारी बाई इ0 कालेज झाँसी	121	–	121
22.	विलेज कान्वेंट इ0 कालेज झाँसी	293	–	293
23.	सेंण्ट ज्यूडस इ0 कालेज झाँसी	309	–	309
24.	सरस्वती विद्या मंदिर झाँसी	–	–	–
25.	निर्मला कान्वेंट उ0 मा0 विद्यालय झाँसी	–	–	–
	कुल	2956	2195	5151

इण्टरमीडिएट में वर्ष 2006 में नगर में हाईस्कूल परीक्षा की तुलना में लगभग आधे परीक्षार्थी ही सम्मिलित हुए थे । मिडिल स्कूल में जहाँ 7448 बालक तथा 4746 बालिकाएँ सम्मिलित थी । वहीं हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में लगभग 2958 बालक तथा 2195 बालिकाएँ परीक्षा में सम्मिलित हुई ।

हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षार्थीयों की संख्यात्मक तुलना करने पर स्पष्ट है कि इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन शिक्षा के क्षेत्र में दिखलाई पडता है । या तो हाईस्कूल की परीक्षा में विद्यार्थी असफल हो जाते है या फिर हाईस्कूल के बाद पढाई बन्द कर दी जाती है । शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन की स्थिति उन्नतशील समाज का द्योतक नहीं है । साथ ही हाईस्कूल एवं इण्टर दोनों स्तरों में बालिकाओं का नामांकन बालकों की तुलना में अत्यंत कम होना सामाजिक पिछड़ेपन को दशार्ता है । चूंकि बुन्देलखण्ड पिछड़ा क्षेत्र है अत यहाँ लोगों में लड़कियों के प्रति अभी भी दुराग्रह की भावना बैठी है । जबकि इसी क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई जैसी वीरागनाओं मे देश के लिए बलिदान दिया । हालांकि पूर्व की तुलना में स्त्री साक्षरता में सुधार हुआँ है । परन्तु समग्र विकास के लिए प्रत्येक लड़की का साक्षर होना समाज एवं देश दोनों के विकास में सहायक है ।

शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रः

झाँसी नगर उच्च एवं तकनीकि शिक्षा का केन्द्र है । झाँसी नगर में विश्वविद्यालय होने से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पडा है । कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य नही होता था । परन्तु वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में 131 कोर्सेस चल रहे हैं । जिनमें देश के कोने कोने से विद्यार्थी विभिन्न कौशलों में दीक्षा ले रहें हैं । विश्वविद्यालय परिसर में लगभग दस हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा लगभग 400 शिक्षक नियुक्त हैं । दसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । जिसमें लगभग 1500 छात्र घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध डिग्री कालेजों की संख्या तो काफी अधिक है परन्तु झाँसी नगर में 6 डिग्री कालेज बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से सम्बद्व है –

1. विपिन बिहारी महाविद्यालय झाँसी
2. आर्य कन्या महाविद्यालय झाँसी
3. राजकीय महिला महाविद्यालय झाँसी

4. गुरु हरिकिशन महाविद्यालय झाँसी

5. बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झाँसी

6. पं0 वासुदेव तिवारी कन्या डिग्री कालेज झाँसी

इसके अतिरिक्त इसके धटक कालेज भी है –

1. महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी

2. बी आई ई टी झाँसी, यह अभी तक विश्वविद्यालय का धटक कालेज था । पर वर्तमान में इसकी सम्बद्वता टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से है ।

इसके अतिरिक्त झाँसी नगर में राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज है । कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्व बुन्देलखण्ड राजकीय आर्युवेदिक कालेज झाँसी तथा आई टी आई झाँसी जैसे संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नगर की प्रगति कर रहें है । झाँसी नगर में एक अनुसंधान केंद्र भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान केंद्र भी है । जो कृषि से संबधित केंद्र है ।

कोचिंग संस्थान :

वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कोचिंग संस्थानों की अनिवार्यता बढ़ी है। शत प्रतिशत सफलता का वादा कर ये संस्थान खूब फल फूल रहे है । वर्तमान में हाईस्कूल इण्टर के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए विद्यार्थी का कोचिंग लेना प्रथम आवश्यक शर्त बन गयी है । नगरों में गली गली में अनेक कोचिंग संस्थानों खुल रहें हैं। यही स्थिति झाँसी नगर की है । बुन्देलखण्ड का केंद्र होने तथा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज के यहाँ होने से छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रूचि बढ़ने के कारण कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ रही है । आज हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर की कोचिंग संस्थानों में एक दिन में 3से 5 बैंच चलाए जाते है तथा प्रत्येक बैच में औसतन 50 छात्र होते हैं । इसी प्रकार आई आई टी सी पी एम टी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग संस्थानों में भी दिन में 3-4 बैच चलाए जाते है । तथा प्रत्येक बैच में औसतन 100 छात्र होते हैं । इन परीक्षाओं के अतिरिक्त बी एस सी एवं एम एस सी की कोचिंग भी दी जाती है ।

कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड होते है । इनके अतिरिक्त छोटे छोटे बैचों मे शिक्षक अपने घरों में धड़ल्ले से ट्यूशन कर रहे है । ट्यूशन एवं कोचिंग में मोटी कमाई होने के कारण यह लाभ का व्यवसाय बनता जा रहा है । इन कोचिंग संस्थानों का प्रभाव यह है कि आज बिना ज्वाइन किए हुए कोई छात्र परीक्षाओं में सफल होने की कल्पना भी

नहीं कर सकता है । छात्रों की इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का फायदा ये संस्थान उठा रहे हैं । आज स्थिति यह है कि झाँसी नगर में कोचिंग संस्थानों की संख्या लगभग 300 के आसपास है । अतः सभी का विवरण यहाँ प्रस्तुत कर पाना मुश्किल है । परन्तु प्रमुख कोचिंग संस्थाओं का परीक्षाओं के कम विवरण निम्न है ।

1. श्रीवास्तव इंगलिस टयूटोरियल प्रेम नगर झाँसी - द्वारा मनोज श्रीवास्ताव
2. तिवारी क्लासेज प्रेम नगर - द्वारा जितेंद्र तिवारी
3. नेस्सी क्लासेज द्वारा अखिलेश राणा
4. जी0 के0 सक्सेना इन्सटीटयूट आफ फिजिक्स द्वारा प्रवीन कुमार
5. शार्प क्लासेज द्वारा जे0 एल0 वर्मा
6. स्टूडेंट सर्किल सीपरी बाजार द्वारा डा0 हरेंद्र यादव
7. अमर एजूकेशन क्लासेज सिविल लाइन्स द्वारा अमरदेव सिंह
8. रायल स्टडी सर्किल प्रेमनगर द्वारा राजीव साहू
9. मास्टर माइंड क्लासेज प्रेमनगर
10. गुरुकुल क्लासेज सीपरी द्वारा अजय कौशिक
11. ब्राइट काम्पेक्ट कोचिंग

IAS/IIT/CPMT के लिए कोचिंग संस्थान वर्ष 2006-07

1. नालंदा इन्सटीटयूट नई बस्ती पंकज रावत
2. जैन क्लासेज द्वारा मनीप जैन
3. विवेकानंद क्लासेज सीपरी बाजार झाँसी द्वारा भूपेंद्र गुप्ता
4. खान स्टडी सर्किल द्वारा डा0 एस0 ए0 खान
5. कैरियर सफर्स द्वारा राजेंद्र कुमार दुबे

सतत शिक्षा कार्यकम :

सतत शिक्षा के प्रभावी कियान्वयन के अभाव में पूर्व शिक्षित नवसाक्षर साक्षरता को बनाएँ रखने में सफल नहीं हो पायेंगें । परिणाम स्वरूप पुन निरक्षता बढ़ने की संभावना होगी । सतत शिक्षा जीवन पर्यन्त सीखने की प्रवृत्ति बनाएँ रखने में सहायता करने वाला एक कार्यकम है । यह सभी नागरिकों को सीखने और जीवन को सुखद बनाने का अवसर प्रदान करता है । जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और समाज समग्र रूप से शिक्षारत बन सके । सतत शिक्षा योजना का कियान्वयन जीवन पर्यन्त शिक्षा की आधार शिला के रूप में किया जाता है ।

झाँसी नगर में 2000 की जनसंख्या पर एक सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई । सतत शिक्षा केंद्रों को संचालित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर मासिक मानदेय के आधार पर प्रेरक एवं पर सहायक नोडल प्रेरक प्रत्येक केन्द्र पर तैनात किए जा चुके है । नोडल सतत शिक्षा केंदों तैनात नोडल प्रेरक अपने केंद्र संचालन के साथ साथ 10 सतत शिक्षा केंद्रों का पर्यवेक्षक भी करेगा ये केंद्र विद्यालयों पंचायत भवनों अन्य सार्वजनिक भवनों अथवा बिना किराये के निजी भवनों में संचालित है ।

सतत शिक्षा केंद्रों पर निम्न कार्य कराए जा रहें है -

1. सांयकालीन कक्षाओं की व्यवस्था जिसमें साक्षरता विषयक विभिन्न कियाकलापों का आयोजन किया जाएगा
2. पुस्तकालय एवं वाचनालय में पुस्तकें प्रदान कर पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. चर्चा मंडलों की स्थापना करना ।
4. लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार के प्रति जागरुकता आधुनिक कृषि पशुपालन व्यवसायिक कौशल विकास नेतृत्व विकास का सवरोजगार क्रियाकलापों का आयोजन.
5. मनोंरंजन व सांस्कृतिक कियाकलापों का आयोजन ।
6. नव साक्षरों एवं समाज के विभिन्न वर्गो के लिए ऐसे सूचना केंदों की स्थापना करना ।

सतत शिक्षा कार्यक्रम पूर्व के साक्षरता कार्यकर्मो का समन्वित रुप है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम भी सम्मिलित किया गया है । इसके अन्तगर्त नांमाकन में वृद्वि प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा गारण्टी योजना लागू करना, शिक्षा की गुणात्मकता की वृद्वि करना, विषयक अध्यापकों का प्रशिक्षण आदि कार्यकम सम्मिलित है । सर्वेक्षण के अनुसार नगर में निरक्षरों की संख्या 24805 है । झाँसी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकम के अन्तगर्त प्रेरकों एवं नोडल प्रेरकों की संरचना निम्न है -

क्षेत्र का नाम	प्रेरको की संख्या	नोडल प्रेरको की संख्या
झाँसी	150	15
झाँसी नोटीफाइड	07	01
झाँसी कैन्ट	12	01
योग	169	17

कार्यक्रम के संचालन के लिये जिला साक्षरता समिति ने संपूर्ण जिले के लिए 41541900 रूपये की घनराशि आवंटित की है । जिसमे निम्न 6 स्वैच्छिक संस्थाओं को 3369600 रूपये आवंटित किए गए ।

घनराशि रूपये में

1. एकता कैरियर इंस्टीटयूट ग्वालियर रोड झाँसी	561600
2. बुन्देलखण्ड विकास संस्थान झोकनबाग झाँसी	561000
3. मार्ग श्री सी पी मिशन कम्पाऊण्ड झाँसी	561000
4. वसुन्धरा 365 सिविल लाइन्स झाँसी	561000
5. चेतना सी पी मिशन कम्पाऊण्ड झाँसी	561600
6. विकास घारा विधा महिला संस्थान झाँसी	561600
कुल	3369600

अध्याय-04

पिछड़े छात्रों की सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति

प्रस्तुत अध्याय मे पिछड़े छात्रों की सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति का विवेचन कर रहे है । सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति जानने के पूर्व सामाजिक संबंधों को जानना अति आवश्यक है ।

अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मे ही मनुष्य उन्नति करता है, और समाज मे ही उसका पतन होता है। समाज के अस्तित्व के बिना उसका कोई अस्तित्व नही होता मैकाइवर एण्ड पेज के अनुसार -समाज, रीति-रिवाजो और कार्य प्रणालियों की , अधिकार और परस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों एवं भागों कीं मानव व्यवहार के नियन्त्रणों एवं स्वाधीनताओं की व्यवस्था है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य का सामाजिकरण करने में परिवार, पड़ोस, मानवीय क्रिया-कलाप आदि प्रमुख भूमिका निभाते है। समाज के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक संबंध जन्म लेते है। मनुष्य के सामाजिक संबंध उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित करते है । इस दृष्टि से सर्वप्रथम सामाजिक संबंधों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण होता है।

सामाजिक संबंधः मेक्स-वेबर

सामाजिक संबंधों के विषय मे मेक्स-वेबर ने स्पस्ट किया है कि इससे हमारा अभिप्राय दो या दो से अधिक कर्ताओं के बीच होने वाले अर्थपूर्ण व्यवहार से है जिसमे प्रत्येक का व्यवहार दूसरो के व्यवहारों से प्रभावित होता है। सामाजिक सबंधो की प्रकृति सहयोग संघर्ष लैंगिक आकर्षण , मित्रता , निष्ठा, अथवा आर्थिक विनिमय इत्यादि प्रकार की हो सकती है। इसमे किसी समझौते की शर्तो को पूरा करना, पूरा न करना या टालना भी निहीत होता है। आर्थिक क्षेत्र मे यह संबंध किसी प्रकार की प्रतियोगिता के रूप मे अभिव्यक्त होते है। राजनीतिक क्षेत्र मे इसमे राष्ट्रीय अथवा वर्ग समूहों की सामान्य सदस्यता निहित होती है।

मेक्स-वेबर ने सामाजिक संबंधो को और अधिक स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि इनके अर्थपूर्ण होने से अभिप्राय उस अर्थ से है जो एक दूसरे व्यवहार का प्रदान करता है। यहां तक कि राज्यव्यर्थ समितियां विवाह प्रकार के सामाजिक संबंधों मे किसी न किसी प्रकार के निश्चित अर्थ निहित होते है। उदाहरण के लिए राज्य का निर्माण किन्ही अर्थपूर्ण सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करने हेतु भी निर्मित होती है। राज्य की भूमिका यद्यपि उच्च अथवा निम्न दोनों स्तरों पर हो सकती है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों मे भाग लेते

समय भिन्न – भिन्न व्यक्तियों के हितों मे भिन्नताएँ हो सकती है और इन्ही विभिन्नताओं के आधार पर सामाजिक सबंधों की प्रकृति मे भी विभिन्नताए देखी जा सकती है।

सामाजिक सबंधों मे भाग लेने वाले सदस्य एक दूसरे की क्रिया से जो अर्थ निकालते है यह आवश्यक नही है कि अर्थ एक से ही हों। इन अर्थो से उनके व्यवहार मे अंगीकरण नही होता । मित्रता प्रेम निष्ठा समझौतों कें प्रति निष्ठा देश प्रेम के सामाजिक सबंधो के पक्ष के सदस्यों की मनोवृत्ति दूसरे पक्ष के सदस्यों से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार के संबंधों मे विभिन्न पक्ष इसमे निहित सामाजिक क्रियाओं को विभिन्न अर्थ प्रदान करते है जिन सामाजिक संबंधों मे दृष्टिकोण एक दूसरे से मेल खा जाते है वह अत्यंत ही सीमित प्रकार के होते है।

सामाजिक संबंध विभिन्न प्रकार के अस्थाई अथवा विभिन्न प्रकार से स्थाई दोनों ही प्रकार के हो सकते है। दूसरे शब्दों मे सामाजिक संबंधों का स्थायित्व समय –समय पर बदलता रहता है। इनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है और नही भी। इन सबंधों मे संभावित व्यवहार का उतना ही महत्व होता है जितना का वास्तविक व्यवहार का। इस प्रकार जब हम कहते है कि किन्ही सदस्यों के बीच मित्रता के संबंध पाये जाते है तब यह कहने से हमारा अभिप्राय यह होता है कि उनमे भाग लेने वाले सदस्यों के संभावित व्यवहारों को हमने अनुकूल मान लिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कभी कभी सामाजिक संबंधों के विषयनिष्ठ अर्थो मे परिवर्तन होना भी संभव है। यह भी संभव हो इनका अर्थ आंशिक रूप से स्थिर होना हो अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनशील होना हो । सामाजिक संबंधों स्थिरता तब पाई जाती है जब यह संबंध किसी विशेष मूल्यों उददेश्यों के संदर्भ मे स्थापित होते है तब इनकी प्रकृति परिवर्तनशील हो जाती है। अंत मे वेबर का कहना है कि सामाजिक संबंधो के अर्थ पारस्परिक स्वीकृति के द्वारा भी तय किये जा सकते है। इसका अर्थ यह हुआ कि सदस्य अपनी भावी व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए एक दूसरे के प्रति अथवा किसी तीसरे के प्रति प्रतिज्ञायें करते है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक दूसरे पक्षों से यह अपेक्षा करता है कि समझौते की शर्तो के अनुसार अपने व्यवहार अथवा क्रियाओं को ढाल लेंगे।

इस प्रकार मेक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संबंधों से अभिप्राय दो या दो से अधिक पक्षों की पारस्परिक आदान प्रदान की संभावित अथवा वास्तविक क्रियाओं से है जो एक दूसरे के अर्थ पूर्ण व्यवाहार को दृष्टि मे रखकर की जाती है।

सामाजिक संबंध टांनिज् :

टांनिज ने सामाजिक संबंधों के विषयों मे जो व्यवहार व्यक्त किये है उन्हे उनके जेमिनशेप्ट; समुदायद्ध तथा गैशल्शैप्ट; समाजद्ध की अवधारणाओं की विलोचना मे स्पष्ट रूप मे देखा जा सकता है। सामाजिक संबंधों को टांनिज की अवधारणा मे इच्छा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। टांनिज के अनुसार मानवीय इच्छा ही वह प्रेरक शक्ति है जो मानवों को समुदाय अथवा समाज के संबंधों मे जोड़ती है। समुदाय अथवा समाज दो विभिन्न प्रकार के मानवीय समूह होते है जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के अधार पर निर्मित होते है। इच्छाएँ प्राकृतिक अथवा विवकेपूर्ण हो सकती है। प्राकृतिक इच्छाओं के अधार पर समुदाय प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित होते है परिवार कुटुंब जाति इत्यादि प्रकार के सामाजिक संबंध समुदाय प्रकार के है जो किन्ही मानविय इच्छाओं के परिणाम स्वरूप स्थापित नही होते बल्कि इच्छाओं से स्थापित होते है। इसके विपरीत मानव की तर्कपूर्ण इच्छाओं के अधार पर समाज प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित होते है। जिनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समितियों को सम्मिलित करते है। जो किन्ही विशेष हितों के अधार पर स्थापित होते है।

टानिज लिखा है कि जिस प्रकार विनियम व्यवस्था के अंतर्गत किसी वस्तु का आदान प्रदान व्यक्तियों की संतुष्टि के मात्रा आधर पर होते है समुदाय प्रकार के सामाजिक संबंध किसी समाज के समुदायिक जीवन के वाह्‌य स्वरूप बतलाते है इस प्रकार के संबंध के अधार पर जो कि सामाजिक समुह बनाते है। उन्हे एक दूसरे से अलग करके देखा या देखाया या समझाया जा सकता है। इसके विपरीत समाज प्रकार के सामाजिक संबंध सही सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता पर आधारित होते है। इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित रहता है। व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा समाज को विभिन्न वर्गो मे बांट देती है तथा इसी के अधार पर समाज मे अनेक सामान्य हित वाली समितियां निर्मित हो जाती है। इस प्रकार के संबंध जागरूक व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर स्थापित किये जाते है।

इस प्रकार समुदाय तथा समाज प्रकार के समाजिक संबंधों मे स्पष्ट रूप से यह भेद किया जा सकता है कि समुदाय प्रकार के समाजिक संबंध व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति आर्कषण के अधार पर स्थापित होते है। समुदाय प्रकार के संबंधों मे सदस्यों मे एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम सुहानुभूति सहयोग उल्लास की भावना इत्यादि पाये जाते है। यह प्रायः प्राक्तिक रूप से रक्त संबंधों पर आधारित होते है। यह प्रायः प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रकार के होते है इनका विकास स्वतः ही होता हैं इनमे कृत्रिमता

नही पायी जाती लेकिन समान प्रकार के समाजिक संबंध चुंकि विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होते है। इसलिए इनकी प्रकृति बहुत कुछ आर्थिक होती है इसमे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी सेवाओं का विनियम करते है।

इस प्रकार हम देखते है कि टांनिज की समाजिक संबंधो की व्याख्या मेक्स वेबर की व्याख्या से बिलकुल भिन्न है। इसमे संदेह नही है कि वेबर के समान टांनिज ने भी समाजिक क्रिया या व्यवाहार को सामाजिक संबंधो का आधार माना था लेकिन सामाजिक क्रिया को टांनिज प्राकृतिक विवके पूर्ण बतलाया है लेकिन टांनिज प्राकृतिक इच्छा के आधार पर समुदाय के सामाजिक संबंधो की स्थापना की है उनकी कल्पना वेबर ने नही की वास्तव मे टांनिज की सामाजिक संबंधो की कल्पनाा वेबर की कल्पना से कही अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। प्रस्तुत अध्याय मे संबंधो को अनेक परिवृत्तो से जोडने का प्रयास किया जा सकता है।

परिवारः

प्राणीशास्त्रीय सम्बन्धों के आधार पर बने हुए समूहों मे परिवार सबसे छोटी इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है । मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत सर्वव्यापी एवं सामाजिक संस्था है । परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है, यौन संबंधों एवं सन्तानोन्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। मैलिनोवस्की ने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है ।

परिवार में माता-पिता का स्नेह और अन्य सदस्यों का परस्परिक सहयोग बच्चें में सामाजिक विशेषताऐं पैदा करता हैं । परिवार ही वह शिक्षा संस्था है जहाँ बालक को माता-पिता सदाचार संस्कार एवं नागरिकता की शिक्षा देते है । माता-पिता की गोद में जो संस्कार पड़ते है वे बालक के व्यतित्व निर्माण के आधार बनते है । सच्चे अर्थो मे माता-पिता ही शिशु के गुरू होते है जो बालकों को अपने व्यतित्व द्वारा प्रभावित कर शिक्षा प्रदान करते है । माता-पिता के संस्कार बालक को संस्कारित कर इस योग्य बनाते है कि वह प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। हँसना बोलना बात करना दैनिक क्रियाायें संपादित करना बड़ो के प्रति सम्मान भाव रखना समाज और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों का बोध होना, ये सभी बालक परिवार मे ही सीखता है । भारतीय संस्कृति सदाचार की शिक्षा प्रदान करने मे परिवार को सर्वोपरि मानती है । माता-पिता के साधारण व्यवहार बालक मे

उत्साह अथवा नैरासय भर देते है । नैरासय से बालक मे विद्रोह एवं विरोध की भावना उत्तपन्न हो जाती है । वह माता-पिता की अवहेलना करने लगता है । जब माता-पिता अपने साधारण व्यवहारों पर ध्यान रखते है, बालक का प्रेम पूर्वक पोषण करते है तो बालक में उनके प्रति विश्वास, आस्था, भक्ति एवं प्रेम उत्तपन्न हो जाता है । चाणक्य नीति माता-पिता के प्रति उनकी आयु और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देती है...

"लालायेत पंचवर्षाणि दश पंचवर्षाणि ताडयेत ।
प्राप्तेय तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवत आचरेत् ।।

अर्थात् बालक का पॉच वर्ष की आयु तक पूर्ण प्रकार से लालन पालन करें तत्पश्चात दस वर्ष तक बालक को अपने आदर्श व्यवहारों, उपदेशों तथा वास्तविक क्रियाओं से ताड़ना मार्गदर्शन प्रदान करें और जैसे ही सोलह वर्ष का हो जाये तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें क्यों कि वह किशोर हो जाता है। इस प्रकार परिवार ही वह संस्था है जिसकी छाप एक व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर दिखाई पड़ती है । परिवारिक परिवेश का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व ही नही अपितु उसके कृतित्व पर पड़ता है । इस दृष्टि से व्यक्ति के कृतित्व का अध्यन करने के लिए उसके परिवारिक परिवेश का जानना जरूरी हो जाता है । इसे ध्याान मे रखते हुए हमने अपने उत्तरदाताओं के परिवारिक परिवेश की जानकारी प्राप्त की है । यही नही उनकी शिक्षा, आयु, परिवारिक आय, आदि ऐसे विषय है जो उनके शिक्षा को प्रभावित करते है, अथवा वे कारक जो इनकी सोच को प्रभावित करते है । साथ ही पारिवारिक व्यक्तित्व के तदनुसार सामंजस्य की प्रकृति के अभाव मे उन प्रत्याशाओं की पूर्ति मे विलम्ब अथवा पूरे होने की स्थिति मे उनमे नैरासय भाव पनप सकता है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक छात्र में शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए सामाजिक परिवेश का अवश्य प्रभाव पड़ता है ।

इसे दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने छात्रों की सामाजिक विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया है । सर्वप्रथम हमने अपने छात्रों की परिवारिक संरचना की चर्चा कर रहे है ।

सारिणी कमांक -4.1 : परिवारिक संरचना के आधार वर्गीकरण

क.स.	परिवारिक संरचना	संख्या	प्रतिशत
01	संयुक्त	210	70
02	एकाकी	90	30
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 4.1 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक संरचना संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 210 अर्थात 70 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार तथा 90 अर्थात 30 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार के है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 70 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार के है। इसका मुख्य कारण झांसी नगर की जनसंख्या का संयुक्त परिवार प्रधान हो सकता है।

दूसरी ओर संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त अवसर विधमान होते है जिसका लाभ एकांकी परिवार के रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है अतः क्षेत्रीय कारणों की सुविधाओं के चलते उनमें एकांकी परिवार की भावना नहीं पनप पाती है।

सारिणी कमांक -4.2 : परिवारिक सदस्य संख्या

क.स.	परिवारिक संदस्य संख्या	संख्या	प्रतिशत
01	2	89	29.33
02	3-5	102	34
03	6-8	70	23.33
04	9-10	36	12
05	10 के उपर	03	01
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 4.2 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक संदस्य संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाताओं को संदस्य संख्या के आधार पर पाँच भागों मे बांटा गया है संदस्य संख्या 2, 3-5,6-8,9-10 तथा 10से ज्यादा । जिसके अंतर्गत 300 उत्तरदाताओं में89

या 29.33 प्रतिशत उत्तरदाता दो सदस्य वाले,102 अर्थात 34 प्रतिशत उत्तरदाता 3-5 सदस्य वाले 70 अर्थात 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता 6-8 सदस्य वाले 36 अर्थात 12 प्रतिशत उत्तरदाता 9-10 सदस्य वाले तथा 10से ज्यादा सदस्य वाले 03 या 01 प्रतिशत उत्तरदाता है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 34 प्रतिशत उत्तरदाता 3-5 सदस्य वाले परिवार के है। इसका मुख्य कारण झांसी नगर मे जागरूकता की कमी नही है।

सारणी संख्या 4.3 उत्तरदाताओं (छात्रों) का धर्म

धर्म	संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	182	60.66
इस्लाम	37	12.33
ईसाई	73	24.33
अन्य	08	2.66
योग	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.3 मे उत्तरदाताओं के धर्म संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाताओं के धर्म को चार भागों मे बांटा गया है हिन्दू इस्लाम ईसाई अन्य जिसके अंतर्गत जैन सिख आदि धर्मो से संबंधित उत्तरदाताओं के अंतर्गत रखा गया है। 300उत्तरदाताओं में 60.66 प्रतिशत हिन्दू 12.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस्लामधर्म 24.33 प्रतिशत ईसाईधर्म 2.66 प्रतिशत अन्य धर्मो जैन सिख आदि से संबंधित है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 60.66 प्रतिशत हिन्दूधर्म के है। इसका मुख्य कारण झांसी नगर की जनसंख्या का हिन्दू प्रधान हो सकता है। लेकिन ईसाई धर्म को मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण झांसी नगर मे संचालित क्रिश्चियन कालेज है। ईसाई धर्म को मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है क्योकि मुस्लिमों मे अभी शिक्षा संबंधी जागरुकता का आभाव दिखाई पड़ता है। मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को शिक्षा की अपेक्षा

व्यवसाय मे संलग्न कर देना अधिक उपयुक्त समझता है। इसी प्रकार अन्य धर्मो से संबंधित छात्रों की संख्या कम है जिनमे प्रमुख जैन एवं सिख है। इसका एक कारण झांसी नगर मे इनकी जनसंख्या अनुपातिक रूप मे अत्यंत कम है। साथ ही सिख एवं जैन धर्म को मानने वाले नौकरियों की अपेक्षा व्यापार में अधिक संलग्न है।

सारणी संख्या 4.4 : (छात्रों) का आयु एवं जाति

जाति → आयु ↓	सामान्य		पिछड़ी		अनुसूचित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13-14	10	10.86	29	31.52	53	57.60	92	30.6
12-13	05	8.06	13	20.96	44	70.96	62	2066
11-12	02	2.73	12	16.43	59	80.82	73	24.33
10-11	02	3.63	10	18.18	43	78.18	55	28.33
09-10	05	27.77	10	55.55	03	16.66	18	6.00
योग	24	8.00	74	24.66	202	67.33	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.4 मे उत्तरदाताओं की आयु एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछडी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। तथा आयु को 5 वर्गो मे कमशः 13-14, 12-13,11-12,10-11, 09-10 मे रखा गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं मे 24 अर्थात 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति से संबंधित है। इससे स्पस्ट है कि छात्रों मे सामान्य जाति का कम प्रतिशत है। चूंकि सामान्य जातियां आर्थिक रूप से सबल रही है। अतः संसाधनों की उपलब्धता के कारण उनमे शिक्षितो का प्रतिशत अधिक रहा है। और इसी कारण वे नौकरियो मे अधिक मात्रा मे आए। आजादी के बाद से पिछड़े जातियों मे सामाजिक आर्थिक उत्थान अधिक तीव्र गति से हुआ है। फलस्वरूप उनमे शिक्षा के क्षेत्र मे भी भागीदारी बढी यही कारण है कि 74 अर्थात 24.66 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जातियो से संबंधित है।

इनमे भी यादव कुर्मी राजपूत आदि जातियां प्रमुख है। अनुसूचित जातियां शैक्षणिक दृष्टी से अत्याधिक पिछ्ड़ी रही है। इनके उत्थान के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास होते रहे है। परंतु इनमे सामाजिक उत्थान का आभाव रहा है। ये जातियां वर्षो से दबी कुचली रही हैं जिससे इनके उत्थान मे काफी समय लग जाएगा । यही कारण है कि मात्र 202 या 67. 33 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जातियों से संबंधित है। आयु के आधार पर देखे तो सर्वाधिक प्रतिशत 13-14 आयु वर्ग का है। 92 अर्थात 30.6 प्रतिशत उत्तरदाता इसी वर्ग से संबंधित है।

जाति एवं आयु अंर्तसंबंध को यदि हम देखे तो पाते है कि सामान्य जाति के छात्रों मे सर्वाधिक 13-14 आयु वर्ग के छात्र है। इसका कारण यह है कि सामान्य जाति के छात्रों के अभिवावक लगभग 10 से 20 वर्षो से नौकरी मे थे और उस समय सामान्य जाति के लोगो मे शिक्षा का प्रसार अन्य जातियो की अपेक्षा अधिक था। पिछ्ड़ी जाति के सर्वाधिक उत्तरदाता 13-14 आयु वर्ग के है इस कारण वर्तमान मे पिछ्ड़ी जातियां सामाजिक आर्थिक राजनैतिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से सबल होती जा रही है। साथ ही हाल के वर्षो मे आरक्षण के कारण इनका नौकरियों मे प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि इनमें शिक्षा के प्रति थोड़ा लगाव है उम्र 13-14 के छात्रों का प्रतिशत कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों मे पिछले दशक से राजनैतिक चेतना की वृद्धि हुई है। शिक्षा के महत्व को आज अनुसूचित जाति के लोगो ने जान लिया है तथा इन जातियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि बिना शिक्षा के वे अपने समाज का उत्थान नही कर सकते है। परंतु फिर भी आज शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछ्ड़े हुये है।

सारणी संख्या 4.5 (अ) छात्रों के अभिवावकों में पिता का जाति एवं शैक्षिक योग्यता का संबंध

जाति	पिता की शैक्षिक योग्यता								योग	
	हायर सेकण्ड्री		स्नातक		स्नातकोत्तर		पी.एच.डी.			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	02	8.33	04	16.66	16	66.66	02	8.33	24	8.00
पिछ्ड़ी	08	10.81	51	68.9	10	13.51	00	00	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	75	37.12	26	12.87	00	00	202	67.33
योग	111	37.00	130	43.33	52	17.33	02	0.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

सारणी संख्या 4.5: (ब) छात्रों के अभिवावकों मे माता का जाति एवं शैक्षिक योग्यता का संबंध

जाति	माता की शैक्षिक योग्यता								योग	
	हाई स्कूल		हायर सेकण्ड्री		स्नातक		स्नातकोत्तर			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	02	8.33	16	66.66	02	8.33	24	8.00
पिछडी	51	68.9	08	10.81	10	13.51	00	00	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	75	37.12	26	12.87	00	00	202	67.33
योग	156	52.00	85	28.33	52	17.33	02	0.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.5(अ) मे उत्तरदाताओं की जाति के आधर पर शैक्षणिक स्तर का विवरण दिया है। जाति को पूर्व की भांति तीन भागो मे बांटा गया है सामान्य 8. 00 प्रतिशत पिछ्ड़ी 24.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 67.33 प्रतिशत है। अभिवावकों मे पिता के शिक्षा को 4 वर्गो मे विभक्त किया गया है। हायर सेकण्ड्री किये हुए 111 अर्थात 37.00 प्रतिशत, स्नातक किये हुए उत्तरदाता130 अर्थात 43.33 प्रतिशत ,स्नातकोत्तर किये हुए उत्तरदाता 52 अर्थात 17.33 पी .एच.डी. किये हुए उत्तरदाता 2 अर्थात 0.66 प्रतिशत है।

सारणी के समग्र निरिक्षण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता हायर सेकण्ड्री . किए हुए है। जिनका प्रतिशत 43.33 है। आज के युग मे स्नातक या स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। अतः अधिकांश उत्तरदाता स्नातक किए हुए है।

17.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर परीक्षा पास किए हुए है। उच्च शिक्षा तथा शोध उन्मुख उत्तरदाता पी.एच.डी. की उपाधी भी ग्रहण किए है। परंतु इनका प्रतिशत अत्यंत न्युन 0.66 प्रतिशत है। चुंकि शोध एक कठिन कार्य है तथा इसकी विशेष उपादेयता भी नही है। अतः ऐसे उत्तरदाता कम ही है। जो उत्तरदाता पी.एच.डी. धारक है वे या तो इस सेवा मे आने से पूर्व ही शोध प्रकिया से जुड चुके होंगे या फिर विषय मे विशेषता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से पी.एच.डी. धारण किए हुए है।

उत्तरदाताओं की जाति और शिक्षा के मध्य यदि हम अंतःसंबंध स्थापित करे तो पाते है कि उच्चतर अर्थात पी.एच.डी. धारक अधिकांश उत्तरदाता सामान्य जाति के है पिछ्ड़ी जाति का एक उत्तरदाता तथा अनुसूचित जाति का कोई भी उत्तरदाता पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त नही किए हुए है। इसका कारण है कि शिक्षा के प्रति चेतना तथा संसाधनों की उपलब्धता के कारण सामान्य जातियो मे शिक्षा का प्रचार अधिक है। इसी प्रकार पिछ्ड़ी जातियों मे भी शनैः शनैः बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति चुंकि अपेक्षाकृत साधन विहीन एवं कम जागरूक है। पी.एच.डी. या शोध कार्यो मे उनकी संलिप्तता कम ही होती है। अतः सामान्य पिछ्डी या अनुसूचित जातियों के अधिकांश उत्तरदाता स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के है।

सारणी संख्या 4.5(ब) मे उत्तरदात्रिओं की जाति के आधार पर शैक्षणिक स्तर का विवरण दिया है। जाति को पूर्व की भांति तीन भागों मे बांटा गया है सामान्य 8.00 प्रतिशत पिछ्ड़ी 24.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 67.33 प्रतिशत है। अभिवावकों मे माता के शिक्षा को भी 4 वर्गो मे विभक्त किया गया है। हाई स्कूल किये हुए 156 अर्थात 52 प्रतिशत, हायर सेकण्ड्री किये हुए 85 अर्थात 28.33 प्रतिशत, स्नातक किये हुए माता, 52 अर्थात 17.33, स्नातकोत्तर किये हुए उत्तरदाता 2 अर्थात 0.66 प्रतिशत है।

सारणी संख्या 4.5(ब) के निरिक्षण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक माताएँ हाई स्कूल किए हुए है। जिनका प्रतिशत 52 है। हायर सेकण्ड्री 28.33 प्रतिशत, स्नातक 17.33 तथा स्नातकोत्तर 0.66 प्रतिशत है। अतः छात्रों की माताएँ अधिकांश हाई स्कूल किए हुए है जो कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है चुंकि पूर्व की तरह उत्तरदात्रिओं की जाति और शिक्षा के मध्य यदि हम अंतःसंबंध स्थापित करे तो पाते है कि उच्चतर अर्थात अधिकांश स्नातकोत्तर किये हुए उत्तरदात्री सामान्य जाति के है पिछ्ड़ी जाति का एक उत्तरदाता तथा अनुसूचित जाति की कोई भी उत्तरदात्री स्नातकोत्तर किये हुए नही है। इसका कारण है कि शिक्षा के प्रति सामान्य जातियों की माताओं मे शिक्षा का प्रचार तथा जागरूकता अधिक है। इसी प्रकार पिछ्ड़ी जातियों मे भी शनैः शनैः बढ रहा है। अनुसूचित जाति चुंकि अपेक्षाकृत घरेलू कार्यो मे ज्यादा लिप्त होती है। अतः सामान्य पिछ्डी या अनुसूचित जातियों की अधिकांश उत्तरदात्रियाँ स्नातक स्तर की है।

सारणी संख्या 4.6: एक ही स्कूल में अध्ययन की अवधि

अवधि वर्ष में	संख्या	प्रतिशत
0-2 वर्ष	201	67
2-4 वर्ष	31	10.33
4-6 वर्ष	34	11.33
6-8 वर्ष	34	11.33
योग	300	100:

स्रेात क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.6 मे उत्तरदातों के एक ही स्कूल में अध्ययन की अवधि से संबंधित है। इनको पांच भागों मे विभक्त कमशः0-2, 2-4, 4-6,6-8 वर्ष मे बांटा गया है। अधिकतम उत्तरदाता अधिकतम 2 वर्षो से एक ही स्कूल में अध्ययन कार्य कर रहे है जिनकी संख्या 201 अर्थात 67 है। इसी प्रकार 31 अर्थात 10.33 प्रतिशत उत्तरदाता 4 वर्ष से 34 अर्थात 11.33 प्रतिशत उत्तरदाता 6 वर्ष 34 अर्थात 11.33 प्रतिशत उत्तरदाता 8 वर्ष से एक ही स्कूल में अध्ययन कार्य कर रहे है
अधिकांश छात्र 2 वर्ष से अधिक एक स्कूल मे नही रहे अतः अलग अलग स्कूल का अलग अलग वातावरण होने के कारण वे पढ.ाई मे एक ही स्कूल मे अध्ययनरत छात्रों की तुलना मे पिछड़ गये ।

सारणी संख्या 4.7 छात्रों के अभिवावकों की वैवाहिक स्थिति

जाति	पिता				माता				योग	
	18बर्ष के पहले		18 बर्ष के बाद		18 बर्ष के पहले		18 बर्ष के बाद			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	20	83.33	12	50	12	50	24	8.00
पिछडी	08	10.81	66	89.19	30	40.54	44	59.46	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	101	50.00	150	74.25	52	25.74	202	67.33
योग	113	37.66	187	62.33	192	64	108	36	300	100

स्रेात क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.7 मे उत्तरदाताओं (छात्रों के अभिवावक) की वैवाहिक स्थिति का विवरण दिया गया है। यह विवरण उनकी आयु के आधार पर किया गया वैवाहिक स्थिति का उनका विवाह 18 बर्ष के पहले और 18 बर्ष के बाद की श्रेणीयों मे रखा गया है। चुंकि कोई भी उत्तरदाता तलाकशुदा या विधुर /विधवा नही था। अतः इन श्रेणियों को वैवाहिक स्थिति मे नही रखा गया है।

सारणी पर देखने से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता (छात्रों के पिता) का विवाह 18 बर्ष के बाद हुआ तथा उत्तरदात्रियों (छात्रों की माता) का विवाह 18 बर्ष से कम उम्र मे हुआ जो कि अनुसूचित से है। तथा उनका 64 प्रतिशत हैं । सामान्य श्रेणी के उत्तरदाता जिनका विवाह 18 बर्ष के पहले हुआ 16.66 प्रतिशत हैं तथा उत्तरदात्रियों 50 प्रतिशत हैं, पिछ्ड़ी जाति के उत्तरदाता 10.81 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का 40.54 प्रतिशत है । अतः स्पष्ट है कि कम उम्र मे विवाह होने से घरेलू जिम्मेदारी जल्दी ही बढ़ जाती है और बच्चों के लालन पालन मे कमी से उनके मानसिक विकास मे कमी रह जाती है।

सारणी संख्या 4.8 : छात्रों का जाति के आधार पर परिवार का स्वरूप

जाति एवं परिवारका स्वरूप	संयुक्त परिवार		एकांकी परिवार		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	18	75	6	25	24	8.00
पिछ्डी	51	68.92	23	31.00	74	24.66
अनुसूचित	141	69.8	61	30.2	202	67.33
योग	210	70	90	30	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

झांसी नगर के नागरिक अभी भी अधिकांशतः संयुक्त रूप से संबद्ध दिखलाई पड़ते है। 70 उत्तरदाता संयुक्त परिवार से जुडे है। इसका कारण झांसी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र का परंपरागत तथा पिछ्ड़ा होना हो सकता है। चुंकि बुंदेलखंड क्षेत्र मे औघोगिकीकरण की प्रवृति धीमी है साथ ही झांसी नगर मे नगरीकरण की विशेषताएं जन्म नही ले पाई है।

इसी कारण यहां अभी भी संयुक्त परिवारों की उपादेयता बनी हुई है। बुंदेली संस्कृति का चूंकि भावनात्मक पक्ष ज्यादा सबल है। यहां पारिवारिक पूज्य अभी भी बने हुए है।

अतः आज भी अधिकांश लोग संयुक्त परिवार से जुड़े है। यह नगर भी आधुनीकरण से अछूता नहीं है और यहां भी अन्य नगरों की भांति एकाकी रहने की प्रवृत्ति पनप रही है। अतः 90 उत्तरदाता एकाकी परिवार से जुड़े होना स्वीकारते है। जाति के आधार पर यदि परिवार का विश्लेषण करे तो पाते है कि सामान्य ,पिछडी ,एवं अनुसूचित जाति सभी जातियों संबंद्ध उत्तरदाताओ मे 70 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से जुडे है। इससे यह ज्ञात होता हैकि यहां जाति की अपेक्षा भौगोलिक ,सांस्कृतिक एवं ,सामाजिक परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जातियों मे परिवार को लेकर सामान्य दृष्टिकोण देखने को मिलता है व्यक्तिवादिता स्वार्थवादिता नगरीय जीवन शैली के लक्षण हो सकते है और ये ही संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार मे बदलने के महत्वपूर्ण कारक हो सकते है। परंतु झांसी नगर मे व्यक्तिवादिता और स्वार्थवादिता अन्य नगरों की अपेक्षा कम दिखलाई पड़ती है। और यही कारण है कि यहां के नगरीय अधिकांश संयुक्त परिवार से जुड़े हुए है इसके पीछे ऐसे तत्व भी छिपा दिखाई देता हैकि अधिकांश क्षेत्रीय है। जिनकी जन्म और कर्म स्थल झांसी क्षेत्र ही है और उनके परिवार लंबी अवधि से इसी क्षेत्र मे संयुक्त रुप से अधिवासित है। चूंकि अधिवास की अलग व्यवस्था कर पाना इस भौतिकवादी युग में एक जटिल कार्य है।

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.8 में उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरुप का जातिगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को पूर्व की भांति 3 वर्गो में सामान्य,पिछड़ी,अनुसूचित में विभाजित किया गया है। जबकि परिवार के स्वरुप को संयुक्त और एकाकी मे वर्गीकृत किया गया है। सामान्य जाति के 24 उत्तरदाता है। पिछड़ी जाति के 74 उत्तरदाता हैं एवं अनुसूचित जाति के 202 उत्तरदाता हैं। संयुक्त परिवार से जुडे उत्तरदाता 70 हैं। एकाकी परिवार में रहने वाले 30 उत्तरदाता हैं। जाति के आधार पर 18 सामान्य जाति के उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं जबकि 06 उत्तरदाता एकाकी परिवार से हैं। इसी प्रकार पिछडी जाति के 51 उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं तथा 23 उत्तरदाता एकाकी परिवार से है। अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं मे 141 उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं जबकि उत्तरदाता 61 एकांकी परिवार से हैं।

आधुनिकीकरण नगरीकरण की प्रकियाओं ने परिवार के स्वरूप को बदल दिया है। आज संयुक्त परिवार तेजी से विघटित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार अब मात्र गांवो की पहचान बनकर रह गये हैं और ग्रमीण क्षेत्रों में भी परिवर्तन की नवीन प्रकियाओं के कारण एकांकी परिवार में रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। परंतु उपरोक्त सारणी मे देखने से विपरीत स्थिति दिखलाई पडती है।

सारणी संख्या 4.9 : जाति एवं मूल निवास

जाति	मूल निवास ग्राम		मूल निवास शहर		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	18	75	6	25	24	8.00
पिछ्ड़ी	51	68.92	23	31.00	74	24.66
अनुसूचित	124	61.38	78	38.61	202	67.33
योग	193	64.33	107	35.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.9 मे उत्तरदाताओं के मूल निवास का जाति के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य, पिछ्ड़ी,एवं अनुसूचित जाति में रखा गया है। जिसके अंतर्गत 8 प्रतिशत सामान्य, 24.66 प्रतिशत पिछ्ड़ी,तथा 67.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता हैं। मूल निवास को नगर एवं ग्राम के कम मे रखा गया है। ग्रामों से संबंधित उत्तरदाताओं का 64.33 प्रतिशत है। जबकि ऐंसे उत्तरदाताओं का 35.66 प्रतिशत है जो मूल रूप से नगर के निवासी हैं। जाति के आधार पर सामान्य जाति 75 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामों से संबंधित तथा 25 प्रतिशत उत्तरदाता नगर से संबंधित हैं। इसी प्रकार पिछ्ड़ी जाति के 68.92 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामों से संबंधित तथा 31.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगरों के मूल निवासी हैं जबकि अनुसूचित जाति के 61.38 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामों से संबंधित एवं 38.61 प्रतिशत उत्तरदाता नगरों के मूल निवासी हैं।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 35.66 प्रतिशत उत्तरदाता नगरों के मूल निवासी है चूंकि नगरों में शिक्षा के उत्तम साधन उपलब्ध होते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्र में

रहने वाले व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जागरूकता भी अधिक होती है। यही कारण है कि नगरीय परिवेश से जुडे व्यक्ति को ग्रामीण व्यक्ति की अपेक्षा जल्दी से नौकरी प्राप्त हो जाती है और इसीलए अध्ययन के 35.66 प्रतिशत अभिवावक नगरों के मूल निवासी हैं। परंतु चूंकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है साथ ही साथ ग्रामीण लोगों में भी शिक्षा के महत्व की समझ विकसित हुई है और वे भी नौकरी को सामाजिक ,आर्थिक विकास का माध्यम मानने लगे है। इसी कारण ग्रामीणों में भी नौकरीयों में जाने की लालसा बढ़ी है। इसीलिए 64.33 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रो से आए हुए है। जातिगत आधार पर यदि विवेचन करे तो पाते है कि सामान्य जाति के तीन चौथाई उत्तरदाता नगर के ही मूल निवासी है। चूंकि सामान्य जातियां खासकर ब्राम्हण ,कायस्थ, और वैश्य आरंभिक वर्षो से ही नगरों से संबद्ध रहे है। ब्राम्हणों एवं कायस्थों मे चेतना अधिक होने के कारण नौकरीयों मे अधिक प्रतिनिधित्व रहा है। अतः वे प्रारंभ से ही नगरों के संबद्ध रहे है। इस प्रकार वैश्य व्यापार के क्षेत्र मे अधिक होने के कारण नगरों मे निर्भर रहे । इसी कारण वैश्यों की जनसंख्या नगरों मे संकेंद्रित होती गई । इन सब कारणे से उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व नगरों मे अपेक्षाकृत अधिक रहाहै। पिछड़ी जाति के लगभग आधे उत्तरदाता ग्रामीण परिवेश से संबद्ध रहे है इसका प्रमुख कारण पिछड़ी जाति का कृषि प्रधान होना हो सकता है और कृषि से जुड़े लोग गांवो मे ही निवास करते है। अतः पिछड़ी जाति के आधे से अधिक उत्तरदाता गांवो से संबंधित है। परंतु पिछड़ी जातियों मे भी पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है और वे भी गांवो की अपेक्षा नगरो से अधिक आकर्षित हो रहे है। प्रकृति , और अधिक श्रम के कारण ग्रामीण लोग भी नगरो मे रोजगार की तलाश करने लगे है और इनमे अधिकांश पिछड़ी जातियां है इसी कारण काफी उत्तरदाता नगरीय क्षेत्र से भी मूलरूप से जुड़े है। अनुसूचित जाति के लोग प्रायः भूमिहीन श्रमिकों के रूप मे गांवो मे बड़े किसानों के यहां कृषि से संबंधित कार्य करते रहे है। जहां उनका मनमाना शोषण हुआ है। अतः अनुसूचित जाति के लोगों का पलायन तेजी से शहरों की ओर हुआ है। शहरों मे उनको तेजी से रोजगार उपलब्ध हुए और इसी कारण नगरों की एक बढ़ी आबादी अनुसूचित जातियों की भी होती है। यही कारण है कि 38.61प्रतिशत नगरीय नगर के मूल निवासी है जबकि 61.38 प्रतिशत ग्रामों से ही जुड़े है। क्योंकि आरक्षण के प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यो मे भी नौकरीयों की चाह बढ़ी है।

सारणी संख्या 4.10 : जाति एवं पारिवारिक व्यवसाय

जाति	व्यवसाय							
	कृषि		नौकरी		व्यापार		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	06	25	02	8.33	16	66.66	24	8.00
पिछड़ी	38	51.35	14	18.91	22	29.72	74	24.66
अनुसूचित	122	60.40	30	14.85	50	24.75	202	67.33
योग	166	55.33	46	15.33	88	29.33	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 4.10 मे उत्तरदाताओं की जाति के आधार पर उनके पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी गई है। जाति को पूर्व की भांति सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति मे रखा गया है। जिसके अंतर्गत 8 प्रतिशत सामान्य, 24.66 प्रतिशत पिछड़ी,तथा 67.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता हैं। जिसमे पारिवारिक व्यवसाय को कृषि , नौकरी तथा व्यापार रखा गया है। कुल उत्तरदाताओं मे 29.33 प्रतिशत के परिवारों का व्यवसाय कृषि है। 15.33 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय नौकरी है। 29.33 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय व्यापार है। व्यापार के अंतर्गत मजदूरी , मौसमी रोजगार आदि को भी रखा गया है। जातिगत आधार पर देखने पर सामान्य जाति क 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार मे कृषि है। 8.33 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय नौकरी है। परिवारों का व्यवसाय 66.66 प्रतिशत व्यापार है। पिछड़ी जाति के 51.35 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय कृषि है। 18.91 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय नौकरी है। 29.72 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय व्यापार है। अनुसूचित जाति 60.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों का व्यवसाय कृषि है। 14.85प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय नौकरी है 24.75 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय व्यापार है ।

सारणी के समग्र विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक आधे दत्तरदाताओं का व्यवसाय नौकरी है। चूंकि पारिवारिक व्यवसाय का प्रभाव व्यक्ति के पेशा चुनने मे सहायक होता है। साथ ही नौकरीशुदा व्यक्ति अपने बच्चों को नौकरी मे ज्यादा सुरक्षित समझता है। अतः वह

उन्हे नौकरी करने के लिए प्रेरित करता है। अधिकांश देखने मे आया है कि अध्ययन के दौरान यह तथ्य निकलकर आया कि वे उत्तरदाता जिनके पिता नौकरी मे थे अधिकांश रेलवे या मेडिकल मे थे । चूंकि वर्तमान मे कृषि अत्याधिक श्रम और कम लाभ का व्यवसाय माना जाने लगा है। अतः कृषि से जुड़े परिवार भी नौकरी को अधिक प्राथमिकता देने लगे है। या कुछ परिवार के उत्तरदाताओं के सदस्य ठेकेदारी आदि भी करते है। ऐसे उत्तरदाता बहुत कम मात्रा मे है। जिनके परिवार मे व्यापार होता है इसका कारण है कि व्यापार करने वाले परिवार अपने सदस्यों को व्यापार मे लगा देना ही उचित समझते है। उनका मानना है कि व्यापार मे अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। या फिर व्यापार मे अधिक सदस्यों की आवश्यकता भी होती है। जाति के आधार पर देखें तो सामान्य जाति के अधिकांश उत्तरदाताओं के परिवार नौकरी व्यवसाय ही होता है। चूंकि सामान्य जातियों के अधिकांश पूर्व से ही नौकरी मे संलग्न है। अतः ऐसे परीवारों का प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार के पिछ्ड़ी जाति कृषि प्रधान होती है। अतः इन परिवारों का प्रतिशत अधिक हैं। नौकरीयों मे उच्च वर्ग के बाद पिछ्ड़ी जाति का प्रतिनिधित्व रहा है। अनुसूचित जातियों उत्तरदाताओं के परिवारों मे सर्वाधिक कृषि कार्य होता है। अतः अनुसूचित जाति के काफी उत्तरदाताओं के परिवार वाले नौकरी तथा काफी प्रतिशत अन्य कार्यो से जुड़े है जिनमें प्रमुख रूप से मौसमी रोजगार है। सामान्य जाति के पश्चात अनुसूचित जातियों का नौकरी मे प्रतिशतांक अधिक होने के कारण आरक्षण की सुविधा का प्राप्त होना है। आरक्षण की सुविधा का लाभ आज अनुसूचित जाति प्राप्त करना चाहती है, वे निश्चित अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात आरक्षण की सुविधा से नौकरी प्राप्त करने मे सफल हो जाती है। परंतु शिक्षा मे वहुत पीछे है।

सारणी संख्या 4.11 भवन का विवरण एवं आय

आय → का विवरण / मकान ↓		5000तक		7000तक		10000तक		योग	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
मलिकाना	निजी है	34	25.37	41	30.59	59	44.03	134	44.66
	किराये का	100	60.24	34	20.48	32	19.27	166	55.33
	योग	134	44.66	75	25	91	30.33	300	100
किराये मे हो तो प्रतिमाह किराया	500तक	50	75.75	10	15.15	06	9.09	66	39.75
	1000तक	16	25.39	35	55.55	12	19.04	63	37.95
	1500तक	00	00	15	40.54	22	59.45	37	22.28
	योग	66	39.76	60	36.14	40	24.09	166	100:
निजीमकान कीउपलब्धता	स्वयं खरीदा	07	14	15	30	28	56	50	37.31
	पैतृक मे मिला	50	59.52	22	26.19	12	14.28	84	62.68
	योग	57	42.53	37	29.83	40	29.85	134	100:
मकान का स्वरूप	पक्का	25	56.81	11	25	08	18.18	44	32.8
	कच्चा	07	14	15	30	28	56	50	37.31
	मिश्रित	25	59.52	11	26.19	04	14.28	40	29.85
	योग	57	42.53	37	29.83	40	29.85	134	100:
कमरो की संख्या	2	50	24.75	10	4.95	142	70.29	202	67.33
	3	9	37.5	03	12.5	12	50	24	8.00
	4	5	6.75	54	72.97	15	20.27	74	24.66
	योग	64	21.33	67	22.33	169	56.33	300	100
मकान का क्षेत्र	अभिजात वर्गीय	02	5.4	05	13.5	30	81.08	37	6.33
	मध्य वर्गीय	121	48.59	48	19.27	80	32.12	249	83
	निम्नवर्गीय	11	78.57	03	21.42	00		14	4.66
	योग	134	44.66	56	18.66	110	36.66	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

- सभी उत्तरदाताओं के मकान मे बिजली,पानी, शौचालय, स्नानागार,एवं रसोई घर की सुविधाएं उपलब्ध थी।

उपरोक्त सारणी संख्या 4.11 मे कई उपसारणीयों को आय के आधार पर एक साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत सारणी मे उत्तरदाताओं के आवास या मकान सबंधी

विवरण दिया गया है। आय को विशलेषण का आधार बनाया गया है। आय को तीन बर्गो 5000, 7000तक, 10000तकमे विभजित किया गया है। 134 उत्तरदाताओ की मासिक आय 5000रूपये ,75 उत्तरदाताओं की मासिक आय 7000 रूपये मासिक है। 91 उत्तरदाताओं की मासिक आय 10000 रूपये मासिक है ।

जब उत्तरदाताओं के उनके आवास के स्वामित्व के संबंधी ली गई तो पाया गया कि 44.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मकान नीजी है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पूर्वज पहले से ही झांसी नगर के निवासी है या फिर उन्होने स्थायी निवासी बनवा लिये है। किसी भी व्यवसाय मे गतिशीलता पायी जाती है। साथ ही व्यवसाय की प्रकृति भी कुछ ऐसी पायी जाती है कि एक ही स्थान मे बसनें की प्रेरणा दी जाती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग मुख्यालय या आसपास अपना स्थायी निवास बना लेते है। 10000 रूपये आय वर्ग के 44.03 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मकान नीजी है। इसका कारण कि अधिक आय होने के कारण मकान के लिए अर्थ की समस्या नही होती है। निजी मकान मे रहने वाले उत्तरदाताओं मे लगभग आधे से अधिक उत्तरदाता 7000 तक की आय वर्ग के है। ये अधिकांश पूर्वजो के द्वारा निर्मित मकानों मे रह रहे है। 55.33 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो झांसी नगर मे किराए से रह रहे है।

ये उत्तरदाता ऐसे भी है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर मे बसना चाहते हों और इसीलिए अभी तक झांसी नगर मे अपना स्थायी निवास नही बना रहे है। साथ ही अर्थ का कारण भी उन्हे किराए मे रहने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। जैसा की सारणी मे अवलोकन से स्पस्ट है कि किराए मे रहने वाले उत्तरदाताओं मे अधिकांश 20.48प्रतिशत 7000 तक की आय से संबंधित है। चूंकि आधुनिक भौतिकवादी समय मे 7000 या 10000तक की मासिक आय अपर्याप्त है तथा इस आय से बहुत ज्यादा बचत नही है। जिससे की अपना निजी आवास बनाना संभव हो कुछ । इन उत्तरदाताओं का 19.27 प्रतिशत काफी कम है इसका सभी को यह सुविधा न हो पाना या यहां के आवासों का अन्य उत्तरदाताओं की पसंद का न होना हो सकता है।

दूसरी सारणी मे किराये मे रहने वाले उत्तरदाताओं द्वारा मकान के प्रतिमाह किराए के संबंध मे विवरण दिया गया है।55.33 प्रतिशत उत्तरदाता ही किराये के आवास मे रहते है। जिसमें 39.75 प्रतिशत किराये मे रहने वाले उत्तरदाता 500 रू. प्रतिमाह किराये के आवास मे रहते है। 37.95 प्रतिशत 1000 तक प्रतिमाह किराये के आवास मे

रहने वाले है तथा 22.28 प्रतिशत किराये मे रहने वाले उत्तरदाता 1500 रू. प्रतिमाह चुकाते है। वर्तमान मे नगरों की आधी आबादी किराए मे रह रही है। अतः कम किराए पर अच्छा मकान मिल पाना बडा मुश्किल है। झांसी नगर तेजी से विकसित हो रहा है अतः मकान किराया अधिक है। 500 रू. प्रतिमाह किराए पर मुश्किल से एक कमरा मिलता है। 1000 से 1500 रू. प्रतिमाह के किराये पर अच्छा मकान किराये पर मिलता है । 500 रू. प्रतिमाह किराया चुकानें वालो मे अधिकांश 5000 आय वर्ग के उत्तरदाता है। वर्तमान मे 5000 रू.खर्चो की तुलना मे बहुत कम है। अतः इस आय वर्ग के लोगों का 500 रू.से अधिक का कमरा किराया वहन नही कर सकते 1000 या 1500रू. प्रतिमास किराये पर हांलाकि प्रत्येक आय वर्ग का उत्तरदाता मकान किराए पर लिए है। परंतु इनमे से अधिकांश 7000 या 10000 तक की आय वर्ग के उत्तरदाता संबंधित है।

तीसरी उपसारणी उन 134 उत्तरदाताओं से संबंधित है जिनके नगर मे निजी मकान है इन्होनें निजी मकान खुद खरीदा है या बनवाया है या अपने पिता या पूर्वजों से बना बनाया प्राप्त किया है। इस संदर्भ मे निजी मकान वाले 37.31 का कहना है कि उन्होने स्वयं खरीदा है या बनवाया है। जबकि 62.68 प्रतिशत का कहना है कि उन्हे उनके पिता या पूर्वजों से मिला है। नौकरी करने वाले व्यक्ति का अपना निजी मकान एक सपना होता है। उन्हे अपने पूर्वजों से आवास उत्तराधिकार मे मिलता परंतु बढ़ती आबादी एवं परिवार मे सदस्यो के बढ़ने के कारण आवास की समस्या भी उत्तपन्न हो जाती है। अतः मकान मे नई पीढ़ी को सुनियोजित करना मुश्किल होता है। अतः एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी नौकरी के दौरान एक अच्छा मकान बनाने का सपना पाले रहता है। परंतु नौकरी के प्रारंभिक वर्षो मे इतना धन संग्रह नही हो पाता है कि मकान बनाया जा सके । अतः नौकरी अवधि बढ़ने के साथ साथ वेतन वृद्धि होने से बचत भी अधिक होती है अतः यह देखने मे आया है कि वे उत्तरदाता जिन्होने स्वयं का मकान खरीदा या बनवाया हो उनमे 7000 या 10000रू.मासिक प्राप्त करने वालों का प्रतिशत अधिक , जबकि 5000रू. मासिक आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है जिनको कि मकान पैतृक रूप से मिला है।

चतुर्थ उपसारणी मे उत्तरदाताओं के मकान के स्वरूप से संबंधित जानकारी दी गयी है। स्वरूप को पक्का,कच्चा, तथा मिश्रित नाम रखा गया है। जिसके अंतर्गत सर्वाधिक

32.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आवास पक्के है। वर्तमान मे पक्के मकानों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पक्के मकान सुविधाजनक एवं मजबूत होते है साथ ही सामाजिक स्तर को भी प्रभावित करते है। उच्च वर्ग वाला व्यक्ति तो कच्चे मकान को कतई भी नही रहना चाहेगा। यही कारण है कि 7000 या 10000रू.मासिक आय वाले उत्तरदाता पक्के मकानो मे निवास करते है। न्यून मात्रा मे अर्थात 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मकान कच्चे भी है। परंतु ये सभी उत्तरदाता 5000रू. मासिक आय वर्ग से संबंधित है। ये उत्तरदाता कमजोर पृष्टभूमि से संबंधित हो सकते है। इसी प्रकार 29.85 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित आवासों मे भी रहते है । मिश्रित आवासों से तातपर्य ऐसे मकानो से है जिनकी दीवारे पक्की एवं छत मे खपरैल छाया हो या फिर दीवारे ईट और गारे की हो । ये उत्तरदाता ऐसे हो सकते है ,जिनको कि आवास पैतृक रूपमे मिला हो और वे पक्के मकान बनाने मे अक्षम हो।

पांचवी उपसारणी मकान के कमरों से संबंधित है। आज भौतिकवादी जीवन पद्धति पर जोर दिया जा रहा है। सुख सुविधाओ को जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है। अब जिंदगी एक कमरे तक सीमित नही है। बेडरूम,गेस्टरूम, ड्राइंगरूम, डाइनिगरूम,स्टोररूम ये कुछ आवश्यक अंग है जो कि एक मकान मे आवश्यक रूप से चाहिए।साथ ही घर के सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे चाहिए इस प्रकार आज एक मकान मे 6 से 7 कमरे तो होने ही चाहिए। आज महंगाई के कारण इतना बड़ा मकान लेना जिसमे 7या 8 कमरे हो अत्यंत महंगा होता है कमरों की संख्या को 2,3 और 4 के वर्गो मे रखा गया है। 2 कमरों मे रहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 67.33 है। 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता 3 कमरों वाले मकान मे रहते है 24.66 प्रतिशत उत्तरदाता 4 कमरो वाले मकान मे रहते है । 2 कमरों मे रहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है इसका कारण है कि वर्तमान मे 2 कमरे मे एकाकी परिवार के लिए पर्याप्त है, जो किराए मे रहते है तथा जो अधिक बड़े मकान का किराया नही चुका सकते या फिर अविवाहित उत्तरदाता हो सकते है जो बाहर के क्षेत्रो से संबंधित हो सकते है तथा झांसी नगर मे एक या दो कमरे किराए पर लेकर रह रहे है। कमरों की संख्या से आय से भी संबंध होता है इसीलिए 10000 प्रतिमास पाने वाला उत्तरदाता 2 कमरों मे नही रहते । 70.29 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता 2 कमरो वाले मकान मे रहते है जिनकी मासिक आय 10000रू. है, 3 कमरों मे रहने वाले उत्तरदाताओं मे सर्वाधिक 10000रू. के उत्तरदाता है। जबकि कुछ प्रतिशत

उत्तरदाता 5000 वर्ग वाले भी है। 4 कमरे वाले मकान मे रहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी काफी है। क्योकि उच्च वर्ग वाले उत्तरदाता 4 कमरो या अधिक कमरो के व्यय वहन करने मे सक्षम होते है इसीलिए 4 कमरो वाले मकानो मे रहने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 72.97 है। इससे स्पस्ट होता है अभिवावक मकान मे कमरो का संख्या को महत्व देते है या उनकी आय इतनी है कि 4 कमरो मे रहने मे सर्मथ है। 4 कमरो में रहने वालों का प्रतिशत 7000 आय वर्ग के उत्तरदाताओं का है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी आय इतने बडे मकान मे रहने के लिए पर्याप्त है।

अंतिम उपसारणी उत्तरदाताओं के मकान की स्थिति या क्षेत्र से संबंधित है कि उनका मकान अभिजात वर्गीय क्षेत्र मे है या फिर निम्न वर्गीय क्षेत्र मे है। अभिजात वर्गीय क्षेत्र मे 6.33 प्रतिशत उत्तरदाता निवास करते है 83 प्रतिशत उत्तरदाता मध्यमवर्गीय और 4. 66 प्रतिशत उत्तरदाता निम्न वर्गीय क्षेत्र मे निवास करते है। । सारणी के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकांश छात्र मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है यदि छात्र के अभिवावक आय के अन्य स्रोत नही है तो वह मध्यमवर्गीय जीवन व्यतीत करेगा । मध्य वर्ग से संबंधित होने के कारण मध्यमवर्गीय क्षेत्र मे निवास बनाना पसंद करते है। व्यक्ति अपने स्तर के व्यक्तियों से ही नियमित अनुक्रिया करता है। यही कारण है कि सर्वाधिक 83 प्रतिशत छात्र अभिवावक मध्यमवर्गीय क्षेत्र मे निवास बनाना पसंद करते है। इनमे भी सर्वाधिक प्रतिशत 5000 आय वर्ग से संबंधित है क्योकि इनकी आय इतनी नही है कि वे अभिजात वर्गीय क्षेत्र मे अपना निवास बनाये इतनी कम भी नही है किवे निम्न वर्गीय क्षेत्र मे रहने के लिए विवश हो। अत्यंत न्युन प्रतिशत उन उत्तरदाताओ का है जो अभिजात वर्गीय क्षेत्र मे रहते है। अभिजात वर्गीय क्षेत्र से उच्च आय वर्ग वाले उत्तरदाता ही सर्वाधिक संबंधित है क्योकि अभिजात वर्गीय क्षेत्र मे रहने के लिए अपने स्तर को अभिजात वर्गीय लोगो के स्तर से समायोजित करना पड़ता है। निम्न वर्गीय क्षेत्र मे जो उत्तरदाता रह रहे है । उनके अपने सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते है।

अध्ययन के दौरान पाया गया है कि सभी उत्तरदाताओं के मकानों मे बिजली, पानी शौचालय स्नानागार एवं रसोई घर की व्यवस्थाएं है क्योकि इतना होना आज प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान मे चाहता है। कमरों की संख्या, सजावट, आदि उतना महत्वपूर्ण नही जितना कि मकान मे बिजली पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होना है। चूंकि बिना इनके जीवन संभव नही है।

समस्त उपसारणीयों का सिहंगावलोकन करने से स्पस्ट है कि छात्र मध्यम वर्ग से संबंधित है। इसीलिए वह मध्यमवर्गीय जीवन शैली अपनाए हुए प्रतीत होता हैं । यही कारण है कि उत्तरदाता (अभिवावक) मध्यमवर्गीय क्षेत्र मे निवास बनाए हुए है। सर्वाधिक प्रतिशत उन उत्तरदाताओं का है जो 500 तक का किराया प्रतिमास चुकाते है। इसी प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाता अपना निजी अवास बनाए हुए है। क्योकि आज मध्यमवर्गीय व्यक्ति की सबसे बडी अभिलाषा अपना निजी मकान होना है और इसके लिए व्यक्ति सर्वाधिक प्रयत्नशील रहता है। आधे उत्तरदाताओं ने स्वयं अपना मकान बनाया है। पक्का मकान आज अनिवार्यता है। अतः सर्वाधिक उत्तरदाताओं के मकान पक्के है और मकान मे 2 या 3 कमरे होना आज वर्तमान जीवन शैली की प्रमुख आवश्यकता है। अतः 2 कमरों वाले मकानों मे रहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारिणी कमांक 4.12 परिवारिक कलह के आधार वर्गीकरण

क.	परिवारिक कलह	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	250	83.33
02	नही	50	16.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.12 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक कलह से संबंधित है। 250 उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह पाया गया है। 83.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह पाया गया है। 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह नही पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि जिन परिवारों में कलह होता है वहाँ बच्चों के शैक्षणिक प्रगाति मे बाधा उत्पन्न होती है।

कलह की स्थिति परिवार मे माता पिता के मध्य, चाचा चाची के मध्य, माता दादी के मध्य, चाची माता के मध्य , चाची दादी के मध्य, दादी चाचा के मध्य हो सकती है । इइस प्रकार कलह की स्थिति परिवार मे दूषित वातावरण को जन्म देती है। परिवार मे दूषित वातावरण से बच्चों मे चिड़चिड़ेपन की भावना पनपती है और बच्चें पढ़ाई मे मन नही लगा पाते । कलह की स्थिति परिवार मे कभी कभी अति उग्र रुप ले लेती है कि

परिवार मे ऐसे वातावरण मे घुटन होने लगती है तथा परिवार के सदस्यों के मध्य असामंजस्य की भवना पैदा हो जाती है।

सारिणी कमांक 4.13: छात्रों के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण

→ प्रकृतिं जाति ↓	सही दिशा-निर्देशन पर जोर		डार्टेगें पर जोर		समझाने पर जोर		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	15	62.5	00	00	9	37.5	24	8.00
पिछड़ी	40	54.05	20	27.02	14	18.91	74	24.66
अनुसूचित	05	2.47	150	74.25	47	23.26	202	67.33
योग	95	31.66	170	56.66	70	23.33	300	100

सेात क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.13 मे उत्तरदाताओं के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण से संबंधित है। छात्रों के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाताओं की जाति को सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति मे विभाजित किया गया है जिसके अंतर्गत सामान्य जाति के 24 उत्तरदाता है। पिछड़ी जाति के 74 उत्तरदाता है। 202 उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है। छात्रों के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण को सही दिशा-निर्देशन पर जोर, डार्टेगें पर जोर तथा समझाने पर जोर देने मे वर्गीकृत किया गया है।

95 या 31.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोण सही दिशा-निर्देशन पर जोर है, 170 या 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोण डार्टेगें पर जोर है तथा 70 या 23.33प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोण समझाने पर जोर देने मे है।

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर परस्पर दूसरे व्यक्तियों से अंतःकिया करता है। परंतु यह अंतःकिया परिवार मे छात्रों के प्रति उनके माता-पिता मध्य छात्रों पर ज्यादा असर करती है यदि यह अंतःकिया सही दिशा-निर्देशन और

समझाने पर जोर देती है तो छात्रों मे विकासात्मक रूख अपनाती है और यदि यह अंतःक्रिया डाँटने फटकारने जैसी स्थिति पैदा करती है तो छात्रों मे उग्र रूख अपनाती है और वे चिड़चिड़ेपन की भावना से ग्रसित हो जाते है और बच्चें पढ़ाई मे मन नही लगा पाते ।

भारत मे जाति प्रमुख सामाजिक आधार है। शायद यही कारण है कि सामान्य जाति के उत्तरदाताओं मे सही दिशा-निर्देशन मे उनका प्रतिशत अधिक है परंतु अनुसूचित जाति के प्रति यह प्रतिशत कम है।

सारणी से स्पष्ट है कि 62.5 प्रतिशत उत्तरदाता सही दिशा-निर्देशन मे 54.05 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति के 74.25 प्रतिशत उत्तरदाता सही दिशा-निर्देशन मे पिछड़ी जाति के 2.47 प्रतिशत उत्तरदाता सही दिशा-निर्देशन मे अनुसूचित जाति के है । डाटेंगें पर जोर देने मे अधिकांश उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है।

सारणी संख्या 4.14 उत्तरदाता एवं पड़ोसियों की जाति का अंतः संबंध

पड़ोसियों की जाति → / उत्तरदाताओं की जाति ↓	सवर्ण जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	11	45.83	3	12.4	5	20.83	5	20.83	24	8.00
पिछड़ी	45	60.8	12	16.21	09	12.16	08	10.81	74	24.66
अनुसूचित	104	51.48	56	27.72	19	9.4	23	11.38	202	67.33
योग	160	53.33	71	23.66	33	11	36	12	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.14मे उत्तरदाताओं के आस पास के या पड़ोस मे रहने वाली जातियों से संबंधित है। पड़ोस मे रहने वाली जातियों का विवरण उत्तरदाताओं की जाति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाताओं की जाति को सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति मे विभाजित किया गया है जिसके अंतर्गत सामान्य जाति के 24 उत्तरदाता है। पिछड़ी जाति के 74 उत्तरदाता है। 202 उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है। पड़ोस मे रहने वाली जाति को सवर्ण जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य जातियों मे वर्गीकृत किया गया है।

160 या 53.33 उत्तरदाताओं के पड़ोस मे सवर्ण जाति के लोग अधिक है। 71 या 23.66 उत्तरदाताओं के पड़ोस मे पिछ्ड़ी जाति के 33 या 11 उत्तरदाताओं के पड़ोस मे अनुसूचित जाति 36 या 12 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पड़ोस मे अन्य जातियों या सभी जातियों के लोग निवास करते है। ।

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर परस्पर दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है। परंतु यह अंतःक्रिया समान वर्ग ,समान जाति समान व्यवसाय , वाले लोगो के मध्य अधिक होती है। यही कारण है कि व्यक्ति अपना निवास उस जगह बनाता है जहां उसके समूह के सदस्य सर्वाधिक हो। भारत मे जाति प्रमुख सामाजिक आधार है। अतः व्यक्ति निवास चुनते समय पास पड़ोस मे रहने वाले लोगो की जाति को विशेष महत्व देते है। शायद यही कारण है कि सामान्य जाति के उत्तरदाताओं मे उनका प्रतिशत अधिक है जिनके पड़ोस मे सवर्ण जाति के लोग अधिक है। वर्तमान मे जाति व्यवस्था शिथिल होती जा रही है जाति का स्थान वर्ग ने ले लिया है। परंतु फिर भी लोग सवर्ण , पिछ्ड़ी जाति, अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण स्वीकारते है। सामान्य जातियों के काफी उत्तरदाताओ के पड़ोस मे पिछ्ड़ी जाति के लोगों की अधिकता है। परंतु अनुसूचित जाति के प्रति यह प्रतिशत कम है। क्योकि सामान्य जातियों की अनुसूचित जातियों से सामाजिक दूरी अधिक है।

सारणी से स्पष्ट है कि निवास तय करने मे सामाजिक दूरी काफी महत्वपूर्ण कारक है। जिन जातियों के मध्य समाजिक दूरी कम है वे पड़ोसी ज्यादा सरलता से बन जाते है जबकि जिन जातियों के मध्य सामाजिक दूरी अधिक है वे पड़ोसी होते हुए भी सामान्य दूरी बनाए रखते है। इसीलिए इन जातियो मे पड़ोसी होने की दर कम है। अनुसूचित जातियों के उत्तरदाताओं के पड़ोसी या तो अनुसूचित जातियों के है या फिर पिछ्ड़ी जातियों के परंतु सवर्ण जातियों के लोगो से उनकी दूरी स्पस्टता परिलक्षित होती है। हांलाकि मध्यम या पिछ्ड़ी जातियों के साथ स्थिति सर्वथा भिन्न है। पिछ्ड़ी जाति या मध्यम समाजिक स्थिति मे होने के कारण सामान्य जातियों के साथ साथ अनुसूचित जातियों से भी सामंजस्य स्थापित कर लेती है।

सारणी संख्या 4.15 भोजन की प्रकृति एवं जातिगत प्रभाव

प्रकृतिं → जाति ↓	शाकाहारी		मांशाहारी		मिश्रित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	15	62.5	00	00	9	37.5	24	8.00
पिछड़ी	40	54.05	20	27.02	14	18.91	74	24.66
अनुसूचित	05	2.47	150	74.25	47	23.26	202	67.33
योग	95	31.66	170	56.66	70	23.33	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

- यहां मांशाहारी से तात्पर्य उन उत्तरदाताओं से है जो उत्तरदाता सप्ताह मे अधिकांश दिन मांस का प्रयोग करते है तथा मिश्रित के अंतर्गत उन्हे रखा गया है जो महीने मे या पार्टी आदि मे मांस ग्रहण करते है।

प्रस्तुत सारणी 4.15 मे उत्तरदाताओं के भोजन संबंधी प्रकृति का विवरण दिया गया है। प्रस्तुत विवरण जाति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति कम मे रखा गया है। सामान्य जाति के 24 या 8 प्रतिशत उत्तरदाता है। पिछड़ी, जाति के 74 या 24.66 उत्तरदाता है। अनुसूचित जाति के 202 या 67.33 उत्तरदाता है। भोजन की प्रकृति को शाकाहारी, मांशाहारी, मिश्रित वर्ग मे रखा गया है। 95 या 8 प्रतिशत उत्तरदाता शाकाहारी, 170या 56.66 प्रतिशत उत्तरदाता मांशाहारी, 70 या 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित वर्ग के है।

हमारे भारतीय समाज मे भोजन का संबंध रूचियों के साथ-साथ हमारे धर्म , विश्वास से भी रहा है। प्राचीनकाल मे हिन्दु ,बौद्ध,एवं जैन धर्मो मे मांशाहार को वर्जित किया गया है और इसी प्रकार इस्लाम धर्म मे मांस खाने को बुरा नही समझा जाता ।धर्म भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अतः हमारे धार्मिक विश्वास हमारे भोजन की प्रकृति को भी प्रभावित करता है। परंतु वर्तमान मे आधुनिकीकरण , वैश्वीकरण की प्रकियाओं ने हमारे भोजन संबंधी मापदंड बदल दिये है। आज भोजन मे मांस का सेवन स्तर की वस्तु बन गई है। फिर भी भारत मे आज भी काफी व्यक्ति शाकाहारी है। यही कारण है कि लगभग आधे उत्तरदाता शाकाहारी है। प्राचीन भारत मे मांस आदि का सेवन प्रायः निम्न जातियां करती है इस कारण उनको अछूत की श्रेणी मे रखा गया है। अतः

कालांतर मे काफी समय तक भोजन संबंधी विश्वास ऐसे ही बने रहे । धीरे धीरे भोजन संबंधी विश्वास बदलते गये और आज सर्वाधिक मात्रा मे मांस का सेवन उच्च जातियां करने लगी है। उत्तरदाताओं मे सामान्य वर्ग की शिक्षिकाएं भी है तथा सामान्य वर्ग की महिलाओ मे मांस का सेवन कम देखने मे आया है। साथ ही उच्च जातियो के परंपरावादियो मे अभी भी घृणा का भाव मौजूद है। शाकाहारी भोजन करने वालो मे सर्वाधिक उत्तरदाता सामान्य जाति के है। पिछड़ी, अनुसूचित जाति के लोगो मे भी ऐसे लोग काफी अधिक है जो शाकाहारी भोजन करते है। अतः कुछ प्रतिशत पिछड़ी, अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं का है जो शाकाहारी भोजन करने वाले है। साथही वर्तमान मे मांस के सेवन का अनुसंधानो मे स्वास्थ्य के प्रतिकूल बताया गया है। अतः वर्तमान मे लोगो मे इस कारण भी शाकाहार अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। शूद्र मांसाहारी उत्तरदाताओ का प्रतिशत अत्यंत कम है। इसका कारण है कि प्रतिदिन भोजन मे मांस का प्रयोग स्वास्थ्य के सामाजिक दृष्टि से सही नही माना गया है। जो उत्तरदाता शूद्र मांसाहारी है वे पिछड़ी जाति से ज्यादा संबंधित है। इसका कारण वे मुस्लिम उत्तरदाता है जो पिछड़ी जातियों मे आते है। क्योकि हिन्दू धर्म मे प्रतिदिन मांस खाने वाले लोग कम होते है। आज ऐसे लोगो की सख्या बढ़ती जा रही है जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों अर्थात मिश्रित भोजन करते है। चुंकि आज पार्टियों मे मांस के व्यंजनों का भोजन ज्यादा होने लगा है साथ ही स्वाद बदलने की दृष्टि से भी लोग कभी कभी मांस का प्रयोग करते है। अतः आज ऐसे मिश्रित प्रकृति वाले लोगों की संख्या अधिक है और यही प्रवृत्ति छात्रों मे देखने मे आ रही है। ।

सारणी संख्या 4.16 सुविधाएं एवं आय

वस्तुंए → / आय ↓	5तक		10 तक		15 तक		सभी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5000तक	15	62.5	02	8.33	04	16.66	04	16.66	24	8.00
7000तक	45	60.81	15	20.27	8	10.81	6	8.10	74	24.66
10000 तक	150	74.25	30	14.85	19	9.4	3	1.48	202	67.33
योग	210	70	47	15.66	31	10.33	13	4.33	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

वस्तुओं की सारणी

क्र.सं.	वस्तुएं	क्र.सं.	वस्तुएं	क्र. सं.	वस्तुएं
1	स्टोव	9	ड्रेसिंग टेबिल	17	ऑडियो विडीयो
2	हीटर	10	वाशिंग मशीन	18	वी.सी.आर
3	गैस चूल्हा	11	अलमारी	19	कम्प्युटर
4	टेबिल फेन	12	डबल बैड	20	ए.सी.
5	सीलिंग फेन	13	सोफा	21	कार
6	कूलर	14	कलर टी.वी.		
7	साइकिल	15	फ्रिज		
8	मिक्सी	16	मोटरसाईकिल		

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.16के उपसारणी मे दी गयी वस्तुओं की उपलब्धता का विवरण आय के के आधार पर दिया गया है। वस्तुओं की सारणी मे आज जरूरतों को देखते हुए 21 वस्तुओं को शामिल किया गया है। जो कि आज सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं की उपलब्धता को वस्तुओ के संख्या के आधार पर 5 तक ,10 तक, 15 तक तथा सभी वर्गो के अंतर्गत रखा गया है। आय को पूर्व की भांति 5000तक, 7000तक ,10000तक आय वर्ग मे रखा गया है। 5000तक, 24 उत्तरदाता आते है, 70000तक 74 उत्तरदाता आते है, 10000तक 202 उत्तरदाता आते है।
अध्ययन के दौरान पाया गया कि 210उत्तरदाता के पास उक्त सारणी की मात्र 5 या कम वस्तुएं ही है।ऐसे उत्तरदाता 47 जिनके पास 10 वस्तुएं उपलब्ध है। 31प्रतिशत उत्तरदाता के पास 15 तक वस्तुएं है। तथा 13 उत्तरदाता ऐसे है जिनके पास सारणी मे उल्लेखित सभी वस्तुएं है।

आज भौतिकवादी युग है। अब आध्यात्मिक सुख की जगह शारीरिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सारे प्रयत्न अधिक सुख प्राप्ति के लिए हो रहे है। इन प्रयासों में वैज्ञानिक खोजे सर्वाधिक सार्थक रही है। आज व्यक्ति की अपेक्षा वस्तुओं का महत्व बढ़ा है। एक मध्यमवर्गीय परिवार मे टी.वी. फ्रिज कूलर, मोटरसायकिल होना न्यूनतम आवश्यकताऐं है। अतः वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यक है। उनके लिए ये सारी वस्तुएं जुटा पाना मुश्किल है। अतःवस्तुओ की उपलब्धता को आय के आधार पर विश्लेषित किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि ऐसे उत्तरदाताओं का प्रतिशत ज्यादा है जिनके पास उक्त

वस्तुओं मे 10से 15 तक कोई भी वस्तुएं है। जबकि सभी वस्तुएं मात्र 13 या 4.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास ही है। चुंकि सारणी मे कुछ वस्तुएं जैसे कार कम्प्युटर आदि भी है जिनको खरीदना एक सामान्य आदमी के लिए मुश्किल है। मात्र वही व्यक्ति कार वहन कर सकता है जिनके परिवार मे आय के अन्य स्रोत भी है। ।यही कारण है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदाताओं मे 5 तक ही वस्तुऐं है।

सारणी संख्या 4.17 संतुलित आहार एवं आय संबंधी विवरण

संतुलिंत → आहार ↓ आय	लेते है		नही लेते है		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5000तक	15	62.5	09	37.5	24	8.00
7000तक	49	66.21	25	33.78	74	24.66
10000तक	75	37.12	127	62.87	202	67.33
योग	139	46.33	161	53.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 4.17 में उत्तरदाताओं द्वारा संतुलित आहार लेने संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाता संतुलित आहार लेते है या नही । इस तथ्य को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आय को पूर्व की भांति 5000तक, 7000तक,10000तक मे रखा गया है। 139 अर्थात 46.33 प्रतिशत उत्तरदाता संतुलित आहार लेते है 161 अर्थात 53.66 प्रतिशत उत्तरदाता संतुलित आहार नही लेते है।

I.C.M.R. के 1996 मे प्रकाशित विशेष रिपोर्ट के अनुसार सामान्य पुरूष के लिए प्रस्तावित संतुलित आहार प्रतिदिन इस प्रकार है–

भोज्य पदार्थ	मात्रा ग्राम में	आहार के पोषक तत्व	
अनाज	400	कैलरी	3000
दाले तथा सूखे मेवे	85	प्रोटीन	90 ग्राम
हरी पत्तीदार सब्जियां	114	कार्बोहाइड्रेट	450 ग्राम
अन्य सब्जियां	85	वसा	90 ग्राम
तेल,वनस्पति धी	57	कैल्सियम	1.4 ग्राम
दूध व दूध से बने पदार्थ	284	फास्फोरस	2.0 ग्राम
चीनी तथा गुड	57	लोहा	47 मिली ग्राम
फल	85	विटामिन ए	8400
		विटामिन बी.1	2.1 मिली ग्राम
		विटामिन बी.2	1.8 मिली ग्राम
		नायसिन	22 मिली
		विटामिन सी	240 मिली

शिक्षा एवं संचार कांति के फलस्वरुप आज स्वास्थ्य संबंधी चेतना मे वृद्धि हुई। है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। फिर भी अधिकांश उत्तरदाता संतुलित आहार नही लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी चेतना मे कमी है या फिर बड़े परिवार होने के कारण संतुलित आहार जुटा पाना मुश्किल है। शिक्षा का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। चुंकि एक नौकरी करने वाले की आय इतनी पर्याप्त होती है कि वह संतुलित आहार ले सके परंतु कुछ प्रतिशत उत्तरदाता संतुलित आहार लेते है चुंकि जिन सामान्य लोगों मे अन्य से स्वास्थ्य संबंधी चेतना की अधिक होना स्वाभिक है। स्वस्थ्य तन में स्वस्थ्य मन का निवास होता है। एक छात्र को मस्तिष्क संबंधी कार्य भी अन्य लोगो की अपेक्षा अधिक है। शायद यही कारण है कि अधिकांश जो संतुलित आहार लेते है। वे शिक्षा मे आगे होते है

किंतु यह देखा गया है कि इस प्रकार भोजन प्रायः सभी को नही मिल पाता है। इस आधार पर छात्रों मे संतुलित आहार की पूर्ण मात्रा नही है फिर भी वे जो भोज्य पदार्थ लेते है उसे संतुलित आहार कह सकते है।

सारणी संख्या 4.18: पड़ोसियों से संबंध

संबंध	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छे	71	23.66
सामान्य	189	63
खराब	25	8.33
बहुत खराब	15	05
योग	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या4.18 मे उत्तरदाताओ के पड़ोसियो संबंधी विवरण दिया गया है। संबंधो की प्रगति को चार वर्गो मे रखा गया है। बहुत अच्छे, सामान्य, खराब,और बहुत खराब , 23.66 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पडोसियो से संबंध बहुत अच्छे है। 63 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पडोसियो से संबंध सामान्य है। 8.33 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पडोसियो से संबंध खराब है। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पडोसियो से संबंध बहुत खराब है।

समाज, सामाजिक संबंधो का जाल है यह जाल अंतःक्रियाओ के दौरान बनता है। आज का आधुनिक समाज अत्यधिक जटिल है। समाज के सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार की प्रक्रियाऐं चलती रहती है। सहयोगी प्रक्रिया ज्यादा प्रबल होती है तभी समााज मे संगठन और व्यवस्था बनी रहती है। इसी सहयोग के कारण मनुष्य अपने आस पास रहने वाले समूहों व्यक्तियों से अच्छे संबंध निर्माण करता है पड़ोसी मनुष्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अतः हर व्यक्ति अपने पड़ोसीयों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने पड़ोसीयों से बहुत अच्छे संबंध है जबकि काफी उत्तरदाताओं का संबंध सामान्य है। मनुष्यों मे वैचारिकता के कारण परस्पर असहयोग भी उत्पन्न होता रहता है और इस कारण लोगो के पडोसियो से अच्छे संबंध नही होते है। परंतु छात्रों के संदर्भ मे ऐसा प्रतीत नही होता है। बहुत अल्प प्रतिशत मे ऐसे उत्तरदाता है जिनके संबंध खराब या बहुत खराब है। खराब संबंधो के कारण सांस्कृतिक भिन्नता हो सकती है ।शहर मे विभिन्न सांस्कृतिक के लोग निवास करते है। और पड़ोस मे भी भिन्न

जाति वर्ग सांस्कृतिक के लोग उनके मध्य संबंध सामान्य नही रह पाते और वे प्रायः खराब की श्रेणी मे आ जाते है।। कई बार बच्चों के आपस मे लड़ने से पड़ोसियों से मनमुटाव से पड़ोस मे संबंध खराब हो जाते है इससे आसपास के वातावरण मे तनाव बना रहता है। और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है तथा वे शिक्षा मे पिछड़ जाते है ।

अध्याय-०५

पिछड़े छात्रों के मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन

प्रस्तुत अध्याय मे पिछड़े छात्रों की मनोविज्ञानिक स्थिति का विवेचन कर रहे है । सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति जानने के बाद बच्चों की मानसिक स्थिति का जान लेना अति आवश्यक है ।

काका कालेकर के अनुसार शिक्षा कहती है कि "मै सत्ता की दासी नही, कानून की किंकरी नही, विज्ञान की सखी नही , कला के प्रति हारी नही ,अर्थशास्त्र की बाँदी नही, मानव के हृदय, बुध्दि एवं इंद्रियों की स्वामिनी हूँ । मनोविज्ञान और समाज शास्त्र दो मेरे पैर है, कला एवं हुनर दो मेरे हाथ है, विज्ञान मेरा मस्तिष्क है, धर्म मेरा दिल है, निरीक्षण एवं तर्क दो मेरी आँखे है,इतिहास मेरे कान है , स्वतंत्रता मेरी सांस है , उत्साह और उद्योग दो मेरे फेफडे है, विश्वास मेरी चेतना है, मेरी उपासना करने वाला कभी दूसरे का मुखापेक्षी नही रहता ।उसकी सारी आशाएँ, आकाक्षाएँ मेरे द्वारा तृप्त हो सकती है "।

वर्तमान मे हम 21 वीं सदी की ओर अग्रसर हो रहे है । यह सत्य है कि आज हमने जीवन के प्रत्येक छेत्र मे उन्नति की है और आज मानव समुदाय उन्नति का पर्याय बन चुका है परंतु यह भी सच है कि इस संपन्नता के साथ जटिलताएँ भी बढ़ी है । आधुनिकता के साथ ही आज हमने जीवन मे ऐसी बिषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुयी है जो वर्तमान संदर्भ मे विचारणीय प्रश्न है ।

आज कल शारिरिक रोगों की संख्या मे वेतहासा बृध्दि हो रही है । नित नये नये प्रकार के रोग नयी नयी आकृति प्रकृति के साथ इतनी अधिक मात्रा मे जन्म ले रहे है कि ,बड़े बड़े मूर्घन्य चिकित्सक एवं शोधकर्ता भी उनका पता लगाने मे अपने को अक्षम महसूस कर रहे है । समस्या केवल शारिरिक रोगों तक ही सीमित नही है बल्कि मानसिक रोग और भी भयावह है। खासतौर पर इन रोगों की उत्पत्ति मनुष्य का चिंतन विकृत हो जाने के फलस्वरुप होती है । चिंतन विकृत हो जाने से अनुकूलता भी प्रतिकूलता मे बदल जाती है और वह बुरी तरह घबराकर असंतुलित हो जाता है । इसी मानसिक असंतुलन को ही मानसिकरूण्नता या मनोविकार कहते है।

मनेारोगों के शिकार व्यक्तियों मे अक्सर यह देखा जाता है कि उनमे सनक , वेवजह की कल्पनाएँ, निराशाजन्य भय ,अधैर्य, मानसिक तनाव आदि के लक्षण अधिकांशतया पाये जाते है किन्तु इन रोगों में विशेष लक्षण के रुप मे आवेशभरी, मनःस्थिति की मुख्य भूमिका होती है । आवेशभरी, मनःस्थिति परिस्थितियों से तालमेल ना विठा पाने के कारण तथा अपने कोध रूपी आवेश पर नियंत्रण के अभाव मे उत्पन्न होती है। मस्तिष्कीय संरचना कुछ ऐसी होती है कि जिस भी आवेश का उसमे बार बार उदय हो

उसके संस्कार गहराते जाते है, और फिर वह आवेश स्वभाव का अंग बन जाता है। एक ही बाधक बिषय वस्तु के प्रति दो लोगों की प्रतिकिया भिन्न भिन्न होती है।

"समायोजन संबंधी ऐसी समस्याओं को ही प्रतिबल (stress) कहा जाता है"

हैन्सेली ने सर्वप्रथम 1952 मे मनोचिकित्सा विज्ञान मे प्रतिबल सिध्दांत को प्रतिपादित किया । विद्यालय कार्यालय ,कारखना घर और जीवन की अन्य कठिनाईयाँ जब जटिल एवं जटिलतम होती जाती है और व्यक्ति उनका हल ढूढ़ने मे असमर्थ रहता है तो दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव उसके मस्तिष्क मे संचित होने लगता है तो इसे ही प्रतिबल (stress) कहा जाता है"। हो सकता है कि पर्यावरण के कारण तात्कालिक कठिनाईयाँ और प्रतिबल ऊपरी रूप मे अधिक तीव्र न दिखाई दे,किन्तु धीरे धीरे संचित होकर ये प्रतिबल इतने तीव्र और जटिल हो उठते है कि इनके कारण अनेक मानसिक एवं शारिरिक रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते है ।

प्रतिबल के तीन श्रोत होते है

1.कुण्ठा

2.द्वन्द्व

3.दबाब

कुण्ठा :इग्लिश एवं इग्लिश के अनुसार " किसी लक्ष्य निर्देशित क्रिया मे अड़चन अथवा रूकावट को कुण्ठा कहा जाता है।" जब व्यक्ति की आवश्यकता एवं पूर्ति के साधन अथवा लक्ष्य मे अड़चन अथवा अवरोध उत्पन्न हो जाएँ या जब कोई उपयुक्त लक्ष्य सामने ना हो तो व्यक्ति मे कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है । कुण्ठा दो श्रोतों से उत्पन्न हो सकती है- 1. बाह्य कुण्ठा 2. आन्तरिक कुण्ठा

बाह्य कुण्ठाः पर्यावरण मे ऐसे अनेक भौतिक या सामाजिक अवरोध होते है जो हमारी आवश्यकता पूर्ति के प्रयासों को विफल कर देते है । सूखा, बाढ, अग्नि काण्ड, भूकंप दुर्घटना , प्रिय व्यक्ति की मृत्यु आदि भौतिक अथवा प्राकृतिक अवरोध है। सामाजिक अवरोधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध और नियंत्रण आते है जैसे अंतर्जातीय विवाह, समलिंगी कामुकता, विवाहेत्तर और विवाह पूर्व कामुक संबंध, चोरी , शारिरिक हिंसा आदि।

आन्तरिक कुण्ठाः शारिरिक अक्षमताएँ , शारिरिक विकलांगता दुर्बल अथवा अस्वस्थ्य होना, अपर्याप्त योग्यता जैसे बुध्दि का मंद होना , सामाजिक आकर्षण की कमी जैसे सांवला रंग अथवा असुन्दर होना अनेक ऐसी कमियाँ है जो व्यक्ति के जीवन मे निरंतर कुण्ठा

उत्पन्न करती रहती है। व्यक्ति जब भी इन नियंत्रण के विरुध्द कोई भी कार्य करता है तो उनके अंदर अपराध और अवमूल्यन की भावना है उत्पन्न होने लगती है।

द्वन्द्व :

कभी कभी कुण्ठा किसी अपराध की बजाय द्वन्द्व के कारण उत्पन्न होती है । द्वन्द्व एक ऐसी स्थिति है जिसम दो इच्छाएँ इस प्रकार असंयोज्य होती है कि एक की पूर्ति का प्रतिरोध करती है । ऐसी स्थिति मे व्यक्ति के लिए यह फैसला करना कठिन हो जाता है कि वह इन इच्छाओं मे से किसकी पूर्ति करे और किसको छोड़ दे।

दबाबः

दबाव हमारे जीवन मे कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न करते है । उदाहरणार्थ मध्यम वर्ग का पिता जब अपनी आर्थिक कठिनाईयों की परवाह ना करते हुए अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए कालेज भेजता है, तो वह स्वतः अपने बेटे पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दबाव डालता है।

दबाव दो प्रकार के होते है बाह्य दबाव 2. आन्तरिक दबाव

बाह्य दबावः

ये दबाव पर्यावरण के तकाजों अथवा अपेक्षाओं से संबंधित होते है माता पिता अपने बच्चों की वास्तविक अपेक्षाओं से बढ़ चढ़ कर आशा लगा लेते है , जिसके फलस्वरुप बच्चें तनाव की स्थिति मे रहने लगते है । कुछ स्त्रियाँ अपने पति पर अधिक धन कमाने के लिए दबाव डालती है । इस प्रकार शिक्षा ,विवाह , परिवार, व्यवसाय आदि अनेक ऐसे क्षेत्र है जो हमारे उत्तरदायित्यों को अधिकाधिक जटिल बनाते है हम सब कभी ना समाप्त ना होने वाले समस्याओं के बोझ से दबे रहते है।

आन्तरिक दबावः

व्यक्ति अपने आदर्श अथवा आकांक्षा स्तर को स्वयं इतना उठा लेता है कि उसे प्राप्त करने के प्रयास मे सदैव तनाव और प्रतिबल के नीचे दबा रहता है।आगे निकलने की होड़ मे पीछे रहने वाले व्यक्ति मे कुण्ठा उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

नई शिक्षा नीति 1986 मे शिक्षा की ऐसी व्यूह रचना पर जोर दिया गासर है जिससे छात्रों मे शिक्षा मे गुणात्मक विकास किया जा सकें। शिक्षा की व्यूह रचना प्रभावशाली बने इसका दारोमदार वहुत कुछ शिक्षकों के ऊपर है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को मानसिक रूप से आरोग्य बनाने का प्रयत्न करें।

इसके लिए आवश्यक है कि स्वस्थ्य रहने के उपायों का विकास किया जाएँ ।

विद्यालय वातावरणः

विद्यालय मे कक्षा के कमरे समाज स्थितियाँ कहे जा सकते है । कक्षा का वातावरण सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है। गेस्टाल्ट महोदय ने क्षेत्रीय सिध्दांत मे बर्णन किया है कि किस प्रकार बालक के सीखने संपूर्ण वातावरण सक्रिय होता है यह सिध्दांत स्पष्ट कर देता है कि कक्षा के कमरे को केवल व्यक्तियों का संकलन नही समझा जाना चाहिए ।

विद्यालय का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण कम से कम निम्न तत्वों का परिणाम होता है- 1.सामाजिक अंतः क्रिया अथवा संबंध जो विद्यार्थीयों मे पाये जाते है 2. विद्यालय के शिक्षकों के आपसी संबंध 3. कक्षा के कमरे की नैतिक विशेषताएँ , विद्यार्थियों के पहले के अनुभव ।

विद्यार्थियों के सामाजिक तत्परता ,सहयोग तथा प्रतियोगिता पर तुलनात्मक बल तथा विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर आवृत्तियाँ , जैसा विद्यालय का बातावरण होगा उसी प्रकार का बालकों का व्यवहार होगा । बालको का सीखना विद्यालय के बातावरण पर वहुत कुछ निर्भर रहता है । यदि विद्यालय के शिक्षक एक दूसरे से लड़ते है, विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करते है तथा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक मे मनमुटाव होता है तो इसका प्रभाव विद्यर्थियों के शिक्षण पर अधिक पड़ता है । यही कारण है कि अब शिक्षण देने मे विद्यालय के बातावरण को एक महत्वपूर्ण स्तंभ समझा जाता है ।

ऐसा देखा गया है कि विद्यालय का बातावरण जनतांत्रिक है तो विद्यार्थियों का व्यवहार अच्छा है। यदि बातावरण निरंकुश है तो उसका प्रभाव खराब पड़ता है । इस संबंध मे लेविन लिपिट एवं व्हाइट के अध्ययन महत्वपूर्ण है । एक अन्य अध्ययन भी जो भारत के विद्यार्थियों पर वेदी एवं माथुर द्वारा किया गया, इस ओर संकेत करता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार के प्रति मानव एवं प्रसासनिक वातावरण का ऊँचा सकारात्मक संबंध है । इस अध्ययन से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों का अच्छा व्यवहार जनतांत्रिक प्रसासनिक वातावरण मे प्रदर्शित किया गया है अतएव हम कह सकते है कि विद्यालय के प्रसासनिक बातावरण को जितना जनतांत्रिक बनाया जाएगा उतना ही अच्छा विद्यार्थियों का व्यवहार होगा ।

कक्षा –कक्ष वातावरणः

"कक्षा के सामाजिक –संवेगात्मक वातावरण से तात्पर्य कक्ष मे व्याप्त उन सामाजिक संबंधों से है जिनके साथ भावनाएँ व संवेग जुड़े रहते है तथा छात्रों से उस समय प्रतिक्रिया कराते है। जब शिक्षक इन्हे पढ़ा रहा होता है"।–आर पी सिंह

डॉ एन ए फ्लैण्डर के शब्दों मे "कक्षा –कक्ष वातावरण छात्रों की शिक्षक व कक्षा के प्रति वह सामान्यीकृत अभिवृक्ति है जिसे वे व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी रखते है "। इस वातावरण का विकास कक्षा की सामाजिक एवं संवेगात्मक अंतःक्रिया के स्वरूप होता है। कक्षा मे छात्र शिक्षकों के व्यवहारों के फलस्वरूप शिक्षक के साथ तथा परस्पर एक दूसरे के साथ के व्यवहार करते है । ये व्यवहार समग्र रूप से कक्षा –कक्ष वातावरण का निर्माण करते है। इस वातावरण मे छात्रों व शिक्षक के मध्य सामाजिक व संवेगात्मक संबंध एवं अंतःक्रिया उल्लेखनीय भूमिका रखते है ।

कक्षा –कक्ष वातावरण का महत्वः

अच्छा कक्षा –कक्ष वातावरण प्रजातांत्रिक शिक्षण के लिए नितांत आवश्यक है । यदि अध्यापक प्रजातांत्रिक शिक्षण के सिध्दांतों को अपनाता है तो वह कक्षा की अधिगम प्रकिया को तेज व प्रभावी बनाता है । इसमे प्रयुक्त स्वतंत्र तथा उपयोगी विचार संचार का धराप्रवाह द्विपक्षीय आदान–प्रदान होता है ।

कक्षा का वातावरण छात्रों की निष्पत्तियों को प्रभावित करेगा। यदि वातावरण दूषित होगा तो वह एक प्रकार का घुटन असंतोष तथा मानसिक परिताप होगा। फलतः छात्र घुटन असंतोष तथा मानसिक परिताप का शिकार हो कक्षा –कक्ष से दूर रहने की चेष्टा करने से उनमे पलायनशीलता का दोष विकसित होगा तथा वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नही कर पायेगें। इसके विपरीत प्रजातांत्रिक वातावरण व खुली परिचर्चा होने से छात्र कक्षा मे रहना चाहते है तथा वे अपने अधिगम को उन्नत करने की चेष्टा करते है । कक्षा –कक्ष वातावरण का प्रभाव न केवल छात्र निष्पत्तियों पर पड़ता है अपितु इसके द्वारा छात्र व्यवहार भी प्रभावित होते है। दूषित वातावरण कभी भी स्वस्थ्य व्यवहारों को जन्म नही दे सकता है, यदि अध्यापक क्रोधी, निरंकुश या अस्थिर व्यवहार करता हे तो निश्चय ही छात्र भी इस प्रकार का व्यवहार करना सीख जायेंगें।

कक्षा का वातावरण कक्षा अनुसाशन को प्रभावित करता है। यदि कक्षा मे छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो छात्रों मे अनुसाशन हीनता कम होगी ।

यदि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरुप शिक्षण दिया जाता है तो उन्हे संतोष प्राप्त होगा। कक्षा का वातावरण सम्पूर्ण विद्यालय के वातावरण को भी प्रभावित करता है।

शैक्षणिक उपलब्धिः

आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति दिन–प्रतिदिन के जीवन में वैयक्तिक भिन्नताएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं वहाँ समस्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अपना विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की श्रृंखला में अत्यधिक व्यापक रुप से प्रयोग में आने वाले उपलब्धि परीक्षण हमारे शैक्षणिक जीवन में अत्यंत सहायक होते हैं। विधार्थियों, अध्यापकों, शिक्षण विधियों,पाठ्यक्रम या शिक्षा के किसी भी पहलू का मापन केवल उपलब्धि परीक्षणों द्वारा संभव होता है । आज विश्व मे विभिन्न , प्राथमिक , माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक,महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि स्तरों पर विभिन्न भांति के उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अभाव मे शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया पूर्णतः असंभव है । इसका प्रयोग केवल शैक्षणिक परिस्थितियों तक ही सीमित नही होता , बल्कि उद्योग ,व्यवसाय , सेना, चिकित्सा आदि क्षेत्रों मे भी इनका व्यापक प्रयोग किया जाता है । कर्मचारियों की नियुक्ति , विधार्थियों के चयन एव उन्नति, सैनिकों के वर्गीकरण एवं उन्हे ग्रेड प्रदान करने , किसी क्षेत्र मे कठिनाई का पता लगाने, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं मे व्यक्ति का चयन करने , तुलनात्मक अध्ययन करने आदि मे उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है।

भारत मे उपलब्धि परीक्षणों के निर्माण मे काफी संतोषजनक कार्य हुआ है । यद्यपि भाषा एवं पाठ्यक्रम के असमानता के कारण हमारे देश मे उपलब्धि परीक्षणों की रचना का मानकीकरण अतयंत कठिन है। फिर भी कुछ शिक्षाविदों ने विभिन्न भाषाओं एवं विद्यालयीन विषयों मे उपलब्धि परीक्षणों के मानकीकरण का प्रयास किया । भारत मे बोली जाने वाली लगभग समस्त प्रांतीय भाषाओं असमी, बंगाली, डोंगरी, अंग्रेजी,कन्नड़, हिन्दी, कश्मीरी, मलयालम , मराठी, उड़िया,पंजाबी, तमिल, तेलगु, उर्दू आदि मे उपलब्धि परीक्षणों की रचना एवं मानकीकरण का कार्य किया गया। अंग्रेजी भाषा मे बड़ौदा की डोगरा दबे तथा दारूवाला, इलाहाबाद के सोहन लाल, मद्रास के अराम एवं रंगास्वामी ने उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया । गुजराती भाषा मे बंबई के दबे ने विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों का मानकीकरण किया। हिन्दी भाषा मे मनोविज्ञान शाला उत्तरप्रदेश केन्द्रीय शिक्षा संस्थान तथा पटना के मोहिसिन उपलब्धि परीक्षणों की रचना की। इस प्रकार विभिन्न विषयों पर विभिन्न भाषाओं मे उपलब्धि परीक्षणों की रचना की गयी । मेरठ मे आर.पी. भटनागर, मद्रास मे

अराम एवं रघुवंशी, दिल्ली के गोपाल, बड़ौदा के सरोजिनी देसाई ने विभिन्न सामाजिक विषयों पर उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया । बड़ौदा के साह ,वैद्य, ओझा, औरंगाबाद के कुलकर्णी, बंबई के दबे इलाहाबाद के सोहन लाल ने विभिन्न अंकगणितीय विषयों पर उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया । बड़ौदा के वेल्स, हेमंत, दोषी ने ज्यामिती मे उपलब्धि परीक्षणों का मानकीकरण किया । सागर के जयप्रकाश एवं जे. एस.गुप्ता ने सामान्य विज्ञान योगदान परीक्षण एवं देलही के डी. एस. रावत ने उच्चमाध्यमिक कक्षाओं हेतु विज्ञान सबंधी उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया । सन्1965 मे इलाहाबाद के एल. पी. मेहरोत्रा एवं कमला मेहरोत्रा ने उत्तरप्रदेश मे आठवीं कक्षा के छात्रों हेतु एक उपलब्धि परीक्षण की रचना की, जिसका उद्देश्य बच्चों की हिन्दी मे सामान्य भाषा योग्यता का मापन था। इसका मानकीकरण 1835 छात्रों पर किया । एल.एन दुबे 1972 ने हिन्दी मे उपलब्धि परीक्षण का आठवीं कक्षा के बच्चों के लिये मानकीकरण किया । जयप्रकाश एवं जे. एस.गुप्ता ने आठवीं कक्षा के बच्चों के निमित्त सामान्य विज्ञान उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया । दसवीं कक्षा के अध्ययनरत बच्चों के लिए सरोज अरोरा 1980 ने एक जीवविज्ञान उपलब्धि परीक्षा तथा एस एल एन भार्गव 1983 ने एक भौतिक उपलब्धि परीक्षण की रचना की । के सिह एवं ए सेनगुप्ता 1987ने छटवीं एवं सातवीं कक्षा के लिए इंग्लिश विज्ञान एवं सामाजिक विषय मे सामान्य उपलब्धि मापने के लिए सामान्य कक्षा उपलब्धि परीक्षण अलग अलग की रचना की। इन परीक्षणों के अतिरिक्त विभिन्न उपलब्धि क्षेत्रों मे आये दिन परीक्षणों की रचना की जाती है, जिनका उल्लेख करना यहाँ प्रायः असंभव है अधिकांश रूपसे ऐसे परीक्षणों की रचना किसी उद्देश्य प्राप्ती हेतु की जाती है जिनके पश्चात उनका कोई उपयोग नही रहता है।

शैक्षणिक उपलब्धि के महत्व ने शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने वाले शोधार्थियों के समझ अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपस्थित किया है। विधार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि की प्रोन्नति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है तथा शैक्षणिक उपलब्धि मे उन विभिन्न कारकों का कहाँ तक योगदान है उनमे से अनेक कारकों पर शोधार्थियों ने अध्ययन किया है तथा पर्याप्त प्रकाश डाला है । उदाहरण स्वरुप महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन निम्नानुसार है-

शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बुध्दि है जिस पर अनेक शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है ।

अग्रवाल(1973), दास (1975), गिरीजा (1980) शंगभुगा सुन्दरम (1983), सिंह (1983) , देशपान्डेय (1984) , राजपूत (1984), छिकारा (1985), मित्रा (1985), दास (1985), ने बुध्दि कारक पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, तथा सभी ने यह देखा कि शैक्षणिक उपलब्धि पर बुध्दि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

शैक्षणिक उपलब्धि व्यक्तित्व कारक अध्ययन गुप्ता (1983) गोपालाचारूल (1984), मित्रा (1985), सोनटेके (1986) आदि ने किया।

अग्रवाल (1973),पाटिल (1984), मेहता (1986) ने यह देखने का प्रयास किया है कि रूचि का शैक्षणिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

विशेष क्षेत्रों मे शैक्षणिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारकों का पता लगाने हेतु अभिवृत्तियों का अध्ययन किया गया। मेहरोत्रा (1986) ने समायोजन स्तर एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक संबंध पाया। जबकि राजपूत (1985),ने शैक्षणिक समायोजन शैक्षणिक उपलब्धि मे कोई महत्वपूर्ण संबंध नही पाया।

शिक्षार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों मे एक कारक शिक्षक का कक्षागत व्यवहार भी है ।

फलैण्डर (1964),ने छात्र की अभिवृत्ति एवं उपलब्धि तथा शिक्षक के प्रभाव के बीच संबंध का पता लगाया था । सक्सेना (1975), ने अपने अध्ययन मे शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार और छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन किया तथा उन्होने कक्षागत व्यवहार का उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया ।

सारिणी कमांक –5.1 : धर्म में विश्वास या रोज पूजा करते हो

जाति	पूजा								योग	
	अगरबत्ती से		मंदिर जाकर प्रणाम करके		मंत्र उच्चारण से		समय नही मिलता			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	02	8.33	02	8.33	04	16.66	24	8.00
पिछड़ी	51	68.9	08	10.81	00	00	10	13.51	74	24.66
अनुसूचित	101	50	00	00	00	00	101	50.00	202	67.33
योग	156	52.00	10	3.33	02	0.66	115	38.33	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 5.1 मे उत्तरदाताओं की धर्म में विश्वास एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछ्डी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं मे 24 अर्थात 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति से संबंधित है। इससे स्पस्ट है कि छात्रों मे सामान्य जाति का कम प्रतिशत है।

धर्म में विश्वास एवं जाति अंर्तसंबंध को यदि हम देखे तो पाते है कि सामान्य जाति पिछ्डी जाति के छात्रों मे सर्वाधिक उत्तरदाता धर्म में विश्वास करते है जबकि अनुसूचित जातियों मे कम। इसका कारण यह है कि धर्म या पूजा आदि नित्य कर्म से मन शुध्द एवं आत्म विश्वास की बृध्दि होती है तथा आत्म विश्वास से कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति वढ़ जाती है। चूकि शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है। आत्म विश्वास की कमी शिक्षा मे पिछ्ड़ने का एक कारण है।

सारिणी कमांक –5.2 : परिवार मे कोई बीमार रहता है

जति	माता		पिता		भाई		बहिन		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	18	83.33	00	00	00	00	24	8.00
पिछ्डी	51	68.9	08	10.81	00	00	41	20.3	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	75	37.12	26	12.87	00	00	202	67.33
योग	156	52.00	101	33.66	26	17.33	41	13.66	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 5.2 मे उत्तरदाताओं की परिवार सदस्य मे बीमारी एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त सारणी संख्या 5.2 मे 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं की माएँ 33.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पिता, 17.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के भाई तथा 13.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बहिन बीमार रहती है।

अतः स्पष्ट है कि परिवार मे यदि एक सदस्य भी बीमार होता है तो कई समस्याएँ पैदा हो जाती है और शैक्षणिक वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। और इस कारण शैक्षणिक दृष्टि से अत्याधिक पिछ्ड़ जाते है ।

सारिणी क्रमांक –5.3 : घर मे मेहमान एवं पारिवारिक रिश्तेदारों का आना जाना

जाति	मेहमान								योग	
	घरेलू		व्यवहारिक		व्यवसायिक		बीमार रिश्तेदार			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	02	8.33	00	00	16	66.66	24	8.00
पिछडी	00	00	08	10.81	10	13.51	56	68.9	74	24.66
अनुसूचित	00	00	75	37.12	26	12.87	101	50.00	202	67.33
योग	04	1.33	85	28.33	36	12	173	57.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.3 मे उत्तरदाताओं के घर पारिवारिक रिश्तेदारों का आना एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों के घर पारिवारिक रिश्तेदारों के आने मे बीमार रिश्तेदार का आना अधिकांश है । सामान्य जाति के सभी वर्गो के मेहमान का आना जाना है। चूंकि सामान्य जातियां आर्थिक रूप से सबल रही है। अतः मेहमानों को सहन कर जाते है परंतु पिछड़े जातियों और अनुसूचित जगह की कमी तथा आर्थिक तंगी के कारण परेशान हो जाते है। चूंकि इसका एक कारण झांसी मे एक मेडिकल कॉलेज के होने से मरीजों का आवागमन काफी बढ़ा है इसका कारण आसपास के क्षेत्र मे किसी भी उच्च चिकित्सा की कमी का होना है । लगभग मरीज 80प्रतिशत मरीज के सगे संबंधी या रिश्तेदार झांसी मे निवास करते है अतः उनके रूकने से लेकर डॉक्टर से मिलने तथा इलाज तक की व्यवथा झांसी मे निवास करने वाले की होती है और वह अपने परिवार को तथा वच्चों को समय नही दे पाता । इस तरह छात्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते है।

सारिणी क्रमांक –5.4 : दोस्तों के साथ खेलने जाते हों

क्र.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हॉं	112	37.33
02	नही	188	62.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.4 मे उत्तरदाताओं की दोस्तों के साथ खेलने संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया है। 112 अर्थात 37.33 प्रतिशत उत्तरदाता दोस्तों के साथ खेलने जाते है तथा 188 अर्थात 62.66 प्रतिशत उत्तरदाता दोस्तों के साथ खेलने नही जाते है

अतः सारणी से स्पष्ट है कि खेलने तथा आपस मे बात के ज्ञान का आदान प्रदान होता है मानसिक विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है। 62.66 प्रतिशत उत्तरदाता दोस्तों के साथ खेलने नही जाते है अतः वे ज्यादा पिछड़े हुये है।

सारिणी क्रमांक -5.5 : घर मे घरेलू काम संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	199	66.33
02	नही	101	33.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.5 मे उत्तरदाताओं की घर मे घरेलू काम कराने या मदद से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 66.33 प्रतिशत उत्तरदाता मे घरेलू काम कराने मे आगे पाये गये तथा 33.66 प्रतिशत उत्तरदाता मे घरेलू काम कराने को टाल देते है तथा काम नही कराते है फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये है। मे घरेलू काम कराने मे आगे पाये गये उत्तरदाता को पढ़ने के लिए समय की कमी तथा टालू उत्तरदाता की टालू प्रवृत्ति के कारण पढ़ाई को भी टालते रहते है।

सारिणी कमांक –5.6 : स्कूल मे उपस्थिति संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	22.33
01	हाँ	67	22.33
02	नही	233	77.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.6 मे उत्तरदाताओं के स्कूल मे उपस्थिति संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त सारणी को यदि हम देखे तो पाते है कि छात्रों मे 22.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे उपस्थित रहते है तथा 77.66 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे अनुपस्थित रहते है। अतः स्पष्ट है कि कक्षा मे छात्र की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक उत्तरदाता स्कूल मे अनुपस्थित रहते है। शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़ते रहते है।

सारिणी कमांक –5.7 : स्कूल मे अनुपस्थित रहने का क्या कारण है

जाति	दण्डात्मक अनुशासन		दैनिक कार्य का बोझ		पाठ्यक्रम की जटिलता		शिक्षण विधि की अवहेलना		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	16	66.66	02	8.33	02	8.33	24	8.00
पिछड़ी	31	68.9	08	10.81	20	27.02	10	13.51	74	24.66
अनुसूचित	90	50.00	75	37.12	11	05.44	26	12.87	202	67.33
योग	125	42.33	99	33	33	11	02	0.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.7 मे उत्तरदाताओं स्कूल मे अनुपस्थित रहने के कारण से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछ्डी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं मे 125 अर्थात 42.33 प्रतिशत उत्तरदाता दण्डात्मक अनुशासन 99 अर्थात 33 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक कार्य का बोझ 33 अर्थात

11 प्रतिशत उत्तरदाता पाठ्यक्रम की जटिलता 02 अर्थात 0.66 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षण विधि की अवहेलना के कारण स्कूल मे अनुपस्थित रहते है।

सारिणी कमांक -5.8 : पिक्चर या टी. वी. देखने संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	231	77
02	नही	69	23
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.8 मे उत्तरदाताओ की पिक्चर या टी. वी. देखने विवरण प्रस्तुत किया गया है।

231 अर्थात 77 प्रतिशत उत्तरदाता पिक्चर या टी. वी. देखते है 69 अर्थात 33 प्रतिशत उत्तरदाता पिक्चर या टी. वी. नही देखते है। चूकि टी वी आज मनोरंजन का अच्छा साधन है परंतु बच्चों के लिए जहॉ उनके विकास मे सहायक है वही पढ़ाई मे प्रगति के लिए बाधक है। बच्चों के लिए अगर उनका मन का प्रोग्राम देखने नही मिलता है तो वे जिद्दी हो जाते है जो कि पढ़ाई मे प्रगति के लिए नुकसानदेह है।

सारिणी कमांक -5.9 : भोजन संबंधी

जाति	दो बार		तीन बार		चार बार		कई बार		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	16	66.66	02	8.33	02	8.33	24	8.00
पिछ्डी	08	10.81	08	10.81	10	13.51	43	58.1	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	49	24.25	26	12.87	26	12.87	202	67.33
योग	113	37.66	73	24.33	38	12.66	71	23.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.9 मे उत्तरदाताओं की भोजन एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन तीन बार करते है जो सामान्य जाति से है । 58.1 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन थोड़ा थोड़ा कई बार करते है जो पिछ्ड़ी जाति से है । 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन दो बार करते है जो अनुसूचित जाति से है । चूंकि भोजन से ही मष्तिष्क कार्य करता है और कहा गाया है कि जैसा खाओं अन्न वैसा हो मन। स्वादिष्ट भोजन मष्तिष्क को स्वस्थ्य रखता है। आयुर्वेद के सिध्दांत के अनुसार भोजन तीन बार करना चाहिए । अधिक बार करने से अपच तथा कम बार करने से अम्लता बढ़ती है । अधिकांश बच्चें या तो भोजन करते ही नही है या बार बार करते है या फिर समय निकलने के बाद करते है जिससे उनमे चिड़चिडेपन का स्वभाव हो जाता है और पढ़ाई मे मन नही लगाते । आज कल बच्चें बाजार मे उपलब्ध चिप्स ज्यादा पसंद करते है जिससे उन्हे प्रायः भूख का एहसास नही होता ।

सारिणी कमांक -5.10 : होम वर्क समय से करने संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	121	40.33
02	नही	179	59.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.10 मे उत्तरदाताओं की होम वर्क समय से करने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 121अर्थात 40.33 प्रतिशत उत्तरदाता होम वर्क समय से करते है तथा 179 अर्थात 59.66 प्रतिशत उत्तरदाता होम वर्क समय से नही करते है। चूंकि होम वर्क एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे छात्र अपनी सीखी हुई प्रंक्रियाएँ दोहराता है और उसमे पारंगत हासिल करता है। जो छात्र होम वर्क नही करते है। शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़ते रहते है।

सारिणी कमांक -5.11 : स्कूल मे कक्षाएँ नियमित लगतीं है

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	116	38.66
02	नही	184	61.33
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.11 मे उत्तरदाताओ की कक्षाएँ नियमित लगतीं है से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 116 अर्थात 38.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि कक्षाएँ नियमित लगती और 184 अर्थात 61.33 प्रतिशत उत्तरदाता कक्षाएँ नियमित नही लगती है । अतः स्पष्ट है कि जिस कक्षा मे कक्षाएँ नियमित नही लगती है उस कक्षा के छात्र आज शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये रहते है।

सारिणी कमांक -5.12 : पिता के व्यवसाय मे मदद संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	143	47.66
02	नही	157	52.33
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.12 मे उत्तरदाताओं के पिता के व्यवसाय मे मदद संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 143 अर्थात 47.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि पिता के व्यवसाय मे मदद करते है 157 अर्थात 52.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि पिता के व्यवसाय मे मदद नही करते है । स्पष्ट है कि जो पिता के व्यवसाय मे मदद करते है वे समय की कमी के कारण तथा पिता के व्यवसाय मे मदद नही करते है हो सकता है अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हो और इसी कारण से पढ़ाई नही करते है शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये रहते है।

सारिणी क्रमांक -5.13 : छोटे भाई या बहिन को खिलाते हो

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	260	86.66
02	नही	40	13.33
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.13 मे उत्तरदाताओ छोटे भाई या बहिन को खिलाने से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 260 अर्थात 86.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि छोटे भाई या बहिन को खिलाते है 40 अर्थात 13.33प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि छोटे भाई या बहिन को नही खिलाते है । स्पष्ट है कि जो छोटे भाई या बहिन को खिलाते है वे अपने बड़े के उत्तरदायित्व निभाने से, समय की कमी के कारण पढ़ाई नही कर पाते तथा जो छोटे भाई या बहिन को नही खिलाते हो सकता है अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हा और इसी कारण से पढ़ाई नही करते है शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये रहते है।

सारिणी क्रमांक -5.14 : बच्चों की जन्म स्थान

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	घर	81	27
02	सरकारी अस्पताल	65	21.66
03	प्राइवेट नर्सिंग होम	174	58
04	अन्य	-	-
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.14 मे उत्तरदाताओं की बच्चों की जन्म स्थान से संबंधित

विवरण प्रस्तुत किया गया है।

81 अर्थात 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों का जन्म घर मे 65 अर्थात 21.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों का जन्म सरकारी अस्पताल 174 अर्थात 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों का जन्म प्राइवेट नर्सिंग होम मे हुआ ।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चों का जन्म प्राइवेट नर्सिंग होम हुआ अतः स्पष्ट है कि सभी बच्चों की जन्म से अच्छी देखभाल हुई ।

सारिणी कमांक –5.15 : बच्चों को दिए गए दुग्ध पान से संबंधित राय

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	माता का दूध	100	33.33
02	भैंस का दूध	50	16.66
03	गाय का दूध	130	43.33
04	बकरी का दूध	20	6.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.15 : मे उत्तरदाताओं की बच्चों को दिए गए दुग्ध पान से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों ने माता का दूध लिया,16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को भैंस का दूध दिया गया,43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को गाय का दूध दिया गया तथा 6.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को बकरी का दूध दिया गया ।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चों को गाय का दूध दिया गया तथा उसके बाद माता का दूध लिया का अतः स्पष्ट है कि सभी बच्चों की जन्म से अच्छी देखभाल हुई। वच्चें के मानसिक तथा शारिरिक विकास के लिए वच्चें को माता का दूध अति आवश्यक है इससे शरीर मे रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। अन्य बच्चों शारिरिक रूप से कमजोर थे। शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये रहते है।

सारिणी कमांक –5.16 : बच्चों के बीमार होने पर चिकित्सा पध्दति

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	घरेलू इलाज	40	13.33
02	वैद्य का इलाज	12	4.00
03	डाक्टर से इलाज	185	61.66
04	झाड़फूँक	48	16
05	स्वयं से ठीक हो जाएगा	15	5.00
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.16 : मे उत्तरदाताओ के बच्चों के बीमार होने पर चिकित्सा पध्दति संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर घरेलू इलाज से ठीक करते है,4.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर वैद्य से इलाज करवाते है ,61.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर डाक्टर से इलाज करवाते है तथा 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को के बीमार होने पर झाड़फूँक करवाते है और 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर उनका जबाब था कि वह स्वयं से ठीक हो जाएगा ।

सारणी से स्पष्ट है कि बच्चों के इलाज मे लापरवाही नही करनी चाहिए क्यो कि इलाज मे लापरवाही से उनके मानसिक तथा बौध्दिक विकास अवरूध्द हो जाता है। और वे शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ जाते है।

सारिणी कमांक -5.17 : बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाना

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	280	93.33
02	नही	-	-
03	याद नही रहा	20	6.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.17 : मे उत्तरदाताओ के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाई थी तथा 6.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाना याद नही रहा ।

सारणी से स्पष्ट है कि बच्चों के इलाज मे लापरवाही नही करनी चाहिए क्यो कि इलाज मे लापरवाही से उनके मानसिक तथा बौध्दिक विकास अवरूध्द हो जाता है। और वे शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ जाते है।

सारिणी कमांक -5.18 : बच्चों का टीकाकरण

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	279	93.00
02	नही	-	-
03	याद नही रहा	21	7.0
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.18 : मे उत्तरदाताओ के बच्चों का टीकाकरण संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

93 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों का टीकाकरण समय से करवाया तथा 7.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों बच्चों का टीकाकरण नही करवाया तथा याद नही रहा ।

सारणी से स्पष्ट है कि बच्चों के इलाज मे लापरवाही नही करनी चाहिए क्यो कि इलाज मे लापरवाही से उनके मानसिक तथा बौध्दिक विकास अवरूध्द हो जाता है। और वे शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ जाते है।

सारिणी कमांक 5.19 : बच्चों के मनोरंजन का साधन

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	रेडियो/ टेप	–	–
02	टी वी	240	80
03	वीडियो गेम	10	3.33
04	उपर्युक्त सभी	50	16.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.19 : मे उत्तरदाताओ के बच्चों के मनोरंजन का साधन संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

80 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के मनोरंजन का साधन टी वी ही है, 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के के मनोरंजन का साधन वीडियो गेम 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के मनोरंजन का साधन वीडियो गेम तथा टी वी दोनो है ।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चों मनोरंजन का साधन टी वी है । आज के दूषित वातावरण मे टी वी के प्रोग्राम भी दूषित हो गए है जो कि परिवार के साथ

बैठकर देखने लायक नही रहे है । बच्चें इन प्रोग्रामों को देखकर बिगड़ रहे है तथा पढ़ाई पर से ध्यान हटा रहे है और वे इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ रहे है।

सारिणी कमांक -5.20 : बच्चों के स्कूल जाने का साधन

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	स्वयं के साधन से	31	10.33
02	आटो या स्कूल बस से	269	89.66
	योग	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.20 मे उत्तरदाताओं के बच्चों के स्कूल जाने का साधन से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

10.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चें स्वयं के साधन तथा 89.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चें आटो या स्कूल बस से स्कूल जाते है।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चें आटो या स्कूल बस से स्कूल जाते है । आटो या स्कूल बस का वातावरण ही बच्चों को प्रभावित करता है ।

सारिणी कमांक -5.21 : बच्चों की शारिरिक वनावट एवं स्वास्थ्य

जाति → आयु ↓	सामान्य और स्वास्थ्य		असामान्य		अस्वास्थ्य		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13-14	29	31.52	02	2.73	53	57.60	84	28
12-13	13	20.96	05	8.06	44	70.96	62	20.66
11-12	12	16.43	02	2.73	59	80.82	73	24.33
10-11	10	18.18	10	10.86	43	78.18	73	24.33
09-10	10	55.55	05	27.77	03	16.66	18	6.00
योग	74	24.66	24	8.00	202	67.33	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.21 मे बच्चों के शारिरिक वनावट एवं स्वास्थ्य संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

24.66 प्रतिशत बच्चें देखने मे सामान्य और स्वास्थ्य पाये गये, 8.00 प्रतिशत बच्चें देखने मे तथा शारिरिक वनावट मे असामान्य पाये गये तथा 67.33 प्रतिशत बच्चें बीमार और अस्वास्थ्य पाये गये।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चें अस्वस्थ्य तथा शारिरिक बनावट मे असामान्य पाये गये। इनके इलाज मे लापरवाही नही करनी चाहिए क्यो कि इलाज मे लापरवाही से उनके मानसिक तथा बौध्दिक विकास अवरूध्द हो जाता है। और वे शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ जाते है।

सारिणी क्रमांक -5.22 : बच्चों के शारिरिक दोष एवं रोग

जाति	दुर्बलता		कम सुनना		हकलाना या तुतलाना		सर्दी का बना रहना		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	08	33.33	02	8.33	12	50	02	8.33	24	8.00
पिछ्डी	03	4.05	05	10.81	10	13.51	51	68.9	74	24.66
अनुसूचित	10	4.95	65	32.17	26	12.87	101	50	202	67.33
योग	18	6.00	72	24	48	16	02	0.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.22 मे बच्चों के जातिगत शारिरिक दोष एवं रोग संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6 प्रतिशत बच्चें शारिरिक रूप से दुर्बल 24.00 प्रतिशत बच्चें कम सुनते हैं 16 प्रतिशत बच्चें हकलाते या तुतलाते थे तथा 0.66 प्रतिशत बच्चें सर्दी से ग्रसित पाये गये।

सारणी से स्पष्ट है कि जो बच्चें शारिरिक रूप से दुर्बल पाये गये उनको पढ़ाई मे कम मन लगता है जो बच्चें कम सुनते है तथा हकलाते या तुतलाते वो कक्षा मे

हँसी के पात्र वन जाते और हीन भावना के कारण तथा जो बच्चें सर्दी से ग्रसित रहते है उनके दिमाग का विकास समय से नही हो पाता और वे शिक्षा के क्षेत्र में वे भी पिछड़ जाते है। इसलिए बच्चों के इलाज मे लापरवाही नही करनी चाहिए क्यो कि इलाज मे लापरवाही से उनके मानसिक तथा बौध्दिक विकास अवरूध्द हो जाता है।

सारिणी कमांक -5.23 : पढ़नें मे रूचि संबंधी

जाति	मन नही लगता		नींद आती है		समझनही आता		समय नही मिलता		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	04	16.66	02	8.33	16	66.66	02	8.33	24	8.00
पिछड़ी	05	6.75	51	68.9	08	10.81	10	13.5	74	24.66
अनुसूचित	101	50.00	75	37.12	26	12.87	00	00	202	67.33
योग	110	36.66	128	42.66	50	16.66	02	0.66	300	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.23 मे बच्चों के पढ़नें मे रूचि से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

36.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पढ़ने मे मन नही लगता, 42.66प्रतिशत उत्तरदाताओं को पढ़ने मे नींद आती है, 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जो भी पढ़ते है समझ नही आता तथा 0.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पढ़ने के लिए समय नही मिलता।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बच्चों को पढ़ने मे मन नही तथा पढ़ते समय नींद आती है।

सारिणी कमांक –5.24 : हीन भावना से शिकार संबंधी

जाति → / आयु ↓	सामान्य		पिछड़ी		अनुसूचित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13–14	10	10.86	29	31.52	53	57.60	92	30.6
12–13	05	8.06	13	20.96	44	70.96	62	20.66
11–12	02	2.73	12	16.43	59	80.82	73	24.33
10–11	05	27.77	10	55.55	03	16.66	18	6.00
09–10	02	3.63	10	18.18	43	78.18	55	28.33
योग	24	8.00	74	24.66	202	67.33	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.24 मे उत्तरदाताओं के बच्चों के हीन भावना से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
30.6 प्रतिशत बच्चें 13–14 उम्र के, 20.66प्रतिशत बच्चें 12–13 उम्र के 24.33प्रतिशत बच्चें 11–12 उम्र के बच्चें के तथा 6.00 प्रतिशत बच्चें 10–11 उम्र के और 28.33 प्रतिशत बच्चें 09–10 उम्र के हीन भावना से शिकार थे ।

सारणी से स्पष्ट है कि 57.60 प्रतिशत बच्चें 13–14 उम्र के हीन भावना से शिकार थे जो कि अनुसूचित जाति से थे। चूंकि हीन भावना वच्चों के आपस मे प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

सारिणी कमांक -5.25: कुण्ठा से शिकार संबंधी

जाति → आयु ↓	सामान्य		पिछड़ी		अनुसूचित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13-14	05	8.06	10	20.96	07	70.96	62	20.66
12-13	10	10.86	29	31.52	90	57.60	92	30.6
11-12	02	2.73	15	16.43	59	80.82	73	24.33
10-11	02	3.63	10	18.18	43	78.18	55	28.33
09-10	05	27.77	10	55.55	03	16.66	18	6.00
योग	24	8.00	74	24.66	202	67.33	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.25 मे बच्चों के कुण्ठा की भावना से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।30.6 प्रतिशत बच्चें 12-13 उम्र के, 20.66प्रतिशत बच्चें13-14 उम्र के 24.33प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के बच्चें के तथा 6.00 प्रतिशत बच्चें 9-10 उम्र के और 28.33 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के कुण्ठा की भावना से शिकार थे ।

सारणी से स्पष्ट है कि 80.82 प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के कुण्ठा की भावना से शिकार थे जो कि अनुसूचित जाति से थे।

सारिणी कमांक -5.26: दबाव तथा तनाव से शिकार संबंधी

जाति आयु	सामान्य		पिछड़ी		अनुसूचित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13-14	05	6.02	20	24.96	58	69.88	83	27.66
12-13	05	8.06	13	20.96	44	70.96	62	20.66
11-12	02	2.59	21	27.27	54	70.12	77	25.66
10-11	02	3.44	10	17.24	43	74.14	58	16.66
09-10	10	43.47	10	43.47	03	13.04	23	7.66
योग	24	8.00	74	24.66	202	67.33	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.26 मे बच्चों के दबाव तथा तनाव से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

27.66 प्रतिशत बच्चें 13-14 उम्र के, 20.66प्रतिशत बच्चें 12-13 उम्र के 25. 66 प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के बच्चें के तथा 16.66 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के और 7.66 प्रतिशत बच्चें 09-10 उम्र के दबाव तथा तनाव के शिकार थे ।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश 74.14 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के दबाव तथा तनाव के शिकार थे जो कि अनुसूचित जाति से थे। चूंकि हीन भावना वच्चों के आपस मे प्रतिकिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

सारिणी कमांक -5.27: एक ही जगह बैठने की क्षमता की कमी शिकार संबंधी

जाति → / आयु ↓	सामान्य		पिछड़ी		अनुसूचित		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13-14	10	10.86	29	31.52	53	57.60	92	30.6
12-13	02	2.73	12	16.43	59	80.82	73	24.33
11-12	05	8.06	13	20.96	44	70.96	62	2066
10-11	02	3.63	10	18.18	43	78.18	55	28.33
09-10	05	27.77	10	55.55	03	16.66	18	6.00
योग	24	8.00	74	24.66	202	67.33	300	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 5.27 मे उत्तरदाताओं का एक ही जगह बैठने की क्षमता की कमी शिकार संबंधी विवरण उनकी आयु एवं जाति से संबंधित प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। तथा आयु को 5 वर्गो मे कमशः 13-14, 12-13,11-12,10-11, 09-10 मे रखा गया है। बच्चें चंचल स्वभाव के होते है एक ही जगह बैठने की अक्षमता ही उनकी पढ़ाई मे बाधक होती है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 30.6 प्रतिशत उत्तरदाता 13-14, आयु वर्ग के है जिनमें सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है तथा 2.73 प्रतिशत उत्तरदाता 12-13, आयु वर्ग के है जिनमें न्यूनतम उत्तरदाता सामान्य जाति के है । यह प्रवृत्ति बच्चों मे जन्मजात पायी जाती है ।

अध्याय-०३

पिछड़े छात्रों की सामाजिक मनोविज्ञान
एवं
संबंधित समस्याएँ

प्रस्तुत अध्याय मे छात्रों के सामाजिक मनोविज्ञान एवं अन्य समस्याओं का वर्णन किया जा रहा है

सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में जहां दर्शन -शास्त्र, समाज-शास्त्र मनोविज्ञान आदि विषयों ने योग दिया है, वहां इसका स्वरूप अन्य सामाजिक विषयों के योग से भी बना है। सामाजिक मनोविज्ञान का स्वरूप हम विगत अध्याय में पढ़ चुके है। यहां हम सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों से सह-संबध स्थापित करने का प्रयास करेंगें। इस अध्याय में सामाजिक मनोविज्ञान का संबध निम्नलिखित विषयों के साथ दर्शाया जाएगा।

1. सामाजिक मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान।
2. सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र।
3. सामजिक मनोविज्ञान और मानवशास्त्र।
4. सामजिक मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र।
5. सामजिक मनोविज्ञान और राजनीतिकशास्त्र।
6. सामाजिक मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र।

समाज मनोविज्ञान एवं सामान्य मनोविज्ञान

सामाजिक मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान का इतना घनिष्ठ संबध है कि सामाजिक मनोविज्ञान को सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा मान सकते है। सामाजिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत सामान्य मनोविज्ञान के कई विषयों का सामाजिक अध्ययन किया जाता है । परन्तु विषयों के रूप में इसलिए रखा गया है कि सामाजिक मनोविज्ञान में कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन भी किया जाता है जो सामान्य मनोविज्ञान के अन्तर्गत नही आतें।

वास्तव में सामान्य मनोविज्ञान के अन्तर्गत व्यक्ति के व्यवहार और उसकी उद्वीपन के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में यह जानने के लिए किया जाता है कि उसका समाज कें अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पडता है जैसे -जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती है व्यक्ति के व्यवहार में भी उस परिवर्तन के कारण एक परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन का अध्ययन करना सामाजिक परिस्थितियां में ही होता है । यदि परिस्थितयां बदलती है तो व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन आता है। उसके गुण रूचियां आदतें, व्यक्त्वि

संबधी शील-गुण भले ही वंशानुक्रम पर आधारित हो, परन्तु वातावरण का भी उन पर विशेष प्रभाव पडता ही है।

सामान्य मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के प्रत्येक व्यावहारिक पहलू का सामान्य अध्ययन करते है। परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत हम व्यक्ति के प्रत्येक के पहलू का अध्ययन सामाजिक संबध को देखकर करते है। अर्थात सामाजिक परिस्थितियों का व्यक्ति पर और व्यक्ति के व्यवहार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास किया जाता है। कि इस दोनों में विषय-सामग्री की समानता है, परन्तु उद्बेश्य की थोड़ी भिन्नता है। फिर भी सामाजिक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि दोनों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन है।

सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र

समाजशास्त्रियों की विचार धाराओं में सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में भारी योगदान दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सह-संबधित विषय है। समाजशास्त्र समाज समूह और विविध सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है और देखता है कि व्यक्ति और समाज कैसे एक-दूसरे से संबधित है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में करता है कि एक-दूसरे का आपस में क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबध होता है। व्यक्ति समाज का संगठन करता है और अपने विविध कार्यो को समाज में ही करता है। इसलिए हमें सामाजिक मनोविज्ञान में समूह मन, सामाजिक संस्थाओं और समाज का अध्ययन भी करना पडता है। इससे व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक अध्ययन करना सरल हो जाता है।

एक समाजशास्त्री व्यक्ति की आवश्यकताओं को जानने के लिए कि कौन सी सामाजिक प्रेरणाएं इन आवश्यकताओं को जन्म देती है। सामाजिक मनोविज्ञान का सहारा लेता है। लोकाचार, धर्म, विवाह तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक बातें दोनों ही विषयों के सामान्य अंग है।

सामाजिक मनोविज्ञान और मानवशास्त्र

मानवशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती है। (1) भौतिक तथा (2) सांस्कृतिक इन दोनों ही शाखाओं से सामाजिक मनोविज्ञान का संबध स्पष्ट दिखता है। भौतिक मानवशास्त्र के अंतर्गत वंशानुक्रम जात तथा जाति-संबधी भेदों को अध्ययन किया जाता है। इन्ही बातों का सामाजिक मनोविज्ञान के विद्वान की भांति समूह मनोविज्ञान को अपने अध्ययन का आधार बनाता है, परन्तु मानवशास्त्री की रूचि प्राचीन एवं आदिम जन-समूह के अध्ययन में

रहती है। वह एक समाजमनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता की भांति सामान्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर ध्यान नही देता। वह संस्कृतिक अध्ययन के साथ-साथ विशिष्ट व्यक्तियों के अध्ययन में रूचि लेने लगे है । इसका कारण यह है कि विशिष्ट व्यक्ति किसी संस्कृति के निर्माण और विकास में भारी योग देते है। इस सांस्कृतिक अध्ययन में समाजशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान का सहारा लेता है।

सामाजिक मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र

नीतिशास्त्र मानवशास्त्र से ही समय संबध रखता है, क्योकि नीतिशास्त्र भी मानवशास्त्र की भांति मानव-व्यवहार की व्याख्या करता है। नीतिशास्त्र मानव-व्यवहार की व्याख्या करते समय व्यवहार के औचित्य एवं अनौचित्य का निर्धारण करता है। व्यक्ति जो भी सुन्दर या बुरा काम करता है, उसके पीछे कुछ प्रेरणाएं रहती है। इन प्रेरणाओं का अध्ययन किए बिना नीतिशास्त्र का अध्ययन करने में सामजिक मनोविज्ञान का सहारा लेता है। इस प्रकार ये दोनों विषय आपस में संबधित है।

सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिशास्त्र

राजनीतिशास्त्र का संबध शासक, शासन-पद्वति, प्रजा अथवा नागरिकों के कर्तब्यों एवं अधिकारों से रहता है। शासक कौन कैसा हो उसके प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है वह किन अधिकारों का उपभोग कर सकता है,जनता के अधिकार और कर्तव्य क्या है, इन बातों का अध्ययन राजनीतिशास्त्र का विषय है। जनमत प्रजातांत्रिक चुनाव प्रचार राष्ट्रीयता आदि से संबंधित बाते राजनीतिशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान दोनेां के अन्तर्गत आती है । जनमत नेतृत्व भीड़ आदि की सफलता के लिए सामाजिक मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है तभी राजनीतिशास्त्री व्यक्ति के गुप्त विचारों, अभिप्रेरणाओं और मनोवृत्तियों को समझने में सफल हो सकता है स्पष्टतः दोनों का आपस में घनिष्ठ संबध है।

सामाजिक मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र धन-संबंधी बातों का विज्ञान है। इसमें उन सब बातों का अध्ययन किया जाता है जो उत्पादन, वितरण, उपभोग विनिमय, श्रम आदि से संबंधित है। धन कमाने का कार्य किसी न किसी अभिप्रेरणा या मूल आवश्यकता से ही होता है। इन अभिप्रेरणाओं को समझने का श्रेय एकमात्र सामाजिक मनोविज्ञान को दिया जा सकता है। अर्थशास्त्र इन सब बातों को समझने में सामाजिक मनोविज्ञान से सहायता लेता है।

सामाजिक मनोविज्ञान की उपयोगिता

अब समाज पहले की अपेक्षा अधिक जटिल होता जा रहा है। और उसकी समस्याएं निरन्तर बढ़ती जा रही है । इन समस्याओं का समाधान खोजने में सामाजिक मनोविज्ञान बहुत सहायक होता है। समस्त विश्व कुछ विकट समस्याओं से दुःखी है । विशेषकर विकासशील और अविकसित देश उन समस्याओं से अभिशापित है। जैसे- भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति, पूजीवाद धर्म वेशभूषा ,सांस्कृति, भेदभाव, अपराध-भावना, दरिद्रता और विकट रोगों की समस्याएँ भारत जैसे देशों में व्याप्त है। इन समस्याओं के मूल में कुछ ऐसे विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते है जिन्हें सामाजिक मनोविज्ञान की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है।

उपरोक्त मनोवैज्ञानिक कारणों का पता चल जाने पर सामाजिक मनोविज्ञान उनके सामाधान तथा नियंत्रण आदि में भी बहुत सहायक है। सामाजिक मनोविज्ञान की पूर्ण उपयोगिता व्यक्ति समूह समाज सरकार और विविध संस्थाओं के लिए समान रूप से है। सामाजिक मनोविज्ञान की उपयोगिता उसके उद्देश्यों से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है यह व्यक्ति और समाज के संबंधों पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करके उन पर नियंत्रण लाने, उनका निर्देशन करने और भविष्य कथन में भी बहुत सहायक है।

कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय एवं सामाजिक मनोविज्ञान

जैसे-जैसे मनोविज्ञान के स्वरूप का विकास होता गया, वैसे-वैसे सामाजिक मनोविज्ञान के स्वरुप में भी अन्तर आता गया। मनोविज्ञान में अनेक सम्प्रदाय ने जन्म लिया और उन्होंने अपने-अपने ढ्रंग से मनोविज्ञान की व्याख्या की। इस व्याख्या का सामाजिक मनोविज्ञान पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। यहां हम कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायों का विवेचन किया जिनका सामाजिक मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव पड़ा। ये सम्प्रदाय निम्नलिखित है-

1. व्यवहारवाद
2. अवयवीवाद
3. स्पीयरमैन का दो तत्व सिद्धांत
4. मनोविश्लेषणवाद
5. प्रयोजानवादी सम्प्रदाय

व्यवहारवाद एवं सामाजिक मनोविज्ञान

व्यवहारवाद

जब मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था और बीसवीं शताब्दी से पूर्व चेतनता पर अधिक बल दिया जाता था उस समय अन्तर्दर्शन को अधिक महत्व दिया जाता था। परन्तु बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इस चेतनता का विरोध प्रारम्भ हुआ। इस समय प्रमाणात्मक सिद्रांन्तों को ही महत्व दिया गया। अन्तर्दर्शनवादियों ने प्रमाणात्मक विधी का विरोध किया। इसी समय लम्बी अवधि तक अमेरिका वासियों ने मानव मस्तिष्क क्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया और संबधित प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि मनोविज्ञान की चेतनता से कोई संबध नही है। चेतना रचनावाद के माननेवालों ने इस निष्कर्ष का विरोध किया और इसे मिथ्या सिद्व करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि चेतना को ही मनोविज्ञान के अध्ययन का मूल विषय होना चाहिए।

विलियम जेम्स(1842-1913 ई) ने चेतनावाद का घोर विरोध करते हुए कहा कि चेतना के स्थान पर यदि हम चेतना के फलस्वरूप शरीर द्वारा रक्षा के निमित्त किए जाने वाले कार्यो का अध्ययन करें तो अधिक उपयुक्त होगा। वास्तव में चेतना द्वारा शरीर व्यापार का हमारे ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है । यही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय होना चाहिए। इसे हम जेम्स का चेतना कार्यवाद कहते है।

सन् 1912 से 1914 ई. तक चेतना रचनावाद और चेतना के अनुयायियों में द्वन्द्व छिड़ा। इसी संघर्ष के कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद का जन्म अमेरिका में हुआ। वाटसन ने स्पष्ट किया कि चेतना के फलस्वरूप जो चेष्टाएं और व्यवहार होता है वह प्रमाणित और प्रत्यक्ष है अतः मनोविज्ञान में इन्ही का अध्ययन होना चाहिए संवेदना भावना और प्रतिभा चेतना के अंश नही है। व्यवहारवादियों की दृष्टि में जो वस्तु प्रत्यक्ष नही है उसे व्यवहारवाद के अर्न्तगत नही लाया जा सकता। परन्तु अचेतन मन द्वारा प्रत्युत्पन्न व्यवहार भी प्रत्यक्ष है, अतःउसे हम व्यवहारवाद में ला सकते है। इस प्रकार व्यवहारवाद वह सम्प्रदाय बना जिसमें चेतन एवं अचेतन मन द्वारा स्पष्ट एवं अस्पष्ट दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाने लगा।

अमेरिका में जब व्यवहारवाद का जन्म हुआ, उसी समय रूस में सम्बद्व सहज क्रिया एवं अभिसव्धानित सहज-क्रिया की कल्पना भी की गयी। रूस के मनोवैज्ञानिक वेशेरैन और पवलव ने शरीर शास्त्र के आधार पर उपरोक्त क्रियाओं का पता लगाया। वैशेरन ने गतिवाहक सहज क्रियाओं का अध्ययन करके सम्बद्व सहज क्रिया का पता

लगाया। पवलव ने शरीर की स्राव-संबधी सहज क्रियाओं का अध्ययन करके अभिसन्धानित सहज क्रियाओं का पता लगाया।

बेशेरेव ने मनुष्य और पशुओं दोनों पर अपने प्रयोग किए। वह ''सम्बद्ध सहज-क्रिया के आधार पर मानसिक रोगों का पता लगाना चाहता था। पवलव ने अभिसंधानित सहज -क्रिया से संबधित प्रयोग कुत्ते पर किए । उसने एक निश्चित तश्तरी मे एक व्यक्ति द्वारा कुत्ते को भोजन दिलाया, प्रतिदिन ऐसा ही किया गया। कुछ दिन बाद यह देखने में आया कि व्यक्ति के पैरों की आहट सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। भोजन तो कुत्ते के लिए मूल उद्वीपन है और उसे देखकर कुत्ते के मुह से लार टपकना स्वाभाविक है। लार टपकना एक अनुक्रिया है इसे हम सहज क्रिया कहते है परन्तु केवल तश्तरी देखकर या व्यक्ति के पैरो की आहट सुनकर या केवल घण्टी की आवाज सुनकर ही मुंह से लार टपकाना यह अभिसंघालित सहजक्रिया कहलाती अभिसंधनित सहज-क्रिया स्वाभाविक नही होती ।पवलव के सिद्वांत के अनुसार हम सहज क्रिया और अभिसंधानित सहज क्रिया दोनों को सहज ही सीख लेते है।

व्यवहारवादियों के अनुसार हम जो भी सीखते है वह अभिसंघानित सहज-क्रिया द्वारा ही सीखते है। जैसे-बालक गाय, आम, साइकिल आदि वस्तुओं का परिचय अभिसंधानित सहज क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। वह पहले तो इन शब्दों का उच्चारण हमारे साथ करता है, बाद में इनका संबंध वह एक निश्चित स्वरुप स्वाद आदि से जोड़ लेता है और बिना हमारे कहे स्वयं ही आम को आम, गाय को गाय और साइकिल को साइकिल कहने लगता हैं।

थार्नडाइक ने भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाकर पशुओं पर अनेक प्रयोग किए। पशु मनोविज्ञान ने भी व्यवहारवाद के विकास में भारी योग दिया। थार्नडाइक ने बिल्ली कुत्ते तोता मुर्गी मछली आदि पर प्रयोग करके बताया कि पशु वर्ग में मनुष्य की भांति विवेक बुद्दि और तर्क नही होता। वे प्रारम्भ में किसी कार्य को करते समय भूल करते है और धीरे-धीरे कार्य की सफलता मिलने पर उसे दोहराने पर भूल कम करते जाते है। अन्त में वांछित व्यवहार को बिना भूल किए ही कर जाते है। इस प्रकार उनका व्यवहार सहज क्रिया के अर्न्तगत आ जाता है। इस प्रकार के अधिगम को थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम कहा। मनुष्य भी बहुत सी बातें इसी प्रयास और भूल के सिद्वान्त के आधार पर सीखता है।

इस समय व्यवहारवाद पशु मनोविज्ञान और शरीरशास्त्र तीनों की खिचड़ी थी। थार्नडाक के प्रयोगों से वाटसन को एक स्पष्ट दृष्टिकोंण मिला। उसने कहा कि व्यवहारवाद और शरीरशास्त्र तो शरीर के अंगों की व्याख्या करता है और व्यवहारवाद व्यक्ति के व्यवहारों और चेष्टाओं की व्याख्या करता है। इसलिए इन दोनों को अलग समझना चाहिए। व्यवहारवाद का क्षेत्र कुछ सीमित है, जैसे स्मृति चिन्तन संवेग तथा संकल्प शक्ति ये व्यवहारवाद में नही आती परन्तु संवेदना और प्रत्यक्षीकरण इसके अर्न्तगत आ जाते है।

व्यवहारवाद, संवेग और मूल प्रवृतियां

वाटसन जैसे व्यवहारवादी के अनुसार पशु और बालक संवेगात्मक व्यवहार करते है। बच्चे में क्रोध इसलिए पैदा होता है कि बच्चे की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ती में बाधा आती है। भय इसलिए उत्पन्न होता है कि उससे अवलम्ब छूट जाता है और प्रेम स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण पैदा होता है।

वाटसन मूलप्रवृत्तियां को स्वीकार नहीं करता था। परन्तु वह वातावरण के प्रभाव को स्वीकार करता था। वह वंशानुक्रम के प्रभाव को भी नही मानता था। वह केवल वातावरण को ही महत्व देता था उसके अनुसार वातावरण द्वारा बालक को जैसा चाहे वैसा बन सकता है। परन्तु बाद में व्यवहारवादियों को मूल प्रवृतियों के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ा। परन्तु यह स्वीकृति केवल मानवीय मूल-प्रवृत्तियों के रूप में ही रही।

व्यवहारवाद और अधिगम

थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम के सिद्धांत से वाटसन को सहायता मिली। उसने इस सिद्धांत को अपने ढंग से समझाया। उसने कहा कि गलत अनुक्रियाओं का लोप ही अधिगम है । इसलिए उसके अनुसार यह सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम न कहकर सफल अनुक्रियाओं द्वारा अधिगम कहा जाना चाहिए।

सूझ द्वारा अधिगम के अन्तर्गत भी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का योग आ जाता है। जैसे-हम किसी समस्या का हल खोज रहे हो तो कुछ प्रयास करने के उपरान्त हम प्रसन्न होकर कह उठते है- आ गया आ गया यह हल तब आया जब हमने उसे खोजने के असफल प्रयास भी किए। इसलिए व्यक्ति की सूझ भी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगमन पर आधरित है।

थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित दो सिद्धान्त वाटसन की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। 1. अभ्यास का नियम

2. परिणाम नियम

अभ्यास के नियम के अनुसार यदि हम किसी बात को सीखने में उसे बार-बार दोहराते है तो उसमें दक्षता आ जाती है, वह सहज-क्रिया बन जाती है। उसके करनें में फिर भूल नही होती और काम सरल हो जाता है। उनके अनुसार रूचि इस नियम में महत्वपूर्ण योग देती है। यदि हमारी काम में रूचि है तो हम उसे बार बार दोहराने का प्रयास करेंगे और उसे शीघ्र सीख जायेंगे। परन्तु जो कार्य अरूचिकर है उसके अधिगम में हमें कम सफलता मिलती है और शक्ति भी अधिक होती है। इस बात को उसने परिणाम का नियम कहा। उसके परिणाम के नियम में चेतना का बोध होता है। वाटसन ने थॉर्नडाइक के परिणाम के नियम की आलोचना की और बताया कि व्यक्ति परिणाम के नियम से नही सीखता वरन आवृत्ति नवीनता और स्पष्टता के नियमों का पालन करके सीखता है।

थॉमसन ने वाटसन की विचाराधारा को तर्कसंगत नही माना। उसने कहा कि अभ्यास के नियम की भांति परिणाम का नियम भी पशु और मनुष्य दोनो के लिए समान महत्व का है। उसने वाटसन द्वारा प्रतिपादित परिणाम के नियम की आलोचना करके चेतना के स्थान पर उद्दीपन शब्द का प्रयोग किया। उसने इसे देखने की क्रिया द्वारा समझाया। जो वस्तु हमारे नेत्रों के समक्ष होती है, आखों पर उसके उद्दीपन की अनुक्रिया उत्पन्न होती है। इसी उद्दीपन अनुक्रिया की सहायता से हमें सफलता मिलती है। इस प्रकार व्यवहारवाद के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धान्त ही प्रमुख है अतः इसे अधिगम के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

व्यवहारवाद का सामाजिक मनोविज्ञान पर प्रभाव

व्यवहारवादी सिद्धान्तों से सामाजिक मनोविज्ञान पर्याप्त प्रभावित हुआ। लेविन थर्स्टन पारसन्स एवं टॉलमैन आदि मनोवैज्ञानिको ने व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययान व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर करने सुझाव दिया। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामाजिक संगठन का आधार व्यक्ति द्वारा सीखी गयी बहुत सी बातों पर ही हुआ है। वे व्यक्ति की संस्कृति को उसकी आदतें मानते है ।

अवयवीवाद और सामाजिक मनोविज्ञान

अवयवीवाद

जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद पनप रहा था। उसी समय जर्मनी मे अवयीवाद का जन्म हुआ गैस्टाल्ट शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है रूप या आकृति अवयवी या समग्र नमूना या आदर्श इसे अंग्रेजी मे कॉनफिगरेशन कहा जाता है

देखा जाए तो गेस्टाल्ट शब्द स्वयं में ही सार्थक है। इसका पर्याय सही रूप में नही दिया जा सकता। इस प्रकार वह मनोविज्ञान की विचारधारा जो व्यक्ति के व्यक्त्वि अथवा व्यवहार को समग्र रूप में सश्लेषणित रूप में देख विश्लेषित रूप में नही देखती वह अवयवीवादी विचाराधारा कहलाती है।

अवयवीवादी संवेदना को अनुभव का अंग मानते। वे विश्लेषणात्मक अन्तःप्रेक्षण को भी स्वीकार नही करते। अवयववाद में परीक्षणों के आधार पर सारगर्सित और समग्र सिद्वांतो का निर्धारण किया गया। वे किसी बात को तभी स्वीकार करते थे जय परीक्षणों के आधार पर वह खरी या सत्य उतरती थी। वह किसी समस्या या परिस्थिति या व्यवहार को समझने के लिए उसके अवयवों का विश्लेषण करके उन्हें समझने का प्रयास करते थे, और अन्त में उसे समग्र रूप से देखते थें । यदि हम समस्या या व्यवहारों के अवयवों का विश्लेषित केवल इसलिए करें कि उनका पारस्परिक संबध स्पष्ट हो जाए तो विश्लेषक सार्थक होता है। और बाद में उसे विश्लेषित करके समग्र रूप में देखा जाए जैसे व्यक्ति के चेहरे का अलग अध्ययन करने में हमें आंख, कान, नाम, मुँह आदि अवयवों का अलग अध्ययन करके फिर समग्र रूप में देखे तो चेहरे का अध्ययन भली प्रकार हो सकता है। अवयवीवादियों के अनुसार व्यक्तित्व उसके अवययों को नही कहते वरन उन सबके समग्र एवं संगठित रूप को कहते है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग मांस पेशियां हड्डिया तन्तु संगठित रूप से ही शरीर का समय बोध कराते है और जीव सत्ता को एक इकाई है जिसे विविध शील गुणों के समग्र और समन्वित रूप में ही देखा जा सकता है विश्लेषित रूप में नही अवयवीवाद यह नही मानते कि व्यक्ति का व्यवहार सहज कियाओ का योग है
अवयवीवादी के अन्तर्गत निम्ननिखित मनोविज्ञानवेत्ता प्रमुख है जिनके विचारों का उल्लेख ही अवयवीवाद का स्रोत है

1. मैक्स वर्थीमर (सन् 1880से 1945 तक)
2. कर्ट कॉफका (सन् 1886 से 1941 तक)
3. वोलफॉग कोहलर (सन् 1887 ई.)

मैक्स वर्थीमर तो गुप्त ज्ञान का खोज में ही प्रयोग करते रहे। परन्तु कोहलर और कॉफका ने क्रमशः प्रतिमा, विचार एवं अधिगम पर विचार किए। कोहलर के खीचने की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रयोग उल्लेखनीय रहे।

अवयवीवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर अधिक ध्यान दिया। वे प्रत्यक्षीकरण को अधिगम का प्रमुख मानते थे। उसके अनुसार मानव-व्यवहार के अध्ययन के लिए प्राणी की

गतिशील अनुक्रियाओं और उसके वातावरण को समझ लेना आवश्यक है। वे उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। हम मानव-व्यवहार को भौतिक तत्वों की भांति विश्लेषित नहीं कर सकते। हर्बर्ट-स्पेन्सर जैसे व्यवहारवादी व्यवहार को सहज-क्रियाओं की श्रृंखला मानते थे, परन्तु अवयवीवादी मानव व्यवहार को संगठित और समग्र रूप में ही स्वीकार करते हैं।

अवयवीवादी एवं अधिगम - अधिगम की दृष्टि से व्यवहारवादियों और अवयवीवादी में भारी अंतर है। व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम है। परन्तु अवयवीवादी ऐसा नही मानते। उसके अनुसार प्राणी एक नमूने के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, किसी उद्दीपन के प्रति नहीं। जैसे-अवयवीवादियों ने एक प्रयोग द्वारा इस बात को सिद्ध किया-

एक घोड़े के सामने "अ" और "ब" दो बाल्टियों खाने के लिए रखी गयी। "अ" बाल्टी हल्के नीले रंग की थी और "ब" बाल्टी गहरे नीले रंग की थी। "ब" गहरे नीले रंग की बाल्टी मे घोड़ा खाना खाता रहा। "अ" बाल्टी के स्थान पर "स" बाल्टी रख दी गयी जो खाली थी परन्तु "ब" से भी अधिक गहरे नीले रंग की थी, परिणाम यह हुआ कि घोड़े ने "स" बाल्टी में मुंह डाला "ब" में नहीं।

इस प्रयोग से यह बात सिद्ध हो जाती है कि घोडे ने अपनी प्रतिक्रिया नमूने के प्रति दर्शायी न कि उद्धीपन के प्रति। अर्थात गहरे रंग की बाल्टी में ही घोड़ा भोजन पाने का आदी था। गहरा रंग उसके लिए एक नमूना था।

कोहलर ने भी यह सिद्ध किया कि व्यक्ति को कोई भी प्रतिक्रिया यन्त्रवत नही होती, वरन् यह परिस्थितिवश होती है। जब व्यक्ति परिस्थिति या नमूने को समझ लेता है तब उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। कोहलर सूझ को अधिगम का आधार मानता है उसने पशुओं पर विशेंषकर वानमानुषों पर अधिगम- संबधी प्रयोग किए। उसने वनमानुष पर बहुत से प्रयोग किए। रस्सी में लटके हुए केलों को प्राप्त करने के प्रयोग मे सन्दूक के उपर सन्दूक रखकर, लकड़ी के उपर लकड़ी फसाकर वनमानुष केले गिराने में सफल हो सका। परिस्थिति को भली प्रकार समझ और बाद में केले गिराने में वह सफल हो सका। परिस्थिति को भली प्रकार समझ कर किसी समस्या का हल करने की विधी का अवयवी विधी कहते है । अवयवीवादियों के अनुसार प्राणी इसी विधि से सीखते है। कोहलर के अनुसार बालक परिस्थिति को समूचे रूप से सीखते है कोहलर के अनुसार बालक परिस्थिति को समूचे रूप में समझता है, अशं रूप में नही समझता । इस समझने की

क्रिया में हम समग्र से अंश की ओर चलते है। इसलिए बालक को भाषा ज्ञान कराते समय पहलें वाक्य फिर शब्द और अन्त में अक्षर ज्ञान कराना ठीक होगा।

अवयवीवाद व्यवहारवादियों के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का विरोध करते हुए उद्दीपन और अनुक्रिया के बंधन को स्वीकार नही करते। प्रो. ल्यूविन के अनुसार यदि हम पोस्टबाक्स में पत्र डालते है तो व्यवहारवादियों की दृष्टि से पोस्टबाक्स एक उद्दीपन होगा और उसे देखकर पोस्टबाक्स में पत्र डालना अनुक्रिया होगी। इस दोनो में एक बंधन है । परन्तु अवयवीवाद के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने से समस्या का हल नही निकलता वास्तव में जब हम पत्र डालने के लिए लिख लेते है डालने की सोचते है तो मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह तनाव तभी समाप्त होता है जब हम पत्र डाल देते है। ऐसे ही बालक के समक्ष जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को दूर करने में बालक समस्या की समग्र परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। जब वह समूची परिस्थिति को समझ लेता है, अर्थात परिस्थिति के आवश्यक अंगो में एक संबंध स्थापित कर लेता है तो समस्या का हल उसके मस्तिष्क के सूझ के रूप में आ जाता है। तभी बालक का मानसिक तनाव समाप्त होता है।

अवयववाद का समाज मनोविज्ञान पर प्रभाव

लेविन राइट बाराकर और ढेलमैन के नाम अवयवीवादियों में उल्लेखनीय है। इनकी विचाराधारा का समाज-मनोविज्ञान पर व्यापक प्रभाव पडा। लेविन की दृष्टि में मानव और समाज दोनों मानव-जीवन के अभिन्न अंग है। मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक हागा। इस प्रकार अवयवीवाद के प्रभाव से मानव के अतिरिक्त उसकी सामाजिक परिस्थितियों को भी मानव व्यवहार के अध्ययन में प्रधानता दी जाने लगी। अवयवीवाद न विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण दिया।

स्पीयरमैन का बुद्धि सम्बन्धी दो तत्व सिद्धांत एवं सामाजिक मनोविज्ञान

स्पीयरमैन का दो तत्व सिद्धांत

स्पीयरमैन ने थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत की आलोचना की कि हमारी बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का योग है। इन योग्यताओं का उपयोग व्यक्ति किसी कठिन कार्य के सम्पादन में करता है । स्पीयरमैन के अनुसार यदि बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यता के अभाव में व्यक्ति कर्त्तव्यविमुढ़ भी हो सकता है । परन्तु ऐसा नही होंता।

स्पीयरमैन बुद्धि में केवल दो मानसिक योग्यताओं का योग मानता है। एक मानसिक योग्यता को सामान्य योग्यता तत्व कहता है दूसरी मानसिक योग्यता को वह विशिष्ट मानसिक योग्यता तत्व की संज्ञा देता है। सामान्य योग्यता तत्व ही वास्तविक बुद्धि है।

उच्च एवं साधारणःअन्त करण

फायॅड के अनुसार ज्ञात चेतना तथा अज्ञात चेतना में सन्तुलन बनाए रखने वाला एक उच्च अन्तःकरण होता है। यह एक प्रकार का विवेक है जो व्यक्ति को सामाजिक आदर्शो पर चलने का मार्ग दर्शन देता है। जब कभी हम किसी असामाजिक कार्य की ओर बढ़ते है तो यह उच्च अन्तःकरण हमें धिक्कारता है। यह ज्ञात और अज्ञात चेतनाओं के बीच सीमा पर एक सजग प्रहरी का काम करता है।

उच्च अन्तःकरण के अतिरिक्त फ्रॉयड एक साधारण अन्तःकरण की भी कल्पना करता है। यह तब करता है जब उच्च अन्तःकरण विश्राम मे होता है या सो जाता है साधरण अन्तकरण में अच्छी और बुरी सभी प्रकार की इच्छाएं रहती है। बुरी इच्छाओं पर उच्च अन्तःकरण का नियंत्रण रहता है। परन्तु जब उच्च अन्तःकरण जागृतावस्था में नही रहता तब बुरे विचार जिनका पहले अवदमन हो चुका होता है क्रियाशील हो जाते है। उनके लिए बाहर आने का मार्ग खुल जाता है तब व्यक्ति असावधान रहता है, क्योकि उच्च अन्तःकरण का उस समय कोई नियन्त्रण नही रहता मोह निद्रा में भी यही बात होती है और व्यक्ति अपने दबे विचारों को व्यक्त करने लगता है। क्रोधावस्था भी ऐसी ही अवस्था है जिसमें उच्चकरण ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति होश खो बैठता है वह ऐसी बातें भी कह जाता है जिनकी उससे आशा भी की जा सकती थी। इसलिए समझदार लोग क्रोध में कही गयी बातों पर ध्यान नही देते क्रोधावस्था में व्यक्ति के व्यवहार से उसका चरित्र भली प्रकार जाना जा सकता है। क्योकि उस समय यह देखा जाता है कि उसके उच्च अन्तःकरण का उस पर कितना प्रभाव है। उच्चः करण का उस पर कितना प्रभाव है उच्च अन्तःकरण के सबल होने पर अच्छे व्यक्ति क्रोधावस्था में भी नियंत्रित रहते है।

अज्ञात चेतना में रहने वाली बातें सदैव ऊपरी तल पर आने का प्रयत्न करती है, परन्तु निम्नलिखित दो कारणों से बाहर नही आ पाती–

1. अन्तःकरण के प्रतिरोध के कारण
2. सामाजिक आदर्शो के प्रतिकूल जाने के भय के कारण।

अतः ये बाते या इच्छाएं "अज्ञात -चेतना" या अचेतन-मन में ही घर किए रहती है। ये इच्छाएं क्रियाशील रहती है और आपस में उलझ कर भावना-ग्रन्थि बना लेती है। यह भावना ग्रन्थि व्यक्ति में एक संवेग को जन्म देती है। जब यह भावना ग्रन्थि समाप्त हो जाती है तो संबंधित संवेग भी समाप्त हो जाता है। और व्यक्ति संवेगशील बना रहता है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा रहे है-

1. बालक पर उसकी अतृप्त इच्छाओं का व्यापक प्रभाव पडता है। इकलौते बेटे की इच्छा तत्काल पूरी कर दी जाती है। उसक एक चीख पर सारा परिवार उसकी इच्छा पूर्ति में जुट जाता है। अतः वह बालक उन्मुक्त स्वभाव का हो जाता है परन्तु जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है। तो मां-बाप का प्यार बट जाता है। इससे पहले बालक की कुछ इच्छाएँ पूरी नही हो पाती ये अपूर्ण इच्छाएं बालक के अज्ञात-चेतना में जाकर घर बना लेती है। धीरे धीरे भावना ग्रन्थि का रूप ले लेती है।

2. जब किसी बालक की माता-विधवा होती है या असहाय होती है तो वह अपने बालक की इच्छाओं की पूर्ती नही कर पाती। इसका प्रभाव मां और बच्चे दोनो पर पड़ता है। ऐंसी स्थिति में बालक झूंठी, डरपोक, बात-बात में रोने वाला हो जाता है। यदि कोई घर का उत्तरदायी व्यक्ति बालक को बात-बात पर डांटता डपटता रहता है या उसे मूर्ख का विश्लेषण देता रहता है। तो बालक दब्बू बन जाता है। ऐसे बालकों को ठीक रखने के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त वातावरण से उन्हें बचाया जाए और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाए।

फ्रॉयड ने अपने मनोविश्लेषण से यह पता लगाया क व्यक्ति के बहुत से रोगों का कारण स्वयं व्यक्ति नही होता, बल्कि उसके माता-पिता होते है जिन्होंने उसे बाल्यावस्था में मनोवैज्ञानिक वातावरण नही दिया। व्यक्ति के प्रत्येक स्वाभाविक कार्य में एक न एक प्रयोजन होता। फ्रॉयड इसीलिए व्यक्ति के मानसिक रोग का कारण शरीरिक दुर्बलता को न मान कर उसकी इच्छा की आपूर्ति को मानता है। फ्रॉयड एक उदाहरण देता है

"एक स्त्री को अपने बूढ़े बाप से बहुत स्नेह था। वह उसकी सेवा करना चाहती थी। परन्तु तभी उसका एक युवक से प्रेंम हो गया। फलतः वह बाप की सेवा से वंचित होने लगी। इसमें उसमें पितृ सेवा के विपक्ष का भाव पैदा हो गया और उसमें अचेतन मन में घर कर गया। इससे वह बात रोग से पीड़ित होकर अपंग हो गयी। इस तथ्य को उस स्त्री ने मोह-निद्रा एवं स्वतंत्र -साहचर्य के द्वारा स्वीकार भी किया।

ऐसा ही एक और उदारण फॉयड के अनुसार इस प्रकार है

''एक व्यक्ति मछली खाने का शौकीन था। उन्हें उनके पिता द्वारा मछली खाने से रोक दिया गया तो देखा गया कि जब वह व्यक्ति अंग्रेजी लिखते, तो विश की जगह फिश लिख दिया करते थें।

ऐसी बहुत सी भूलें व्यक्ति अतृप्त इच्छाओं के कारण ही कर बैठ्ते है बोलते और लिखते समय लकड़ी को लड़की बोलना या लिखना भी अतृप्त यौन–भावना का कारण है।

फॉयड ने स्वप्नों का विश्लेषण करके भी व्यक्ति की अज्ञात चेतना में बनी ग्रन्थियों का पता लगाया। इससे पूर्व किसी भी मनोवैज्ञानिक ने स्वप्न को महत्व नही दिया था। वे तो स्वप्नों को निरर्थक मानते थें। फॉयड के अनुसार स्वप्न भूतकालीन अवदमित इच्छाओं को या भविष्य की विचार परम्परा को व्यक्त करतें है। जैसे कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में सांप के डर से फूंक–फुंक कर कदम रख रहा हो और रात में उसे स्वप्न दिखें तो उसे स्वप्न में सांप दिखायी दे सकते है। अधिकांशतः स्वप्न भूत–कालीन इच्छाओं की आपूर्ति की ओर संकेत करते है।

भावना–ग्रन्थियों के बनने का एकमात्र कारण इच्छाओं के अवदमन को नही माना जा सकता।

फॉयड के अनुसार इसके अन्य कारण भी है। फॉयड की राय में बाल्यावस्था के बीच जो संवेग उठ्ते है उनकी तंरगो के कारण ही भावना –ग्रंन्थि बन जाती है जैसे –बच्चो को बडे लोग सुना देते है कि अमुक पीपल के पेड़, खोह में कोई गोसांई बाबा रहता है, या कोई पहलवान रहता है रात को पीपल का पेड़ हिलता है या वहां भूत रहता है आदि ऐसी बात सुनकर बच्चों में भय का संवेग पैदा होता है और उसमें भय की भावना ग्रन्थि पैदा हो जाती है। बच्चा बड़ा होकर भले ही यह समझ जाए कि पीपल के पेड़ में भूत नही रहते है गोसांई बाबा कोई नही रहता परन्तु यह बाल्यकाल की भावना ग्रन्थि उसके स्वभाव का अंग बन जाती है तो जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास गुजरता है उसे भय लगने लगता है।

अज्ञात चेतना में स्थित सभी विचार यौन–संबंधी के होते है। इस बात को भी फॉयड स्वीकार करता है। यह यौन या काम संबधी भावना व्यक्ति में बाल्यकाल से ही आने लगती है। इसके अनुसार विरूद्ध यौन आकर्षण इसका कारण है बालक अपनी मां की ओर और बालिका अपने पिता की ओर इसी कारण आकर्षित होते है बालक पिता को अपनी प्रतिद्वन्द्वी मान बैठ्ता है, वह माता के उतना निकट नही आ पाता जितना की पिता के रहता है । फिर भी वह पिता के प्रति प्रतिद्वन्द्वित्व व्यक्त नही कर पाता, यही बात उसकी

अज्ञात चेतना में घुस जाती है और यौन-ग्रन्थि उसके मस्तिष्क मे घर कर जाता है वह अपनी काम भावना का दमन करना पड़ता है इस प्रकार बालक में यौन संबंधी भावना ग्रन्थि के उत्पन्न होने का कारण बालक के पिता के प्रतिद्वान्द्वित्य की भावना को फॉयड इडीपस भावना ग्रन्थि का नाम देता है

एडलर (सन् 1870 से 1937 ई. तक)

एडलर भी फायड का एक समकालीन मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक था। उसने बहुत समय तक फ्रॉयड के साथ काम किया। परन्तु 1912 में उसने यह अनुभव किया कि फ्रॉयड के कुछ सिद्वान्त निर्मूल है। जैसे उसके अनुसार फायड व्यर्थ में काम-भावना को महत्व देता है। उसके अनुसार फ्रायॅड व्यर्थ में काम भावना को महत्व देता है। उसके अनुसार काम भावना कार्य का कारण नही है। एडलर सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशंसा को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार - प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निन्दा से बचकर रहना चाहता है और सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रशंसा चाहता है। कोई व्यक्ति समाज में छोटा बनकर नही रहना चाहता। जब उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नही मिलती तो वह उसे आत्म-दर्शन द्वारा प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह कभी कभी आत्मश्लाषा करने वाला होगा अर्थात् अपनी बड़ाई अपने आप करेगा। और वह उतना ही कम उन्नतिशील होगा। इसे हम महानता की तुलना मान सकते है । कथन है वास्तव में उस व्यक्ति का व्यवहार कृत्रिम हो जाता है जो सामाजिक प्रतिष्ठा या बड़प्पन नही प्राप्त कर पाता और अपनी प्रशंसा अपने आप करता रहता है । ऐसा करना छोटा समझने का अथवा आत्महीनता का स्पष्ट प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति में आत्महीनता की भावना ग्रन्थि होती।

एडलर के अनुसार मानसिक रोग नित्य ही किसी न किसी आत्महीनता की भावना से बचने का प्रयास किया करता है। वह अपने को दूसरों के समक्ष ऊंचा देखने कि इच्छा करता रहता है। इस प्रकार फायड और एडलर के सिद्वांतो में भारी भेद नजर आता है एडलर तो आत्महीनता की भावना को मानसिक रोग का कारण मानता है और सभी मानसिक रोगियों को एक श्रेणी में रखता है परन्तु फायड मानसिक रोग का मूल कारण काम-भावना संबधी ग्रन्थि को मानता है । एडलर के अनुसार जब व्यक्ति में आत्म हीनता की भावना आ जाती है तो वह आत्म प्रशंसा की ओर बढ़ कर अवनति की ओर चलने लगता है। उसकी जीवन प्रणाली ही बदल जाती है, वह ढोगी हो जाता है कृत्रिम व्यवहार दर्शाने लगता है और उसके आदर्शो और कार्यो में मेल नही रहता।

बाल्यावस्था में आत्म-हीनता की भावना आ सकती है। परन्तु एडलर का विश्वास है कि इसे शिक्षा द्वारा आवश्य ही समाप्त किया जा सकता है। एडलर यह भी मानता है कि यदि यह आत्म-हीनता की भावना शिक्षा द्वारा भी समूल नष्ट नही होती तो कोई व्यक्ति आत्म-हीनता से पूर्ण-ग्रस्त व्यक्ति के अन्तःकारण में झांके तो उसे उसमें आत्म-हीनता की भावना कही न कही अवश्य मिलेगी। परन्तु यह इतने बलवती नहीं होगी जो व्यक्ति को मानसिक रोगी बना दे। बाल्यावस्था में उत्पन्न भावना-ग्रन्थि के कई कारण हो सकते है। जैसे-बालकों में शिक्षा, धन, वस्त्र, रहन-सहन, भोजन आदि के अभाव के कारण आत्महीनता का आ जाना। अपने को पिता के तुल्य श्रेष्ठ न बनाने की समर्थता की भावना या अपने पिता के स्तर से ऊंचा उठने की सम्भावना का न होना ये बातें बालक मे आत्महीनता की भावना पैदा कर देती हैं। प्रायः भिखारी के बालक इसलिए आत्महीन होते है कि वे बाप के भिखारी होने के स्तर से ऊंचा उठने की संभावना नही देख पाते।

जीवन-प्रणाली प्रायः घरेलू वातावरण में पहले ही निश्चित हो जाती है । यदि लड़का घर में छोटा होता है तो सभी उसे लाड़-प्यार से रखते है, ऐसे ही इकलौता पुत्र भी सभी के लाड़-प्यार में पलता है, अतः ऐसे बालक अधिकतर निकम्मे हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं।

एडलर का रोग-निदान फ्रॉयड से भिन्न था। वह रोगी के रोग का निदान करने के लिए पहले उसकी जीवन-प्रणाली का अध्ययन करता था। वह उसकी विविध रूचियों, आदतों, रहन-सहन, खान-पान और घर में उसकी स्थिति एवं स्तर की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता था। इन सभी का व्यक्ति के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का चरित्र तो उसके उठने बैठने, चलने-फिरने, बोलने तक से प्रकाशित होता है। उसके अनुसार व्यक्ति के स्वप्न का गठन भी व्यक्ति की जीवन-प्रणाली के आधार पर होता है। एडलर यह मानता है कि स्वप्न व्यक्ति के भविष्य की ओर संकेत करता है, उसका उसके भूतकाल से कोई संबंध नहीं होता, परन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुतः स्वप्न का संबंध व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य दोनों से होता है।

एडलर ज्ञात-चेतना और अज्ञात-चेतना दोनो को अलग नहीं मानता। वह दोनों को अलग नही मानता। वह दोनो का उद्वेश्य एक मान कर उन्हें आपस में सबद्ध मानता है। उसके अनुसार अज्ञात चेतना में तो आत्म-हीनता रहती है और ज्ञात चेतना में आत्म -प्रदर्शन की आत्म हीनता रहती है और ज्ञात -चेतना में आत्म प्रदर्शन आत्म उत्थान

तथा आत्म गौरव की भावनाएं रहती है। उसके अनुसार व्यक्ति अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास करता है और महानता का प्रदर्शन करना चाहता है।

यूंग एवं वर्गसन

यूंग भी एक मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञानिक है। परन्तु इसके विचार फॉयड और एडलर के विचारों से भिन्न है। वह एक दार्शनिक भी है। यूंग "अज्ञात-चेतना को" ज्ञात-चेतना का पूरक मानता है। और कभी-कभी उसे ज्ञात चेतना से अधिक महत्वपूर्ण भी बताने लगता है। उसके अनुसार अज्ञात चेतना में केवल बुरे विचार ही घर नही करते, वरन् विचार भी विद्यमान रहते है। वैसे अज्ञात चेतना में अधिकांशतः वे विचार भी रहते है जिनका व्यक्ति के निजी अनुभव से कोई संबध नही होता। यदि कोई व्यक्ति "ज्ञात चेतना में वीर, धैर्यमनस्वी है तो वह अज्ञात चेतना में कायर या भीरू हो सकता है।

यूंग के अनुसार काम -भावना जीवन का एक आवेग है जो वर्गसन के जीवनी-शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसे यंग एक सर्वसाधरण, स्वाभाविक और अनिवार्य आवेग मानता है। यह सभी में पाया जाता है। उसके अनुसार इस आवेग का सहयोग परोपकार करने में भली प्रकार किया जा सकता है।

यूंग का स्वप्न-संबंधी विचार फॉयड से भिन्न है। उसके अनुसार स्वप्न में भूत वर्तमान और भविष्य तीनो कालों की बातों का समावेश होता है। वह फॉयड की स्वतंत्रता साहचर्य की विचारधारा को स्वीकार करता है। उसके अनुसार मानसिक रोगी के स्वप्न का अध्ययन करके रोग का पता लगाया जा सकता है। स्वप्न केवल अवदमित इच्छाओं को ही व्यक्त नही करता। वरन् यह भावी उन्नति या अवनति की और भी संकेत करता है।

उपरोक्त विचारधाराओं के आधार पर यह अवश्य ही सोचा जा सकता है कि यूंग ने फॉयड और एडलर दोनों के बीच का मार्ग अपनाया है और उनके विचारों में सामजस्य लाने का प्रयास किया है। यूंग व्यक्ति को दो भागो में विभाजित करता है-

1. बहिर्मुख
2. अन्तर्मुख

फॉयड का "काम भावना" से प्रेरित होकर काम करने वाला व्यक्ति यूंग के अनुसार बहिर्मुख माना जा सकता है। एडलर द्वारा श्रेष्ठता-प्राप्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा से युक्त व्यक्ति को अन्तर्मुख माना जा सकता है। जो व्यक्ति बहिर्मुख होता है वह "भावना-प्रधान और अन्तर्मुखी व्यक्ति" विचार-प्रधान हुआ करता है।

उपरोक्त दो श्रेणियों में ही व्यक्तियों को रखना बहुत कठिन था। अतः यूंग ने व्यक्तियों की एक तीसरी श्रेणी भी प्रस्तुत की जिसे उभय-मुख श्रेणी कहा गया। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते है। जिनमें बहिर्मुख और अन्तर्मुख व्यक्तियों दोनों के गुण विद्यमान होते है। ऐसा व्यक्ति न तो अधिक भावना-प्रधान ही होता है और न अधिक विचार-प्रधान ही। वह न तो प्रेम वस्तु के लिए प्रयत्नशील होता है और न आत्मोत्थान के लिए ही वह कोई विशेष प्रयत्न करता है।

मनोविश्लेषवाद और सामाजिक मनोविज्ञान

समाज-मनोविज्ञान पर मनोविश्लेषणवाद का व्यापक प्रभाव पडा है। व्यक्ति के सामाजिकरण समाज की उत्पत्ति तथा संस्कृति परिवार, समूह -मनोविज्ञान आदि बातों पर मनोविर्श्लेषणवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है।

व्यक्ति का समाजीकरण और मनाविश्लेषणवाद-फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति के उच्च अन्तःकरण के आधार पर व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। परिवार में रहकर बालक अपने परिवार की परम्पराओं को धीरे-धींरें अपना लेता है। वह कुछ परम्पराओं को अपनाता और कुछ सामाजिक परम्पराओं को अस्वीकार करता है क्योंकि उसे लगता है कि वे परम्पराएं उसके विकास में बाधक है। शैशव में माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों का और प्रौढावस्था में सामाजिक परम्पराओं का विरोध उसके द्वारा हुआ करता है।

समाज की उत्पत्ति एवं संस्कृति और मनोविश्लेषणवाद-
मनोविश्लेषणवादी सामूहिक व्यवहारों के प्रभाव से समाज की उत्पत्ति का विश्लेषण करते है। समाज की उत्पत्ति व्यक्ति के सामुहिक व्यवहारों के आधार पर हुई।

मानव और पशु में यही भेद है कि मानव ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। फ्रॉयड जैसे मनोविश्लेषणवादी के अनुसार जहां व्यक्ति ने सांस्कृतिक विकास किया है वहां उसके कारण उसकी भावनाएं अवदमित और कुण्ठित भी हुई है। समाज में पनपने वालें व्यभिचार अपराध और अत्याचार इसी बात के प्रमाण है। सामाजिक मनोविज्ञान में इन बातों की चर्चा होती है।

परिवार और मनोविश्लेषणवाद- परिवार की रचना उन वैयक्तिक क्षमताओं और सामाजिक अभिरूचियां से होती है जो लड़के द्वारा पिता के गुणों को और लड़की द्वारा माता के गुणों को ग्रहण करने से उत्पन्न होती है। लड़की इन गुणों को ग्रहण करके पिता का प्रेम और लड़का पिता के गुणों को ग्रहण करके माता का प्रेम प्राप्त करना चाहता है।

समूह मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणवाद– समूह के सदस्य अपने नेता के गुणों का अनुसरण करते है। सभी समूह–सदस्यों में एक साहचर्य पैदा होता है और उनमें एकता की भावना आ जाती है। समूह में रहकर व्यक्ति का अन्तकरण गौंण बन जाता है। और सामूहिक आनन्द की भावना प्रधान हो जाती है।

प्रयोजनवादी सम्प्रदाय और सामाजिक–मनोविज्ञान

प्रयोजनवादी सम्प्रदाय

प्रयोजनवादी सम्प्रदाय का संचालन मैक्डुगल (सन् 1871–1939) ने किया मैक्डुगल के अनुसार व्यक्ति के अनुसार कार्य के पीछे एक ऐसा प्रयोजन होता है जो एक प्रेरक का काम करता है। इसी प्रयोजनात्मक प्रेरक से हम प्रगति करते है। प्रयोजनवादी व्यवहारवादियों के उत्तेजना अनुक्रिया'' सिद्धांत का खण्डन करते है। उनके अनुसार उत्तेजना के होने पर ही अनुक्रिया हो या आवश्यक नही। प्रत्येक अनुक्रिया के मूल में एक ''प्रयोजन'' रहता है जो प्रेरक का काम करता है। सोने की ''अनुक्रिया तभी होती है जब हमारा सोने का प्रयोजन होता है, अर्थात थकान के कारण सोने को प्रेरणा मिलती है। शयन–कक्ष सोने की कोई उत्तेजना पैदा नही करता। शयन–कक्ष तो प्रत्येक समय रहता है, फिर हम प्रत्येक समय क्यों नही सोते?''पवलव'' द्वारा वनमानुष पर किए गए प्रयोग से भी यह स्पष्ट होता है। ''वन–मानुष'' ने भुख की प्रेरणा या भोजन करने के प्रयोजन से ही केला खीच कर खाने का प्रयास किया। अन्यथा वह पिंजडे से बाहर निकलने मा्त्र का ही प्रयास करता । इस प्रकार व्यक्ति में जब दो या अधिक भावनाएं किसी प्रेरणा–वश उत्पन्न होती है तो प्रबलतम प्रेरणा वाली इच्छा को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति प्रयत्नशील होता है।

मैक्डुगल का मूल प्रवृत्ति–सिद्धांत

मैक्डुगल के अनुसार सभी कार्यो में एक सकल्प–शक्ति का तत्व रहता है जिसे व्यक्ति में विद्यमान मूल प्रवृत्तियां प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियों व्यक्ति की एक मन शारीरिक प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया करता है। इसीलिए मैक्डुगल के अनुसार व्यक्ति की मूल–प्रवृति एक प्राथमिक प्रेरक प्रवृत्ति है जिससें कोई कार्य संचालित होता है। मैक्डुगल के अनुसार मूल–प्रवृत्यात्मक क्रिया के निम्नलिखित तीन अंग होते है–

1. ज्ञान या जानना
2. अनुभव करना
3. संकल्प करना

स्थायीभाव – व्यक्ति जैसे ही वातावरण के सम्पर्क में आता है और उसके अनुकूल व्यवहार करता है तो उसे कुछ का और ज्ञान होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है । व्यक्तियों में समान मूल-प्रवृत्तियां होती है। परन्तु इन मूल प्रवृत्तियों का शोधन और परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है। व्यक्ति की चाह या मूल प्रवृत्ति के अनुकुल संबधित संवेग उस चाह के चारों ओर एकत्रित होते रहते है। चाह और संवेगों के संयोग से स्थायीभाव बनता है। इसी प्रकार जब संवेग किसी मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते है तब भी स्थायीभाव बन जाता है। इस स्थायीभाव का स्वरूप मूल-प्रवृत्ति का संशोधित रूप होता है। इसी से हमारा व्यवहार संचालित होता है। इसलिए प्रयोजनवाद के अनुसार मूल-प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार की प्रेरक है।

प्रयोजनवाद की पर्याप्तता- संजीव और निर्जीव वस्तु में अन्तर होता है। इसलिए यान्त्रिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा संजीव पदार्थो के व्यवहार को नही नापा जा सकता। परन्तु मैक्डुगल के अनुसार प्रयोजनवाद द्वारा ही मनुष्य एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इनका कार्य-संबंधी प्रयोजन होता है। जैसा कि डा. ई. एस. रसेल का विचार है कि जीवधारियों के व्यवहारों का अध्ययन मन शारीरिक प्राणियों के सिद्वान्तानुसार किया जा सकता है, यही मत मैक्डुगल भी व्यक्त करता है।

प्रयोजनवाद की उपलब्धियां – मैक्डुगल के प्रयोजनवाद की मनोविज्ञान की निम्नलिखित देन है-

1. इससे इन्द्रियों की विकास-क्रिया स्पष्ट होती है। व्यक्ति अपनी भावी उन्नति का स्वरूप क्या ग्रहण करेगा यह इससे स्पष्ट हो जाता है। यह भी इससे पता चलता है कि व्यक्ति में पायी जाने वाली स्मरणशक्ति और दूरदर्शिता एक सुनिश्चित कार्य के लिए होती है।
2. व्यक्ति में ''ज्ञान'' उसकी संकल्पशक्ति का सबल है, बुद्धि केवल शुद्ध अनुमान से प्राप्त नही होती।
3. प्रयोजनवाद को दर्शनशास्त्र का अच्छा मनोविज्ञानिक आधार माना जा सकता है।
4. हमारी अन्वेषण -प्रवृत्ति को प्रयोजनवाद से ही प्रेरणा मिलती है।

प्रयोजनवाद की आलोचाना

मैक्डुगल के प्रयोजनवाद की बहुत से लोगों ने कटु आलोचना की है। आलोचकों का कथन है कि व्यक्ति या जीवधारी के प्रत्येक कार्य में प्रयोजन होना आवश्यक नही होता । कुछ कार्य बिना प्रयोजन के भी होते है। अनके अनुसार पशु और मनुष्य एक ही श्रेणी

में रखे जा सकते है। प्रयोजनवादियों के अनुसार तो व्यक्ति यदि कोई दान दे तो उसमे आत्म संतुष्टि का प्रयोजन होता है। आलोचकों के अनुसार व्यक्ति जो कार्य भावावेश में करता है उसमें उसका कोई प्रयोजन नही होता। व्यक्ति में निजी आदिकालीन संघर्ष की प्रवृत्ति होती है। इसी से प्रेरित होकर यह भावावेष में आता है और युद्ध उपद्रव जैसे हिंसात्मक कार्य करने का प्रयत्न करता है। इससे व्यक्ति को संघर्ष की मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि का प्रयोजन पूरा होता है। इस प्रकार यह उचित ही जान पडता है कि व्यक्तिमूल-प्रवृत्तियों का जीव है जिसके व्यवहार का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है।

मैक्डुगल ने मनुष्य और पशु को एक श्रेणी में बिल्कुल नही रखा। ऐसा कहना आलोचकों की भूल है। वह तो स्पष्ट करता है कि मनुष्य में स्थायीमान होता है, परन्तु पशुओं में स्थायीभाव नही होता। वैसे उसके अनुसार दोनों के व्यवहार में मूल-प्रवृत्ति ही कार्य करती है, इसलिए उनके व्यवहार का प्रारम्भ एक ही श्रेणी से होता है। परन्तु मनुष्य अपने स्थायीभावों के कारण व्यवहार का रूप संशोधित कर लेता है और पशु इन स्थायीभावों के अभाव में ऐसा नही कर पाता।

प्रयोजनवाद और सामाजिक-मनोविज्ञान

मैगडुगल के प्रयोजनवाद से मानव-व्यवहार का अध्ययन करने में सामाजिक मनोविज्ञान को भारी सहायता मिली।

इसे दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने छात्रों की सामाजिक-मनोविज्ञान एवं संबंधित विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया है ।

सारिणी कमांक -6.1 : आपको पिता जैसा बनना है

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	189	63
02	नही	111	37
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.1 मे उत्तरदाताओं की इच्छा संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 189 अर्थात 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं की इच्छा थी कि पिता

जैसा बनना है तथा 111 अर्थात 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं की इच्छा थी कि पिता जैसा नही बनना ।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 63 प्रतिशत उत्तरदाता है जो कि अपने पिता जैसा बनना चाहते है मतलब कि बच्चों के लिए उनके पिता ही आदर्श होते है।

सारिणी कमांक –6.2 : स्वाभाव संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	सीधा–सादा	21	7
02	लड़ाकू	31	10.33
03	हॅसमुख	23	7.66
04	गम्भीर	30	10
05	कोधी	39	13
06	तुनक मिजाज	58	19.33
07	जिद्दी	98	32.66
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.2 मे उत्तरदाताओं के स्वाभाव संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 21 अर्थात 7 प्रतिशत उत्तरदाता सीधा–सादे स्वाभाव के, 31 अर्थात 10.33 प्रतिशत लड़ाकू स्वाभावके, 23अर्थात7.66 प्रतिशत हॅंसमुख स्वाभाव के, 30 अर्थात 10 प्रतिशत गंम्भीर स्वाभाव के, 39 अर्थात13 प्रतिशत कोधी स्वाभावके, 58 अर्थात19. 33 प्रतिशत तुनक मिजाज स्वाभाव के तथा 98अर्थात32.66 प्रतिशत जिद्दी स्वाभाव के है

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 32 प्रतिशत उत्तरदाता जिद्दी स्वाभाव के है।क्रोधावस्था भी ऐसी ही अवस्था है जिसमें उच्चकरण ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति होश खो बैठता है वह ऐसी बातें भी कह जाता है जिनकी उससे आशा भी नही की जा सकती थी। इसलिए समझदार लोग क्रोध में कही गयी बातों पर ध्यान नही देते क्रोधावस्था में व्यक्ति के व्यवहार से उसका चरित्र भली प्रकार जाना जा सकता है। क्योकि उस समय यह देखा जाता है कि उसके उच्च अन्तःकरण का उस पर कितना कितना प्रभाव है। उच्चः करण का उस पर कितना प्रभाव है उच्च अन्तःकरण के सबल होने पर अच्छे व्यक्ति क्रोधावस्था में भी नियंत्रित रहते है।

सारिणी कमांक –6.3 : मित्रों से संबंध

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	मिलजुलकर रहना	140	46.66
02	लड़ते रहना	160	53.33
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.3 मे उत्तरदाताओं के मित्रों से संबंध संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 140 अर्थात 46.66 प्रतिशत उत्तरदाता मिलजुलकर रहना तथा 160 अर्थात 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता बात बात मे लड़ते रहते है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता आपस मे बात बात मे लड़ते रहते है। इसका मुख्य कारण झांसी नगर का बातावरण हो सकता है।

सारिणी कमांक –6.4 : घर से स्कूल के रास्ते का वातावरण

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	धूल धक्कड़ मय	141	47
02	प्रदूषित	159	53
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.4 मे उत्तरदाताओं के घर से स्कूल के रास्ते का वातावरण संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 141 अर्थात 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं के रास्ते धूल धक्कड़ मय तथा 159 अर्थात 53 प्रतिशत उत्तरदाता प्रदूषित रास्ते से होकर स्कूल जाते है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 53 प्रतिशत उत्तरदाता प्रदूषित रास्ते से होकर स्कूल जाते है। जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है।इससे बच्चों की ऑखें कमजोर हो जाती है। तथा पढ़ाई मे सिर दर्द की तकलीफ हो जाती है।

सारिणी कमांक -6.5 : भय या डर की भावना

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	बाबा से	75	25
02	पीपल के पेड़ से	79	26.33
03	सुनसान मंदिर से	71	23.66
04	खाली घर से	75	25
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.5 मे उत्तरदाताओं में भय या डर की भावना संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 75 अर्थात 25 प्रतिशत बाबा से 79 अर्थात 26.33 प्रतिशत पीपल के पेड़ से 71 अर्थात 23.66 प्रतिशत सुनसान मंदिर से 75 अर्थात 25 प्रतिशत खाली घर से डरते है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी उत्तरदाताओं मे भय या डर की भावना बनी हुई है।

सारिणी कमांक -6.6 : मित्रता संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	अपने से कम उम्र के	25	8.33
02	अपने से ज्यादा उम्र के	179	59.66
03	हम उम्र से	100	33.33
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.6 मे उत्तरदाताओं के मित्रता संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 25 अर्थात 8.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता अपने से कम उम्र के तथा 179 अर्थात 59.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता अपने से ज्यादा उम्र के 100 अर्थात 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता हम उम्र के मित्र से मित्रता है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 59.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता अपने से ज्यादा उम्र के बच्चों से है।

चूंकि अपने से ज्यादा उम्र के बच्चों से मित्रता होने पर अपने से ज्यादा उम्र के मित्र हर जगह आगे निकल जाते है जिससे आत्मग्लानि का बोध होने लगता है।

सारिणी कमांक -6.7 : स्वप्न देखने संबंधी

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	स्वप्न आते है	188	62.66
02	स्वप्न नही आते	112	37.33
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.7 मे उत्तरदाताओं के स्वप्न देखने संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 188 अर्थात 62.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वप्न आते है तथा 112 अर्थात 37.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वप्न नही आते है ।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 62.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वप्न आते है। स्वप्न भूतकालीन अवदमित इच्छाओं को या भविष्य की विचार परम्परा को व्यक्त करतें है। जैसे कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में सांप के डर से फूंक-फुंक कर कदम रख रहा हो और रात में उसे स्वप्न दिखें तो उसे स्वप्न में सांप दिखायी दे सकते है। अधिकांशतः स्वप्न भूत-कालीन इच्छाओं की आपूर्ति की ओर संकेत करते है।

इसका कारण इच्छाओं का अवदमन हो सकता है।

सारिणी कमांक -6.8 : हीन भावना से संबंधित

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	घर मे	196	65.33
02	स्कूल मे	98	32.22
03	अन्य जगह	06	02
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.8 मे उत्तरदाताओं मे हीन भावना से संबंधित विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 196 अर्थात 65.33 प्रतिशत उत्तरदाता घर या परिवार मे हीन भावना से तथा 98 अर्थात 32.22 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे हीन भावना से 6अर्थात2 प्रतिशत अन्य कारणों से हीन भावना से ग्रसित हैं।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 65.33 प्रतिशत उत्तरदाता घर या परिवार मे हीन भावना से ग्रसित है। घर अपने को पिता के तुल्य श्रेष्ठ न बनाने की समर्थता की भावना या अपने पिता के स्तर से ऊंचा उठने की सम्भावना का न होना ये बातें बालक मे आत्महीनता की भावना पैदा कर देती हैं।

दूसरी ओर स्कूल मे सहपाठी के अच्छे अंक आने पर हीन भावना से तथा अन्य कारणों मे किसी से लड़ाई मे हारने से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।

सारिणी कमांक -6.9 : संकल्प करना

क.स.	उत्तर दाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	125	41.66
02	नही	175	58.33
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6.9 मे उत्तरदाताओं के संकल्प करने संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 125 अर्थात 41.66 प्रतिशत उत्तरदाता संकल्प करते है तथा 175 अर्थात 58.33 प्रतिशत उत्तरदाता संकल्प नही करते है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 70 प्रतिशत संकल्प नही करते है। व्यक्ति में जब दो या अधिक भावनाएं किसी प्रेरणा-वश उत्पन्न होती है तो प्रबलतम प्रेरणा वाली इच्छा को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। व्यक्ति में "ज्ञान" उसकी संकल्पशक्ति का सबल है।

अध्याय-07

छात्रों की शैक्षिक अभिरूचि
एवं
शिक्षकों का कक्षागत व्यवहार

विगत अध्याय मे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति का सैद्धांतिक एवं व्यवाहारिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अध्याय छात्रों की शैक्षिक अभिरूचि एव शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार पर आधरित है।

आज वालक की शिक्षा केवल उसके ज्ञान देने तक ही सीमित नही है जैसा कि कहा गया है कि "शिक्षा एक गतिगामी प्रक्रिया है जो बालक के मन में वांछनीय परिवर्तन लाती है"। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है । वर्तमान समाज मनोविज्ञान के विकास ने अब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है एक सरलरेखीय शिक्षक विद्यार्थी के संबंध को समझने के लिए मनोविज्ञानिक प्रयोगशाला तक सीमित नही रहना चाहिए ।अब हमारा ध्यान इस ओर केद्रित होना चाहिए कि विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली और वांछित परिस्थितियाँ क्या है ? अब विद्यार्थी और शिक्षक , विद्यालय मे एक से एक के संबंध मे नही है अनेक विद्यार्थी और शिक्षक है । सब विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते है "

विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला होती है जहाँ छात्रेां के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है । शिक्षण प्रक्रिया मे शिक्षक एक कलाकार की भाँति कार्य करता है । शिक्षण उसकी कला और बालक वह कच्चा माल जिसके माध्यम से शिक्षक अपने मूल्यों का अर्जन करता है ।किसी देश की उन्नति तभी हो सकती है जब उसकी मानवीय शक्ति का उचित उपयोग किया जावें। मानवीय शक्ति का उचित उपयोग उसी दशा मे संभव है जबकि उस देश के निवासी मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो। बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि आधुनिक युग मे प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट व चिंतिंत दिखायी पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह ठीक प्रकार से अपना सामाजिक समायोजन करने मे असफल है।

अध्यापक कक्षा का एक स्वीकृत नेता माना जाता है। उसके ज्ञान , योग्यता , परिणामशक्ति, बुध्दिमत्ता आदि के अधिक विकसित होने से उसे विना आपत्ति के नेता मान लिया जाता है। किन्तु वहुत से अध्यापक अपने दुर्बल व्यक्तित्व, शर्मीले स्वभाव, और आत्म संयंमी ना होने के कारण अपना यह उपयोगी अधिकार छोड़ बैठते है । तब कक्षा के अन्य शक्तिशाली एवं उर्जस्वित बालक नेता बनने का प्रयास करते है । यह अतयंतहीन और सोचनीय स्थिति मे होती है तथा अध्यापक को वहुत कष्ट पहुँचाती है । जो अध्यापक अपनी कक्षा मे नेतृत्व खो वैठता है वह कक्षा का सामना विश्वासपूर्वक और दृढ़ता से नही कर सकता फलस्वरूप उसके कक्षा मे अनुसासनहीनता फैलती है और शिक्षण का ध्येय

समाप्त हो जाता है । कक्षा कक्ष मे शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के ऊपर वहुत गहरा प्रभाव डालता है। विद्यार्थी वहुत कुछ केवल वैठे हुए, देखते और सुनते हुए भी सीख लेते है। अतएव हम कह सकते है कि एक मुख्य सामाजिक सीखने का सिध्दांत यह है कि कक्षा कक्ष मे शिक्षक के साथ क्या होता है और विद्यार्थियों के साथ क्या होता है? यह कक्षा के कमरे मे वहुत कुछ सीखना निर्धारित करता है । इसके लिए आवश्यक नही है कि शिक्षक प्रत्येक बालक को पाठ्क्रम के सब पक्षों के लिए पुष्टीकरण प्रदान करें । हम पुरूष्कार को सकारात्मक पुष्टीकरण कह सकते और दण्ड को नकारात्मक पुष्टीकरण। यह दोनो प्रकार के पुष्टीकरण बालक के सीखने पर वहुत प्रभाव डालते है । जो पुरूष्कार बालक को कक्षा मे दिए जाते है वह उसे वहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देते है। यदि बालक की प्रसंसा कार्य करने या उत्तर देने के तुरंत बाद की जाए तो आमतौर से यह उसे और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है। शिक्षकों को समझ लेना वाहिए कि विद्यार्थी का व्यवहार केवल तार्किक पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य योजना से ही नियंत्रित नही किया जा सकता। इसके लिए तो आवश्यक है कि इस प्रकार के वांछित व्यवहार का पुष्टीकरण किया जाए।

अतएव सकारात्मक एवं नकारात्मक पुष्टीकरण सामाजिक व्यवहार के प्रति मानव के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते है । यदि बालक की प्रसंसा कार्य करने या उत्तर देने के तुरंत बाद की जाए तो आमतौर से यह उसे और अधिक उपलब्धि की ओर प्रोत्साहित हो जाते है।

शिक्षण

शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमे कोई व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमे व्यक्ति अपने आस पास के वातावरण के घटको जैसे परिवार, पडोसी, मित्र, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षण के संकुचित अर्थ मे शिक्षण वह प्रकिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान मे शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है।

शिक्षण के व्यापक अर्थ इस प्रकार है–

1. शिक्षार्थियों को कियाशील रहने का अवसर देना।
2. शिक्षार्थियों के संवेगो को प्रशिक्षित करना ।
3. शिक्षार्थियों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने मे सहायता करना ।

शिक्षण एक महत्वपूर्ण किया है जिसमे शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक उददेश्य प्राप्त करने का प्रयास करते है। शिक्षण प्रक्रिया के तीन प्रमुख तत्व शिक्षक छात्र तथा पाठकम है।

विद्यार्थी को ठीक प्रकार से शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को शिक्षण के सामान्य सिद्वांतो से परिचित होना आवश्यक है। ये सिद्वांत है।

1. किया द्वारा सीखने का सिद्धांत ।
2. रूचि का सिद्धांत ।
3. निश्चित उददेश्य का सिद्धांत ।
4. चयन करने का सिद्धांत ।
5. वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ।

शिक्षण एक चरणबद्ध प्रकिया है जिसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैः

1. पहले से योजना बनाना ।
2. विद्यार्थियों के विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे मे जानकारी प्राप्त करना।
3. अध्यापन सामाग्री को सुसंगठित करना।
4. अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना ।
5. विश्लेषण एवं संलयन करना।
6. मूल्यांकन करना।
7. पुनरावृत्ति ।

शिक्षण सूत्र

शिक्षण कार्य मे कलात्मकता बनी रहे और विद्यार्थी इसका पूर्ण लाभ उठा सकें इसके लिए शिक्षाशास्त्रियों ने कुछ शिक्षण सूत्रो का निमार्ण किया है जो इस प्रंकार हैः

1. सरल से जटिल की ओर
2. ज्ञात से अज्ञात की ओर
3. पूर्ण से अंश की ओर
4. अनिश्चित से निश्चित की ओर
5. प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर
6. विशिष्ट से सामान्य की ओर
7. विश्लेषण से संश्लेषण की ओर

शिक्षण की विधियां: शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार है–

1. आगमन विधि:

इस विधि मे शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किये जाते है। इस विधि मे शिक्षार्थियों के सम्मुख विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है तथा फिर उन्ही के माध्यम से विषय वस्तु तथा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यह विधि मनौवैज्ञानिक है तथा छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

2. निगमन विधि :

यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि मे शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रयोग किये जाते है। इस विधि मे शिक्षार्थी के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके प्श्चात विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है । यह विधि उच्च कक्षाओं के बड़े विद्यार्थीयों के लिए उपयोगी है।

3. अनवेषण अथवा खोज विधि:

इस विधि मे शिक्षण सूत्र विश्लेशण से संशलेषण की ओर प्रयोग किये जाते है। है। इस विधि मे शिक्षार्थी प्रत्येक तथ्य की खोज स्वयं करके करते है। स्वयं तथ्यों की जानकारी जुटाना प्रयोगो की दिशा निर्धारित करना तथा फिर प्रयोग द्वारा परिणाम प्राप्त करना इस विधि की विशेषता है।

4.प्रयोगात्मक विधि

यह विज्ञान संबंधी विषयो मे प्रयुक्त की जाती है जिसमे विद्यार्थी उपकरणों की सहायता से प्रयोग करके सीखता है।

5.सुकराती विधि या प्रश्न विधि

इस विधि मे विद्यार्थी को जिज्ञासु के रूप मे देखा जाता है जिसमे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्नो का प्रयोग किया जाता है।।

6.निरीक्षण विधि:

इस विधि मे शिक्षक स्वयं न बताकर बालकों को स्वयं निरिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विधि मे ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थीयों मे स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने तथा अपने विचार प्रगट करने की क्षमता का विकास होता है।

शिक्षक का कक्षागत व्यवहार :

शिक्षण, शिक्षक और विद्यार्थीयों के मध्य होने वाली अंतः किया है । पिछले अनेक वर्षो से शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्री इस प्रयास मे संलग्न थे कि प्रभावशाली शिक्षण का निर्धारण करने एवं शिक्षक के कक्षीय व्यवहार मे सुधार के हेतु शिक्षण कियाओं अथवा शिक्षक व्यवहारों का किस प्रकार विशलेषण किया जाए तथा किस प्रकार उसमे सुधार के सुझाव प्रस्तुत किए जायें। डॉ एन ए फलैण्डर ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिनीसोटा वि. वि. मे 1955 से 1960 तक कक्षा व्यवहार, मूल्यांकन की दिशा मे महत्वपूर्ण प्रयास किए, जो अंतः किया विशलेषण के नाम से जाने जाते है । फलैण्डर ने व्यवहार,मूल्यांकन मे कक्षा के शाब्दिक व्यवहार को महत्वपूर्ण प्रधानता दी है , उनके अनुसार कक्षा मे शिक्षक, विद्यार्थीयों के मध्य के अधिकतर व्यवहार शाब्दिक होते है , जिसमे या तो शिक्षक या विद्यार्थी बोलता है । फलैण्डर ने कक्षागत व्यवहार के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए एक ऐसी प्रविधि प्रस्तुत की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण कमबध्दरूप से वैज्ञानिक पध्दति के अनुसार है इस वर्ग प्रविधि की प्रमुख विशेषता शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विद्यार्थी- शिक्षक के मध्य होने वाली स्वोपकम (Initiation) एवं अनुकिया का निरीक्षण करना है । फलैण्डर के अनुसार कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक अधिक स्वोपकम (Initiation) कर्ता एवं विद्यार्थी अधिकतर अनुकियाकर्ता होता है लेकिन किन्ही विशेष परिस्थिति मे उदाहरणार्थ जब शिक्षार्थी स्वयं प्रश्न पूछता है या कुछ कहने को उत्सुक होता है ऐसी स्थिति मे शिक्षक स्वयं अनुकियाकर्ता या प्रश्न का जबाब देने वाला हो जाता है। इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विद्यार्थी- शिक्षक के मध्य कक्षा शिक्षण के दौरान शाब्दिक अंतः किया होती रहती है ।

फलैण्डर की अवधरणा को निम्न रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है ।

उपरोक्त रेखाचित्र से शिक्षक–व्यवहार स्पष्ट हो जाता है रेखाचित्र से स्पष्ट है कि शिक्षण की समस्त प्रकिया स्वोपकम (Initiation) पर आधारित होती है । शिक्षकों का कक्षागत व्यवहार निम्न प्रकार से होता है

1. छात्र –व्यवहार की प्रसंसा करने की प्रवृत्ति– प्रसंसा एवं प्रोत्साहन के अंतर्गत उन शिक्षक कथनों को समाविष्ट करते है जिनसे छात्र व्यवहार तथा उनके कार्य को स्वीकृति मिलती है । साधरणतः छात्रों की प्रसंसा के लिए अच्छा, ठीक , सुन्दर , शाबास आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते है । कई बार शिक्षक शाब्दिक प्रसंसा या स्वीकृति प्रदान ना करके अशाब्दिक अंनुकिया से प्रोत्साहित करता है जैसे गर्दन को हिलाना , "हूँ" की आवाज करना आदि अनुकिया की स्वीकृति को प्रसंसा से प्रोत्साहित किया जाता है ।

छात्रों के आपेक्षित कार्यो के लिए, शिक्षक प्रोत्साहन करने के लिए यह शब्द भी प्रयुक्त करता है,जारी रखो,आगे बढ़ो और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करो आदि। ठीक , सुन्दर , शाबास आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते है । इस प्रकार छात्रों मे तनाव कम होता है और अनुकिया तथा उत्साह बढता है।

2.छात्र –व्यवहार की आलोचना करने की प्रवृत्ति – जब शिक्षक छात्र के अनुचित व्यवहारके लिए किसी आलोचना का प्रयोग करता है तब यह कथन इस वर्ग मे अंकित किए जाते

है । जैसे शिक्षक का यह कहना कि 'यह मुझे पसंद नही है' मै तुम्हे कक्षा से बाहर निकाल दूँगा, कक्षा से बाहर निकल जाओ, वह बलपूर्वक कहता है शान्त हो जाओ,आपस मे बातचीत मत करो आदि। यदि शिक्षक स्वयं अधिकार का उपयोग करता है , अथवा अपने को न्यायपूर्ण मानता है तब वे सभी कथन इस वर्ग के अंतर्गत आते है। शिक्षक की वे सभी कियाएँ जो छात्र -व्यवहार को नियंत्रित करती है । इस वर्ग मे अंकित किए जाते है।

शिक्षक- व्यवहार से संबंधित मान्यतायें :

विभिन्न शोध कार्यो के आधर पर शिक्षक व्यवहार से संबंधित निम्न लिखित मान्यताओं का विकास किया गया है

1 प्रत्येक शिक्षक का कक्षा -कक्ष व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होता है ।

2. एक विशिष्ट शिक्षक के व्यवहार मे पर्याप्त स्थायित्व तथा भिन्नता पायी जाती है ।

3. शिक्षक का कक्षा -कक्ष व्यवहारों पर छात्रों के व्यवहार का भी प्रभाव डालते है।

4. शिक्षकों के व्यवहारों को मापन एवं मूल्यांकन पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है ।

5. शिक्षक व्यवहार कक्षा -कक्ष मे एक विशिष्ट प्रकार के वातावरण का विकास करते है।

6. शिक्षकों के व्यवहारों का जैसा छात्र अनुभव तथा प्रतक्षीकरण करेगें वैसे ही वे प्रतिकियायें करेगें ।

7. शिक्षक व्यवहार, शिक्षक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होता है ।

8. शिक्षक व्यवहार, आंशिक रूप से विद्यालय, कक्षा तथा छात्रों की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है।

शैक्षिक तकनीकी

शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र मे कांति कर दी है। शैक्षिक तकनीकी का विकास इलेक्ट्रानिक्स मे हुए परिर्वतनो से हुआ है। इसमे रेडियो टेलीविजन टेपरिकार्डर कम्प्युटर आदि का बहुत योगदान रहा । शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शिक्षा मे विज्ञान का प्रयोग या तकनीकी का प्रभाव है। जिसके माध्यम से शिक्षण को अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाता है। आज शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत जिन प्रमुख माध्यमो का उपयोग किया जा रहा है उनमे दृश्य श्रृव्य दोनो सम्मिलित है। दृश्य साधनों मे बुलेटिन बोर्ड स्लाइड

ओवर हेड प्रोजेक्टर आदि प्रमुख है। श्रृव्य साधनो मे मे रेडियो टेपरिकार्डर तथा दृश्य साधनो मे चल चित्र एवं टी.वी. प्रमुख है इन सब साधनों से शिक्षा के क्षेत्र मे दोनो दृष्टिकोणों संख्यात्मक एवं गुणात्मक परीर्वतन हुए है। संख्यात्मक दृष्टि टी.वी. एवं रेडियो के माध्यम से एक साथ लाखों लोगों मे उत्तम नागरिक बनने की शिक्षा के साथ साथ कौशलों के विकास को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है।

शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से दोहरा कार्य किया जा रहा है। एक तरफ तो इसके माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों मे शिक्षा के प्रसार हेतु इन माध्यमों से कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है। शिक्षित करने की दृष्टि से टी.वी. एवं रेडियो मे प्रसारित ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन आदि कार्यक्रम तथा कम्प्युटर के माध्यम से CAT(कम्प्युटर सहाय अनुदेशन) आदि । जबकि प्रसार की दृष्टि से टी.वी. रेडियो पर चलाए पर चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रमो ने लोगों के दृष्टिकोणों को बदला है। जिसका परिणाम है कि आज प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों मे प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या मे अप्रत्यासित वृद्धि हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों मे भी नामांकन प्रतिशत बढ़ा है।

आज शिक्षा के क्षेत्र मे तकनीकी उपयोग के रूप मे नए आयाम स्थापित हो रहे है इंटरनेट कम्प्युटर टेली कांफ्रेसिंग आदि ने शिक्षण के पुराने प्रतिमानों को बदल दिया है। चूंकि वर्तमान शिक्षा के अधिकाधिक रोजगारपरक बनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। अतः विशिष्ट कौशलों के विकास मे भी तकनीकी का योगदान महत्वपूर्ण है।

सारणी संख्या 7.1 आयु के आधार पर शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का प्रयास

प्रयास→ आयु↓	ज्ञान पर		पुर्नर्निवेशन पर		प्रबंध पर		शिक्षण साधनों पर		योग	
	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
20-25	49	65.33	01	1.33	14	18.66	11	14.66	75	34.10
26-30	40	66.33	02	3.33	12	0.2	06	0.1	60	27.27
31-35	23	57.5	04	0.1	09	22.5	04	0.1	40	18.18
35-40	29	64.44	02	4.44	10	22.22	04	8.88	45	20.45
योग	141	64.1	09	4.09	45	20.45	25	11.36	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी सं. 7.1 मे शिक्षण को प्रभावी बनाने के संदर्भ मे आयुगत विचार जाने गये है आयु को 20-25,26-30,31-35, 35-40के वर्गो मे रखा

गया है। 34.10 प्रति.उत्तरदाता 20-25 आयुवर्ग के 27.27 प्रति. उत्तरदाता 26-30 आयुवर्ग के 18.18 प्रति. उत्तरदाता31-35 आयुवर्ग के 20.45 प्रति. उत्तरदाता 35-40 आयुवर्ग के है । शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कमशः ज्ञान पर 64.1प्रति,उत्तरदाता निर्भर रहते है। 4.09 प्रति.उत्तरदाता पुनः निवेशन पर 20.45 प्रति.प्रबंध पर तथा 11.36 प्रति.शिक्षण साधनों पर निर्भर रहते है।

आज शिक्षा मे तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी के अंर्तगत आता है। जिसमे शिक्षण को अधिकाधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है। चूंकि आज बाल केंद्रित शिक्षा सर्वत्र अपनाई जा रही है।

अतः आज सिर्फ पाठ को पढ़ा देना ही शिक्षा का मूल उददेश्य नही है वरन बालक का सर्वांगिण विकास इसके लिए ज्ञान के साथसाथ पुनर्निवशन , प्रबंधन एवं शिक्षण सहायक सामाग्रीयों पर भी शिक्षा आधारित की जाती है। शिक्षा को प्रभावी बनाने के तरीको पर निर्भरता के संदर्भ मे आयु का प्रभाव स्वतः दृष्टिगोचर होता है। इसमे बिलकुल मतभेद नही है कि ज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाता है यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाता ज्ञान पर ही निर्भर रहते है पर चूंकि वर्तमान मे शिक्षा मे तकनीकी का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किया जा रहा है यही कारण है कि एक तिहाई उत्तरदाता शिक्षण साधनों एवं सहायक सामाग्रीयों को भी प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक मानते है। इसी प्रकार उचित प्रबंधक भी प्रभावी शिक्षण मे महत्वपूर्ण है। यह बात भी कुछ उत्तरदाता स्वीकारते है।

सारणी संख्या 7.2 आयु के आधार पर विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर शिक्षक की प्रतिकिया

शिक्षक की प्रतिकिया → / आयु ↓	डाटेंगें		स्पष्टीकरण देगें		दूसरे से पूछेंगे		दूसरा प्रश्न करेगें		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्य	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
20-25	49	65.33	01	1.33	14	18.66	11	14.66	75	34.10
26-30	40	66.33	02	3.33	12	0.2	06	0.1	60	27.27
31-35	04	0.1	23	57.5	09	22.5	04	0.1	40	18.18
35-40	02	4.44	29	64.44	10	22.22	04	8.88	45	20.45
योग	95	43.18	55	0.25	45	20.45	25	11.36	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 7.2 मे विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर प्रतिक्रिया को उत्तरदाताओं की आयु के आधार पर जाना गया है। 20–25,26–30,31–35, 35–40 के वर्गो मे रखा गया है। 34.10 प्रति.उत्तरदाता 20–25 आयुवर्ग के 27.27 प्रति. उत्तरदाता 26–30 आयुवर्ग के 18.18 प्रति. उत्तरदाता31–35 आयुवर्ग के 20.45 प्रति. उत्तरदाता 35–40 आयुवर्ग के है । शिक्षकों की प्रतिक्रिया को डाटेगें, स्पष्टीकरण देगे दूसरे से पूछेंगे, दूसरा प्रश्न करेगे के अंतर्गत जानने की कोशिश की गई है।
43.18 प्रति. उत्तरदाताओ ने बताया कि गलत उत्तर दिये जाने पर वे विद्यार्थीयों को डाटेगे ने 0.25 प्रति. कहा कि स्पष्टीकरण देगें ने 20.45 प्रति.बताया कि दूसरे से पूछेंगे 11. 36 प्रति.ने बताया कि दूसरा प्रश्न पूछेगें।

बहुधा ऐसा होता है कि विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर प्रायः शिक्षक विद्यार्थी को डाटकर बैठा देते है जो कि तरीका गलत है। इससे छात्र की रूचि कम होने लगती है शायद यही कारण है कि बहुत कम उत्तरदाताओ ने डाटने की प्रतिक्रिया जताई। विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर प्रश्न का स्पष्टीकरण देना ही उचित तरीका है। शायद यही कारण है कि बहुत कम उत्तरदाताओं ने स्पष्टीकरण देगे की बात कही । साथ ही कुछ उत्तरदाता दूसरा प्रश्न एवं कुछ दूसरे विद्यार्थी से पूछने के पक्षधर है। अक्सर ऐसा ही हाता हैकि प्रश्न का उत्तर दिये जाने पर तो उसी विद्यार्थी से वही प्रश्न दोहराया जाता हैयही सही विधि भी है। यदि बाद मे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाय तो उत्तरदाताओ की प्रतिक्रियाओ पर उनकी आयु का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। क्योकि डांटने की प्रतिक्रिया केवल कम उम्र के अध्यापकों की ही है। जबकि वरिष्ट एवं अधिक उम्र का अनुभवशील उत्तरदाता स्पष्टीकरण देने की बात अधिक उत्तम मानते है। इसका कारण यह भी प्रतीत होता है कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों मे अनुभवशील शिक्षक छात्रों को डाटने या मारने पर विश्वाश नही रखते है यह कहे कि वे छात्रों को डाट या मारकर अभिभावकों का कोपभाजन नही बनना चाहते वे स्पष्टीकरण देकर आगे बढ़ जाना चाहते है।

सारणी संख्या 7.3 अनुभव के आधार पर शिक्षण के पहले चरण की जानकारी

शिक्षण का पहला चरण → अनुभव ↓	योजना बनाना		पाठ्य सामाग्री संगठित करना		छात्रो की बैक ग्राउंड जानना		कोई नही		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्य	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
20-25	56	74.66	04	5.33	13	17.33	02	2.66	75	34.10
26-30	35	58.33	06	10	18	30	01	1.66	60	27.27
31-35	28	70	02	5.00	08	20	02	5	40	18.18
35-40	28	62.22	07	15.55	07	15.55	03	6.66	45	20.45
योग	147	66.81	19	8.63	46	20.9	08	3.63	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उत्तम शिक्षण एक कला है। शिक्षा का पहला चरण क्या हो यह बालकों की पहली मनोशारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ चरण सामान्य है जिन्हे शिक्षण के प्रथम चरण के रूप मे शिक्षक उपयोग मे लाते है। प्रस्तुत सारणी 7.3 मे इन्ही चरणो को उत्तरदाताओ के अनुभव के रूप मे प्रदर्शित किया गया है। अनुभव को क्रमशः 34.10 प्रति.,27.27 प्रति.,18.18 प्रति. तथा 20.45 प्रति.उत्तरदाताओं मे विभाजित किया गया है। तथा प्रथम चरण को योजना बनाना, पाठ्य सामग्री संगठित करना, छात्रो की बैक ग्राउंड जानना, कोई नही के अंर्तगत समावेशित किया गया है। 8. 63 प्रति.शिक्षक पहले पाठ्य सामग्री संगठित करते है तथा 20.9 प्रति.छात्रों की बैक ग्राउंड जानने का प्रयास करते है जबकि 3.63 प्रति.बिना पूर्व तैयारी के ही शिक्षण कार्य आरंभ करते है।

आज शिक्षा मे मनोविज्ञान का अत्याधिक प्रयोग किया जा रहा है। छात्र को अधिक से अधिक सिखाने के लिए शिक्षक तरह तरह की प्रविधियां इस्तेमाल कर रहे है।योजना बनाकर काम करने से योजना की सफलता का प्रतिशत बढ जाता है। यही कारण है कि 66.81 प्रति.उत्तरदाता शिक्षा के प्रथम चरण मे योजना बनाकर शिक्षण कार्य आरंभ करते है। जबकि छात्रो की क्षमताओ का एवं उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर उसी आधार पर शिक्षित करना भी एक विधि है। यह अति आवश्यक बात है कि छात्र किस स्तर का है उसकी क्या आवश्यकताए क्या है यह सब जानना भी शिक्षक के लिए आवश्यक है। इससे छात्र तथा शिक्षक के बीच अंतः क्रिया हाती है । बहुत कम 20.9 प्रति.उत्तरदाता सर्वप्रथम छात्रों की बैक ग्राउंड जानने का प्रयास करते है। 8.63 प्रति.शिक्षक पाठ्य सामाग्री को संगठित कर शिक्षण कार्य आरंभ करते है। शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावी हो इसके लिए पाठ को संगठित किया जाना अति अनिवार्य है। प्रथम चरण के संदर्भ मे अनुभव का भी प्रभाव

दिखलाई पडता है। यही कारण है कि उत्तरदाता जो बिना किसी पूर्व योजना की तैयारी के ही शिक्षण आरंभ कर देते है सभी 0- 10 वर्ष का ही अनुभव प्राप्त किये हुए है।जैसे जैसे अध्यापक का अनुभव बढ़ता जायेगा वैसे वैसे शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के प्रति गंभीर होता है।

सरणी संख्या 7.4 शिक्षा के आधार पर अनुशासन के संबंध मे विचार

अनुशासन मे सहायक → शिक्षा ↓	आकर्षक व्यक्त्वि		अच्छाआचरण		प्रभावी शिक्षण		सदा जीवन		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्य	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	संख्या	प्रति.
स्नातक	20	26.66	25	33.33	15	20	15	20	75	34.10
स्नातकोत्तर	30	50	15	25	10	16.66	5	8.33	60	27.27
बी.एड.	20	50	12	30	8	20	0	0	40	18.18
बी टी.सी.	22	48.88	15	33.33	5	11.11	3	6.66	45	20.45
योग	92	41.88	67	30.45	38	17.27	23	10.45	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

अनुशासन लागू करना शिक्षक से संबंधित है। अतः अनुशासन के लिए क्या सहायक है प्रस्तुत सारणी 7.4 मे इसी से संबंधित विवरण प्रस्तुत है। अनुशासन मे सहायक कारकों को आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण, प्रभावी शिक्षण, सदा जीवन वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। 41.88 उत्तरदाता आकर्षक व्यक्त्वि को अनुशासन बनाये रखने मे सहायक मानते है। 30.45 प्रति.अच्छे आचरण एवं मोहक मुद्राओं को 17.27 प्रति.प्रभावी शिक्षण 10.45 प्रति. सदा जीवन को अनुशासन सहायक मानते है।

शिक्षक के ये विचार उनकी शिक्षा के स्तर के आधार पर जाने गये है। शिक्षा को स्नातक जिसके अंतर्गत 34.10 प्रति.उत्तरदाता आते है। स्नातकोत्तर 27.27प्रति. 18.18 प्राति.ब ी.एड. तथा 20.45 प्रति.बी टी सी डीग्रीधारी है।

जैसा कि पहले स्पष्ट हो चुका है कि अच्छा शिक्षण एक कौशल है। साथ ही साथ शिक्षण प्रकिया के दौरान अनुशासन का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण तभी प्रभावी बन सकता है जब कक्षा मे अनुशासन बना रहे । अनुशासन बनाये रखने के लिए अनेक प्रविधियां को उपयोग मे लाते है। व्यक्ति के विचारों मे उसकी शिक्षा का प्रभाव पडता है। यही कारण है कि स्नातक तक शिक्षित उत्तरदाता आकर्षक व्यक्तित्व को अनुशासन मे

अधिक सहायक मानते है। आकर्षक व्यक्तित्व अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक है। परंतु बहुत ज्यादा प्रभावकारी साधन नही है। यही कारण है कि बहुत दत्तरदाता अच्छे आचरण को भी बनाये रखने के लिए सहायक है। क्योकि जब तक शिक्षक का आचरण अच्छा नही होगा छात्र से अच्छे आचरण की उम्मीद नही की जा सकती । बी.एड. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के तमाम तरीके बताए जाते है। यही कारण है कि अधिकांश बी.एड. प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उत्तरदाता प्रभावी शिक्षण को ही अनुशासन का प्रमुख साधन मानते है। जबकि बी टी.सी.किए हुए तथा कुछ अन्य उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षकों को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे छात्र को उचित प्रेरणा मिल सके तथा वह अनुशासित बन सके।

सारणी संख्या 7.5 शिक्षा के आधार पर नयी कक्षा के प्रारंभ का विवरण

क्रिया कलाप → / शिक्षा ↓	अनुशासन लागू करना		विद्यार्थीयो से संपर्क		योग्यता का वर्णन		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्य	प्रति.	संख्य	प्रति.	संख्या	प्रति.
स्नातक	40	53.33	30	40	5	6.66	75	34.10
स्नातकोत्तर	35	58.33	15	25	15	25	60	27.27
बी.एड.	25	62.5	15	37.5	0	0	40	18.18
बी टी.सी.	30	66.66	10	22.22	5	11.11	45	20.45
योग	130	59.09	70	31.81	25	11.36	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

किसी नयी कक्षा को प्रारंभ करते समय कक्षा कैसे प्रारंभ की जाय प्रस्तुत सारणी 7.5 इसी से संबंधित है। उत्तरदाताओं की शिक्षा के आधार पर उनकी नयी कक्षा प्रारंभ करने के संबंध मे विचार जाने गये है। उत्तरदाताओ की शिक्षा को स्नातक स्नातकोत्तर बी.एड. एवं बी टी.सी. की श्रेणी मे रखा गया है। जिनके अंतर्गत कमश 34.10,प्रति.27.27,18.18,20.45 प्रति.उत्तरदाता आते है। 59.09 प्रति.उत्तरदाता का मानना है कि नयी कक्षा के प्रारंभ मे सर्वप्रथम अनुशासन लागू करना चाहिए 31.81 प्रति.उत्तरदाता का मानना है कि सर्वप्रथम विद्यार्थीयो से संपर्क बढाना चाहिए जबकि11.36 प्रति.उत्तरदाता का मानना है कि शिक्षक को अपनी योग्यता का वर्णन करना चाहिए।

प्रथम प्रभाव भविष्य निर्धारित करता है। शिक्षक भी इसी तथ्य को ध्यान मे रखते है। नयी कक्षा मे अनुशासन लागू करने की बात लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कही है।

इसका कारण शायद यह है कि एक बार कक्षा मे अनुशासन लागू हो जाने के बाद पूरे सत्र शिक्षण मे व्यवधान उत्पन्न नही होता तथा शिक्षण सुचारू रूप से चलता रहता है । अनुशासन पर बी.एड. प्रशिक्षित उत्तरदाताओं ने अधिक बल दिया इसका कारण प्रशिक्षण के दौरान उनका स्वयं का अनुशासित व्यवाहार हो सकता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर एवं बी. एड. प्रशिक्षित उत्तरदाताओ ने विद्यार्थीयों से संपर्क को भी नवीन कक्षा प्रारंभ करने से पहले आवश्यक मानते है। सफल अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संवाद हो शायद इसी लिए सर्वथा छात्रों से संपक स्थापित कर संवाद की स्थिति कायम कर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत अत्यंत न्युनतम है जो योग्यता के बखान को महत्वपूर्ण मानते है। इनमे स्नातक तक शिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। अपनी योग्यता का वर्णन कर छात्रों को कुछ समय के लिए आकर्षित तो किया जा सकता है परंतु योग्यता का प्रदर्शन न कर पाने पर स्थिति विपरीत भी हो सकती है।

सारणी संख्या 7.6 शिक्षा के आधार पर परीक्षा की विधि का विवरण

विधि → शिक्षा ↓	व्याख्यात्मक प्रश्न विधि		वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि		मौखिक प्रश्न विधि		वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनो		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
स्नातक	07	9.33	55	73.33	09	12	04	5.33	75	34.10
स्नातकोत्तर	09	15	38	63.33	05	8.33	8	13.33	60	27.27
बी.एड.	02	5	23	57.5	00	00	15	25	40	18.18
बी टी.सी.	02	4.44	30	66.66	9	20	04	8.88	45	20.45
योग	20	9.09	145	65.9	23	10.45	31	14.09	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

परीक्षा मे प्रश्न केवल वस्तुनिष्ट हो या केवल व्याख्यात्मक या दोनों यह आज भी विवाद का विषय है वैसे वर्तमान मे वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक प्रश्नों को एक साथ पूछने की उत्तम विधि मानी गयी है। प्रस्तुत 7.6 इसी से संबंधित है। उत्तरदाताओं के इस संदर्भ मे विचार उनकी शिक्षा के आधार पर जाने गये है। उत्तरदाताओं की शिक्षा को पूर्व की भांति वर्गीकृत किया है। जबकि परीक्षा विधि को प्रश्नों के प्रकार के आधार पर व्याख्यात्मक प्रश्न विधि

वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि मौखिक प्रश्न विधि वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनों श्रेणी मे रखा गया है। 9.09 उत्तरदाताओं ने व्याख्यात्मक विधि को उत्तम विधि मानी गयी है। 65.9 उत्तरदाताओ ने वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि 10.45 उत्तरदाताओ ने मौखिक प्रश्न विधि 14.09 उत्तरदाताओं ने वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनों को सर्वोत्तम माना है।

भारत मे शुरू से ही परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण रही है। यहां प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है। जिससे बलक का उचित मूल्यांकन नही हो सकता है।

परीक्षा की प्रश्न विधियां बालक की कक्षा स्तर से भी संबंधित है। जैसे की छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए मौखिक प्रश्न विधि सर्वोत्तम है। परंतु उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। क्योकि इससे बालक की विश्लेषणात्मक क्षमता का पता नही लगाया जा सकता है। इी प्रकार केवल व्याख्यात्मक प्रश्न विधि से बालक कुछ अध्यायों को पढकर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते है। जब कि केवल वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि मे संयोग या तुक्का लगाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अतः किाी अकेली विधि को संपूर्ण नही माना जा सकता है। यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनो को सर्वोत्तम माना है। उत्तरदाताओं के विचार उनकी शिक्षा के स्तर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्योकि अधिकांश बी.एड. प्रशिक्षित उत्तरदाता वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक विधि को सर्वोत्तम माना है। इसका कारण बी.एड. प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान कराया जाना हो सकता है। इसी प्रकार स्नातक या स्नातकोत्तर के शिक्षित उत्तरदाताओ तो केवल मौखिक या केवल व्याख्यात्मक विधि को अधिक उत्तम मानते है।

सारणी संख्या 7.7 छात्रों के कक्षा मे उपस्थित न होने पर प्रतिकिया

प्रतिकिया	संख्या	प्रतिशत
छात्रों को दोषी ठहराएगें	134	60.9
चुप रहेंगें	03	1.36
रूचिकर विधियों का प्रयोग	42	19.09
कारणो को जानकर दूर करने का प्रयास	23	10.45
योग	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी संख्या 7.7 मे छात्रो के कक्षा मे अनुपस्थित होने की स्थिति मे प्रतिकिया जानी गई है।

60.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही दोषी ठहराते है। 1.36 प्रतिशत उत्तरदाता है जो इस स्थिति मे चुप रहते है।

19.09 प्रतिशत उत्तरदाता है रूचिकर विधियों का प्रयोग करते है। जबकि सर्वाधिक 10.45 प्रतिशत उत्तरदाता अनुपस्थित रहने के कारणों को जानकर उन्हे दूर करने का प्रयास करते है।

स्कूली शिक्षक युवा होते है। परिणामस्वरूप उनमे कई तरह के अप्रत्याशित व्यवहार जन्म लेते है। कक्षा मे अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति अधिकांश बच्चों मे पायी जाती है। इस स्तर मे छात्र मे कक्षा से भागकर दोस्तों के साथ सिनेमा जाना खेल खेलना या गपशप करना आदि आदतें पनपती है। इस कारण छात्रों की कक्षा मे उपस्थिति का प्रतिशत कम होने लगता है। इस स्थिति को कुछ शिक्षक चुपचाप स्वीकार भी कर लेते है। तथा कुछ छात्रो को ही दोषी ठहराकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते है। परंतु एक अच्छा शिक्षक कक्षा म अनुपस्थित रहने के कारणेां को खोजकर उन्हे दूर करने का प्रयास करता है लेकिन आज का शिक्षक सर्वाधिक 60.9 उत्तरदाताओं ने माना है कि वे अनुपस्थित रहने के कारणों को जाननें का प्रयास नही करते बल्कि छात्रों को दोषी ठहराते है। कक्षा से अनुपस्थित रहने का एक कारण अरूचिकर विधियों से शिक्षा प्रदान करना भी है। आजकल परंपरागत विधियों से शिक्षा दी जा रही है । जो सर्वथा बोझिल एवं अरूचिकर है तथा यह छात्रों मे शिक्षा के प्रति रूचि उत्तपन्न करने मे सफल नही होती है। अतः काफी उत्तरदाताओं ने रूचिकर विधियों के प्रयोग की बात कही । शिक्षण के दौरान पर्यटन, प्रयोग, प्रदर्शन तथा सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण आदि कुछ ऐसी ही रूचिकर विधियां है जिनकी सहायता से छात्रों की उपस्थिति बढ़ायी जा सकती है।

सारणी संख्या 7.8 अध्यापकों के अंदर व्यवसायिक गुण संबंधि विचार

व्यवसायिक गुण	संख्या	प्रतिशत
विषय मे दक्षता	110	50
शिक्षण पद्धति मे नयापन	03	1.36
व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी	70	31.8
उपरोक्त सभी	100	45.45
योग	220	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 7.8 ने अध्यापक के व्यवसायिक गुणों के संबंध मे उत्तरदाताओं के विचार दिये गये है। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षकों मे विषय मे दक्षता होनी चाहिए।1.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षण पद्धति मे नयापन होना

चाहिए। 31.8 प्रतिशत का मानना है कि व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी होनी चाहिए। 45.45 प्रतिशत का मानना है कि माध्यमिक शिक्षकों मे उपरोक्त सभी गुण होनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षक मे कौन कौन से व्यवसायिक गुण होने चाहिए। इसके लिए किसी एक गुण को संपूर्ण नही माना जा सकता। लेकिन विषय मे दक्षता लगभग सभी स्तर के शिक्षकों का अनिवार्य व्यवसायिक गुण है। शायद इसीलिए काफी उत्तरदाताओं ने विषय मे दक्षता के गुण को प्रमुख माना है। प्रभावी शिक्षण एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को अपने विषय मे दक्षता हो। विषय मे दक्ष न होने की स्थिति मे विश्वास की कमी पायी जाती है। साथ ही एक शिक्षक के शिक्षा पद्धतियो मे नयापन लाने की भी कला होनी चाहिए चूंकि एक ही प्रकार की पद्धति कभी कभी अरूचिकर एवं बोझिल हो जाती है। अतःनवीन रूचिकर पद्धतियों का प्रयोग भी अच्छे शिक्षण मे योग देता है। इसीलिए कुछ प्रतिशत उत्तरदाता इसको भी व्यवसायिक गुणों के अंतर्गत रखते है। एक चौथाई उत्तरदाताओं का विचार है कि शिक्षकों मे व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी होनी चाहिए। सिर्फ विषय मे दक्षता या प्रभावी शिक्षण से ही एक आदर्श शिक्षक नही बना जा सकता है एक शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति न्याय एवं ईमानदारी रख पा रहा है या नही यह महत्वपूर्ण है। आज बहुत से शिक्षक ऐसे है जो घरों मे अतिरिक्त धन लेकर ट्यूशन पढा रहे है। यह व्यवसाय के प्रति न्याय इमानदारी भी एक माध्यमिक शिक्षक का अनिवार्य गुण उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। परंतु चुकि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई एक गुण संपूर्ण नही है। यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी गुणों को एक माध्यमिक शिक्षक के अंदर होने चाहिए यह बात स्वीकार की है।

सारणी संख्या 7.9 सूचना क्रांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव संबंधी जानकारी

शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
पड़ा है	178	80.9
नही पड़ा है	42	19.09
योग	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 7.9 मे सूचना क्रांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव संबंधी जानकारी प्रस्तुत है जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि सूचना क्रांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव पडा है। इसके उत्तर मे 80.90 प्रतिशत ने माना कि प्रभाव पडा है।

वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है आज विभिन्न माध्यमों से सूचना इधर से उधर पहुच जाती है। सूचना क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र को अत्याधिक प्रभावित किया है। जैसा कि

80.9 उत्तरदाताओं ने यह बात स्वीकार की है पूर्व मे सूचनाओं के अभाव मे ही पिछड़े क्षेत्रों मे साक्षरता कार्यक्रम निष्फल रहे है। परंतु आज गांव गांव मे सूचना पहुचाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है आज गांव मे बैठा व्यक्ति भी दूर देशो की खबर पल मे जान लेता है। दूसरे एवं अपने देश की उपलब्धियां जानकर गांव मे बैठा व्यक्ति भी शिक्षा के प्रति आकर्षित होता है साथ ही सूचना माध्यमों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा कार्यक्रमों ने लोगों मे जागरुकता जा दी है जिससे लोगों मे स्वयं तथा अपने बच्चों को शिक्षित करने की लालसा जागी है । परंतु आज भी देश का एक बड़ा भाग निरक्षर है शायद यही कारण है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदाता सूचना क्रांति को प्रभावशाली नही मानता है।

सारणी संख्या 7.10 आयु के आधार पर शिक्षण तकनीकी संबंधी विचार

आयु वर्ग		20-25		26-30		31-35		35-40		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
वी.डी.ओ/ सी.डी अध्ययन मे सहायक	हां	79	43.88	52	28.88	39	21.66	10	5.55	180	81.81
	नही	03	7.5	10	25	20	50	7	17.5	40	18.18
	योग	82	37.27	62	28.18	59	26.81	17	7.7	220	100:
कम्प्युटर से शिक्षा के नए युग की शुरुआत	हां	72	34.44	46	22	50	23.92	41	19.61	209	95
	नही	00	00	01	9.09	03	27.27	07	63.63	11	5
	योग	72	32.72	47	21.36	53	24.09	48	21.81	220	100:
शिक्षा के नवीन उपकरण अध्यापन मे कितने सहायक	थोडे	28	25.22	25	22.52	25	22.52	43	38.73	111	50
	काफी अधिक	20	37.73	19	35.84	12	22.64	02	3.77	53	24.09
	अत्याधिक	24	50	07	14.58	05	10.41	02	4.16	48	21.81
	बिलकुल नही	00	00	01	12.5	01	12.5	06	75	08	3.63
	योग	72	32.72	62	28.18	43	19.54	53	24.09	220	100:
इंटरनेट से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन	हां	72	32.72	50	27.47	48	26.37	10	5.49	182	82.72
	नही	00	00	02	5.26	05	13.15	33	86.84	38	17.27
	योग	72	32.72	52	23.63	73	33.18	53	24.09	220	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 7.10 मे शिक्षण के उददेश्यों की प्राप्ति एवं शिक्षण को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मे तकनीकी का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग हो रहा है। शिक्षण तकनीकी मे वी.डी.ओ/सी.डी रेडियो इंटरनेट आदि का प्रयोग होता है इसमे संदेह नही कि शिक्षण तकनीकी से शिक्षा के क्षेत्र मे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

परंतु संसाधनों एवं प्रशासन के आभाव मे भारत जैसे विकासशील देश मे ये कितने प्रभावशाली हो रहे है। इस संदर्भ मे उत्तरदाताओं से विचार उनकी आयु के आधार पर जाने गये है। जिन्हे समग्र रूप से कई उप सारणीयों द्वारा एक सारणी मे प्रदर्शित किया गया है। आयु को 20-25,26-30,31-35, 35-40 चार वर्गो कमशः किया गया है जिसके अंतर्गत कमशः 37.27 प्रतिशत, 28.18 प्रतिशत, 26.81 प्रतिशत, 7.7 प्रतिशत उत्तरदाता आते है।

प्रथम उपसारणी मे उत्तरदाताओं से वी.डी.ओ/सी.डी क्या अध्यापन मे सहायक है जाना गया है। 81.81 प्रतिशत : उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति दी है कि वी.डी. ओ/सी.डी अध्यापन मे सहायक है। जबकि 18.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर असहमति दी है। निःसंदेह वी.डी.ओ/सी.डी के प्रयोग से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा बालकेंद्रित है। बालक कि मनोशारिरिक विशेषताओं के आधार पर शिक्षा सिद्धांतो का निर्माण हो रहा है । इस दृष्टि से ये उपकरण शिक्षण मे अत्यंत सहायक है। वी.डी.ओ/सी.डी के प्रयोग से शिक्षण रूचिकर एवं उच्च अधिगम दर वाला होता है। महत्वपूर्ण घटनाओं वार्तालाप साक्षातकार ऐहिासिक एवं भौगोलिक महत्व के स्थानों की सी.डी तैयार कर छात्रों को दिखाने से छात्र घटनाओं के वास्तविक स्वरूपों को देख सकते है। इस दृष्टी वी.डी.ओ/सी.डी के प्रयोग से शिक्षा मे सहायक है। शायद इसीलिए अधिकांश उत्तरदाता वी.डी.ओ/सी.डी का अध्यापन मे सहायक मानते है। परंतु भारत जैसे पिछड़े देश के प्रत्येक गांव या दूर दराज के क्षेत्रों मे वी.डी.ओ/सी.डी उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। साथ ही वे बातें जो मौखिक या कक्षा मे सरलता से समझायी जा सकती है उनके लिए सी.डी तैयार कर शिक्षण करना खर्चीली विधि है। साथ ही साथ प्रत्येक घटना पर सी.डी . तैयार करना भी दुरूह कार्य है। शायद इसीलिए काफी उत्तरदाता इनको अध्यापन मे सहायक नही मानते है। उत्तरदाताओं के विचारों से उनकी उम्र का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। क्योकि सहमत होने वाले उत्तरदाताओं मे कम आयु आदि के उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है जबकि असहमति रखने वालों मे अधिक उम्र के उत्तरदाता ही अधिक है।

द्वितीय उपसारणी मे कम्प्युटर से संबंधित विचार जाने गये है कि कम्प्युटर के आ जाने से शिक्षा के नए युग की शरूआत हुई है। 95 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है। जबकि 5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते ।

आज का युग कम्प्युटर का युग है। कम्प्युटर ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है । शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नही है । कम्प्युटर की सहायता से CAI कम्प्युटर

सहाय अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग सफल रहा है। इसी तरह से कम्प्युटर मे ज्ञान का असीम भंडार संचित है जिसका कि किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को शोध से संबंधित तथ्य साथ ही साथ व्यवसायिक जीवन के उपयोग हेतु कम्प्युटर शिक्षा भी इसी से संबंधित है। शायद यही कारण है अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि कम्प्युटर के आ जाने से कम्प्युटर के नए युग की शुरूआत हुई है । जिन उत्तरदाताओं कीइस विचार मे असहमति प्रकट होती है वे प्रायः अधिक उम्र के शिक्षक है या फिर ऐसे उत्तरदाता है जिनको कम्प्युटर के उपयोग का भलीभांति ज्ञान नही है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से यह जाना गया कि सूचना के नवीन उपकरण अध्यापन मे कितने सहायक है इसके संदर्भ मे 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि थोडे सहायक है। 24.09 प्रतिशत का मानना है कि काफी अधिक सहायक है। 21. 81प्रतिशत का मानना है कि अत्यधिक सहायक है। जबकि 3.63प्रतिशत बिलकुल सहायक नही मानते है। आज का युग सूचना का युग है । आज सूचना पहुचाने के नए नए उपकरण आ चुके है। ये उपकरण भी शिक्षा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है आप दूरदर्शन मे ज्ञानदर्शन एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम इसी का उदाहरण है इसी प्रकार रेडियो द्वारा प्रसारित ज्ञानवाणी एवं बच्चों के लिए कार्यक्रम इसी कड़ी मे आते है । वी.डी.ओ/सी.डी द्वारा आज शिक्षण को वास्तुनिष्ठ एवं प्रभावी बनाया जा सकता है । इस प्रकार सूचना के ये उपकरणअध्यापन मे किसी न किसी प्रकार सहायक है । शायद यही कारण है की बहुत कम उत्तरदाता ही इन्हे अनुपयोगी मानते है जबकि सभी थोड़े बहुत या अत्याधिक उपयोगी मानते है ।

चतुर्थ उपसारणी इंटरनेट के प्रयोग से है जब उत्तरदातो से यह जाना गया कि क्या इंटरनेट से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन आ रहे है तो पाया गया कि 82.72 प्रतिशत ने हां मे तथा 17.27ः प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया । आज इंटरनेट ने समूची दुनिया को एक कमरे मे कैद कर दिया है। आज घर पर बैठकर दुनिया के दूसरे भागों से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है । शिक्षा के क्षेत्र मे भी इंटरनेट ने गुणात्मक भूमिका निभाई है । आज इंटरनेट के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों मे भी समान शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकती है साथ ही एक प्रोग्राम को एक साथ संचालित कर कई केंद्रों पर शिक्षण व्यवस्था लागू की जा सकती है इंटरनेट के माध्यम से बालक

को स्वशिक्षा भी प्रदान की जा सकती है । वह अपनी रूचि के अनुसार संबंधित प्रोग्राम से जुड़कर शिक्षण कार्य कर सकता है। इस प्रकार अधिंकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि इंटरनेट से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन हुए है ये गलत नही हैं ।

इस प्रकार उपरोक्त सारणी के सांगोपांग विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता इस तथ्य को स्वीकार कर लेते है कि शिक्षण की नवीन प्रविधियों एवं तकनीकीयों ने शिक्षा मे अमूल चूल परिवर्तन किया है। तथा आज शिक्षण व्यवस्था सूचना आधारित होती जा रही है तथा सूचना के उपकरणों के साथ रेडियो टी.वी. सी.डी.कम्प्यूटर इंटरनेट के प्रयोग से शिक्षा के क्षेत्र मे गुणात्मक परिवर्तन हुए है।

सारणी संख्या 7.11एजूकेशनल टी.वी. से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन संबंधी विचार

गुणात्मक परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
हुए	172	78.18
नही हुए	48	21.81
योग	220	100

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी 7.11 मे उत्तरदाताओं से एजूकेशनल टी.वी. से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन संबंधी विचार जाने गए है। 78.18 उत्तरदाताओं का मानना है कि गुणात्मक परिवर्तन हुए है जबकि 21.81 उत्तरदाताओं का मानना है कि गुणात्मक परिवर्तन नही हुए है। टी.वी. संचार का प्रत्यक्ष साधन है। यह संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। घटनाओं का उनके प्रति वास्तविक रूप मे प्रदर्शन टी.वी. के द्वारा संभव हो पाता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखकर सरकार शिक्षा क्षेत्रों मे टी.वी. या वी.डी.यो के माध्यम से शिक्षा देने के विचार को कार्य रूप देते हुए एजूकेशनल टी.वी. जैसे प्रोग्राम चला रही है ऐसे प्रोग्राम संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संख्यात्मक दृष्टि से जहां सुदूर क्षेत्रों मे शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न है वहां के लिए ये कार्यक्रम अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। हजारों लाखों बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जा रहा है। वही गुणात्मक दृष्टि से बच्चों को शिक्षा को जीवन मे उतारकर एक उत्तम नागरिक बनानने के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

इस प्रकार एजूकेशनल टी.वी. ने शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक स्तर पर प्रभाव डाला है शायद इसीलिए अधिकांश उत्तरदाता इस मत से सहमत है ।

सारणी संख्या 7.12 CHEER जैसे कार्यक्रमों का प्रभाव

प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
थोडे	145	65.9
बहुत ज्यादा	42	19.09
बिल्कुल नही	33	15
योग	220	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

प्रस्तुत सारणी संख्या 7.12 मे CHEER अर्थात चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रु रेडियो, रेडियो के माध्यम से चलाया जाने वाला शिक्षा कार्यक्रम है। दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से शिक्षा कार्यक्रमों से पहले रेडियो के माध्यम से शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जा रहे है ।

CHEER एक ऐसा ही कार्यक्रम है प्रस्तुत सारणी मे CHEER के प्रभाव को उत्तरदाताओं द्वारा जाना गया है 65.9 प्रतिशत उत्तरदाता इसे थोडा प्रभावी मानते है, 19.09 प्रतिशत बहुत ज्यादा तथा 15 प्रतिशत बिल्कुल प्रभावी नही मानते ।

रेडियो श्रृव्य साधन है एवं आसानी से उपलब्ध है । आज भी सूचना का सबसे सशक्त माध्यम रेडियो ही है । रेडियो पर CHEER कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है इन कार्यक्रमों से बच्चों के साथ साथ हर उम्र के अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर सकते है इनका हमारे देश की शिक्षा मे काफी प्रभाव पडा है परंतु केवल श्रव्य माध्यम होने तथा जागरूकता न होने के कारण ये उतने प्रभावी नही हो पाते है श्शायद यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाता इन्हे थोडा ही प्रभावी मानते है। साथ ही आज टी.वी. वी. सी. आर. के आ जाने के कारण रेडियो की अनिवार्यता कम हुई है। फिर भी कुछ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिन्होंने इसे बहुत ज्यादा प्रभावकारी माना है जबकि कुछ ऐसे भी है जिन्होंने बिल्कुल प्रभावकारी नही माना है।

इसका कारण रेडियो के माध्यम से अंतक्रिया का न हो पाना हो सकता है। चूकि शिक्षा प्रकिया मे छात्र और शिक्षक दोनो कियाशील रहते है। अतः प्रभावी शिक्षण नही हो पाता श्शायद इनके ऐसा मानने का यही कारण होगा।

सारणी संख्या 7.13 सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम संबंधी विचार

प्रभावशाली माध्यम	संख्या	प्रतिशत
प्रचार	50	22.72
श्रव्य	08	3.63
दृश्य	28	12.72
सभी	72	32.72
योग	220	100:

स्रोत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

आज सभी जनतांत्रिक देशों मे शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए आज सरकार सभी माध्यमो का उपयोग कर रही है । इसके अतंर्गत प्रचार श्रव्य दृश्य आदि सभी माध्यम प्रमुख है। जिन्हे प्रस्तुत सारणी 7.13 दर्शाया गया है। ये कितने प्रभावशाली है जब उत्तरदाताओं ने जाना गया तो22.72 का मानना था कि प्रचार माध्यम सर्वाधिक प्रभावशाली है

3.63 प्रतिशत श्रव्य साधनों को 12.72 प्रतिशत दृश्य साधनों को शेष 32.72 प्रतिशत सभी साधनों को प्रभावशाली माना है। आजादी के बाद 70 और 80 के दशक मे शिक्षा पर हमारे देश मे विशेष ध्यान दिया जाने लगा और आज सर्वशिक्षा एक अभियान बन चुका है। परंतु सर्वशिक्षा के लिए आवश्यक जागरूकता कैसे लाई जाये इसके लिए कई माध्यम उपयोग मे लाये जा रहे है जैसे टी.वी. मे सर्वशिक्षा को लेकर लोगों मे प्रचार किया जा रहा है। इसी प्रकार गांव की दीवारों मे जगह जगह नारे लिखे जा रहे हैं। इसी तरह रेडियो पर भी प्रचार किया जा रहा है। इन सबमे उत्तरदाताओं ने प्रचार को सर्वाधिक प्रभावशाली बताया है। हालांकि प्रचार टी.वी. और रेडियो द्वारा भी होता है परंतु जगह जगह लिखे नारे अखबारों से प्रचारित सामग्री नुक्कड़ नाटक आदि संबंधित है। काफी उत्तरदाताओं ने दृश्य माध्यम को प्रभावशाली बताया है। तो कुछ ने श्रव्य को जबकि सर्वाधिक उत्तरदाता ऐसे है जो सभी साधनों को प्रभावशाली मानते है। क्योकि चाहे श्रव्य दृश्य सभी लोगों को प्रभावित करते है। जहा टी.वी.पर देखकर लोग सोचने पर मजबूर होते है वही चौपालो पर रेडियो की बात सुनकर बुजुर्गो मे भी चेतना जागृत हो जाती है।

सारणी संख्या 7.14 शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत छात्र -व्यवहार की प्रसंसा एवं आलोचना करने की प्रवृत्ति का के प्रभाव का अध्ययन-

शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
छात्र -व्यवहार की प्रसंसा	30	13.63
छात्र -व्यवहार की आलोचना	190	86.36
योग	220	100:

तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि पिछड़े हुए छात्रों की संख्या आलोचनात्मक प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे प्रसंसा करने की प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों की तुलना मे बहुत ज्यादा है अतएव प्रसंसा करने की प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे उन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि कक्षा मे पढ़ने मे आगे है ।

सारणी संख्या 7.15 शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत उच्च प्रतिबल -व्यवहार वाले एवं निम्न प्रतिबल -व्यवहार शिक्षक की प्रवृत्ति का के प्रभाव का अध्ययन- :

शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
उच्च प्रतिबल	176	80
निम्न प्रतिबल	44	20
योग	220	100:

तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि पिछड़े हुए छात्रों की संख्या उच्च प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे निम्न प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों की तुलना मे बहुत ज्यादा है अतएव निम्न प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे उन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि कक्षा मे पढ़ने मे आगे है ।

अध्याय-८

निष्कर्ष एवं अनुसंसाएँ

प्रस्तुत अध्ययन "स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन, झाँसी शहर के विशेष सन्दर्भ में" हैं अध्ययन के केन्द्र मे नगर के स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को रखा गया है। अध्ययन सात अध्यायों के अन्तर्गत पूर्ण किया गया हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

शिक्षा गतिशील है। अति प्राचीनकाल से लेकर आज तक शिक्षा अपनी लम्बी यात्रा में अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी है। ये परिवर्तन शिक्षा मे इसलिए हुए या किए गए ताकि वह समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके व उन कार्यो को कर सके जो विशेष समय में विशेष समाज के लिए आवश्यक हो, शिक्षा के कार्यो के संबंध में विचारकों और शिक्षाविदों मे मतभेद रहा है और अब भी है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । मनोविज्ञानिकों का कहना है कि बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को लेकर जन्म लेता है इसका समर्थन करते हुए पेस्टालॉजी ने लिखा है कि– शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।" कुछ शिक्षा शास्त्रियों व मनोविज्ञानिक संतुलित व्यक्तित्व के विकास तथा मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण, पुनर्निर्दिशन तथा शोधन के कार्यो में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान मानते है। आज का छात्र कल का नागरिक होगा, उसे आगे चलकर अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करने का ज्ञान होना चाहिए।

विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला होती है जहाँ छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है । शिक्षण प्रक्रिया मे शिक्षक एक कलाकार की भाँति कार्य करता है । शिक्षण उसकी कला और बालक वह कच्चा माल जिसके माध्यम से शिक्षक अपने मूल्यों का अर्जन करता है । यह सत्य है कि आज हमने जीवन के प्रत्येक छेत्र मे उन्नति की है और आज मानव समुदाय उन्नति का पर्याय बन चुका है परंतु यह भी सच है कि इस संपन्नता के साथ जटिलताएँ भी बढ़ी है । आधुनिकता के साथ ही आज हमने जीवन मे ऐसी बिषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुयी है जो वर्तमान संदर्भ मे विचारणीय प्रश्न है ।

आज कल शारिरिक रोगों की संख्या मे वेहतासा बृध्दि हो रही है । नित नये नये प्रकार के रोग नयी नयी आकृति प्रकृति के साथ इतनी अधिक मात्रा मे जन्म ले रहे है कि ,बड़े बड़े मूर्घन्य चिकित्सक एवं शोधकर्ता भी उनका पता लगाने मे अपने को अक्षम

महसूस कर रहे है । समस्या केवल शारिरिक रोगों तक ही सीमित नही है बल्कि मानसिक रोग और भी भयावह है। खासतौर पर इन रोगों की उत्पत्ति मनुष्य का चिंतन विकृत हो जाने के फलस्वरूप होती है । चिंतन विकृत हो जाने से अनुकूलता भी प्रतिकूलता मे बदल जाती है और वह बुरी तरह घबराकर असंतुलित हो जाता है । इसी मानसिक असंतुलन को ही मानसिकरूग्णता या मनोविकार कहते है।

अध्यापक कक्षा का एक स्वीकृत नेता माना जाता है। उसके ज्ञान , योग्यता , परिणामशक्ति, बुध्दिमत्ता आदि के अधिक विकसित होने से उसे विना आपत्ति के नेता मान लिया जाता है। किन्तु वहुत से अध्यापक अपने दुर्बल व्यक्तित्व, शर्मीले स्वभाव, और आत्म संयंमी ना होने के कारण अपना यह उपयोगी अधिकार छोड़ बैठ्ते है । तब कक्षा के अन्य शक्तिशाली एवं उर्जस्वित बालक नेता बनने का प्रयास करते है । यह अतयंतहीन और सोचनीय स्थिति मे होती है तथा अध्यापक को वहुत कष्ट पहुँचाती है । जो अध्यापक अपनी कक्षा मे नेतृत्व खो वैठ्ता है वह कक्षा का सामना विश्चवासपूर्वक और दृढ़ता से नही कर सकता फलस्वरूप उसके कक्षा मे अनुसासनहीनता फैलती हैऔर शिक्षण का ध्येय समाप्त हो जाता है । कक्षा कक्ष मे शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के ऊपर वहुत गहरा प्रभाव डालता है। विद्यार्थी वहुत कुछ केवल वैठे हुए ,देखते और सुनते हुए भी सीख लेते है। अतएव हम कह सकते है कि एक मुख्य सामाजिक सीखने का सिध्दांत यह है कि कक्षा कक्ष मे शिक्षक के साथ क्या होता है और विद्यार्थियों के साथ क्या होता है? यह कक्षा के कमरे मे वहुत कुछ सीखना निर्धारित करता है । इसके लिए आवश्यक नही है कि शिक्षक प्रत्येक बालक को पाठ्क्रम के सब पक्षों के लिए पुष्टीकरण प्रदान करें । हम पुरूष्कार को सकारात्मक पुष्टीकरण कह सकते और दण्ड को नकारात्मक पुष्टीकरण। यह दोनो प्रकार के पुष्टीकरण बालक के सीखने पर वहुत प्रभाव डालते है । जो पुरूष्कार बालक को कक्षा मे दिए जाते है वह उसे वहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देते है। यदि बालक की प्रसंसा कार्य करने या उत्तर देने के तुरंत बाद की जाए तो आमतौर से यह उसे और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है। शिक्षकों को समझ लेना वाहिए कि विद्यार्थी का व्यवहार केवल तार्किक पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य योजना से ही नियंत्रित नही किया जा सकता। इसके लिए तो आवश्यक है कि इस प्रकार के वांछित व्यवहार का पुष्टीकरण किया जाए।

अतएव सकारात्मक एवं नकारात्मक पुष्टीकरण सामाजिक व्यवहार के प्रति मानव के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते है । यदि बालक की प्रसंसा कार्य करने या

उत्तर देने के तुरंत बाद की जाए तो आमतौर से यह उसे और अधिक उपलब्धि की ओर प्रोत्साहित हो जाते है।

पूर्व मे किए गए अध्ययन तथा साहित्य का अनुशीलन करने पर यह देखा गया कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से छात्र की उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा छात्रों के कक्षा मे शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन नही किया गया है और वे कक्षा मे शिक्षा के क्षेत्र मे क्यों पिछड़े रहते है , का विषय भी अछूता है।

अतएव शोधनार्थिनी ने प्रस्तुत अध्ययन मे "स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का झाँसी शहर के विशेष सन्दर्भ में" अध्ययन करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए अपने अध्ययन हेतु चयन किया ।

चरों की अवधारणा :

प्रस्तुत अध्ययन मे छात्रों की शैक्षणिक पिछड़ेपन या शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख तीन चरों का समावेश किया गया है:-

1.छात्रों मे सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से उत्पन्न प्रभाव

1.कुण्ठाः इग्लिश एवं इग्लिश के अनुसार " किसी लक्ष्य निर्देशित किया मे अड़चन अथवा रूकावट को कुण्ठा कहा जाता है।" जब व्यक्ति की आवश्यकता एवं पूर्ति के साधन अथवा लक्ष्य मे अड़चन अथवा अवरोध उत्पन्न हो जाएँ या जब कोई उपयुक्त लक्ष्य सामने ना हो तो व्यक्ति मे कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है । कुण्ठा दो श्रोतों से उत्पन्न हो सकती है- 1. बाह्य कुण्ठा 2. आन्तरिक कुण्ठा .

2.द्वन्द्व :कभी कभी कुण्ठा किसी अपराध की बजाय द्वन्द्व के कारण उत्पन्न होती है । द्वन्द्व एक ऐसी स्थिति है जिसम दो इच्छाएँ इस प्रकार असंयोज्य होती है कि एक की पूर्ति का प्रतिरोध करती है । ऐसी स्थिति मे व्यक्ति के लिए यह फैसला करना कठिन हो जाता है
कि वह इन इच्छाओं मे से किसकी पूर्ति करे और किसको छोड़ दे।

3.दबाबः दबाव हमारे जीवन मे कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न करते है । उदाहरणार्थ मध्यम वर्ग का पिता जब अपनी आर्थिक कठिनाईयों की परवाह ना करते हुए अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए कालेज भेजता है, तो वह स्वतः अपने बेटे पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दबाव डालता है।

2.<u>विद्यालय एवं कक्षा –कक्ष वातावरण से उत्पन्न प्रभाव</u>

विद्यालय मे कक्षा के कमरे समाज स्थितियाँ कहे जा सकते है । कक्षा का वातावरण सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है। गेस्टाल्ट महोदय ने क्षेत्रीय सिध्दांत मे बर्णन किया है कि किस प्रकार बालक के सीखने संपूर्ण वातावरण सकिय होता है यह सिध्दांत स्पष्ट कर देता है कि कक्षा के कमरे को केवल व्यक्तियों का संकलन नही समझा जाना चाहिए ।

विद्यालय का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण कम से कम निम्न तत्वों का परिणाम होता है– 1.सामाजिक अंतः किया अथवा संबंध जो विद्यार्थीयों मे पाये जाते है 2. विद्यालय के शिक्षकों के आपसी संबंध 3. कक्षा के कमरे की नैतिक विशेषताएँ , विद्यार्थियों के पहले के अनुभव ।

विद्यार्थियों के सामाजिक तत्परता ,सहयोग तथा प्रतियोगिता पर तुलनात्मक बल तथा विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर आवृत्तियाँ , जैसा विद्यालय का बातावरण होगा उसी प्रकार का बालकों का व्यवहार होगा । बालको का सीखना विद्यालय के बातावरण पर वहुत कुछ निर्भर रहता है । यदि विद्यालय के शिक्षक एक दूसरे से लड़ते है, विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करते है तथा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक मे मनमुटाव होता है तो इसका प्रभाव विद्यर्थियों के शिक्षण पर अधिक पड़ता है । यही कारण है कि अब शिक्षण देने मे विद्यालय के बातावरण को एक महत्वपूर्ण स्तंभ समझा जाता है ।

ऐसा देखा गया है कि विद्यालय का बातावरण जनतांत्रिक है तो विद्यार्थियों का व्यवहार अच्छा है। यदि बातावरण निरंकुश है तो उसका प्रभाव खराब पड़ता है । इस संबंध मे लेविन लिपिट एवं व्हाइट के अध्ययन महत्वपूर्ण है । एक अन्य अध्ययन भी जो भारत के विद्यार्थियों पर वेदी एवं माथुर द्वारा किया गया, इस ओर संकेत करता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार के प्रति मानव एवं प्रसासनिक वातावरण का ऊँचा सकारात्मक संबंध है । इस अध्ययन से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों का अच्छा व्यवहार जनतांत्रिक प्रसासनिक वातावरण मे प्रदर्शित किया गया है अतएव हम कह सकते है कि विद्यालय के प्रसासनिक बातावरण को जितना जनतांत्रिक बनाया जाएगा उतना ही अच्छा विद्यार्थियों का व्यवहार होगा ।

कक्षा –कक्ष वातावरण

"कक्षा के सामाजिक –संवेगात्मक वातावरण से तात्पर्य कक्ष मे व्याप्त उन सामाजिक संबंधों से है जिनके साथ भावनाएँ व संवेग जुड़े रहते है तथा छात्रों से उस समय प्रतिक्रिया कराते है। जब शिक्षक इन्हे पढ़ा रहा होता है"।–आर पी सिंह

डॉ एन ए फलैण्डर के शब्दों मे "कक्षा –कक्ष वातावरण छात्रों की शिक्षक व कक्षा के प्रति वह सामान्यीकृत अभिवृक्ति है जिसे वे व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी रखते है "। इस वातावरण का विकास कक्षा की सामाजिक एवं संवेगात्मक अंतःक्रिया के स्वरूप होता है। कक्षा मे छात्र शिक्षकों के व्यवहारों के फलस्वरूप शिक्षक के साथ तथा परस्पर एक दूसरे के साथ के व्यवहार करते है । ये व्यवहार समग्र रूप से कक्षा –कक्ष वातावरण का निर्माण करते है। इस वातावरण मे छात्रों व शिक्षक के मध्य सामाजिक व संवेगात्मक संबंध एवं अंतःक्रिया उल्लेखनीय भूमिका रखते है ।

3.शिक्षक के कक्षागत व्यवहार से उत्पन्न प्रभाव

1.छात्र –व्यवहार की प्रसंसा करने की प्रवृत्ति, प्रसंसा एवं प्रोत्साहन के अंतर्गत उन शिक्षक कथनों को समाविष्ट करते है जिनसे छात्र व्यवहार तथा उनके कार्य को स्वीकृति मिलती है । साधरणतः छात्रों की प्रसंसा के लिए अच्छा, ठीक , सुन्दर , शाबास आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते है । कई बार शिक्षक शाब्दिक प्रसंसा या स्वीकृति प्रदान ना करके अशाब्दिक अंनुक्रिया से प्रोत्साहित करता है जैसे गर्दन को हिलाना , "हूँ" की आवाज करना आदि अनुक्रिया की स्वीकृति को प्रसंसा से प्रोत्साहित किया जाता है । छात्रों के आपेक्षित कार्यो के लिए, शिक्षक प्रोत्साहन करने के लिए यह शब्द भी प्रयुक्त करता है,जारी रखो,आगे बढ़ो और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करो आदि। ठीक , सुन्दर , शाबास आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते है । इस प्रकार छात्रों मे तनाव कम होता है और अनुक्रिया तथा उत्साह बढ़ता है।

2.छात्र –व्यवहार की आलोचना करने की प्रवृत्ति – जब शिक्षक छात्र के अनुचित व्यवहारके लिए किसी आलोचना का प्रयोग करता है तब यह कथन इस वर्ग मे अंकित किए जाते है । जैसे शिक्षक का यह कहना कि 'यह मुझे पसंद नही है' मै तुम्हे कक्षा से बाहर निकाल दूँगा, कक्षा से बाहर निकल जाओ, वह बलपूर्वक कहता है शान्त हो जाओ,आपस मे बातचीत मत करो आदि। यदि शिक्षक स्वयं अधिकार का उपयोग करता है , अथवा अपने को न्यायपूर्ण मानता है तब वे सभी कथन इस वर्ग के अंतर्गत आते

है। शिक्षक की वे सभी कियाएँ जो छात्र –व्यवहार को नियंत्रित करती है । इस वर्ग मे अंकित किए जाते है।

परिकल्पनाः

अध्ययन से स्पष्ट है कि पिछड़े बालकों की शैक्षणिक पिछड़ेपन या शैक्षिक मन्दता के निम्न लिखित कारण हैः–

परिवार से संबंधित कारणः

परिवार को बालक की प्रथम पाठ्शाला माना गया है। अतः बालक का निर्माण पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है । पारिवारिक वातावरण की असामान्यताएँ बालकों के विकास मे बाधाएँ उत्पन्न कर देती है और शनैः शनैः बालक दैनिक जीवन की होड़ मे पिछड़ते चले जाते है। परिवार से संबंधित निम्नलिखित कारणों का हम अध्यन करते हैं–

निर्धनता –वर्तमान समय मे भौतिकता ने व्यक्ति को अपने पंजे मे जकड़ लिया है । वह चरित्र, आदर्श और नैतिकता को छोड़कर येन– केन प्रकारेण धन संरक्षण मे लगा हुआ है। आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ बढ़ रही है जिसके धन आवश्यक होता है । अतः जो बालक धनाभाव के कारण अपनी दैनिक एवं आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे असफल रहते है वे शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ जाते है। उनमे असंतोष उत्पन्न हो जाता है। यही असंतोष उनमे दिशाहीनता एवं निराशा को बढ़ावा देता है ।अतः उनका ध्यान शिक्षा से हटकर अन्य कार्यो मे लग जाता है ।

अशिक्षा– शिक्षित परिवार सही विचारों के माध्यम से बच्चों को मानसिक संतोष प्रदान करते रहते है ।इस प्रकार से साधनों का अभाव बच्चों के विकास मे रूकावट नही बन पाता है । जिन परिवारें मे सुविधा का अभाव है वहॉ पर दिनप्रतिदिन समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण ग्रह कलह होता रहता है वे स्वयं को बालकों का भाग्य निर्माता नही समझते है वल्कि उनको भाग्य के सहारे छोड़ देते है । अपरिपक्वता के कारण बालक उद्‌देश्य विहीन एवं जीवन की मौलिकता को समझने मे असफल होते है।वे उन कार्यो मे मन लगाते है जहॉं शारीरिक एवं मानसिक शक्ति कम व्यय होती है और कोई नियंत्रय नही होता है । अतः बच्चें शिक्षा के क्षेत्र की अवहेलना करने से पिछड़ते चले जाते है।

परिवारिक कलह– बालक के उपर सबसे अधिक प्रभाव पारिवारिक वातावरण का पड़ता है । परिवार को शांतप्रिय एवं उचित सम्मान देने वाला होना चाहिए । जब वह लड़ाई

झगड़े का अखाड़ा एवं असमाजिक कार्यो का अड्डा मात्र बन कर रह जाता है तो बालकों का ध्यान शिक्षा से हटकर इन्ही कुकृत्यों मे लग जाता है । यही बालक शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ जाते है और समाज के लिए एक समस्या बन जाते है । बालक के अंदर आत्मनिरीक्षण शक्ति अधिक वलवती होती है। वह जो देखता है उसके साथ समायोजन करता है और उसी मे संलग्न हो जाता है ।अतः माता-पिता का लड़ना-झगड़ना भाई -बहनों के लड़ने- झगड़ने एवं अन्य लोगों का मनमुटाव बालकों को शिक्षा मे पिछड़ने पर बल देते है।

बड़ा परिवार- आधुनिक परिवार में पति पत्नि और बच्चे माने जाते है । लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे परिवार मे वे सभी सदस्य आ जाते है, जो परिवार के मुखिया पर आश्रित होते है। विद्वानों का मत है कि बड़े परिवार का अनुशासन बिगड़ जाता है । उनमे रहने वाले सदस्य अलग अलग रूचियों, मनोवृत्तियों एवं क्षमताओं वाले होते है । वे वैसा पसंद करेगें जैसा वे चाहते है। इससे परिवार के मुखिया के नियमों की अवहेलना होती है । अतः परिवार की शांति भंग होती है । बड़े परिवारों मे बालक की उचित देखभाल ,पालन पोषण एवं सही निर्देशन प्राप्त नही हो पाता है। अतः बालकों को सही शैक्षिक निर्देशन प्राप्त न होने के कारण वे कक्षा कार्य मे अन्य छात्रों से पिछड़ जाते है।

बालक से संबंधित कारण

शिक्षा का केन्द्र विन्दु बालक है । जिन कारणों से बालक कक्षा मे पिछड़ जाते वे कारण निम्नलिखित हो सकते है -

शारीरिक विकास मे न्यूनता- बालको का विकास निश्चित अवधि मे और समान अनुपात मे नही हो पाता है,तो वह अपनी मानसिक प्रकिया का प्रयोग सामान्य बालकों के समान करने मे असफल रहता है । इसका मुख्य कारण वंशानुकम का प्रभाव एवं विकास के सही साधनो का न होना माना जाता है,ऐसे बालक सामान्य बालकों से कक्षा मे पिछड़ जाते है।

शारीरिक दोष एवं रोग-भारत देश मे विकास के अच्छे साधन सुलभ न होने के कारण बच्चों मे कुछ शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते है। इनमे शारीरिक दुबर्लता,कम सुनना, रंगो का अंधापन, हकलाना, तुतलाना और बायें हाथ से कार्यो को करना आदि प्रमुख है। इनके कारण अन्य छात्र उनका मजाक उड़ाते हैऔर धीरे धीरे निम्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है।इसी प्रकार से लगातार शारीरिक रोगों का प्रभाव भी बालकों में

हीनता के भाव उत्पन्न कर देता है।जैसे जुकाम रहना,पाचन शक्ति,ग्रन्थि कार्य ठीक से न होनाऔर सिर दर्द आदि । ऐसे बालक कक्षा कार्य मे अपने मन को लगाने मे,अधिक परिश्रम करने मे पूर्णतः असफल रहते है।

बुध्दि में न्यूनता– विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है कि 95 बालक बुध्दि में न्यूवता के कारण पिछड़ जाते है। वे बुध्दि की कमी के कारण अपने कार्य के साथ समायोजन नही कर पाते है और कार्य मे पिछड़ते चले जाते हैं। वे बुध्दि की कमी से वे जटिल कार्यो को प्रारंभ नही करते और सरल कार्यो को अधूरा ही छोड़ देते है । उनका ध्यान अधिक समय तक एक ही कार्य पर केंद्रित नही रह पाता और उनमे मानसिक थकान भी शीघ्र उत्पन्न होने लगती है ।

अनुपस्थित रहना– प्रायः देखा गया है कि कक्षा से भागना या अनुपस्थित रहना उन्ही छात्रों मे पाया जाता है, जो पिछड़ जाते है।ऐसे छात्रों को अपव्यय और अवरोधन का भी शिकार होना पड़ता है । ये छात्र अन्य छात्रों को मिलाकर एक संगठन तैयार करते है ताकि इन्हे ·परीक्षा से न रोका जा सकें।

रूचि का अभाव– पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न अध्ययन यह स्पष्ट करते है कि ऐसे छात्रों मे पड़ने के प्रति रूचि का पूर्ण अभाव पाया जाता है । वे अपनी शक्ति को अन्य कार्यो पर व्यय करते है। वर्तमान समय मे व्यवसाय का अभाव भी छात्रों मे अरूचि उत्पन्न करता है ऐसे छात्र दिन प्रतिदिन पिछड़ते चले जाते है।

<u>विद्यालय से संबंधित कारण</u> –

विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा मे अध्यापक का कार्य यदि अच्छा नही है तो बच्चे कक्षा कार्य मे पिछड़ने लगते है। इन कारणों को अग्रलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है ।

दण्डात्मक अनुशासनः छात्र और अध्यापक का संबंध पिता पुत्र जैसा माना गया है। जब अध्यापक छात्रो को अत्यधिक शारीरिक दण्ड देता है तो वे अपने अंदर असुरक्षा और भय के भाव उत्पन्न कर लेते है । छात्र किसी कार्य को सही कर रहे है और अध्यापक जब उनके सामने आ जाता है तो भय के कारण उस कार्य को गलत रूप देने लगते है छात्र इन अध्यापकों की कक्षा मे आना छोड़ देते है और धीरे धीरे दैनिक कार्यो मे पिछड़ते चले जाते है।

दैनिक कार्य का बोझ– जब अध्यापक छात्रों को उनकी क्षमता से अधिक दैनिक कार्य देता है और छात्र उसे करने मे सफल नही हो पाते तो उन्हे दण्ड मिलता है। ऐसी

अवस्था मे छात्र स्वयं से योग्य बालकों के कार्य की नकल करते है । वे उस ज्ञान को अन्त तक नही समझ पाते है और परीक्षाओं मे असफल होते है। प्रत्येक अध्यापक अपने अपने विषय का गृह कार्य देता है जिसे छात्र समय पर पूरा करने मे असफल रहते है। इस प्रकार स धीरे धीरे कक्षा मे पिछड़ते चले जाते है।

शिक्षण विधियों की अवहेलना– वर्तमान प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा को पड़ाते समय मनोवैज्ञानिक विधियों की पूर्ण अवहेलना करता है । वह पुस्तक प्रणाली शिक्षण को मुख्य आधार मानता है । इस विधियों के द्वारा छात्र ज्ञान को अच्छी तरह समझने मे सफल नही हो पाते है । अध्यापक छात्रों की कठिनाई को समझे बिना अगले पाठ को पढ़ाना आरंभ कर देते है । इस प्रकार से छात्र अपने कार्य मे पिछड़ते चले जाते है।

पाठ्यक्रम की जटिलता– छात्रों के पिछड़ेपन में पाठ्यक्रम की जटिलता भी मुख्य कारण होती है पाठ्यक्रम की संरचना छात्रों की परिपक्वता और उम्र को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो पाठ्यक्रम की तैयारी घर से करके नहीं लाते हैं और बालकों को गलत ज्ञान प्रदान करते हैं। जब तक अध्यापक स्वयं पाठ को नही समझ पायेगा,तो वह छात्रों को कैसे समझा पायेगा।अतः पाठ्यक्रम की जटिलता बढ़ती चली जायेगी।

अध्यापक का स्वभाव– बालक की शिक्षा अध्यापक की मनोदशा पर भी निर्भर करती है। कक्षा मे अध्यापक सुस्त, कोधी स्वभाव, चिड़चिडा और दण्डात्मक अनुशासन वाला आता है, तो छात्र भयभीत होकर ज्ञान ग्रहण करते है।उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। उनमे मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। वे उस अध्यापक के वारे मे हर समय सोचते रहते हैं। अतः कक्षा कार्य मे अरूचि उत्पन्न हो जाती है ।

योजना एवं कार्य–विधि :

<u>न्यादर्शः</u> न्यादर्श एक समष्टि अंश है, जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का एक स्पष्ट प्रतिविंब होता है। वर्तमान अध्ययन की समष्टि झाँसी शहर के अंतर्गत आने वाली समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यायलयों मे कक्षा 4 थी, 5 वी, 6 वी,7 वी एवं 8 वीं मे अध्ययनरत 300 छात्रों जो शैक्षणिक रूप से पिछडे है एवं इन्हे पढ़ाने वाले 220 शिक्षकों को समाविष्ट किया है।

<u>प्रयुक्त उपकरणः</u> प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत शैक्षणिक पिछड़ेपन या शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख तीन चरों का समावेश किया गया है:–

1.छात्रों मे सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से उत्पन्न प्रभाव

2.विद्यालय एवं कक्षा –कक्ष वातावरण से उत्पन्न प्रभाव

3.शिक्षक के कक्षागत व्यवहार से उत्पन्न प्रभाव

अध्ययन एवं परिणाम :

प्रस्तुत अध्ययन "स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन, झाँसी शहर के विशेष सन्दर्भ में" हैं अध्ययन के केन्द्र मे नगर के स्कूलों में अध्य्यन करने वाले छात्रों को रखा गया है।

प्रस्तुत अध्य्यन स्रात अध्यायों के अन्तर्गत पूर्ण किया गया हैं। प्रस्तुत अध्य्यन मे छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का पता उनके स्कूल के कक्षा परिणाम के प्राप्तांकों के आधार पर किया गया। इसमें कक्षा मे फैल तथा कम प्राप्तांकों वाले छात्रों को सम्मिलित किया गया।

प्रस्तावना खंड मे शिक्षा के अर्थ , महत्व, स्वरूप, शिक्षा का कार्य, शिक्षा की आवश्यकता, मॉन्टेसरी शिक्षा, भारत में वर्तमान शिक्षा की स्थिति एवं उसकी समस्याओं का वर्णन किया तथा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान का स्वरुप, सामाजिक मनोविज्ञान का विकास,अध्यापक का महत्व एवं भारतीय समाज में उसकी स्थिति, विशिष्ट विद्यार्थियों का अर्थ, विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रकार, पिछड़े विद्यार्थी या पिछड़े बालक और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कारकों का समावेश किया।

शिक्षा समाज की एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संस्था है। अनेक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को एक प्रमुख उपव्यवस्था माना है। शैक्षिक उपव्यवस्था वृहद सामाजिक व्यवस्था का वह भाग है जो समाज मे प्रतिमानों के स्थायित्व और तनावों के नियंत्रण से विशेष रूपेण जुड़ा हुआ है। शिक्षा समाज की प्रमुख समाजीकरण की एजेंसी है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने सदैव शिक्षा में रूचि बनाये रखी है। आगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, मैक्स बेवर , आदि सभी प्रमुख समाजशास्त्रियों ने शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया और उस पर अपने विचार व्यक्त किये। भारत में एम. एस. गोरे, सुमा चिटनिस, आई. पी. देसाई और वाई. वी. दामले ने शिक्षा को समाज की एक उपव्यवस्था एवं प्रकिया के रूप में अध्ययन करने को प्रेरित किया।

मनोविज्ञान विषय विज्ञान के रूप मे मानव व्यवहार का प्रेरकों, भावनाओं, विचारों एवं कियाओं के संदर्भ में कमानुसार अध्ययन करता है । विज्ञान की ही भाँति यह व्यवहार मे निहित नियमों और सिध्दांतों की खोज और व्याख्या भी करता है । यह इस बात का वर्णन करता है कि हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे क्यो और कैसे व्यवहार करते है ? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार के लिए भविष्यवाणी भी करता है; जैसे.अमुक अमुक वाधाएँ उपस्थित करने पर बालक कोध की अभिव्यक्ति करेगा। कुछ सीमा तक हम व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकते है । व्यवहार के अंतर्गत गामक जैसे चलना, बोलना, ज्ञानात्मक जैसे ग्रहयता प्रत्यक्ष ज्ञान,स्मरण,चिंतन,तर्क आदि।

सामाजिक मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के स्वरूप और कारणों का अध्ययन करते है, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते है।

शिक्षा प्रक्रिया के तीन केन्द्र बिन्दु हैं – शिक्षक, छात्र एवं विषय सामग्री। शिक्षण की सफलता इन तीनों की सुसम्बद्धता पर ही निर्भर होती है। आधुनिक काल में प्रत्येक देश में शिक्षा जगत के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन हो रहे है। शिक्षक, विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति ही वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है।

विशिष्ट विद्यार्थी उन्हे कहा जाता है,जो अपनी योग्यताओं,क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आय के अन्य औसत तथा असमान्य छात्रों से बहुत भिन्न होते है ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थिओं की तुलना मे अपनी विशिष्ठता रखते है। अभिप्राय यह है कि ऐसे विद्यार्थी मानसिक,शरीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े होते है या बहुत आगे निकल जाते है । दोनों ही परिस्थितियों मे इनका समायोजन कठिन हो जाता है।यहाँ इनके समायोजन के लिए इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए इन्हे विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है ।

विद्वानों ने विशिष्ट विद्यार्थियों को निम्नलिखित भागों मे वर्गीकृत किया है–

1. प्रतिभाशाली विद्यार्थी
2. पिछड़े विद्यार्थी
3. विकलांग विद्यार्थी

4. समस्यात्मक विद्यार्थी

शिक्षा के क्षेत्र मे कक्षा समस्या के रूप मे 'पिछड़े बालक' भी एक संक्रामक रोग की भाँति फैलते जा रहे है। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली,सामान्य एवं मंदबुध्दि छात्र सभी सम्मिलित है। अतः जो छात्र निश्चित समय मे, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने मे असफल रहते है और सामान्य छात्रों से पीछे रहते है, पिछड़े बालकों के नाम से पुकारे जाते है।

द्वितीय अध्याय इस विषय पर शोध कार्य करने संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अध्ययन विधियाँ एवं अध्यन पद्धति से संबंध है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु कुछ सामान्य उद्देश्य बनाए गए है जिसके आधार पर अध्ययन की उपकल्पनाएं तैयार की गई है। अध्ययन का क्षेत्र झाँसी रखा गया है तथा नगर के स्कूलों में अध्यय्न करने वाले छात्रों को रखा गया है। झाँसी नगर मे कुल शासकीय, अर्ध्दशासकीय एवं स्वपोषित विद्यालयों की संख्याा 35 है। जिनमे अध्यय्न करने वाले 300 छात्रों को अध्यय्न के लिए रखा गया तथा सभी का साक्षात्कार लिया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची प्रयोग मे लाई गयी।

तृतीय अध्याय मे झाँसी नगर की शैक्षिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी तथा झाँसी नगर का सामान्य विवरण है ।

चतुर्थ अध्याय झाँसी नगर के पिछड़े छात्रों की सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति से संबंधित है। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मे ही मनुष्य उन्नति करता है, और समाज मे ही उसका पतन होता है। समाज के अस्तित्व के बिना उसका कोई अस्तित्व नही होता । समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य का सामाजिकरण करने में परिवार, पड़ोस, मानवीय किया- कलाप आदि प्रमुख भूमिका निभाते है। समाज के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक संबंध जन्म लेते है। मनुष्य के सामाजिक संबंध उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित करते है । सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति के अध्ययन से निम्न तथ्य प्रकाश मे आए-

1.सारणी संख्या 4.1 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक संरचना संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाताओं में 70 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार के है।

2.सारणी संख्या 4.2 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक संदस्य संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाताओं को सदस्य संख्या के आधार पर पाँच भागों मे बांटा गया है संदस्य संख्या 2, 3-5,6-8,9-10 तथा 10 से ज्यादा। जिसके अंतर्गत उत्तरदाताओं में 29.33

प्रतिशत उत्तरदाता दो सदस्य वाले, 34 प्रतिशत उत्तरदाता 3-5 सदस्य वाले 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता 6-8 सदस्य वाले 12 प्रतिशत उत्तरदाता 9-10 सदस्य वाले तथा 10 से ज्यादा सदस्य वाले 01 प्रतिशत उत्तरदाता है।

3.सारणी संख्या 4.3 मे उत्तरदाताओं के धर्म संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाताओं के धर्म को चार भागों मे बांटा गया है हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, अन्य जिसके अंतर्गत जैन सिख आदि धर्मो से संबंधित उत्तरदाताओं के अंतर्गत रखा गया है। उत्तरदाताओं में 60.66 प्रतिशत हिन्दू 12.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस्लामधर्म 24.33 प्रतिशत ईसाईधर्म 2.66 प्रतिशत अन्य धर्मो जैन सिख आदि से संबंधित है।

4.सारणी संख्या 4.4 मे उत्तरदाताओं की आयु एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। तथा आयु को 5 वर्गो मे क्रमशः 13-14, 12-13,11-12,10-11, 09-10 मे रखा गया है।24 अर्थात 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति से संबंधित है। कि 74 अर्थात 24.66 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जातियों से संबंधित है। 202 या 67.33 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जातियों से संबंधित है। 202 या 67.33 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जातियों से संबंधित है।

5.सारणी संख्या 4.5(अ) मे उत्तरदाताओं की जाति के आधर पर शैक्षणिक स्तर का विवरण दिया है। हायर सेकण्ड्री किये हुए 111 अर्थात 37.00 प्रतिशत, स्नातक किये हुए उत्तरदाता 130 अर्थात 43.33 प्रतिशत ,स्नातकोत्तर किये हुए उत्तरदाता 52 अर्थात 17.33 पी .एच.डी. किये हुए उत्तरदाता 2 अर्थात 0.66 प्रतिशत है।

सारणी संख्या 4.5(ब) के निरिक्षण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक माताएँ हाई स्कूल किए हुए है। जिनका प्रतिशत 52 है। हायर सेकण्ड्री 28.33 प्रतिशत, स्नातक 17.33 तथा स्नातकोत्तर 0.66 प्रतिशत है।

6. सारणी संख्या 4.6 मे उत्तरदातों के एक ही स्कूल में अध्ययन की अवधि से संबंधित है। इनको पांच भागों मे विभक्त क्रमशः0-2, 2-4, 4-6,6-8 वर्ष मे बांटा गया है। अधिकतम उत्तरदाता अधिकतम 2 वर्षो से एक ही स्कूल में अध्ययन कार्य कर रहे है जिनकी संख्या 201 अर्थात 67 प्रतिशत है।

7.सारणी संख्या 4.7 मे उत्तरदाताओं (छात्रों के अभिवावक) की वैवाहिक स्थिति का विवरण दिया गया है। अधिकांश उत्तरदाता (छात्रों के पिता) का विवाह 18 बर्ष के बाद हुआ तथा उत्तरदात्रियों (छात्रों की माता) का विवाह 18 बर्ष से कम उम्र मे

हुआ जो कि अनुसूचित से है। तथा उनका 64 प्रतिशत हैं । सामान्य श्रेणी के उत्तरदाता जिनका विवाह 18 बर्ष के पहले हुआ 16.66 प्रतिशत हैं तथा उत्तरदात्रियों 50 प्रतिशत हैं, पिछ्डी जाति के उत्तरदाता 10.81 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का 40.54 प्रतिशत है ।

8.सारणी संख्या 4.8 में उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप का जातिगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को पूर्व की भांति 3 वर्गों में सामान्य,पिछ्ड़ी,अनुसूचित में विभाजित किया गया है। जबकि परिवार के स्वरूप को संयुक्त और एकाकी मे वर्ग्रीकृत किया गया है। सामान्य जाति के 24 उत्तरदाता है। पिछ्डी जाति के 74 उत्तरदाता हैं एवं अनुसूचित जाति के 202 उत्तरदाता हैं। संयुक्त परिवार से जुडे उत्तरदाता 70 हैं। एकाकी परिवार में रहने वाले 30 उत्तरदाता हैं। जाति के आधार पर 18 सामान्य जाति के उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं जबकि 06 उत्तरदाता एकाकी परिवार से हैं। इसी प्रकार पिछ्डी जाति के 51 उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं तथा 23 उत्तरदाता एकाकी परिवार से है। अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओ मे 141 उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं जबकि उत्तरदाता 61 एकांकी परिवार से हैं।

9.सारणी संख्या 4.9 मे उत्तरदाताओं के मूल निवास का जाति के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य, पिछ्ड़ी,एवं अनुसूचित जाति में रखा गया है। जिसके अंतर्गत 8 प्रतिशत सामान्य, 24.66 प्रतिशत पिछ्ड़ी,तथा 67.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता हैं। मूल निवास को नगर एवं ग्राम के कम मे रखा गया है। ग्रामों से संबंधित उत्तरदाताओं का 64.33 प्रतिशत है।

10.सारणी संख्या 4.10 मे उत्तरदाताओं की जाति के आधार पर उनके पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी गई है। जाति को पूर्व की भांति सामान्य, पिछ्डी, अनुसूचित जाति मे रखा गया है। जिसके अंतर्गत 8 प्रतिशत सामान्य, 24.66 प्रतिशत पिछ्डी,तथा 67.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता हैं। जिसमें पारिवारिक व्यवसाय को कृषि , नौकरी तथा व्यापार रखा गया है। कुल उत्तरदाताओं मे 29.33 प्रतिशत के परिवारों का व्यवसाय कृषि है। 15.33 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय नौकरी है। 29.33 प्रतिशत परिवारों का व्यवसाय व्यापार है।

11.सारणी संख्या 4.11मे उत्तरदाताओं के भवन एवं आय का विवरण पाँच उपसारणीयो प्रस्तुत किया है

समस्त उपसारणीयो का सिहंगावलोकन करने से स्पस्ट है कि छत्र मध्यम वर्ग से संबंधित है। इसीलिए वह मध्यमवर्गीय जीवन शैली अपनाए हुए प्रतीत होता हैं । यही

कारण है कि उत्तरदाता (अभिवावक) मध्यमवर्गीय क्षेत्र मे निवास बनाए हुए है। सर्वाधिक प्रतिशत उन उत्तरदाताओ का है जो 500 तक का किराया प्रतिमास चुकाते है। इसी प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाता अपना निजी अवास बनाए हुए है। क्योकि आज मध्यमवर्गीय व्यक्ति की सबसे बड़ी अभिलाषा अपना निजी मकान होना है और इसके लिए व्यक्ति सर्वाधिक प्रयत्नशील रहता है। आधे उत्तरदाताओं ने स्वयं अपना मकान बनाया है। पक्का मकान आज अनिवार्यता है। अतः सर्वाधिक उत्तरदाताओं के मकान पक्के है और मकान मे 2 या 3 कमरे होना आज वर्तमान जीवन शैली की प्रमुख आवश्यकता है। अतः 2 कमरों वाले मकानों मे रहने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

12.सारणी संख्या 4.12 मे उत्तरदाताओं के परिवारिक कलह से संबंधित है। 250 उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह पाया गया है। 83.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह पाया गया है। 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ परिवारिक कलह नही पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि जिन परिवारों में कलह होता है वहाँ बच्चों के शैक्षणिक प्रगाति मे बाधा उत्पन्न होती है।

13. सारणी संख्या 4.13 मे उत्तरदाताओं के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण से संबंधित है। 95 या 31.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोंण सही दिशा-निर्देशन पर जोर है, 170 या 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोण डाटेंगें पर जोर है तथा 70 या 23.33प्रतिशत उत्तरदाताओं के माता-पिता का दृष्टिकोण समझाने पर जोर देने मे है।

14.सारणी संख्या 4.14 मे उत्तरदाताओं के आस पास के या पड़ोस मे रहने वाली जातियों से संबंधित है। पड़ोस मे रहने वाली जातियों का विवरण उत्तरदाताओं की जाति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 160 या 53.33 उत्तरदाताओं के पड़ोस मे सवर्ण जाति के लोग अधिक है। 71 या 23.66 उत्तरदाताओं के पड़ोस मे पिछ्ड़ी जाति के 33 या 11प्रति. उत्तरदाताओं के पड़ोस मे अनुसूचित जाति 36 या 12 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पड़ोस मे अन्य जातियो या सभी जातियो के लोग निवास करते है। ।

15 प्रस्तुत सारणी 4.15 मे उत्तरदाताओं के भोजन संबंधी प्रकृति का विवरण दिया गया है। भोजन की प्रकृति को शाकाहारी, मांशाहारी, मिश्रित वर्ग मे रखा गया है। 95 या 8 प्रतिशत उत्तरदाता शाकाहारी, 170 या 56.66 प्रतिशत उत्तरदाता मांशाहारी, 70 या 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित वर्ग के है।

16.सारणी संख्या 4.16 के उपसारणी मे दी गयी वस्तुओं की उपलब्धता का विवरण आय के के आधार पर दिया गया है। व अध्ययन के दौरान पाया गया कि 210 उत्तरदाता के पास उक्त सारणी की मात्र 5 या कम वस्तुएं ही है। ऐसे उत्तरदाता 47 जिनके पास 10 वस्तुएं उपलब्ध है। 31प्रतिशत उत्तरदाता के पास 15 तक वस्तुएं है। तथा 13 उत्तरदाता ऐसे है जिनके पास सारणी मे उल्लेखित सभी वस्तुएं है।

17.सारणी 4.17 मे उत्तरदाताओं द्वारा संतुलित आहार लेने संबंधी विवरण दिया गया है। उत्तरदाता संतुलित आहार लेते है या नही । इस तथ्य को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आय को पूर्व की भांति 5000तक, 7000तक,10000तक मे रखा गया है। 139 अर्थात 46.33 उत्तरदाता संतुलित आहार लेते है 161 अर्थात 53.66 उत्तरदाता संतुलित आहार नही लेते है।

18. सारणी संख्या4.18 मे उत्तरदाताओं के पड़ोसियो संबंधी विवरण दिया गया है। संबंधो की प्रगति को चार वर्गो मे रखा गया है। बहुत अच्छे, सामान्य, खराब,और बहुत खराब , 23.66 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पडोसियों से संबंध बहुत अच्छे है। 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से संबंध सामान्य है। 8.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से संबंध खराब है। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से संबंध बहुत खराब है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखें तो पाते है कि छात्रों का कक्षा मे शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ने मे संयुक्त परिवार,बड़ा परिवार, धर्म मे कम विश्वास,जातिवाद, अभिवावकों का कम पढ़ा लिखा होना खासकर छात्रों की माता का, अभिवावकों का ग्रामों से संबंधित होना या निवास परिवर्तन, अभिवावकों का परिवारों का व्यवसाय व्यापार, मध्यमवर्गीय जीवन शैली ,परिवारिक कलह, (छात्रों की माता) की जल्दी शादी या विवाह 18 बर्ष से कम उम्र मे होना, माता-पिता का बच्चों पर दवाब, अभिवावक की खान पान की प्रकृति, कम आय का होना, पड़ोसियों से संबंध खराब होना आदि सामाजिक एवं पारिवारिक कारण प्रमुख हैं।

पंचम अध्याय बच्चों की मानसिक स्थिति से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । मनोविज्ञानिकों का कहना है कि बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को लेकर जन्म लेता है इसका समर्थन करते हुए पेस्टालॉजी ने लिखा है कि- शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।" कुछ शिक्षा शास्त्रियों व मनोविज्ञानिक संतुलित व्यक्तित्व के विकास तथा मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण, पुनर्निर्देशन तथा शोधन के कार्यो में

शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान मानते है। आज का छात्र कल का नागरिक होगा, उसे आगे चलकर अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करने का ज्ञान होना चाहिए।

आज कल शारिरिक रोगों की संख्या मे वेतहासा बृध्दि हो रही है । नित नये नये प्रकार के रोग नयी नयी आकृति प्रकृति के साथ इतनी अधिक मात्रा मे जन्म ले रहे है कि ,बड़े बड़े मूर्घन्य चिकित्सक एवं शोधकर्ता भी उनका पता लगाने मे अपने को अक्षम महसूस कर रहे है । समस्या केवल शारिरिक रोगों तक ही सीमित नही है बल्कि मानसिक रोग और भी भयावह है। खासतौर पर इन रोगों की उत्पत्ति मनुष्य का चिंतन विकृत हो जाने के फलस्वरूप होती है । चिंतन विकृत हो जाने से अनुकूलता भी प्रतिकूलता मे बदल जाती है और वह बुरी तरह घबराकर असंतुलित हो जाता है । इसी मानसिक असंतुलन को ही मानसिकरूग्णता या मनोविकार कहते है। प्रस्तुत अध्याय मे छात्रों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किया है।

1.सारणी संख्या 5.1 मे उत्तरदाताओं की धर्म में विश्वास एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं मे 24 अर्थात 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति से संबंधित है। इससे स्पस्ट है कि छात्रों मे सामान्य जाति का कम प्रतिशत है।

2.सारणी संख्या 5.2 मे उत्तरदाताओं की परिवार सदस्य मे बीमारी एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

52 प्रतिशत उत्तरदाताओं की माएँ 33.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पिता, 17.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के भाई तथा 13.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बहिन बीमार रहती है।

3.सारणी संख्या 5.3 मे उत्तरदाताओं के घर पारिवारिक रिश्तेदारों का आना एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों के घर पारिवारिक रिश्तेदारों के आने मे बीमार रिश्तेदार का आना अधिकांश है । सामान्य जाति के सभी वर्गो के मेहमान का आना जाना है।

4.सारणी संख्या 5.4 मे उत्तरदाताओं का दोस्तों के साथ खेलने संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया है। 112 अर्थात 37.33 प्रतिशत उत्तरदाता दोस्तों के साथ खेलने जाते है तथा 188 अर्थात 62.66 प्रतिशत उत्तरदाता दोस्तों के साथ खेलने नही जाते है

5.सारणी संख्या 5.5 मे उत्तरदाताओं की घर मे घरेलू काम कराने या मदद से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 66.33 प्रतिशत उत्तरदाता मे घरेलू काम कराने मे

आगे पाये गये तथा 33.66 प्रतिशत उत्तरदाता मे घरेलू काम कराने को टाल देते है तथा काम नही कराते है फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़े हुये है।

6.सारणी संख्या 5.6 मे उत्तरदाताओं के स्कूल मे उपस्थिति संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त सारणी को यदि हम देखे तो पाते है कि छात्रों मे 22.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे उपस्थित रहते है तथा 77.66 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे अनुपस्थित रहते है।

7.सारणी संख्या 5.7 मे उत्तरदाताओं स्कूल मे अनुपस्थित रहने के कारण से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। कुल 300 उत्तरदाताओ मे 125 अर्थात 42.33 प्रतिशत उत्तरदाता दण्डात्मक अनुशासन 99 अर्थात 33 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक कार्य का बोझ 33 अर्थात 11 प्रतिशत उत्तरदाता पाठ्यक्रम की जटिलता 02 अर्थात 0.66 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षण विधि की अवहेलना के कारण स्कूल मे अनुपस्थित रहते है।

8.सारणी संख्या 5.8 मे उत्तरदाताओ की पिक्चर या टी. वी. देखने संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

231 अर्थात 77 प्रतिशत उत्तरदाता पिक्चर या टी. वी. देखते है 69 अर्थात 33 प्रतिशत उत्तरदाता पिक्चर या टी. वी. नही देखते है।

9.सारणी संख्या 5.9 मे उत्तरदाताओं की भोजन एवं जाति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि 66.66 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन तीन बार करते है जो सामान्य जाति से है । 58.1 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन थोड़ा थोड़ा कई बार करते है जो पिछड़ी जाति से है । 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपना भोजन दो बार करते है जो अनुसूचित जाति से है ।

10.सारणी संख्या 5.10 मे उत्तरदाताओं की होम वर्क समय से करने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 121अर्थात 40.33 प्रतिशत उत्तरदाता होम वर्क समय से करते है तथा 179 अर्थात 59.66 प्रतिशत उत्तरदाता होम वर्क समय से नही करते है।

11.सारणी संख्या 5.11 मे उत्तरदाताओं की कक्षाएँ नियमित लगतीं है से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 116 अर्थात 38.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि

कक्षाएँ नियमित लगती और 184 अर्थात 61.33 प्रतिशत उत्तरदाता कक्षाएँ नियमित नही लगती है ।

12.सारणी संख्या 5.12 मे उत्तरदाताओं के पिता के व्यवसाय मे मदद संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 143 अर्थात 47.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि पिता के व्यवसाय मे मदद करते है 157 अर्थात 52.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि पिता के व्यवसाय मे मदद नही करते है ।

13.सारणी संख्या 5.13 मे उत्तरदाताओं छोटे भाई या बहिन को खिलाने से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 260 अर्थात 86.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि छोटे भाई या बहिन को खिलाते है 40 अर्थात 13.33प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब था कि छोटे भाई या बहिन को नही खिलाते है ।

14.सारणी संख्या 5.14 मे उत्तरदाताओं की बच्चों की जन्म स्थान से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 81 अर्थात 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों का जन्म घर मे 65 अर्थात 21.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों का जन्म सरकारी अस्पताल 174 अर्थात 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों का जन्म प्राइवेट नर्सिंग होम मे हुआ ।

15. सारणी संख्या 5.15 : मे उत्तरदाताओं की बच्चों को दिए गए दुग्ध पान से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों ने माता का दूध लिया,16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को भैंस का दूध दिया गया,43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को गाय का दूध दिया गया तथा 6.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को बकरी का दूध दिया गया ।

16. सारणी संख्या 5.16 : मे उत्तरदाताओं के बच्चों के बीमार होने पर चिकित्सा पध्दति संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर घरेलू इलाज से ठीक करते है,4.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर वैद्य से इलाज करवाते है ,61.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर डाक्टर से इलाज करवाते है तथा 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों को के बीमार होने पर झाड़फूँक करवाते है और 5 प्रतिशत

उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के बीमार होने पर उनका जबाब था कि वह स्वयं से ठीक हो जाएगा ।

17. सारणी संख्या 5.17 : मे उत्तरदाताओं के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाई थी तथा 6.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाना याद नही रहा ।

18 सारणी संख्या 5.18 : मे उत्तरदाताओं के बच्चों का टीकाकरण संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

93 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों का टीकाकरण समय से करवाया तथा 7.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों का टीकाकरण नही करवाया तथा याद नही रहा ।

19 सारणी संख्या 5.19 : मे उत्तरदाताओं के बच्चों के मनोरंजन का साधन संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

80 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के मनोरंजन का साधन टी वी ही है, 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के के मनोरंजन का साधन वीडियो गेम 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चों के मनोरंजन का साधन वीडियो गेम तथा टी वी दोनो है ।

20.सारणी संख्या 5.20 मे उत्तरदाताओं के बच्चों के स्कूल जाने का साधन से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

10.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चें स्वयं के साधन तथा 89.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं (अभिवावक) के बच्चें आटो या स्कूल बस से स्कूल जाते है।

21.सारणी संख्या 5.21 मे बच्चों के शारिरिक वनावट एवं स्वास्थ्य संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

24.66 प्रतिशत बच्चें देखने मे सामान्य और स्वास्थ्य पाये गये, 8.00 प्रतिशत बच्चें देखने मे तथा शारिरिक वनावट मे असामान्य पाये गये तथा 67.33 प्रतिशत बच्चें बीमार और अस्वास्थ्य पाये गये।

22.सारणी संख्या 5.22 मे बच्चों के जातिगत शारिरिक दोष एवं रोग संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6 प्रतिशत बच्चें शारिरिक रूप से दुर्बल 24.00 प्रतिशत बच्चें कम सुनते हैं 16 प्रतिशत बच्चें हकलाते या तुतलाते थे तथा 0.66 प्रतिशत बच्चें सर्दी से ग्रसित पाये गये।

23. सारणी संख्या 5.23 मे बच्चों के पढ़नें मे रूचि से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

36.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पढ़ने मे मन नही लगता, 42.66प्रतिशत उत्तरदाताओं को पढ़ने मे नींद आती है, 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जो भी पढ़ते है समझ नही आता तथा 0.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पढ़ने के लिए समय नही मिलता ।

24.सारणी संख्या 5.24 मे उत्तरदाताओ के बच्चों के हीन भावना, से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
30.6 प्रतिशत बच्चें 13-14 उम्र के, 20.66प्रतिशत बच्चें 12-13 उम्र के 24.33प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के बच्चें के तथा 6.00 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के और 28.33 प्रतिशत बच्चें 09-10 उम्र के हीन भावना से शिकार थे ।

25.सारणी संख्या 5.25 मे बच्चों के कुण्ठा की भावना से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
30.6 प्रतिशत बच्चें 12-13 उम्र के, 20.66प्रतिशत बच्चें13-14 उम्र के 24.33प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के बच्चें के तथा 6.00 प्रतिशत बच्चें9-10 उम्र के और 28.33 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के कुण्ठा की भावना से शिकार थे ।

26. सारणी संख्या 5.26 मे बच्चों के दबाव तथा तनाव से शिकार होने संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
27.66 प्रतिशत बच्चें 13-14 उम्र के, 20.66 प्रतिशत बच्चें 12-13 उम्र के 25.66 प्रतिशत बच्चें 11-12 उम्र के बच्चें के तथा 16.66 प्रतिशत बच्चें 10-11 उम्र के और 7.66 प्रतिशत बच्चें 09-10 उम्र के दबाव तथा तनाव के शिकार थे ।

27. सारणी संख्या 5.27 मे उत्तरदाताओं का एक ही जगह बैठने की क्षमता की कमी शिकार संबंधी विवरण उनकी आयु एवं जाति से संबंधित प्रस्तुत किया गया है। जाति को सामान्य पिछ्डी और अनुसूचित जाति तीन वर्गो मे रखा गया है। तथा आयु को 5 वर्गो मे क्रमशः 13-14, 12-13,11-12,10-11, 09-10 मे रखा गया है। बच्चें चंचल स्वभाव के होते है एक ही जगह बैठने की अक्षमता ही उनकी पढ़ाई मे बाधक होती है
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 30.6 प्रतिशत उत्तरदाता 13-14, आयु वर्ग के है जिनमें

सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है तथा 2.73 प्रतिशत उत्तरदाता 12- 13, आयु वर्ग के है जिनमे न्यूनतम उत्तरदाता सामान्य जाति के है । यह प्रवृत्ति बच्चों मे जन्मजात पायी जाती है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखें तो निम्न मनोविज्ञानिक कारण जैसे होम वर्क समय से नही करना, स्कूल मे अनुपस्थित रहना, घर मे घरेलू काम कराना, दोस्तों के साथ खेलने नही जाना, बीमार रिश्तेदार का अधिकांश घर आना, परिवारिक सदस्य का बीमार रहना, कक्षाएँ नियमित नही लगना, पिता के व्यवसाय मे मदद करना, छोटे भाई या बहिन को खिलाना, छात्रों का बच्चों का जन्म उचित जगह न होना, बच्चों को माँ का दुग्ध पान न कराना ,बच्चों के बीमार होने पर सही इलाज न कराना, बच्चों का टीकाकरण न होना, पढ़नें मे रूचि न होना, जातिगत शारिरिक दोष एवं रोग का होना, बच्चों का आटो या स्कूल बस से स्कूल जाना, कुण्ठा की भावना, बच्चों का दबाव तथा तनाव से शिकार होना, एक ही जगह बैठने की क्षमता की कमी का होना छात्रों का कक्षा मे शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ने मे प्रमुख है।

षष्ठम अध्याय मे छात्रों के सामाजिक मनोविज्ञान एवं अन्य समस्याओं का वर्णन किया है । सामान्य मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के प्रत्येक व्यावहारिक पहलू का सामान्य अध्ययन करते है। परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत हम व्यक्ति के प्रत्येक के पहलू का अध्ययन सामाजिक संबध को देखकर करते है। अर्थात सामाजिक परिस्थितियों का व्यक्ति पर और व्यक्ति के व्यवहार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास किया जाता है।

1.सारणी संख्या 6.1 मे उत्तरदाताओं की इच्छा संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 189 अर्थात 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं की इच्छा थी कि पिता जैसा बनना है तथा 111 अर्थात 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं की इच्छा थी कि पिता जैसा नही बनना ।

2.सारणी संख्या 6.2 मे उत्तरदाताओं के स्वाभाव संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 21 अर्थात 7 प्रतिशत उत्तरदाता सीधा-सादे स्वाभाव के, 31 अर्थात 10.33 प्रतिशत लड़ाकू स्वाभावके, 23अर्थात7.66 प्रतिशत हँसमुख स्वाभाव के, 30 अर्थात 10 प्रतिशत गम्भीर स्वाभाव के, 39 अर्थात13 प्रतिशत कोधी स्वाभावके, 58अर्थात19.33 प्रतिशत तुनक मिजाज स्वाभाव के तथा 98अर्थात32.66 प्रतिशत जिद्दी स्वाभाव के है

3.सारणी संख्या 6.3 मे उत्तरदाताओं के मित्रों से संबंध संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 140 अर्थात 46.66 प्रतिशत उत्तरदाता मिलजुलकर रहना तथा 160 अर्थात 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता बात बात मे लड़ते रहते है।

4.सारणी संख्या 6.4 मे उत्तरदाताओं के घर से स्कूल के रास्ते का वातावरण संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 141 अर्थात 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं के रास्ते धूल धक्कड़ मय तथा 159 अर्थात 53 प्रतिशत उत्तरदाता प्रदूषित रास्ते से होकर स्कूल जाते है।

5.सारणी संख्या 6.5 मे उत्तरदाताओं में भय या डर की भावना संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 75 अर्थात 25 प्रतिशत बाबा से 79 अर्थात 26.33 प्रतिशत पीपल के पेड़ से 71 अर्थात 23.66 प्रतिशत सुनसान मंदिर से 75 अर्थात 25 प्रतिशत खाली घर से डरते है।

6.संख्या 6.6 मे उत्तरदाताओं के मित्रता संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 25 अर्थात 8.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता अपने से कम उम्र के तथा 179 अर्थात 59.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता अपने से ज्यादा उम्र के 100 अर्थात 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मित्रता हम उम्र के मित्र से मित्रता है।

7.सारणी संख्या 6.7 मे उत्तरदाताओं के स्वप्न देखने संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 188 अर्थात 62.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वप्न आते है तथा 112 अर्थात 37.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वप्न नही आते है ।

8.सारणी संख्या 6.8 मे उत्तरदाताओं मे हीन भावना से संबंधित विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 196 अर्थात 65.33 प्रतिशत उत्तरदाता घर या परिवार मे हीन भावना से तथा 98 अर्थात 32.22 प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल मे हीन भावना से 6अर्थात2 प्रतिशत अन्य कारणों से हीन भावना से ग्रसित हैं।

9.सारणी संख्या 6.9 मे उत्तरदाताओं के संकल्प करने संबंधी विवरण दिया गया है। 300 उत्तरदाताओं में 125 अर्थात 41.66 प्रतिशत उत्तरदाता संकल्प करते है तथा 175 अर्थात 58.33 प्रतिशत उत्तरदाता संकल्प नही करते है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखें तो निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है इच्छा शक्ति का कम होना, जिद्दी एवं झगड़ालू स्वाभाव, प्रदूषित रास्ते, डर की भावना, ज्यादा उम्र के मित्र , हीन भावना,स्वप्न की दुनिया मे रहना तथा संकल्पित न रहना आदि

छात्रों का कक्षा मे शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ने मे सामाजिक मनोविज्ञान एवं अन्य समस्याओं के अंतर्गत प्रमुख कारण है।

सप्तम अध्याय मे छात्रों की शैक्षिक अभिरूचि एव शिक्षकों के कक्षागत व्यवहारों पर आधरित है।

1.सारणी सं. 7.1 मे शिक्षण को प्रभावी बनाने के संदर्भ मे आयुगत विचार जाने गये है आयु को 20-25,26-30,31-35, 35-40के वर्गो मे रखा गया है। 34.10 प्रति.उत्तरदाता 20-25 आयुवर्ग के 27.27 प्रति. उत्तरदाता 26-30 आयुवर्ग के 18.18 प्रति. उत्तरदाता31-35 आयुवर्ग के 20.45 प्रति. उत्तरदाता 35-40 आयुवर्ग के है । शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कमशः ज्ञान पर 64.1प्रति.उत्तरदाता निर्भर रहते है। 4.09 प्रति.उत्तरदाता पुनः निवेशन पर 20.45 प्रति.प्रबंध पर तथा 11.36 प्रति.शिक्षण साधनों पर निर्भर रहते है।

2.सारणी संख्या 7.2 मे विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर प्रतिक्रिया को उत्तरदाताओं की आयु के आधार पर जाना गया है। 20-25,26-30,31-35, 35-40 के वर्गो मे रखा गया है। 34.10 प्रति.उत्तरदाता 20-25 आयुवर्ग के 27.27 प्रति. उत्तरदाता 26-30 आयुवर्ग के 18.18 प्रति. उत्तरदाता31-35 आयुवर्ग के 20.45 प्रति. उत्तरदाता 35-40 आयुवर्ग के है । शिक्षकों की प्रतिकिया को डाटेगें, स्पष्टीकरण देगें, दूसरे से पूछेंगे, दूसरा प्रश्न करेगे के अंतर्गत जानने की कोशिश की गई है।

3. सारणी संख्या 7.3 मे इन्ही चरणों को उत्तरदाताओं के अनुभव के रूप मे प्रदर्शित किया गया है। अनुभव को कमशः 34.10 प्रति.,27.27 प्रति.,18.18 प्रति. तथा 20.45 प्रति.उत्तरदाताओं मे विभाजित किया गया है। तथा प्रथम चरण को योजना बनाना, पाठ्य सामाग्री संगठित करना, छात्रो की बैक ग्राउंड जानना, कोई नही के अंर्तगत समावेशित किया गया है। 8.63 प्रति.शिक्षक पहले पाठ्य सामाग्री संगठित करते है तथा 20.9 प्रति. छात्रों की बैक ग्राउंड जानने का प्रयास करते है जबकि 3.63 प्रति.बिना पूर्व तैयारी के ही शिक्षण कार्य आरंभ करते है।

4. सारणी संख्या 7.4 मे इसी से संबंधित विवरण प्रस्तुत है। अनुशासन मे सहायक कारको को आकर्षक व्यक्तित्व अच्छा आचरण प्रभावी शिक्षण सदा जीवन वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। 41.88 उत्तरदाता आकर्षक व्यक्तित्व को अनुशासन बनाये रखने मे सहायक मानते है। 30.45 प्रति.अच्छे आचरण एवं मोहक मुद्राओ को 17.27 प्रति.प्रभावी

शिक्षण 10.45 प्रति. सादा जीवन को अनुशासन सहायक मानते है। शिक्षक के ये विचार उनकी शिक्षा के स्तर के आधार पर जाने गये है। शिक्षा को स्नातक जिसके अंतर्गत 34.10 प्रति.उत्तरदाता आते है। स्नातकोत्तर 27.27प्रति. 18.18 प्राति. बी.एड. तथा 20.45 प्रति.बी टी सी डीग्रीधारी है।

5. सारणी संख्या 7.5 इसी से संबंधित है। उत्तरदाताओं की शिक्षा के आधार पर उनकी नयी कक्षा प्रारंभ करने के संबंध मे विचार जाने गये है। उत्तरदाताओं की शिक्षा को स्नातक स्नातकोत्तर बी.एड. एवं बी टी.सी. की श्रेणी मे रखा गया है। जिनके अंतर्गत क्रमश 34.10,प्रति.27.27,18.18,20.45 प्रति.उत्तरदाता आते है। 59.09 प्रति.उत्तरदाता का मानना है कि नयी कक्षा के प्रारंभ मे सर्वप्रथम अनुशासन लागू करना चाहिए 31.81 प्रति. उत्तरदाता का मानना है कि सर्वप्रथम विद्यार्थीयो से संपर्क बढ़ाना चाहिए जबकि11.36 प्रति. उत्तरदाता का मानना है कि शिक्षक को अपनी योग्यता का वर्णन करना चाहिए।

6. सारणी संख्या 7.6 इसी से संबंधित है। उत्तरदाताओ के इस संदर्भ मे विचार उनकी शिक्षा के आधार पर जाने गये है। उत्तरदाताओ की शिक्षा को पूर्व की भांति वर्गीकृत किया है। जबकि परीक्षा विधि को प्रश्नो के प्रकार के आधार पर व्याख्यात्मक प्रश्न विधि वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि मौखिक प्रश्न विधि वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनो श्रेणी मे रखा गया है। 9.09 उत्तरदाताओ ने व्याख्यात्मक विधि को उत्तम विधि मानी गयी है। 65.9 उत्तरदाताओ ने वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि 10.45 उत्तरदाताओ ने मौखिक प्रश्न विधि 14.09 उत्तरदाताओ ने वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनो को सर्वोत्तम माना है।

7.सारणी संख्या 7.7 मे छात्रों के कक्षा मे अनुपस्थित होने की स्थिति मे प्रतिक्रिया जानी गई है।

60.9 प्रतिशत उत्तरदाताओ को ही दोषी ठहराते है। 1.36 प्रतिशत उत्तरदाता है जो इस स्थिति मे चुप रहते है। 19.09 प्रतिशत उत्तरदाता है रूचिकर विधियों का प्रयोग करते है। जबकि सर्वाधिक 10.45 प्रतिशत उत्तरदाता अनुपस्थित रहने के कारणों को जानकर उन्हे दूर करने का प्रयास करते है।

8. सारणी 7.8 ने अध्यापक के व्यवसायिक गुणो के संबंध मे उत्तरदाताओं के विचार दिये गये है। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षकों मे विषय मे दक्षता होनी चाहिए।1.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षण पद्धति मे नयापन होनी चाहिए। 31.8 प्रतिशत का मानना है कि व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी होनी

चाहिए। 45.45 प्रतिशत का मानना है कि माध्यमिक शिक्षकों मे उपरोक्त सभी गुण होनी चाहिए।

9.सारणी 7.9 मे सूचना क्रांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव संबंधी जानकारी प्रस्तुत है जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि सूचना क्रांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव पडा है। इसके उत्तर मे 80.90 प्रतिशत ने माना कि प्रभाव पडा है।

10.प्रस्तुत सारणी 7.10 मे शिक्षण के उददेश्यों की प्राप्ती एवं शिक्षण को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मे तकनीकी का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग हो रहा है। शिक्षण तकनीकी मे वी.डी.ओ/सी.डी रेडियो इंटरनेट आदि का प्रयोग होता है इसमे संदेह नही कि शिक्षण तकनीकी से शिक्षा के क्षेत्र मे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आयु को20-25,26-30,31-35, 35-40 चार वर्गो क्रमशः किया गया है जिसके अंतर्गत क्रमशः 37.27 प्रतिशत, 28.18 प्रतिशत, 26.81 प्रतिशत, 7.7 प्रतिशत उत्तरदाता आते है।

11.प्रस्तुत सारणी 7.11 मे उत्तरदाताओं से एजूकेशनल टी.वी. से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन संबंधि विचार जाने गए है। 78.18ः उत्तरदाताओं का मानना है कि गुणात्मक परिवर्तन हुए है जबकि 21.81 उत्तरदाताओं का मानना है कि गुणात्मक परिवर्तन नही हुए है। टी.वी. संचार का प्रत्यक्ष साधन है। यह संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। घटनाओ का उनके प्रति वास्तविक रूप मे प्रदर्शन टी.वी. के द्वारा संभव हो पाता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखकर सरकार शिक्षा क्षेत्रो मे टी.वी. या वी.डी.यो के माध्यम से शिक्षा देने के विचार को कार्य रूप देते हुए

12. सारणी संख्या 7.12 मे CHEER अर्थात चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रु रेडियो, रेडियो के माध्यम से चलाया जाने वाला शिक्षा कार्यक्रम है। दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से शिक्षा कार्यक्रमों से पहले रेडियो के माध्यम से शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जा रहे है ।

CHEER एक ऐसा ही कार्यक्रम है प्रस्तुत सारणी मे CHEER के प्रभाव को उत्तरदाताओं द्वारा जाना गया है 65.9 प्रतिशत उत्तरदाता इसे थोडा प्रभावी मानते है, 19.09 प्रतिशत बहुत ज्यादा तथा 15 प्रतिशत बिल्कुल प्रभावी नही मानते ।

13. सारणी संख्या 7.13 3.63 प्रतिशत श्रव्य साधनों को 12.72 प्रतिशत दृश्य साधनो को शेष 32.72 प्रतिशत सभी साधनों को प्रभावशाली माना है।

14.. सारणी संख्या 7.14 तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि पिछड़े हुए छात्रों की संख्या आलोचनात्मक प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे प्रसंसा करने की प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों की तुलना मे बहुत ज्यादा है अतएव प्रसंसा करने की प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे उन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि कक्षा मे पढ़ने मे आगे है ।

15.सारणी संख्या 7.15 तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि पिछड़े हुए छात्रों की संख्या उच्च प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे निम्न प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों की तुलना मे बहुत ज्यादा है अतएव निम्न प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति वाले शिक्षकों के द्वारा पढ़ाये गये विषयों मे उन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि कक्षा मे पढ़ने मे आगे है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखें तो निम्न बातें महत्वपूर्ण है जो छात्रों का कक्षा मे शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ने मे विद्यालय का वातावरण एवं शिक्षक के कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत आते हैउनमे प्रमुख शिक्षक का बच्चों को बिना तैयारी के कक्षा मे पढ़ाना,विद्यार्थी द्वारा कक्षा मे प्रश्न पूछे जाने पर सही जबाब की जगह डॉटना, शिक्षक का कम अनुभवी होना, प्रशिक्षित न होना, बिषय मे दक्ष न होना, आलोचनात्मक प्रवृत्ति तथा उच्च प्रतिबल -व्यवहार प्रवृत्ति का होना है।

शैक्षणिक उपादेयता एवं सुझावः

बाल्यावस्था ऐसी उम्र होती है जब मन मे विचारों मे इतनी परिपक्यता नही होती कि वे परिस्थितियों मे सामन्जस्य बिठा सकें कई बार पारिवारिक कलह से, नकारात्मक जबाब मिलने पर बच्चों की इस मानसिक स्थिति का कारण आजकल के एकल परिवार और माता-पिता का कामकाजी होना है आजकल बच्चें अपनी समस्याओं के समाधान घरवालों से नही पा सकते और अन्दर ही अन्दर घुट्ते रह्ते है ऐसी दशा मे अगर उन्हे अच्छी संगत मिल जाती है तो वे सही दिशा मे चल पड़ते है वरन कुसंगति मे पड़कर शिक्षा मे पिछड़ जाते है

इस का प्रमुख कारण आज की परिस्थितियां है जहां बच्चों को बचपन से हार जीत , सहनशीलता और धैर्य जैसी भावनाओ से अलग रखा जाता है क्योकि एकल परिवार मे एक या दो बच्चे ही होते है और उनके जन्म से ही माता-पिता उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने मे दिन -रात जुटे रह्ते है, तो उन्हे किसी चीज के अभाव का एहसास

ही नही हो पाता, बस उन्की इच्छाओं के पर दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से फैलते ही जाते है

आज बच्चों को बचपन से ही खेल से दूर रहना पड़ता है, जिससे वे हार जीत का स्वाद भी नही चख पाते बस छोटी सी उम्र से ही उन्हे दिमागी कयावद मे जुटे रहना पड़ता है यही कारण है कि शिक्षा मे वे पिछड़ते चले जाते है

इन को इस परिस्थिति से उबारने के लिये कुछ कारगर उपाय सोचने होगें ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर अमल करना जरुरी है

1. बच्चों को भावात्मक रूप धैर्यवान और सहनसील बनाने के लिए उनमें भावनाओं को विकसित करने के लिए माता-पिता को अपने आप मे पहले इन भावनाओं को आत्मसात करना होगा तभी बच्चें इनकी इन आदतों को ग्रहण करेगें ये नही कि बच्चों के परिणाम देखते ही उन पर भड़क उठें और डाट फटकारों की झड़ी लगा दें।

2. समय समय पर बच्चों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम बनायें तथा उनकी पसंद नापसंद को प्रधानता दें.।

3. बच्चों की हर जिद पूरी न करके, उनकी इच्छाओं को उनके कार्यो के पुरूष्कार के रूप मे पूरा करें ताकि उनमे मेहनत और प्रसंसा पाने के गुण विकसित हो सके.।

4. बच्चों को किसी भी क्षेत्र मे असफल होने पर उन्हे फटकारने की बजाय भावात्मक सम्बल देकर आगे और अधिक मेहनत कर सफलता हासिल करने को प्रोत्साहित करें क्योकि मन के हारे हार है मन के जीते जीत।.

बलक का कक्षा कार्य मे पिछड़ा होने का अर्थ है जीवन के विकास मे पिछड़ा होना अतः इसका निवारण वैयक्तिक दोषों का वैयक्तिक बिषय के पिछड़ेपन का निवारण एवं शिक्षण विधियों में सुधार आदि से ही संभव हो सकता है।अतः इनका निम्न लिखित रूपमे निबारण किया जाएगा-

<u>व्यक्तिगत दोषों का निवारण</u>

जब तक बालकों के व्यक्तिगत दोष मानसिक तथा शारिरिक दूर नही किये जायेगे वह सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नही कर सकते है।अतः इनका निवारण निम्न लिखित रूप मे होना चाहिए-

1. शारिरिक रोगों का उपचार– बालकों के अंदर शारिरिक बीमारियाँ, संवेगों का सही न होना,और ज्ञानेद्रियों का सही प्रयोग न कर पाना आदि भी शिक्षा मे बाधक सिध्द हुए है। बालकों का उचचारण सही हो, उनका उठना बैठना और चलना सही हो और अंग विहीन छात्रों को बराबर उत्साहित करते रहना आदि रूप से छात्रों को शारिरिक बीमारियों और असमान्यताओं का उपचार किया जा सकता है ।इस प्रकार से उनमे स्वाभिमान जागृत होता है और वे स्वतः ही विकास के पथ पर अग्रसर हो जाते है।

2- मनसिक स्तर मे सुधार– पिछड़ेपन का मुख्य कारण मंद बुध्दि का होना भी है जो बालक 80 बुध्दि लब्धि से कम वाले होते है उनका शैक्षिक विकास समान्य बालकों कें समान नही हो पाता है । अतः उनके मस्तिष्क का डाक्टर के द्वारा परीक्षण किया जाये ताकि किसी भी प्रकार से वनावट मे असमान्यता या दुर्घटना के कारण किसी हिस्से का सही कार्य न करने की जानकारी प्राप्त हो सके । इसके बाद उनकी बुध्दि लब्धि को चैक करना चाहिए इसके साथ ही उनके ग्राहकों (receptors) का परीक्षण करके कार्य करने योग्य बनाया जाये । इस प्रकार बालक कक्षा मे पिछड़ेपन से छुटकारा पा सकता है ।

3- वतावरण मे सुधार – बालकों पर उनके विभिन्न वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये वतावरण पारिवारिक, पड़ोसी, विद्यालय ,खेल का मैदान एवं मित्र मंडली आदि से संबंधित होता है। मे ऐसी योग्यता विकसित की जाए जिससे वे प्रत्येक वतावरण से अपने विकास के लिये आवश्यक तत्वों को चुन लें और अन्य के प्रभाव को न ग्रहण करें। वतावरण को रूचिपूर्ण, साधन संपन्न और बालक विकास के लिये उपयुक्त वनाने के उपाय किये जाये। इस प्रकार से बालक अपने शैक्षिक जीवन मे सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगें ।

4. उद्देश्य की स्पष्टता – बालकों कों समय समय पर जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि वे सामाजिक कार्यो को सीखने मे अरूचि उत्पन्न न कर सके उद्देश्य की सार्थकता बालक के भविष्य निर्माण का आधार बन जाती है, जैसे– बालक को शारिरिक स्वस्थ्यता के लिये विभिन्न टानिक दिये जाते है, इसी प्रकार सही विकास के लिये उनको बार बार उद्देश्य का आभास भी कराते रहना चाहिए । इस प्रकार से बालक शिक्षा मे अधिक रूचि उत्पन्न करते है और सामान्य विकास मे सफल होते है।

बिषयों मे पिछड़ेपन का निवारणः

जब छात्र अपना ध्यान बिषयों की विविधता एवं स्वरूप के कारण नही लगा पाते है तो वे अपने विभिन्न बिषयों मे सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते है । इस पिछड़ने के कारणों का निवारण निम्न है

1. ज्ञानेद्रियों का विकास- छात्रों की बिषय ग्रहम शक्ति उनकी ज्ञानेद्रियों के सही कार्य करने पर निर्भर करती है । बालकों की ज्ञानेद्रियाँ जब अपनी पुरी क्षमता के साथ संवेदनाओं को ग्रहण करने मे सफल होती है तभी उनका सही विकास माना जाता है । अतः बिषय का ज्ञान देते समय अध्यापक को छात्रों की ऑख ,कान एवं त्वचीय ज्ञानेद्रियों की कार्य कुशलता की जानकारी होना चाहिए । जो छात्र ऊँचा सुनते है या कम देखते है उनको कक्षा मे उपयुक्त स्थान पर विठाना चाहिए ताकि वे सही सुन सके और श्यामपट पर लिखे कार्य को देखकर समझ सकें ।

2- उपयुक्त विधियों का प्रयोग - कक्षा का शिक्षण उपयुक्त विधियों के प्रयोग पर निर्भर करता है। विधियों का प्रयोग बिषय को सरल वनाने एवं छात्र को परिपक्वता के अनुसार ग्रहण करने एवं समझने के योग्य बनाना है । उपयुक्त विधियों का सबसे अधिक लाभ सामान्य से कम स्तर के छात्रों को बिषय समझने मे होता है ।इसके साथ ही साथ बिषय की कठिनता एवं वातावरण की गंभीरता जो बिषय के प्रति अरूचि उत्पन्न करती है , इसको रूचिमय बनाने मे सफलता प्रदान करती है। अतः बालक स्वयं का विकास सही विधि से कर लेते है।

3- रूचि एवं प्रेरणा को जागृत करना -छात्रों मे बिषय के प्रति रूचि उत्पन करना और उन्हे बिषय ग्रहणता की प्रेरणा देना तभी संभव हो पाता है जबकि उपयुक्त अध्यापक उनको शिक्षा दे रहा हों । जिससे छात्रों का विकास और निष्ठा हो । बिषय को विधि पूर्वक पढ़ाया जाय उसमे सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाये, प्रश्न-उत्तर विधि का उपयोग किया जाये और बिषय के साथ इस प्रकार की क्रिया की जाये ताकि छात्र उसको वोझ न समझें ,बल्कि जीवन के लिये आवश्यक समझें। छात्र की बार बार की असफलताओं को अनदेखा करके सीखने की आकांक्षा को बार बार जगाया जाय ताकि वे स्वयं इसको ग्रहण करलें और सीखने मे तत्परता दिखलाने लगें ।

4- व्यक्तिगत ध्यान – व्यक्तिगत ध्यान से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की विशेषताओं का अवलोकन करना है। किसी भी बिषय मे पिछड़ा बालक बिषय की कठिनता, अच्छे अध्यापक का अभाव, अचेतन की इच्छा और विषय की व्यवहारकिता का न होना हो सकता है । अतः अध्यापक छात्र की सभी गतिविधियों पर ध्यान देगा और किस कारण से उसका पिछडापन दूर हो सकता है पता लगाकर दूर करने की कोशिश करेगा । अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान के अंतर्गत मानसिक, शारिरिक, संवेगात्मक एवं आर्थिक आदि सभी पहलू देखने पड़ते है।इस प्रकार से बालक विशिष्ट का विषय मे पिछड़ापन दूर हो सकता है।

5. अध्यापक का व्यवहार –विगी ने लिखा है "एक अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छी तरह से प्रेरित कर सकता है वह युध्द (शिक्षा संबंधी) को आधे से अधिक पहले ही जीत लेता है।" इस प्रकार से हम देखते है कि अध्यापक का व्यवहार छात्र जीवन के निर्माण के लिये एक माली के रूपमे कार्य करता है। जिसप्रकार से एक माली पेड़ को काट छाँट कर उचित खाद पानी देकर उचित विकास करता है उसी प्रकार से अध्यापक बालक के दोषों को दूर कर उचित शिक्षा देकर सभ्य नागरिक बनाता है । अतः अध्यापक की क्षमता उसका व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता आदि मिलकर छात्र के निर्माण मे सहयोग देते है।

6–यदि आप

- बच्चों को बारबार दोषी ठहरायेगें तो उनके लिये नापसन्द बनेगें.
- बच्चों के साथ दुश्मनी भरा व्यवहार करेगें तो झगड़ालु मिजाज के बनेगे.
- बच्चों को हमेशा डराते रहेगें तो वे डरपोक बनेगें
- बच्चों का उपहास करगे तो नीरस बनगें .
- बच्चों को प्रोत्साहित करेगे तो उनका आत्मविश्वास बड़ेगा.
- बच्चों के गुणो की प्रशसा करेगे तो वे भी प्रशसा करना सीखेगे.
- बच्चों मे आत्मविश्वास बढाने से खुद पर तथा बाहरी दुनिया पर उनका विश्वास बढ़ेगा .

संदर्भ-सूची

- अग्रवाल एस 1982,"रुचि, समायोजन और सामाजिक आर्थिक स्तर पर छात्राओं की उपलब्धि का अध्ययन", 1982.
- अग्रवाल कुसुमलता एवं पाण्डेय शशिलता 1997 छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पालकों के उत्साहवर्धन के प्रभाव का अध्ययन, 1997.
- अल्टेकर एस एस, प्राचीन भारत मे शिक्षा, नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, बाराणसी।
- आलइण्डिया एजूकेशनल सर्वे –एन. सी. ई. आर. टी.
- अग्निहोत्री रविंद्र : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें
- अब्राहम एम.तथा एसुधर्म : टीचर्स परसैप्शन आफ एफीसियेसी आफ सरटेन मेजर्स एडोप्टेड फार प्रिवेन्टिंग वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेसन टीचर्स परसेप्सन आफ द एफीसियेंसी आफ सरटेन एडाप्टेड फोर प्रिवेन्टिग वंस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इण्डियन जनरल आफ साइकोमीटरी एण्ड एजूकेशन–19.41.46 आई.पी.ए.वोल्यूम 27 नं.1 126/246मार्च 1989
- एलेक्जेण्डर डब्लू.एम.तथा हेल्वर्सन पी.एम. : शिक्षक सुधार–परेण्ड्स एण्ड चिल्ड्रेन 87(2) आई.पी.ए. वोल्यूम 27 नं.2 251/484 जून 1989
- आर्य एल.पी. : प्रारंभिक सामाजिक अनुसंधान.
- बरूआ यू. 1981"स्मरण क्षमता का शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव" पी. एच. डी. शिक्षा,कलकत्ता वि.वि., 1981.
- बुच, एम. बी. एण्ड संस्थानम एम आर 1970 "टुवार्डस स्ट्रेटेजीज आफ ठफेक्टिव टीचर विहेवियर" हरियाना जर्नल आफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भाग 63 पेज नं 271–286.
- बुच, एम. बी.1979"सेकन्ड सर्वे आफ टीचर इन एजुकेशन" सोसाइटी आफ एजुकेशनल टीचर्स एण्ड डेवलपमेन्ट, वड़ोदा इण्डिया, 1979.
- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार .
- भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949.
- बघेल श्रीमति किरण : विकास का समाजशास्त्र.

- बोहरा एस.पी. : टी.वी.कुन्हीरमन वेल्यूज कोरिलेटेस विद ऐफेक्टिव टीचर्स एसियन जनरल आफ साइकालोजी एण्ड ऐजूकेशन 13/(1) 7-10 आई पी.ए.वोल्यूम 24 नं. 2ण 329/127 जून 1986.
- भसीन एम.पी. : एक नवीन लक्ष्य शिक्षण बनाम सीखना एजूकेशन रिब्यू 10-सी 1/10 167-171 आई.पी.ए. वोल्यूम नं.24 1 123/228 मार्च 1986.
- बघेल. डी. एस. : समाजशास्त्र के सिद्धांत .
- बघेल. डी. एस. : नगरीय समाज.
- बोगार्डस ई एस, सांशियोलॉजी पेज न.548-549.
- चौबे सूर्य प्रसाद : शिक्षा के सामाजशास्त्रीय आधार.
- चौधरी एस. 1982 " ए स्टडी ऑफ दी रिलशेनशिप विटबीन दी क्रियटिव थिंकिंग एबिलिटीस ऑफ स्टूडेन्टस, टीचर्स एण्ड क्लाशरूम बर्बल विहेवियर" पी. एच. डी. थीसिस, मनोविज्ञान, दिल्ली वि.वि., 1977.
- चकवर्ती पी.के.रामनाथ कुन्दू तथा जसवंत राय : कक्षा के शिक्षक व्यवाहार की स्थिरता : एक अप्रत्यक्ष प्रयास इण्डियन एजूकेशनल रिब्यू 22/(3) 154/162 आई.पी.ए. वोल्यूम 27 नं. 3 399/744 सितंबर 1989.
- देसाई वी.एच.ए.सी.ब्रह्म भट्ट तथा वी.ए. पाठक : उच्च शिक्षा मे अध्ययन की भूमिका यूनिवर्सिटी न्यूज 25/(16) 6-8 आई.सी.ए.वाल्यूम 26नं.1 121/243 मार्च 1988.
- हरेडिया आर : विद्यालय शिक्षण में कुछ गतिरोध न्यू फ्रंटियर इन एजूकेशन 16/(3) 30-33 आई.पी.ए.वाल्यूम 25 नं. 4 565/991 दिसंबर 1987.
- डेविस टी एल, स्कूल ऑरगेनाइजेशन एजूकेशन कमीशन 1968 गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया, 1968.
- डिसूजा वी एस स्पासिअल पैटर्नस ऑफ एजूकेशनल डेसपेरिटीस इन टाउनस, ए केस स्टडी ऑफ ए डिसटिक ऑफ पंजाब एक्शन,1977.
- दुबे एस ई मॉडनाइजेशन एण्ड एजूकेशन, एस्से आन मॉडनाइजेशन ऑफ अनडर डेवलव्ड सोसाइटीज, वालूम 2 ठाकेर बाम्बे 1971.
- देसाई एच. जी. 1974 के व्यक्ति की बुध्दि पर उसके लिंग एवं जन्म कम का क्याा प्रभाव, 1974.

- देसाई, एच. वी. 1977 "शिक्षक व्यवहार के परिवर्तन तथा छात्रों पर उसके प्रभाव का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, मैसूर वि.वि., 1977.
- दुबे बी.बी.1979" रिलशेनशिप विटबीन दी प्युपिल केरेकटिरिस्टिक्स एण्ड क्लाशरुम विहेवियर ऑफ टीचर्स" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, गोरखपुर वि.वि., 1979.
- दीक्षित मिथिलेश कुमारी 1984 'किशोर -किशोरियों की बुध्दि लब्धि और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन'1984.
- दीक्षित मिथिलेश कुमारी 1985 " कक्षा 9 तथा 11 के बालक एवं बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन" पी. एच. डी.शिक्षा, कानपुर वि.वि., 1985.
- दास यू सी 1978,"प्राथमिक शिक्षा स्तर के बच्चों मे संज्ञानात्मक अधिगम पर बुध्दि के अतिरिक्त कुछ अन्य चरों के प्रभाव का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, मनोविज्ञान, उतकल वि.वि., 1978.
- दैनिक भस्कर झाँसी, 11 जुलाई 2006.
- इग्लेस्टोन, दी सोसल कनटेक्सट ऑफ दी स्कूल , फस्ट फाइव यीअर प्लान, गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया,1952.
- इजेविल एन, .एजूकेशन एण्ड मॉडनाइजेशन,रोल सेकन्ड्री स्कूल टीचर ,1978.
- फलैण्डर एन ए 1960 "कक्षा व्यवहार एवं मूल्यांकन" जर्नल आफ एक्सपेरिमेन्टल एजुकेशन, भाग 37, पेज -126-133.
- फलैण्डर एन ए;1964 द्धए "सम रिलेशनशिप एमंग टीचर एनफलुएन्स, प्युपिल एटिटुट एण्ड अचीवमेन्ट" न्यूयार्क,1964.
- गोखले पी ए 1977 'बैकिंग उद्योग मे प्रोबेशनरी आफिसर के चयन में मानसिक परीक्षण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" पी. एच. डी . थीसिस समाजशास्त्र, विकम वि.वि., 1977.
- ग्रोवर एस 1979 "बच्चों के व्यक्तित्व एवं विद्यालय के उपलब्धियों के संबंध मे माता पिता की प्रेरणाएँ" पी. एच. डी. थीसिस, मनोविज्ञान, पंजाब वि.वि., 1979.
- गोयल.डी.डी., :भारतीय समाज एवं संस्कृति.

- गोयल एस, बिहेबियर फलो पैटर्नस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एण्ड इनट्रोवर्ट टीचर्स इन क्लास रूम एट सेकन्ड्री लेवल, पी. एच. डी. थीसिस, एजुकेशन, मेरठ वि.वि., 1978.
- गुप्ता उमेश चन्द्र 1984 ने तीव्र बुध्दि वाले मंद बुध्दि किशोरों के तीव्र बुध्दि वाले तथा मंद बुध्दि वाले किशोरों के गृह समायोजन में, 1984.
- गांधी के ए1994 "क्लासरूम कम्यूनिकेशन पैटर्नसऑफ कस्टोडियल एण्ड ह्यूमैनिस्टिक टीचर्स बाई दी प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन , पूणेविद्यार्थी गृह प्रकाशन, भाग संख्या 8, पेज 261-270.
- गोलटॉन्ग, थ्योरी एण्ड मेथाडस ऑफ सोसल रिसर्च
- गुड एण्ड हॉट, मेथाडस इन सोसल रिसर्च.
- घुररे जी एस, कास्ट क्लास एण्ड आकूपेशन.
- गाँधी एम के, दी प्राब्लम ऑफ एजूकेशन नवजीवन प्रकाशन,1942.
- हुबरटी थामस जे. एण्ड हुबनर ई.स्काट 1988,'साइकोलाजी इन दी स्कूलस,भाग 25-1, पेज नं-54-61.
- हैन्सेली 1952, मनोचिकित्सा विज्ञान मे प्रतिबल का सिध्दांत, 1952.
- हार्न एच.एच.दी फिलासफी ऑफ एजूकेशन, 160-61.
- जैम्स एच आर एण्ड आर्थर, डेवलपमेन्ट ऑफ एजुकेशन सिसटम इन इण्डिया.
- जैदी रेहाना 1986 "प्राथमिक शाला के बच्चो की शैक्षणिक उपलब्धि पर अभिवावकों से वंचित होने के प्रभाव का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस,शिक्षा, इलाहाबाद वि.वि., 1986.
- जहीर सईदा 1988 "किशोरों के मातृ व्यवहार, व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंधो का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस,शिक्षा, लखनऊ वि.वि ,1988.
- जायसवाल सीताराम, 1962 शिक्षा मनोविज्ञान-दीपिका, सर्वोदय -साहित्य प्रकाशन ,गोलधर वाराणसी 1962 पेज 1-245.
- जमुआर, कृष्णकुमार,1972 शिक्षा मनोविज्ञान बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना, 1972,पेज 245.

- जान वी.पी. : शिक्षा मे राजनीति टीचर टू डे 25(/2) 1–5 आई.पी.ए. वाल्यूम 25 नं. 1 57/106 मार्च 1987.
- को एल. डी. तथा ए.को :शिक्षको मे व्यावसायिक संबंध पी.टी.एस. मेग्जीन 27/(2) 17–18 आई.पी.एस. वाल्यूम 27 नं. 4 517/967 1989.
- जीत भाई योगेद्र : शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार.
- खरे पी.सी : समाजशास्त्र के मूल तत्व.
- खुराना ए. : भारतीय समाज मे इंजीनियरिंग अध्यापको की भुमिका वैदिक पथ 48 (3) तथा4 48–52 डिपार्टमेंट आफ हयूमेनिरीज एण्ड साईसिस आई.आई.टी.दिल्ली इंडियन साइकोलाजिकल एब्सटेक्ट वाल्यूम 24 नं. 4 पेज 473/805 दिसंबर 1986.
- कोहली वी के, करेन्ट प्राव्लमस ऑफ इंडियन एजुकेशन,कृष्णा प्रकाशन अम्रतसर, 1967.
- के. कपूर ने 1986 'सरस्वती शिशु मंदिर और पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों के संदर्भ मे मनोविज्ञान, सामाजिक कारणों का अध्ययन' पी. एच. डी. थीसिस,शिक्षा, मेरठ विश्वविद्यालय 1986.
- कपूर रीता 1987 "जूनियर हाई स्कूल स्तर पर निम्न एवं उच्च उपलब्धियों पर प्रभाव डालने वाले कारको का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस,शिक्षा, अवध वि.वि., 1987.
- कौर टी 1988 "पंजाब विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों के सामाजिक वर्ग एवं उससे संबंधित वांछित उपलब्धि पर अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस,ि शक्षा, पंजाब वि.वि. ,1988.
- कौर एवं गिल 1993 "शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के विभिन्न विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि एवं उन पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन"1993.
- काफोर्ड उद्घृत,भटनागर आर.पी.एवं अन्य1997 ,शिक्षा अनुसंधान, लायल बुक डिपो, मेरठ,1997.
- खन्ना 1966 "ए स्टडी आफ एट्रिव्यूसन आफ रेसपॉन्सिविलिटी फार सक्सेस एण्ड फेलर लर्निंग डिसएबल चिल्ड्रन"1966.

- लाल आर 1984 "पिछड़ने की प्रवृत्ति ,व्यक्तिगत समस्याएँ और व्यक्तिगत कारकों का शैक्षणिक उपलब्धि के साथ सहसंबंध के रूप मे" पी. एच. डी. थीसिस, भगलपुर वि.वि. 1984.
- लूला टीपी.1974 "छात्रो की उपलब्धि पर शिक्षक के कक्षागत व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस,शिक्षा, मैसूर वि.वि. 1974.
- लूथर एफ, टेक्निकस ऑफ सोसल एजूकेशन.
- पी मेहता और वी.डी. कुमार 1985 "शैक्षिक उपलब्धि का बुध्दि,व्यक्तित्व, सामंजस्य, अध्ययन आदतों और शैक्षिक प्रयोग से संबंध" जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एण्ड क्लिनिकल स्टडीज,1985, पेज 57-68.
- मेहरोत्रा एस ए 1986 "उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की बुध्दि, सामाजिक आर्थिक स्तर,उत्सुकता व्यक्तित्व समायोजन तथा शैक्षणिक उपलब्धि का संबंधत्मक अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, कानपुर वि.वि. 1986.
- मिश्रा एम 1986 " कानपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, कानपुर वि.वि. 1986.
- मुखर्जी, राधाकमल 1960 'इण्डियन वर्किंग क्लास',1960.
- मेहरोत्रा;1986द्ध ने समायोजन स्तर एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य
- मिश्रा सरयू प्रसाद 2004 "दबाब कई रोगो की जड़ है", दैनिक भास्कर , झाँसी 28 अक्टूबर 2004 दृ
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) 1952-53 भारत सरकार नई दिल्ली
- मैकाइवर एण्ड पेज -सोसाइटी पेज 143.
- मैलिनोवस्की 'सेक्स एण्ड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी'
- मुखर्जी आर के एनसियन्ट इण्डियन एजूकेशन, प्रोलॉग-2।
- मोतीलाल 'अशांत' : झांसी दर्शन
- माध्यमिक शिक्षक संघ : उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ का संविधान.
- मुखर्जी आर.के. : सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन.
- मोजर सी ए सर्वे मेथाडस इन सोसल इनवेस्टिगेशन,1958,पेज 166-68.

- माहेश्वरी वी, ए स्टडी इन टू दी क्लासरूम इनट्रेकशन पेटर्न ऑफ इफेक्वि एण्ड इनइफेक्वि टीचर, पी. एच. डी. थीसिस, एजुकेशन, मेरठ वि.वि., 1976.
- मैथ्यू जी, क्लास रूम विहेवियर ऑफ टीचर,एण्ड इट्स रिलेशनसिप विथ देअर कीयेटिविटी एण्ड सेल्फ कनसेप्ट, पी. एच. डी. थीसिस, एजुकेशन, एम एस वि.वि., 1976.
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन 1986.
- नागराजू सी. एस. 1977 ''कर्नाटक के सेकण्डरी विद्यालयों मे पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कुछ सामाजिक कारकों का अध्ययन किया'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, बंगलौर वि.वि. 1977.
- नायर व्ही एस 1979 ''उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के अध्ययन की आदतों और विद्यालयीन उपलब्धि पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, कानपुर वि.वि. 1979.
- एन सी ई आर टी 1986 थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली.
- एन सी ई आर टी 1991 फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली.
- नायक जे पी, एजूकेशन प्लानिंग इन इण्डिया, अलाइड 1965.
- नायक जे पी, एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया, एशिया, 1966.
- नायक जे पी, एजूकेशन इन फोर्थ प्लान, नाचिकेता बाम्बे, 1968
- नुरूल्लाह एण्ड नायक, हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया, मेकमिलन,1951
- पाल एस ए 1986 ''हाई स्कूल के गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक शैली का अध्ययन'',1986.
- पण्डा भुजेन्द्रनाथ एवं सामल एम सी 1995 ''कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के व्यक्तित्व तथा शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन'',1995.
- पुरी के. 1984 ''नियंत्रण के बिन्दुपथ पर्यावरण की सुविधा, प्रणोंदन और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंधों अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, अवध वि.वि. 1984.
- पाठक पी डी 1994, भरतीय शिक्षा एवं उनकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा,तेरहवा संस्करण, पेज नं 3-5.
- पेननजियो, मेजर सोशल इन्सटिट्यूसन्स,242.

- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1964-66,नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1966.
- राय पारस नाथ 1981, अनुसंधान परिचय, आगरा प्रकाशन,1981.
- राजपूत ए एस 1984 " गणित के छात्रों के बुध्दि उपलब्धि, प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक स्तर से शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, पंजाब वि.वि. 1984.
- राजपूत वी एन 1985 "शैक्षणिक उपलब्धि कुछ व्यक्तित्व चर तथा सामाजिक आर्थिक कारकों के फलन के रूपमे अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, गुजरात वि.वि. 1985.
- रंगप्पा के टी 1994 "गणित विषय की छात्रोंपलब्धि पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन" दी प्रोग्रेस आफ एजुकेशन, पूणेविद्यार्थी गृह प्रकाशन, भाग संख्या , पेज 142.
- रेड्डी ओ. आर. 1983 "हाई स्कूल के छात्रों का शैक्षिक उपलब्धि और बुध्दि लब्धि की क्षमताओं का अध्ययन",1983.
- राव एस. एन. 1963 "छात्रों के शैक्षिक समायोजन का व्यक्ति के कुछ कारकों पर संबंध"
- रूहेला सत्यपाल 1983,शिक्षा का समाजशास्त्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वितीय संस्करण, 1983 .
- रूहेला एस पी 1970, सोसिओलॉजी ऑफ टीचिंग प्रोफेसन, एन सी ई आर टी,नई दिल्ली 1970.
- रेमण्ड सी., एडवान्सेस इन सोसल रिसर्च.
- रूग एण्ड विदर्स, सोसल फाउन्डेसन ऑफ एजूकेशन.
- स्टीफन्ज जे एम,1982, शिक्षा मनोविज्ञान हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ़, द्वितीय संस्करण 1982.
- स्लेसिंगर डी.एण्ड स्टीफेन्सन एम, 1930, सोसल रिसर्च,इनसाइक्लोपिडिया ऑफ सोसल साइंस, भाग 9, मेकमिलन कंपनी, 1930.
- श्री ओझा ने 1962 "बुध्दिमत्ता और बुध्दि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे मे अध्ययन"1962.

- शुभराज जी यमुना एवं भारती व्ही.व्ही 1996 ने बच्चों की चिन्ता स्तर परिवार के आकार एवं प्रकार का अध्ययन
- शैदा ए के 1976 ''टीचिंग पैटर्न क्वैचिनिंग एण्ड प्यूपिल एचीवमेन्ट'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, मैसूर वि.वि. 1976.
- सक्सेना; 1975द्धए ने अपने अध्ययन मे शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार और छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन, 1975.
- सेन पी के 1970 'स्लम एण्ड बस्टीज इन कलकत्ता'' 1970.
- सिंह आर. पी. 1979, क्लारूम क्लाइमेट एण्ड स्कूल लर्निग, नेशनल साइकोलाजिकल कारपोरेशन, आगरा,1979.
- सिंह एवं राठौर 1982, स्लम चिल्ड्रनऑफ इंडिया'1982.
- साह बीना 1987 'दी सोसियो-साइकोलाजिकल कोरिलेटस आफ एच्यिमेन्ट मोटिवेशन एण्ड एकेडमिक एच्यिमेन्ट एमंग दी ट्राइवल एण्ड नान ट्राइवल सेकन्डरी लेवल स्टूडेन्टस आफ गढ़वाल रेजन' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, एम जे पी रोहिलखंड वि.वि. 1987.
- शर्मा आर एम 1982 ''हाई स्कूल स्तर पर पिछड़ेपन के मनोवैज्ञानिक निर्धारक'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, जम्मू वि.वि. 1982.
- सरकार यू 1983''बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर कुछ ग्रह कारकों के योगदान का अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, मनोविज्ञान ,कलकत्ता वि.वि. 1983.
- सूत्रधर पी के 1982 ने सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ एवं निम्न बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन पी. एच. डी. थीसिस, एप्लाइड मनोविज्ञान, कलकत्ता वि.वि. 1982.
- शुक्ला सी एस 1984 ''सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं परिवार के आकार के परिपेक्ष्य मे प्राथमिक शाला के बच्चो की उपलब्धियाँ'', पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, बनारस हिन्दू वि.वि. 1984.
- सिंह एल. पी. 1974 ''अन्योन्य किया विश्लेषण सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, मैसूर वि.वि. 1974.
- सिंह जी के. 1982 ''मानसिक रूप से प्रभावशाली एवं पिछड़े बालकों का अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, गोरखपुर वि.वि. 1982.

- सुधीर एम ए तथा मुरलीधरन पिल्ल्ई पी जी "अजावल मे माध्यमिक विद्यालय के छात्रों मे विज्ञान विषय मे उपलब्धि, बुध्दि लब्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ मे अध्ययन" इण्डियन जर्नल आफ साइकोमेट्री आफ एजुकेशन,भाग 18'1' पेज नं–37–44.
- एस.एल.कोठारी, 2007, विशिष्ठ बालक, अलंकार प्रकाशन इंदौर 2007. पेज नं–110–130
- शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 1964–66ए
- शर्मा एस. के. तथा गुप्ता ए.के. : माइक्रो टीचिंग मे विभिन्न प्रकार के पोसित के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन एसियन जनरल आफ साइकोलाजी एण्ड एजूकेशन 9/(1) 41–44 आई.पी.ए. वाल्यूम 24नं.1ए 122/226मार्च 1986
- सिंह ए. : शिक्षक शिक्षार्थी संबंध एक प्रशिक्षणात्मक कौशल जनरल आफ स्कूल एजूकेशन आईपी.ए. वाल्यूम 25 नं. 4 998/568 दिसंबर 1987
- सांगा जी.एस.तथा ढिल्लो डी.एस. : शिक्षण व्यवसाय के प्रति स्कूल अध्यापको की रूचि जनरल आफ एजूकेशन 12/3 33–37 आईपी.ए. वाल्यूम 25 4 471/811 दिसंबर 1987.
- शर्मा आर. तथा आर.सी. त्रिपाठी : सामाजिक कारक तथा शिक्षक प्रत्याशा रिसर्च हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द साइकोलाजिकल पर्सप्रेक्टि गुडगांव एकेडमिक प्रेस आई. पी.ए. वाल्यूम 27 नं. 4 450/835 दिसंबर 1989
- सेथू नारायनम आर. : उच्च शिक्षा मे शिक्षक संगठनो की भूमिका एवं कार्य यूनीवर्सिटी न्यूज 27 (39) 1–5 आई.पी.ए. वाल्यूम 27 नं. 4 528/992.
- सिह बी. : अध्यापन एवं मानव विकास जनरल आफ स्कूल एजूकेशन 12/(4) 16–17 आई.पी.ए. वाल्यूम 25 नं. 4 999/568 दिसंबर 1987
- सिह एण्ड सिह करेन्ट प्राव्लमस ऑफ इंडियन एजुकेशन,कृष्णा प्रकाशन अम्रतसर,1966
- सिक्यूरिया टी एन दी एजुकेशन ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनि. प्रेस 1952.
- थर्स्टन 1930 महोदय ने एक अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला कि समायोजन की दृष्टि से पिछड़े छात्र भी उच्च श्रेणी प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते है,1930.
- थामस एफ डब्लू'द हिस्ट्री एण्ड प्रोसपेकटस ऑफ ब्रिट्रिस एजूकेशन इन इण्डिया पेज1

- त्रिपाठी पी 1987 ''जूनियर हाई स्कूल के छात्रों की शैक्षणिक संप्राप्ति एवं उसके पारस्परिक संबंधो के तुलनात्मक अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, अवध वि.वि. 1987.
- त्रिवेदी व्ही ए1987 ''शोध प्रबंध के अंतर्गत अभिवावक अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंधों अध्ययन'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, लखनऊ वि.वि. 1987.
- उशा श्री.एस.तथा के चौधरेया : व्यवसायिक तथा अव्यवसायिक की कार्य संतुश्टि तथा उनके बिन्दुपथ कियेटिव साइकोलाजिस्ट 19990 2 (1) /11-15 आई.पी.ए. वाल्यूम 28 नं. 3 जुलाई सितंबर 1990.
- उपरेती डी.एस. : अध्यापको का समसामयिक भारत मे सामाजिक आर्थिक राजनितिक विवाद विशयो के प्रति व्यवहार टीचर टू डे 25/(2) 19-38आई.पी.ए.वाल्यूम 25 नं. 1 84/46.
- उपाध्याय विनोद कुमार 1996 ने 'ए स्टडी आफ एचीव्मेन्ट मोटिवेशन आफ सेकन्डरी लेवल स्टूडेन्टस इन रेलेशन टू देअर सेल्फ कन्सेप्ट विथ स्पेशल रिफरेन्स टू सेक्स, लोकेलिटी एण्ड कास्ट' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, एम जे पी रोहिलखंड वि. वि. 1996.
- वर्मा रामपाल 1983, शिक्षा मे नवचिंतन, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, प्रथ्म संस्करण, पेज नं 226-30.
- वर्मा सुमनलता 1996 ''ए कमपेरेटिव स्टडी आफ काक्यूरीकुलर एकटिविटिस आरगेनाइजड इन सेकन्डरी स्कूल एण्ड नवोदय विद्यालय'' पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, एम जे पी रोहिलखंड वि.वि. 1996.
- विल्स के. 1990,गुणात्मक अध्यापक के मानवीय संबंध पी.टी.ए. मेग्जीन 28(2) 9-10 आई.पी.ए. वाल्यूम 28नं. 1 90/249 जनवरी -मार्च 1990.
- वर्मा ओ.पी. 1989, शिक्षको का शैक्षणिक व्यवसाय छात्र उपलब्धि तथा नेतृत्व शैली के प्रति रूझान पर्सप्रेक्टिव इन साइकोलाजिकल रिसर्चेस, 11(2) 12-16 आई.पी. ए. वाल्यूम 27 नं. 2 161/304 जून 1989.
- विस्ट ए.आर.1986, शिक्षक के प्रथम एवं द्वितीय स्थिति के व्यक्तित्व कारको का कियार्थक एवं अकियार्थक कक्षा के व्यवहारो से संबंध इण्डियन एजूकेशनल रिब्यू 20(3) 79-90 आईपी.ए. वाल्यूम 24 नं. 3 418/ 726 सितंबर 1986.

- *विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधकृष्णन कमीशन) 1948-49 भारत सरकार*
- *वर्मा रामनाथ : परिवार और समाज.*
- *वाइल्स के. : पी.टी.ए.मेग्जीन 27/(5) 7-8 आई.पी.ए.वोल्यूम नं. 2ण 258/499 जून 1989.*
- *वाइल्स के. : पेरेण्ड्स एण्ड चिल्डेंन 27(/2) 3आई.पी.ए.वोल्यूम 27 नं. 2, 257/498 जून 1989*
- *वर्मा एम, एन इन्ट्रोडकसन टू एजुकेशनल एण्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च टू*
- *विल्सन जी सोसल साइंस रिसर्च मेथाड 1950 पेज न. 314.*
- *वांगु आर एस तथा थामस के. जे.1995 "ट्राइवल टाउन के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों*
- *मे गणित के प्रति अभिवृत्ति एवं उपलब्धि का अध्ययन"इण्डियन जर्नल आफ साइकोमेट्री आफ एजुकेशन, भाग 261 पेज नं-31-36.*
- *यादव हरिचरण 1999 "छात्रोपलब्धि पर शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार एवं प्रतिबल का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, गुरू घासीदास वि.वि. 1999.*
- *यादव एन 1987 "छात्रोपलब्धि एवं अभिवृत्ति के बीच संबंध मे माध्यमिक विद्यालय के जीवविज्ञान शिक्षकों के कक्षागत अन्योन्य क्रिया विश्लेषण का अध्ययन" पी. एच. डी. थीसिस, शिक्षा, गोरखपुर वि.वि. 1987.*

परिशिष्ट

स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन

A Socio-Psycho Study Of Backwardness Among Scholaristic School Going Children

(झाँसी शहर के संदर्भ में)

निर्देशक

डॉ. एन.एन.अवस्थी

पूर्व विभागाध्यक्ष

डॉ.बी.आर.अम्बेडकर

इंस्टिट्यूद ऑफ सोशल साइंसेज

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

शोधनार्थिनी

श्रीमति ज्योति नामदेव

बी.एस.सी. एम.ए.(सामाजशास्त्र)

साक्षातकार अनुसूची

अ- छात्रों की पारिवारिक स्थिति अनुसूची संबंधी सूचना :-

1. आपका नाम :...

2. पिता का नाम :...

3. आयु: .

अ. 13-14	
ब. 12-13	
स. 11-12	
द. 10-11	
इ. 09-10	

4. धर्मः

अ. हिन्दू	
ब. इस्लाम	
स. ईसाई	
द. अन्य	

5. जाति :

अ. सामान्य	
ब. पिछड़ी	
स. अनुसूचित	

6. लिंगः...

7. विद्यालय जिसमें आप पढ़ते हैः...

8. आपका वर्तमान पताः... ....

9. आपके पिता के व्यवसाय अ. कृषि ब. नौकरी स. व्यापार द. अन्य

10. धर्म में विश्वास या रोज पूजा करते हो ... हॉ/नहीं

11. दोस्तों के साथ खेलने जाते हों ? ... हॉ/नहीं

12. परिवार मे कोई बीमार रहता है ? ... हॉ/नहीं माता / पिता / भाई /बहिन

13. घर मे घरेलू काम करते हो ? ... हॉ/नहीं

14. स्कूल मे उपस्थित रहते हो ? ... हॉ/नहीं

15. स्कूल मे अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? दण्डात्मक अनुशासन /दैनिक कार्य का बोझ /शिक्षण विधि की अवहेलना/पाठ्यकम की जटिलता

16. पिक्चर या टी. वी. देखते हो ? ... हॉ/नहीं

17. भोजनकितनी बार करते हो ? ... दो बार/ तीन बार /चार बार/ कई बार

18. होम वर्क समय से करते हो ? ... हॉ/नहीं

19. स्कूल मे कक्षाएँ नियमित लगतीं है? ... हॉ/नहीं

20. पिता के व्यवसाय मे मदद करते हो? ... हॉ/नहीं

21. छोटे भाई या बहिन को खिलाते हो? ... हॉ/नहीं

22. पढ़नें मे रूचि ? ....

मन नही लगता /नींद आती है /समझ नही आता /समय नही मिलता

23. हीन भावना से शिकार है ? ... हॉ/नहीं

24. कुण्ठा से शिकार है ? ... हॉ/नहीं

25. दबाव तथा तनाव से शिकार है ? ... हॉ/नहीं

26. एक ही जगह बैठने की क्षमता की कमी शिकार है? ... हॉ/नहीं

27. एक ही स्कूल में अध्ययन की अवधि ... दो बर्ष/ तीन बर्ष /चार बर्ष / कई बर्ष

28. मित्रों का स्वाभाव कैसा है? ... सीधा-सादा / लड़ाकू / हॅसमुख/ कोधी

29. जाति एवं पारिवारिक व्यवसाय ... कृषि / नौकरी / व्यापार

30. आपको पिता जैसा बनना है ? ... हॉ/नहीं

31. मित्रों से संबंध कैसा है ? ... मिलजुलकर /लड़ते रहना

32. माता-पिता का दृष्टिकोण कैसा है? ... सही दिशा-निर्देशन/ डाटेंगें / समझायेगे

33. आपको पिता जैसा बनना है ... हॉ/नहीं

34. घर से स्कूल के रास्ते का वातावरण कैसा है? ... धूल धक्कड़ मय /प्रदूषित

35. भय या किसी से डरते हो? ... हॉ/नहीं

36. मित्रता किससे है? ...अपने से कम उम्र से/अपने से ज्यादा उम्र से/हम उम्र से

37. स्वप्न देखते हो? ... हॉ/नहीं

38. हीन भावना रहती है ... हॉ/नहीं

39. संकल्प करते हो ? ... हॉ/नहीं

40. आप अपने विद्यालय किस साघन से जाते हैं -

1. पैदल 2. साईकिल 3. स्कूटर 4. मोटर साईकिल 5. बस / टैम्पो

41. आपका प्रतिमास व्यय लगभग ....

42. क्या आप अपने पिता के व्यवसाय मे सहयोग करते है- हां/नही

43.आपकी माता किसी नौकरी या व्यवसाय मे संलग्न है?

44.आपकी माता की शैक्षिक योग्यता ....

ब- छात्रों के अभिवावक की पारिवारिक स्थिति अनुसूची संबंधी सूचनाः

45. आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हो ?
अ. ग्रामीण क्षेत्र से
ब. शहरी क्षेत्र से

46. आपके मूल परिवार का स्वरूप ?
अ. संयुक्त
ब. एकाकी

47. आपके वर्तमान परिवार का स्वरूप ?
अ. संयुक्त
ब. एकाकी

48. आपके परिवार की सदस्य संख्या- ?
अ. 3 तक
ब. 5 तक
स. 8 तक
द. 10 से ज्यादा

49. आपकी शैक्षणिक योग्यता
अ. पी एच डी
ब. स्नोत्तर
स. स्नातक
द. बी. एड.

50. आपकी पत्नी की शैक्षिक योग्यता?
1. हाईस्कूल
2. इण्टरमीडिएट
3. परा स्नातक
4. अन्य

51. छात्रों के अभिवावकों की वैवाहिक स्थिति 18 साल के पहले /18 साल के बाद

52. आश्रित सदस्यों की संख्या- ....

53. अनाश्रित सदस्यों की संख्या- ....

54. परिवारिक कलह होता है ?...हॉ/नहीं

55. बच्चों का जन्म स्थान ....घर / सरकारी /अस्पताल /प्राइवेट नर्सिग होम

56. बच्चों को दिए गए दुग्ध पान से संबंधित राय............

माता का दूध/भैंस का दूध/गाय का दूध/बकरी का दूध

57. बच्चों के बीमार होने पर चिकित्सा पध्दति ....

घरेलू इलाज/ वैद्य का इलाज/ डाक्टर से इलाज/ झाड़फूँक / स्वयं से ठीक हो जाएगा

56. बच्चों की पल्स पोलियो से सुरक्षा के लिए दवा पिलाते हो.... हॉ/नहीं

57. बच्चों का टीकाकरणसमय से होता है .... हॉ/नहीं

58. बच्चों के मनोरंजन का साधन............ रेडियो/ टेप टी वी/ वीडियो गेम / उपर्युक्त सभी

59. बच्चों की शारिरिक वनावट एवं स्वास्थ्य..... सामान्य और स्वास्थ्य /असामान्य /अस्वास्थ्य

60. बच्चों के शारिरिक दोष एवं रोग ...दुर्बलता/कम सुनना / हकलाना या तुतलाना / सर्दी का बना रहना

स– सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर

61. आपकी कुल मासिक आय– ....

62. आपके परिवार की कुल मासिक आय– ....

63. आपका प्रतिमास व्यय लगभग– ....

64. आपका प्रतिमास बचत लगभग – ....

65. आपका मकान ? – निजी है / किराये का है / देय है

66. यदि किराये का है तो प्रतिमास किराया कितना है ....

67. आपने आपना निजी मकान – स्वयं खरीदा है / पैतृक सम्पति में मिला

68. आपका मकान कैसा है – 1 पक्का 2 कच्चा 3 मिश्रित

69. आपके मकान में कमरों की संख्या– अ 2 ब 3 स 4 द 5

70. क्या आपके मकान में बिजली और पानी की सुविघा है ? हॉ/नहीं

71. क्या आपके मकान में शौचालय /स्नानधर /रसोईधर उपलब्ध है ? हॉ/नहीं

72. आप किस घर में निवास करते हैं ? – अभिजात वर्गीय /मध्यम वर्गीय/निम्न वर्गीय

73. आपके आस पास किस जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं?

1 सवर्ण जाति 2 पिछ्डी जाति 3 अनुसूचित जाति 4 अन्य

74. आपके पड़ोस में किस वर्ग के लोग रहते हैं? – 1 नौकरी 2 व्यापारी 3 श्रमिक वर्ग 4 अन्य

75. पड़ोसियों से आपके कैसे संबंघ हैं? 1 बहुत अच्छे 2 सामान्य3 खराब 4 बहुत खराब

76. आपके पास निम्न सारिणी की कौन कौन सी वस्तुएँ / सुविधाएँ है –

सं	वस्तुका नाम	हॉ	नहीं	सं	वस्तु का नाम	हॉ	नहीं	सं	वस्तु का नाम	हॉ	नहीं
1	स्टोव			9	कार			17	फ्रिज		
2	हीटर			10	अलमारी			18	ए सी		
3	गैस चूल्हा			11	सोफा			19	वी सी		
4	टेविलफैन			12	डबल वेड				आर		
5	सीलिग फैन			13	ड्रेसिग टेबिल			20	कम्प्यूटर		
6	कूलर				वांशिग			21	आडियो		
7	साइकिल			14	मंशीन				सिस्टम		
8	मोटर				मिक्सी			22			
	साइकिल			15	कलर टीवी			23			
				16				24			

77. आपने धरेलू कार्यो के लिये किसे नियुक्त किया है । – 1 नौकर 2 नौकरानी 3 कोई नहीं

78. आपके बच्चे किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं ? – 1अग्रेजी मीडियम 2 हिन्दी मीडियम

79. आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं – 1 साईकिल 2 स्कूली रिक्शा 3 बस 4 टैम्पो

80. आप शाकाहारी है या मांसाहारी ? शाकाहारी / मांसाहारी

81. क्या आप प्रतिदिन संतुलित आहार लेते है ? – हॉ / नहीं

82. क्या आप माह में एक बार सपरिवार कहीं धूमनें जातें है ? – हॉ / नहीं

83. क्या आप छठवें वेतन आयोग की सिफारिश से सहमत है ?– हॉ / नहीं

84. छठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आपके रहन सहन पर प्रभाव पड़ेगा ?– हॉ / नहीं

85. मनोरंजन पर आपका मासिक व्यय लगभग –..

86. क्या आपके पास किसी प्रकार का ऋण है?– हॉ / नहीं

87. आपको कौनसा चैनल पंसद है?

1 डी डी 2 स्टार प्लस 3 आज तक 4 स्पोर्टर्स चैनल 5 एम टी वी

88. क्या आप अक्सर पारिवारिक बीमारियों से परेशान रहते है – हॉ / नहीं

89. क्या आप मादक दव्यों का सेंवन करते हैं – 1 नियमित 2 कभी कभी 3 कभी नहीं

90. क्या आप मानतें हैं कि आज के दौर में भौतिक सुख सुविधायें का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है ।–

हॉ / नहीं

91. आपके परिवार के शिक्षित सदस्यों की संख्या..

92. आपके परिवार के अशिक्षित सदस्यों की संख्या.......................................

93. आपका प्रतिमास बचत लगभग ....

94. आपका मकान ? –निजी/किराए का/सरकारी है...

95. यदि किराए का है तो प्रतिमास किराया कितना है ....

96. आपने अपना निजी मकान स्वयं खरीदा है या पैतृक सम्पत्ति मे मिला ....

97. आपका मकान कैसा है पक्का /कच्चा/मिश्रित ....

98. आपके मकान मे कमरों की संख्या ....

99. क्या आपके मकान मे बिजली और पानी की सुविधा है? ... हॉ / नहीं

100. क्या आपके मकान मे शौचालय /स्नानघर/रसोईघर उपलब्ध है ....

101. आपके आसपास किस जाति के लोग ज्यादातर रहते है ....

102. आप किस क्षेत्र मे निवास करते है–अभिजात वर्गीय/मध्यमवर्गीय/निम्नवर्गीय ....

103. आपके आसपास किस वर्ग के लोग रहते है – नौकरी/व्यापारी/श्रमिक वर्ग/अन्य

104. पड़ोसियों से आपके कैसे संबंध है– बहुत अच्छे/सामान्य/खराब/बहुत खराब

105. आप अपने विद्यालय किस साधन से जाते है ....

106. क्या आप माह मे एक बार सपरिवार घूमने जाते है ....

107. क्या आप गर्मियों/ शर्दियों की छुष्ट्यिों में बाहर घूमनें जाते है ....

108. आर्थिक असुरक्षा मानसिक तनावों को जन्म देती है जिससे बच्चों की पढ़ाई मे बाधा उत्पन्न होती है

109. क्या आप अक्सर पारिवारिक बीमारियों से परेशान रहते है ....

110. क्या आपके परिवार मे कोई मादक द्रव्यों का सेवन करता है ....

111. क्या आप मानते है कि आज के दौर मे भौतिक सुख सुविधाओं का जीलवन मे महत्वपूर्ण स्थान है

स– अध्यापक (छात्रों के शिक्षक) की शिक्षण स्थिति अनुसूची संबंधी सूचनाः

112. आपका नाम ....

113. पिता का नाम ....

114. धर्म..

115. जाति ....

116. लिंग ....

117. आयु ....

118. विद्यालय जिसमें आप कार्यरत हैं...

119. क्या आप विवाहित हैं ? हॉ/नहीं

120. आयु के आधार पर शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का प्रयास.....

ज्ञान पर /पुर्ननिवेशन /प्रबंध पर /शिक्षण साधनों पर

121. अनुभव के आधार पर शिक्षण के पहले चरण की जानकारी.....

योजना बनाना/ पाठ्य सामाग्री संगठित करना/ छात्रो की बैक ग्राउंड जानना

122. शिक्षा के आधार पर अनुशासन के संबंध मे विचार...

आकर्षक व्यक्तित्व/ अच्छाआचरण/ प्रभावी शिक्षण/ सदा जीवन

123.शिक्षा के आधार पर नयी कक्षा के प्रारंभ का विवरण...

अनुशासन लागू करना/ विद्यार्थीयों से संपर्क /योग्यता का वर्णन

124. शिक्षा के आधार पर परीक्षा की विधि का विवरण...

व्याख्यात्मक प्रश्न विधि /वस्तुनिष्ट प्रश्न विधि /मौखिक प्रश्न विधि/ वस्तुनिष्ट एवं व्याख्यात्मक दोनो

125. छात्रों के कक्षा मे उपस्थित न होने पर प्रतिकिया.... छात्रों को दोषी ठहराएगें/ चुप रहेंगें/रूचिकर विधियों का प्रयोग/ कारणो को जानकर दूर करने का प्रयास

126. अध्यापकों के अंदर व्यवसायिक गुण संबंधि विचार ....

.विषय मे दक्षता/ शिक्षण पद्धति मे नयापन/ व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी

127. सूचना कांति का शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव ....पड़ा / नही पड़ा

128. आयु के आधार पर शिक्षण तकनीकी .... हुआ / नही हुआ........................

129. एजूकेशनल टी.वी. से शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन ....हुआ / नही हुआ ....

130. CHEER जैसे कार्यक्रमों का प्रभाव ....पड़ा / नही पड़ा

131. सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम संबंधी विचार........................प्रचार /श्रव्य / दृश्य /सभी

132. शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत छात्र –व्यवहार की प्रसंसा एवं आलोचना करने की प्रवृत्ति....... छात्र –व्यवहार की प्रसंसा / आलोचना

133. शिक्षकों के कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत उच्च प्रतिबल –व्यवहार वाले एवं निम्न प्रतिबल व्यवहार शिक्षक की प्रवृत्ति .... उच्च प्रतिबल / व्यवहार वाले / निम्न प्रतिबल

134. यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगें ?

1 छात्रों को दोषी ठहरायेंगें

2 छात्रों को वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए चुप रहेंगें

3 कुछ रूचिकर विधियों का प्रयोंग करनें का प्रयास करेंगें

4 कारणोंकों जाननें तथा उन्हें दूर करनें का प्रयास करेंगें

135. शिक्षण का पहला चरण है आपके अनुसार है ?

योजना बनाना /पाठ्य सामग्री को सुसगंठित करना/विद्यार्थियों की बैकग्राउड को जानना/ कोई नहीं

136. आपके अनुसार अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनानें के लिए किस पर निर्भर करना चाहिए

अपने ज्ञान पर / पुनर्विवेशन परा / प्रबन्ध परा / शिक्षण साधनों पर

137. आपके अनुसार अध्यापक के अन्दर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए?

1 अपनें विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता 2 शिक्षण पद्वति में प्रतिरक्षण नयापन

3 व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी 4 उपरोक्त सभी

138. किसी कक्षा की परीक्षा के लिये आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है?

1 व्याख्यात्मक प्रश्न विधि 2 वस्तुनिस्ट प्रश्न विधि

3 मौखिक प्रश्न विधि 4 वस्तुनिस्ट और व्याख्यात्मक दोनो

139. आपके अनुसार एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह?

1 शिक्षण में समुचित रूचि रखता हो

2 विद्यार्थियो को नियंत्रित करना जानता हो

3 अपना विपय जानता हो

4 अभिव्यत्ति अच्छी रखता हो

140. विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर आप ?

1 उसे डांटेगे

2 उत्तर क्यों गलत हैं स्पष्टीकरण देगें

3 दुसरे से पूछेंगे

4 दूसरा प्रश्न पूछेंगे

141. आपके अनुसार अच्छा है? 1 एक लम्बा वक्तव्य

2 एक अस्पस्ट वक्तव्य

3 एक सुस्पस्ट वक्तव्य

4 एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निस्कर्प निकालने की प्रेरणा देता हो

142. आप नयी कक्षा प्ररभ्भ करने से पहले?

1 अनुशासन लागू करते है

2 चुटकले सुनाते है

3 विद्यार्थियों सें संपर्क स्थापित करते है

4 अपनी योग्यता का वर्णन करते है

143. आपके अनुसार अच्छा शिक्षण किसका प्रकार है?

1 शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निस्ठा का

2 शिक्षको को उच्च शैक्षिक योग्यता का

3 महाविद्यालय मे प्रधानाचार्य के मजबूत नेतृत्व का

4 शिक्षको की विद्वता के उच्च स्तर का

144. आपके अनुसार श्रेस्ठ अनुशासन में क्या सहायक है?

1 आर्कपक व्यक्तित्व

2 अच्छा आचरण एवं मोहक मुद्राएं

3 प्रभावी शिक्षण

4 सादा जीवन

145. क्या अध्यापक वर्ग समाज का सम्मानित ... हॉ / नहीं

146. आर्थिक असुरक्षा मानसिक तनावों को जन्म देती है ? ... हॉ / नहीं

147. जिससे अध्यपन कार्य प्रभावित होता है क्या आप इस बात से सहमत है? हॉ / नहीं